सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली–110012

www.plantauthority.gov.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2020–21

PPVFRA ™

(टीएम-ट्रेडमार्क पंजीकरण लंबित)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना और आभार	ii
	विशिष्ट सारांश	vii
1	परिचय	1
2	पौधा किस्म रजिस्ट्री	9
3	डीयूएस जांच केन्द्र	26
4	डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास और जीन बैंकों की स्थापना पर परियोजनाएं	150
5	किसानों से संबंधित गतिविधियां	157
6	भारतीय पौधा किस्म जर्नल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीाय रजिस्टरर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन	158
7	डेटाबेस का विकास, आईआईएनडीयूएस, एनओआरवी, वेबसाइट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)	160
8	प्रशासन, शासन तथा अन्य(विविध गतिविधियां	169
9	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	180
10	31.03.2021 को प्राधिकरण के वित्तीय विवरण	182
11	नागरिक आचार संहिता (सिटिजन चार्टर)	185
	अनुबंध	
I	31.03.2021 के अनुसार पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण केसदस्यों का विवरण	188
II	31.03.2021 के अनुसार पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के मानव संसाधन का विवरण	190
III	वर्ष 2020-21 के दौरान नए डीयू एस केन्द्रो / परियोजनाओ को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण	191
IV	वर्ष 2020-21 के दौरान वर्तमान डीयू एस केन्द्रो / परियोजनाओ को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण	193
V	वर्ष 2020-21 के दौरान फील्ड जीन बैंक को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण	196
VI	वर्ष 2020-21 के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठनो / केन्द्रो को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण	197
VII	पंजीकरण अधीन फसलें	198
VIII	वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र	204
IX	संक्षिप्तियां	221

प्रस्तावना और आभार

यह वर्ष कोविड 19 लॉकडाउन के कारण अधिकतर घर से ही कार्य करने, शहर से बाहर न जाने या सीमित कर्मचारियों की सहायता से काम करने के बावजूद, प्राधिकरण को पिछले वर्षों की तुलना में पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु अधिक आवेदन प्राप्त करने से नहीं रोक पाया, इस तथ्य के बावजूद कि पंजीकरण के लिए आवेदनों के साथ बीज एवं बीज सामग्री को भी वास्तविक तौर पर प्राधिकरण तक पहुँचाना अपेक्षित होता है। यह एक सुखद अहसास है कि भारत में किसानों एवं पादप प्रजनक दोनों के लिए कृषि एक जीवंत एवं अबाध अभियान है, जिन्होंने मिलकर, इस महामारी के बावजूद रिकॉर्ड खाद्यान्न, सब्जियां तथा फलों का उत्पादन करके देश का मनोबल बढ़ाया।

पौधा किस्मों पर अपने स्वामित्व हेतु बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए पौधा किस्मों को पंजीकृत कराने के लिए पादप प्रजनक आगे आए। पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकरण के लिए लगभग तीन गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए तथा वर्ष 2020-21 के दौरान रजिस्ट्री द्वारा लगभग 400 किस्मों पर पादप प्रजनकों (प्लांट ब्रीडर) को अधिकार प्रदान किया गया। प्राधिकरण के कर्मचारियों तथा सभी प्रमुख अन्वेषक वैज्ञानिकों ने 150 से अधिक डीयूएस केंद्रों पर वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं की टीम के साथ लॉक डाउन, श्रमिकों की कमी, खेत सुविधाओं में कमी के बावजूद, विचलित हुए बिना देश के विभिन्न डीयूएस परीक्षण स्थलों पर और यहां तक कि दूरस्थ स्थानों से प्रेक्षणों को दर्ज करने के कार्य को पूरा किया। इसलिए, पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है, जो कि देश में पौध प्रजनकों के अधिकारों का एकमात्र आईपीआर रक्षक तथा पौधों की किस्मों पर किसानों के अधिकारों का, जो अपने पारंपरिक अधिकारों की सच्ची भावना से खेती करते हैं, का विश्व में एकमात्र प्रामाणिक संरक्षक है।

भारत में पौधों की किस्मों पर बौद्धिक संपदा व्यवस्थाओं को प्राधिकरण इस प्रकार नियंत्रित करता है जिससे किसानों को उनके अधिकारों का लाभ प्राप्त करने का इस व्यवस्था के भीतर सर्वोत्कृष्ट अवसर प्राप्त हो, जैसा कि उन्हें परंपरागत रूप से प्राप्त होता था। इस प्रकार, इन किस्मों के आधार पर पादप प्रजनक (प्लांट ब्रीडर) के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुँचाए बिना तथा किसानों की पारंपरिक कृषि-आधारित जीविका निर्वाह को बरकरार रखते हुए दोनों के अधिकारों के सह-अस्तित्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है।

यह अनुपम नेतृत्व एक योग्य अनुभव का परिणाम है, मेरी कामना है कि कि यूपीओवी, जिनेवा या यूपीओवी (1973 या 1991 के कानून) के साथ-साथ अन्य पौधा किस्म संरक्षण प्राधिकरणों को भी इससे सीख लेने हेतु आगे आना चाहिए। यह भारत को, खाद्य एवं कृषि पर पादप आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) समझौते के लिए अब तक का सबसे अच्छा अनुपालनकर्ता देश होने का गौरव भी प्रदान करता है। इस प्रकार, उन सभी देशों में जिन्होंने ITPGRA तथा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPs) दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है।

प्राधिकरण का उद्देश्य, पादप प्रजनक के रूप में किसान तथा पादप प्रजनक, दोनों को ही प्रोत्साहित करना है ताकि वे मौजूदा किस्मों से अलग किस्मों के प्रजनन हेतु आगे आएं, ऐसी किस्में जो उन किसानों की अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों से मेल खाती हैं, जिसे वे सुनिश्चित औसत प्रदर्शन के साथ सुलभ प्रतिस्पर्धी किस्मों में से चुन सकते हैं। अधिकार प्राप्त पौधा प्रजनकों को संरक्षित किस्म के उत्पादन, वितरण, बिक्री, विपणन, निर्यात या आयात से संबंधित सभी या किसी विशेष अधिकार के लिए एजेंट या लाइसेंसधारकों या अधिकृत व्यक्तियों को शामिल करके अपने व्यवसाय को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे लोगों के बीच अंतर और इनमें से प्रत्येक के सहज उत्तरदायित्वों को स्पष्ट किया है ताकि अधिकार प्राप्त, पादप प्रजनक (प्लांट ब्रीडर) तथा एजेंट या लाइसेंसधारी या अधिकृत व्यक्ति के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करते समय उनकी स्पष्ट रूप से गणना की जा सके। इस सामंजस्य से पंजीकृत प्रजनक को संरक्षित किस्म के व्यवसाय को बढ़ावा देने की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे अंततः किसान को एक नई किस्म को बोने की सुविधा प्राप्त होगी और अधिकार प्राप्त प्रजनक या उसके साझेदार भी अपने स्वयं के व्यवसाय को बढ़ाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा के चलते उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के कारण फसल की संपूर्ण उत्पादकता में वृद्धि होगी।

मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले तीन वर्षों में पारंपरिक पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं सुधार हेतु कार्यरत किसानों या कृषक समुदायों को विभिन्न पुरस्कारों, पारितोषिक एवं मान्यता प्रदान करने के लिए नामांकन प्राप्त किए गए; प्रतिवेदित अवधि के दौरान उनकी समीक्षा की गई तथा 11 नवंबर, 2021 को प्राधिकरण के स्थापना दिवस के अवसर पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्रीमती शोभा करंदलाजे, माननीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 28 योग्य विजेताओं को पिछले तीन वर्षों के पुरस्कार वितरित किए गए। प्राधिकरण यह चाहता है कि इन संरक्षित पादप संसाधनों को पादप प्रजनकों द्वारा लाभ वितरण के प्रावधान सहित इस प्रकार से उपयोग में लाया जाए कि फसल विशेष की किस्मों के संरक्षण के लिए किसानों या कृषक समुदायों को पुरस्कृत किया जा सके।

प्राधिकरण में अपने कार्यकाल के तीन वर्षों के दौरान, मैंने महसूस किया है कि पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001), बाध्यता से नहीं वरन प्रजनकों एवं किसानों के पास एक दूसरे के कार्य को बाधित किए बिना, संरक्षित किस्म से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु अपने अधिकारों के प्रयोग का एक बेहतर स्वैच्छिक विकल्प है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की सीमा में अपने को सीमित करके प्रजनकों के साथ-साथ उपभोक्ता किसानों द्वारा भी इस अधिनियम के प्रावधानों का सर्वाधिक लाभकारी उपयोग किया जा सकता है जिससे दोनों को ही लाभ मिल सकता है। इससे पादप प्रजनक, नान-हाइब्रिड किस्मों के मामले में कृषि उपज के बंटवारे या बिक्री के माध्यम से बिना निवेश के तेजी से अपनी किस्म को बढ़ावा दे सकते हैं, तो वहीं किसानों को पिछली प्रजातियों की तुलना में अधिक लाभ देने वाली नई तकनीक के परीक्षण का सुलभ अवसर हो सकता है। इससे बीज कंपनियों को फलने-फूलने में मदद मिलती है, साथ ही साथ किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है, जो सरकार का एक घोषित लक्ष्य है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्राधिकरण को 55 फसल प्रजातियों से संबंधित कुल 602 आवेदन प्राप्त हुए। पिछले वर्ष, 32 प्रजातियों से संबंधित मात्र 204 आवेदन प्राप्त हुए थे। खाद्यान्न (अनाज) फसलों के 406 आवेदन आए और उसके बाद सब्जियों का स्थान था जिसमें किस्मों की विभिन्न श्रेणियों के 95 आवेदन प्राप्त हुए। 237 आवेदन निजी क्षेत्र द्वारा, 193 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा तथा 172 आवेदनों को किसानों द्वारा दायर किया गया। कृषक किस्म को पहले शुद्धता एवं विशिष्टता में विफलता के कारण बड़ी संख्या में अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था अब उसे कम करने के लिए पहले के विपरीत, कृषक किस्म के तहत किस्मों को अब उस क्षेत्र में संचालित राज्य कृषि विश्वविद्यालय(एसएयू) या भाकृअनुप के संस्थान द्वारा शुद्धता एवं विशिष्टता की पुष्टि के पश्चात ही प्राधिकरण को भेजा जाता है। पिछले दो वर्षों से अपनाई जा रही यह प्रक्रिया गुणवत्ता के मामले में एक बड़ा परिवर्तन है। इस नई प्रक्रिया के माध्यम से दायर 172 आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, पहले की तुलना में अधिक संख्या में किस्मों के पंजीकरण की संभावना अब अधिक दिखती है।

पिछले वर्ष 408 किस्मों का पंजीकरण किया गया था जबकि इस वर्ष लॉकडाउन प्रतिबंधों के बावजूद जो वर्ष के अधिकांश भाग में लागू थे, प्राधिकरण द्वारा 388 किस्मों को पंजीकृत किया गया जिनमें से 91 कृषक किस्में थीं और 297 पादप प्रजनकों द्वारा उत्पन्न किस्में थीं। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अति उत्साहजनक बिंदु यह था कि 140 नई किस्मों का रिकॉर्ड पंजीकरण किया गया जिसका अर्थ है कि किसानों को मौजूदा किस्मों से हटकर नई किस्मों को अपनाने का अवसर मिलेगा। मैं, इसे देश में पादप प्रजनन में अनुसंधान एवं विकास में सकारात्मक वृद्धि का एक प्रगति संकेतक के रूप में मानता हूं। यह कृषि में राष्ट्रीय प्रगति की अपेक्षा को ठीक तरह से परिपूर्ण करता है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि में जीवंतता लाना एक प्रमुख कारक होगा। नई किस्में वह जीवंतता प्रदान कर सकती हैं। इसके लिए रजिस्ट्री और उसके समर्पित कार्मिक प्रशंसा के पात्र हैं।

आभार

मैं, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं उनके कार्यालय के प्रति प्राधिकरण से संबंधित मामलों पर प्राथमिकता से ध्यान देने तथा प्राधिकरण के हित में आवश्यक मार्गदर्शन, समर्थन

एवं प्रोत्साहन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपल्ला एवं श्री कैलाश चौधरी ने हमें प्रत्येक अवसर पर प्रोत्साहित किया और प्राधिकरण को अपना पूरा समर्थन दिया, इसके लिए उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं।

मैं, इस अवसर पर श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को अधिनियम के तहत सजीव पौधों से संबंधित सामग्री में आईपीआर जटिलताओं पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर रुचि दिखाने, सुविधा प्रदान करने, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सदैव समर्थन देने के लिए कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देता हूं।

इन प्रस्तावित सुधारों के साथ प्राधिकरण, वैश्विक स्तर पर अपनी नेतृत्व भूमिका को संस्थापित करने में सक्षम होगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा प्राधिकरण है जो किसानों के अधिकारों से समझौता किए बिना पादप प्रजनकों को उनके अधिकार प्रदान कर रहा है, जिससे भारतीय किसानों को एक विशिष्ट पहचान एवं सुदृढ़ता प्राप्त होगी। मैं कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्राप्त आवेदनों पर समय पर कार्रवाई करने तथा 150 से अधिक स्थानों पर परीक्षणों के संचालन तथा पूरे देश में बारहमासी, वृक्षों एवं लताओं के 100 से अधिक ऑन-साइट परीक्षणों को सम्पन्न करने के लिए प्राधिकरण की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने तथा सुविधा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज) जो मंत्रालय के नोडल विभाग में प्रमुख संपर्क पदाधिकारी होने के साथ-साथ प्राधिकरण के पदेन सदस्य भी हैं, ने प्राधिकरण के समुचित कार्यों को उपयुक्त प्राथमिकता देते हुए उन पर त्वरित कार्यवाही की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में एक अति व्यस्त वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने तथा प्राधिकरण को सुविधाओं या अनुमोदन से संबंधित विषयों को धैर्यपूर्वक सुनने तथा उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं।

मैं, प्राधिकरण के माननीय पदेन सदस्यों जिनमें कृषि एवं बागवानी आयुक्तों, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज), निदेशक, आईएआरआई; निदेशक, एनबीपीजीआर; संयुक्त सचिव (विधि); पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जैव प्रौद्योगिकी विभागों के नामांकित अधिकारियों के योगदान को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूं, हालांकि, रजिस्ट्रार-जनरल का पद न भरे जा सकने के कारण इस दौरान प्राधिकरण की कोई बैठक नहीं हो सकी। इसके साथ ही अन्य अधिकारीगण जिन्होंने विभिन्न समितियों/कार्यबलों में अपनी सेवाएं दी जिससे प्राधिकरण को नए प्रतिमान एवं मानक स्थापित करने में मदद की उनको भी बहुत धन्यवाद।

मैं, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक; फसल विज्ञान एवं बागवानी के उप महानिदेशकों; सहायक महानिदेशक बीज, खाद्य एवं चारा फसलें, तिलहन एवं दलहन तथा वाणिज्यिक फसलें; राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के कुलपतियों; भाकृअनुप एवं सीएसआईआर के फसल विज्ञान एवं बागवानी विज्ञान संस्थानों के सभी निदेशकों; भाकृअनुप के डीयूएस केंद्रों के प्रमुखों; राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू); वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर); भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) तथा अन्य अनुसंधान संगठनों को भी उनके द्वारा प्राधिकरण को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

बीज प्रभाग की तकनीकी शाखा सहित श्री एम गुणसेकरन, सहायक आयुक्त को उनकी टीम तथा बीज प्रभाग के उपसचिव श्री राकेश सिंह नयाल एवं श्री वागुलापरनम, अवर सचिव, को प्रशासनिक मंत्रालय एवं प्राधिकरण के बीच प्रशासनिक मामलों में कार्यात्मक संपर्क में सहायता प्रदान करने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं, डॉ. ए. के. सिंह, निदेशक, भाकृअनुप -भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) तथा डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक, भाकृअनुप -राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) को प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी में उनके सहयोग एवं सहायता के लिए उनका आभारी हूं।

मैं, भारतीय स्टेट बैंक तथा सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं, समय पर लेखा संपरीक्षा, मार्गदर्शन एवं निर्देशन के लिए सीएजी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। मैं, प्राधिकरण की

समय पर लेखा संपरीक्षा करने के लिए सीएजी को धन्यवाद देता हूं और कर्मचारियों की कम संख्या तथा आईएफडी इकाइयों द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेजों का निर्विवाद सही आकलन करने के लिए टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्राधिकरण के वार्षिक लेखे का लेखा परीक्षण किया गया और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे सीएजी को प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण के दो रजिस्ट्रारों, डॉ रवि प्रकाश (अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर) और डॉ टी के नागरत्ना ने हमेशा अपना सहयोग दिया तथा आवेदनों पर कार्रवाई या नई पौध प्रजातियों हेतु तकनीकी प्रोटोकॉल का विकास, डीयूएस परीक्षण, देश में परीक्षण स्थानों की निगरानी की ताकि सृजित आंकड़े सुसंगत एवं प्रामाणिक हों और इन सुधारों या पिछली विसंगतियों को सही करने सहित समय-समय पर सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया। अक्सर इन कार्यों में समयबद्ध कड़ी मेहनत और बड़ी संख्या में आंकड़ों का रखरखाव शामिल होता है।

इसी प्रकार, संयुक्त रजिस्ट्रार श्री दीपाल रॉय चौधरी, जो पंजीकरण (रजिस्ट्री) के सबसे पुराने कार्मिकों में से एक हैं और साथ ही जीन बैंक के अनुरक्षक भी हैं और उन्हें उन किस्मों से संबंधित कार्य सौंपा गया है जिसे पहले रजिस्ट्रार जनरल और एक अन्य रजिस्ट्रार (जिनके स्थान पर अभी तक कोई स्थानापन्न नहीं मिला है) देखते थे के रूप में प्राधिकरण को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों को निष्ठा एवं उत्साह से करते हुए प्राधिकरण की प्राथमिकता को तरजीह दिया। ठीक यही स्थिति एकमात्र रजिस्ट्रार डॉ टी के नागरत्ना की भी है जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में कार्यरत हैं। उन्होंने डॉ रवि प्रकाश (अक्टूबर, 2020 में उच्च पद पर नियुक्ति के कारण रिक्ति) द्वारा संभाली जा रही फसलों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सभांल रखी है। उन्हें न केवल दायर आवेदनों वरन संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित अन्य सभी फसलों के डेटा पर भी काम करना पड़ता है, साथ ही वास्तविक अधिकार प्रदान करने के अंतिम चरण में संयुक्त रजिस्ट्रार (जेआर) द्वारा दायर आवेदनों को भी प्रतिहस्ताक्षर करके अकेले रजिस्ट्रार के रूप में प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करना होता है। इसके लिए पंजीकरण के प्रभावी होने से पहले दोनों अनुभागों के बीच व्यापक समन्वय की आवश्यकता होती है। मैं, डॉ टी के नागरत्ना एवं श्री दीपाल रॉय चौधरी एवं उनके अनुबंध पर कार्यरत उत्साही युवा रजिस्ट्री के कर्मचारियों की समर्पित टीमों की विशेष रूप से कार्य की गोपनीयता एवं सत्यनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इस उत्कृष्ट कार्य के संपादन हेतु दिल से प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

एक विधिक निकाय होने के नाते पंजीकृत किस्मों के उल्लंघन के दावों के अलावा पंजीकरण, निरस्तीकरण, मुआवजे, लाभ वितरण तथा अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित धाराओं पर पूर्ण न्यायिक शक्तियों के साथ प्राधिकरण के रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को औपचारिक न्यायालय जैसे कई न्यायिक कार्य करना पड़ता है। श्री राज गणेश, कानूनी सलाहकार के अपार सहयोग के बिना इन कार्यों को पूरा करना और उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक संवीक्षा हेतु आवश्यक निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता। मैं, श्री राज गणेश और उनकी टीम द्वारा प्राधिकरण के विषयों तथा अन्य कानूनी मामलों को पेशेवर तरीके से संभालने के लिए विधि अनुभाग को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं, श्री विपिन त्यागी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले वर्ष ही प्राधिकरण में कार्यभार संभाला है। प्राधिकरण की वित्तीय प्रक्रियाओं और वित्त संबंधी ऑडिट प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जिससे प्रक्रियाओं के सुसंगत होने से पहले की अपेक्षा आसानी से सीएजी को प्राधिकरण के वित्तीय दस्तावेजों की लेखा परीक्षा करने में मदद मिली है, हालांकि वह प्राधिकरण में उपलब्ध एकमात्र नियमित वित्त विशेषज्ञ हैं।

प्राधिकरण के तीन डिप्टी रजिस्ट्रार- श्री उमा कांत दुबे, श्री रविंदर सिंह सेंगर एवं श्री पी एस मालवीय ने कार्य संपादन के दौरान बहुत सी नई सीखों के साथ विविध कार्यों को बहुत ही अल्पावधि में संपादित करने में जो तत्परता दिखाई है इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। श्री दुबे ने राजभाषा इकाई के कार्य संपादन में एक जिम्मेदार

अधिकारी के रूप में तथा श्री सेंगर ने प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी का कार्य संपादित किया है, जिससे प्रशासनिक और अन्य गैर-तकनीकी कार्मिकों की कमी के बावजूद कार्य संभव हो सका है जिसके लिए मैं, उनका आभार प्रकट करता हूं।

शिवमोगा शाखा में, जहां प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभी फसलों की महत्वपूर्ण सामग्री की जांच हेतु एक डीयूएस परीक्षण इकाई भी है, वहां कार्यरत दो वरिष्ठ तकनीकी कार्मिकों डॉ अजय कुमार सिंह एवं डॉ. डीएस पिलानिया मुख्यालय से दूर तथा दूरस्थ स्थान पर होने के बावजूद उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं जो उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को संभालने में उनकी प्रतिबद्धता और संकल्प को प्रदर्शित करता है। इस केंद्र में कार्यरत परामर्शदाता रजिस्ट्रार डॉ टी एच गौड़ा के नेतृत्व की भी प्रशंसा के पात्र हैं।

सभी डीयूएस केंद्रों के 160 से अधिक प्रधान अन्वेषकों (केंद्र या राज्य सरकार के अनुसंधान प्रणालियों के वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक पादप प्रजनकों) तथा पालमपुर, पुणे, गुवाहाटी, रांची एवं शिवमोगा स्थित शाखा कार्यालयों के उप-रजिस्ट्रारों से समय पर प्राप्त जानकारी (इनपुट) के बिना, न तो यह रिपोर्ट और न ही किस्मों के पंजीकरण प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सकता था। राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के रूप में प्रत्येक केंद्र द्वारा संपादित इस कार्य के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया जाता है। मुख्यालय में सर्वश्री टी के नागरत्ना, डी आर चौधरी, राज गणेश, विपिन त्यागी, उमा कांत दुबे, आर एस सेंगर से संबंधित अनुभागीय सामग्री प्राप्त हुई। रजिस्ट्री सहायकों और उनके साथ कार्यरत अन्य कर्मचारियों द्वारा इस संकलन को पूरा करने में किए गए प्रयास की सराहना करता हूं। श्री राज गणेश ने श्री दुबे, श्री त्यागी एवं नए विधि सलाहकार श्री अरुण कुमार की मदद से रिपोर्ट को द्विभाषी रूप में संकलित कर सरकार के माध्यम से इसे भारत की संसद में समय पर प्रस्तुत करने के लिए कुशलतापूर्वक समन्वय किया।

मैं, इस कार्य हेतु उन्हें और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूं। डॉ रंजना नागपाल, उप महानिदेशक, एनआईसी के मार्गदर्शन में एनआईसी द्वारा डिजाइन की गई नई वेबसाइट को तैयार करने तथा इसके सर्वोत्तम कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए कंप्यूटर सहायकों शिप्रा माथुर, अरविंद राय, संजय गुप्ता, नितेश वर्मा (अब प्रतिनियुक्ति पर) और श्याम नारायण की बहुत सराहना की जाती है। इसी प्रकार, कार्यालय सहायकों और एमटीएस द्वारा मुख्यालय एवं शाखा कार्यालयों में प्रदान की गई सेवा के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

(के वी प्रभु)
अध्यक्ष
पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण

विशिष्ट सारांश

"पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम" (2001 का 53) एक विशिष्ट अधिनियम है जो खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की भावना को परिपूर्ण करता है। यह राष्ट्रीय अपेक्षा के अनुसार प्रजनकों एवं किसानों के अधिकारों के बीच एक संतुलन भी बनाता है। वर्ष 2005 में अपनी स्थापना के बाद से ही प्राधिकरण ने पौधों की किस्मों को पंजीकृत करने, हितधारकों को आपस में जोड़ने, बीज क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने, पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं उन्हें पादप प्रजनकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय जीन कोष की स्थापना, जीन बैंकों का निर्माण और रखरखाव आदि के लिए किसानों/समुदायों के योगदान को स्वीकारने की प्रणाली में लगातार सुधार किया है।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन हेतु भेजे जाने तक, भारत सरकार ने पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों पर 165 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है। समीक्षाधीन अवधि में प्राधिकरण ने प्वाइंटेड गोर्ड, क्रॉसेंड्रा एवं काउपी फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है, जिन्हें आमतौर पर परवल, प्रियादर्शा और लोबिया के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2020-21 में, प्राधिकरण को तीन श्रेणियों - कृषक किस्में (172), नई (186), मौजूदा (242) और ईडीवी (2) किस्मों से संबंधित कुल 602 आवेदन प्राप्त हुए।

इन 602 आवेदनों में से निजी क्षेत्र से 237, सार्वजनिक क्षेत्र से 193 तथा 172 आवेदन किसानों द्वारा दायर किए गए थे। मौजूदा अधिसूचित श्रेणी में 172 आवेदन प्राप्त हुए, 70 मौजूदा वीसीके, 186 नई किस्मों तथा 172 आावेदनों को कृषक किस्म के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान 55 फसल प्रजातियों के संबंध में 602 आवेदन प्राप्त हुए। सबसे अधिक आवेदन चावल (217) और उसके बाद मक्का (89), गेहूं (28), बाजरा (27), मिर्च (22), चतुर्गुणित कपास (19), ज्वार (18) तथा टमाटर (18) में प्राप्त हुए हैं। पहले से अधिसूचित 23 फसलें, जिनकी मौजूदा किस्मों के तहत (बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत मौजूदा अधिसूचित किस्में तथा वे मौजूदा किस्में जिनके बारे में सामान्य जानकारी है) पंजीकरण की समय सीमा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समाप्त हो रही थी, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसडब्ल्यूपी (सी) सं. 3 वर्ष 2020 में अगले आदेश तक आगे बढ़ा दी गई।

वर्ष 2020-21 में कुल 388 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषक किस्मों (91) को छोड़कर अन्य श्रेणियों में नई किस्मों (140), सामान्यत: ज्ञात किस्मों (52) तथा मौजूदा अधिसूचित किस्मों (105) के पौधा किस्मों को पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार, अनाज (209) के संबंध में सबसे अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए और उसके बाद सब्जियों (49), रेशेदार फसलों (47), तिलहन (29) और फलियों (18) आदि के प्रमाणपत्र जारी किए गए।

प्राधिकरण के कानूनी प्रकोष्ठ ने विभिन्न न्यायालयों में दायर मामलों में पैरवी की। समीक्षाधीन अवधि में प्राधिकरण के खिलाफ 32 मामले लंबित थे और एक मामले (ओ.ए. संख्या 1212/2020) का प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय आया। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं में - राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 495 (ई) दिनांक 7 अगस्त, 2020, जो कि पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्नियमावली, 2003 के नियम 19 एवं नियम 20 में संशोधन के बारे में; राजपत्र अधिसूचना एस. ओ. 2784 (ई) दिनांक 18 अगस्त, 2020 जो कि पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में; राजपत्र अधिसूचना एस. ओ. 3456 (ई) दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 जो पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में चार गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में तथा राजपत्र अधिसूचना एस. ओ. 4536 (ई) दिनांक 15 दिसंबर, 2020 जो 3 फसल प्रजातियों (मौजूदा किस्मों एवं कृषक किस्में नहीं) परवल, क्रॉसेंड्रा एवं लोबिया की अधिसूचना के संबंध में पंजीकरण के उद्देश्य से और राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 34 (ई) दिनांक 19 जनवरी, 2021 जो नियम 19 में संशोधन - पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 सम्मिलित थे।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्राधिकरण को 10 आवेदन या तो सीधे आवेदकों से या आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले अन्य विभागों से भेजे गए। मांगी गई जानकारी संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित

अवधि के भीतर उपलब्ध कराई गई । प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील लम्बित नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष दिनांक 18/10/2020 को एक द्वितीय अपील (सीआईसी/पीपीवीएफआरए/ए/2019/103951) दायर की गई जिसे प्राधिकरण के पक्ष में निस्तारित किया गया।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के नोडल बीज प्रभाग द्वारा समय पर सहयोग के कारण, विभिन्न सरकारी संस्थानों (केंद्र या राज्य सरकार) को अधिसूचित केंद्रों पर डीयूएस परीक्षण, पैतृक किस्मों पर डीयूएस परीक्षण एवं शिवमोगा शाखा में संकर किस्मों के परीक्षण के साथ-साथ देश भर में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन के लिए निधि देना संभव हो सका। प्राधिकरण ने किसान मेलों, विभिन्न स्थानों पर आयोजित कृषि मेलों में किसानों के अधिकारों, कृषक किस्मों सहित किस्मों के पंजीकरण तथा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, 2001 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी देने का प्रसार करने के लिए सहभागिता की।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार एवं संघीय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (बीएमईएल), जर्मनी द्वारा बीज सेक्टर के विकास पर भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत **6** और **7** अक्टूबर, **2020** को "डीयूएस परीक्षण, डेटा प्रबंधन / स्वचालन / छवि विश्लेषण" पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें एसएयू / भाकृअनुप संस्थानों तथा निजी बीज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले **300** से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के दौरान मैनुअल डीयूएस डेटा प्रबंधन बनाम सॉफ्टवेयर डेटा प्रबंधन के बीच विषमता के विषयों, प्रशासनिक पहलुओं तथा बीएसए के डीयूएस डेटाबेस तक वाह्य पहुंच: "आवेदन से पंजीकरण के बीच की अवधि में किसी किस्म को हटाना", जर्मनी के संघीय पादप किस्म कार्यालय (बीएसए), में आंतरिक डीयूएस डेटा प्रबंधन, डीयूएस डेटा विश्लेषण के दौरान एकरूपता पर निर्णय लेने के लिए एकल पादप डेटा उपयोग करने का मूल्य, ऑनसाइट मूल्यांकन द्वारा बारहमासी प्रजातियों पर डीयूएस डेटा का संकलन, विश्लेषण एवं प्रबंधन, जर्मनी में चयनित फसलों का सचित्र विश्लेषण, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के नए वेब पोर्टल में डीयूएस परीक्षण के परिणामों को जोड़ना, डीयूएस लक्षण वर्णन के लिए ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, भारत में डीयूएस परीक्षण के कानूनी पहलू, भारतीय निजी उद्योग के अनुभवों एवं विचारों को साझा करना, जर्मनी में एक पादप प्रजनक के संकरण (क्रॉसब्रीडिंग) कार्यक्रमों के डिजाइन हेतु जर्मन पादप किस्म कार्यालय (बीएसए) द्वारा नई किस्म के विवरण का उपयोग एवं पंजीकरण के पश्चात नियंत्रण की जानकारी के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से वर्ष 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में प्राधिकरण को रु. 6115.59 लाख प्राप्त हुए तथा पिछले वर्ष के रुपये 315.10 लाख के समायोजन के बाद रुपये 6260.30 लाख का उपयोग किया तथा रु 170.39 लाख अवशेष बचा रहा। प्राधिकरण के वार्षिक लेखे का लेखा परीक्षण करके निर्धारित समय सीमा के भीतर सीएजी को प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों को निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप देकर लेखा संपरीक्षा की गई तथा सांविधिक समय सीमा के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया। प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को समय पर भेजा जाता है।

प्राधिकरण को अधिनियम में दिए गए कुछ और प्रावधानों को लागू करना है और किस्मों के संरक्षण हेतु पंजीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है। हालांकि, पिछले चार वर्षों से जनशक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों की कमी के कारण कुछ कार्य संबंधी कमियां भी रहीं हैं।

अध्याय 1 : परिचय

मानव कल्याण एवं पशुओं की उत्तरजीविता के लिए पादप किस्में अति महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये खाद्य, रेशा, चारा, वन तथा उद्योगों की कच्ची सामग्री के लिए उत्पादक के रूप में कार्य करती हैं। लाखों वर्षों से किसान समुदाय/वनवासियों सहित पारम्परिक पौधों के प्रजनकों, इनके पोषण एवं विविधताओं ने उपयोगी पौधों को उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक पौधा आनुवंशिक संसाधनों अथवा अनुकूलित प्राकृतिक पौधा किस्मों तथा अप्रसंस्कृत किस्मों या भूभाग से किस्मों का चयन किया है। विज्ञान के उद्भव के उपरान्त आधुनिक पौधा प्रजनकों द्वारा जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में अन्वेषण के माध्यम से आनुवंशिक विविधता का संकलन किया गया और खेती के लिए विभिन्न औजारों का उपयोग किया गया। पौधा प्रजनकों के अधिकारों को इस प्रकार उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने और एक ऐसे पारितंत्र का सृजन करने का आशय माना जाता है जो कि टिकाऊ नवाचार को सातत्य रखता है, जननद्रव्य में उत्तरदायी प्रबंधन की क्रियाविधि को स्थापित कर सकता है, दीर्घावधि अनुसंधान एवं विकास को सहयोग प्रदान कर सकता है जिससे सार्वजनिक/निजी सेक्टर में कृषि उत्पादकता बढ़ती है तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री उपलब्ध होते हैं।

कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPRs) लागू होने से संयुक्त राज्य अमेरिका में 'पौधा पेटेंट अधिनियम, 1930' लागू हुआ तथा यूरोप में वर्ष 1961 में यूनियन इंटरनेशनल पॉर ला प्रोटेक्शन डेस ऑबटेन्शन्स वेजीटेल्स (UPOV) अथवा पौधों की नई किस्मों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ के गठन को बढ़ावा मिला जिसे बाद में वर्ष 1972, 1978 एवं 1991 में संशोधित किया गया। वर्तमान में, यूपीओवी सम्मेलन के अंग के तौर पर कुल 76 सदस्य राज्य हैं जिसमें यूरोपीय संघ, ओएपीआई जैसे क्षेत्रीय एसोसिएशन भी शामिल हैं। भारत, यूपीओवी का पर्यवेक्षक रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले एक बहुपक्षीय साधन के रूप में शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) द्वारा पौधा प्रजनकों के अधिकारों के माध्यम से पौधा किस्म संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । उरूग्वे वार्ता में शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) पर किए गए मोल-भाव से वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना को बल मिला। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं (TRIPs) पर समझौते की धारा 27.3 (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि सदस्यों द्वारा पौधा किस्मों के संरक्षण को या तो पेटेन्ट के माध्यम से अथवा एक प्रभावी प्रणाली या उसके किसी भी संयोजन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV & FR) अधिनियम, 2001 (2001 की 53) को लागू किया गया ताकि पौधा किस्मों, किसानों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और आर्थिक महत्व की नवीन पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV & FR) नियमों को दिनांक 12 सितम्बर, 2003 को अधिसूचित किया गया और इनमें बाद में समय समय पर संशोधन किया गया। तदुपरान्त, अधिनियम के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गजट अधिसूचना एस.ओ. 1588 (ई) द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2005 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण (PPV & FRA) की स्थापना की गई।

1.1 पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV & FR) अधिनियम, 2001 के उद्देश्य

अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- पौधा किस्मों, किसानों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा साथ ही पौधों की नवीन किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना;
- पौधों की नवीन किस्मों के विकास में संरक्षण एवं सुधार करते समय तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने में किसी भी समय किए गए योगदान के संबंध में किसानों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना और उनकी रक्षा करना;
- नवीन पौधा किस्मों के विकास हेतु सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना;
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम एक *सुइ जेनेरिस* प्रणाली पर आधारित है और यह इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें यूपीओवी (पौधों की नवीन किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जेनेवा) के समझौते को यदि नहीं अपनाया जाता है तो सदस्य देशों के लिए ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत विकल्पों पर आधारित पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम में प्रजनकों, किसानों (पादप प्रजनकों के रूप में उनके अधिकार सहित), कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्मियों के अधिकारों को पूरी मान्यता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक अथवा उसके उत्तराधिकारी, उसके एजेन्ट या लाइसेंसधारक को पंजीकृत किस्म के बीजों को उत्पन्न करने, उन्हें बेचने, उनका विपणन करने, वितरण करने, आयात एवं निर्यात करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक किसानों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम किसानों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के तौर पर मान्यता प्रदान करता है और साथ ही यह प्रावधान करता है कि किसानों द्वारा तैयार की गईं किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्मों के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन सामान्य को उपलब्ध न करायी गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह या कोई संगठन लाभ में भागीदारी अथवा हिस्सेदारी का दावा कर सकता है बशर्ते कि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में अपना योगदान दिया हो। अनुसंधानकर्मियों को प्रयोग करने या अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग करने का अधिकार है और ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के प्रारंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के प्रयोजन से किया जा सकता है। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV & FR) अधिनियम के तहत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान एवं भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है और इसमें कृषक समुदायों/कृषकों को कृषि जैव-विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.3 पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FRA)

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FRA), वर्ष 2001 के पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (PPV & FR) अधिनियम के माध्यम से भारत की संसद द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसकी अनवरत विरासत और एक प्रचलित पहचान है और इसे चल व अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहित करने, उन्हें बनाये रखने व उनका निपटान करने तथा अनुबंध के अंतर्गत लेने का अधिकार है तथा प्राधिकरण को उपरोक्त नाम से ही जाना जाएगा। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराये के भवन में कार्य

कर रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं पंद्रह सदस्य हैं तथा साथ ही प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक रजिस्ट्री है।

1.4 पौधा किस्मों का पंजीकरण

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) द्वारा अनाज, दालें, बाजरा, तिलहन, मसाले, सब्जियां, पुष्प, औषधीय एवं सगंधीय पौधे तथा रेशा फसलों को शामिल करते हुए कुल 161 फसल प्रजातियों के पंजीकरण के लिए विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थिरता (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है तथा साथ ही इसमें प्रचलित श्रेणियों के तहत चार और फसल प्रजातियां शामिल हैं जिससे कुल फसल प्रजातियों की संख्या 165 हो गई है। प्राधिकरण ने रिपोर्टाधीन वर्ष 2020-21 के दौरान पौधा किस्मों (नवीन, प्रचलित अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत कुल 388 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए हैं । विभिन्न हितधारकों से पौधा किस्मों के संरक्षण हेतु और अधिक आवेदन मंगाने की सुविधा देने के लिए प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधारकों के लाभ हेतु नियमित तौर पर जागरूकता एवं क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है अथवा उनमें सहयोग किया जाता है।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FRA) द्वारा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV & FR), 2001 को लागू करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत देशभर में डीयूएस (DUS) जांच केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया ताकि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशी किस्मों के दावों का सत्यापन, रखरखाव, प्रजनन करने, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत अधिसूचित किस्मों/संदर्भ/उदाहरण किस्मों का गुणनीकरण किया जा सके और फसल विशिष्ट डीयूएस (विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थिरता) के अनुसार किस्मीय विशेषताओं के लिए डाटाबेस का सृजन किया जा सके। इसके अलावा, फसल विशिष्ट केन्द्रों पर प्रत्याशी किस्मों के लिए डीयूएस जांच की जा रही हैं। डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का पुन: विश्लेषण करने के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को भेजा जाता है। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FRA) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करते हुए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षमताशील फसल प्रजातियों की पहचान की है और साथ ही प्राधिकरण द्वारा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास हेतु परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा अपना राष्ट्रीय जीन बैंक और देशभर में खेत जीन बैंक स्थापित किए गए हैं । प्राधिकरण द्वारा *प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया* का नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है और अपने मुख्यालय एवं अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है।

1.5 पौधा किस्मों के संरक्षण की श्रेणियां

जैसा कि अधिनियम में अन्तर्निहित है, पौधा किस्मों के संरक्षण हेतु किसी नवीन किस्म के लिए नवीनता तथा डीयूएस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली के व्यापक सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न में से किसी के लिए भी पंजीकरण प्रयोजन हेतु आवेदन कर सकता है :

- अधिनियम की धारा 29 (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऐसे वंश अथवा प्रजातियों की नवीन किस्म
- प्रचलित अथवा विद्यमान किस्म
  - बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत अधिसूचित
  - प्रचलित जानकारी वाली किस्म (वीसीके)
- **कृषक किस्म (प्रचलित अथवा विद्यमान किस्म का एक भाग भी)**
  - किसानों द्वारा उनके खेत में परम्परागत रूप से उगाई गई तथा विकसित की गई किस्म

- किसी किस्म का वन्य संजात अथवा लैण्डरेसिस जिसके बारे में किसान को सामान्य ज्ञान हो

- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी)**
  प्रारंभिक किस्म से मुख्यत: व्युत्पन्न किस्म या ऐसी किस्म से व्युत्पन्न किस्म जो ऐसी प्रारंभिक किस्म से मुख्य तौर पर व्युत्पन्न हो और जिसमें अनिवार्य गुणों की अभिव्यक्ति बनी रहे जिसके परिणामस्वरूप ऐसी प्रारंभिक किस्म के जीनप्ररूपों का संयोजन अथवा जीनप्ररूप प्राप्त हुआ हो।

1.6 कृषकों के अधिकार

यह अधिनियम किसानों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है :

- **अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार** : यदि कोई किसान किसी नवीन किस्म का विकास करता है तब इस अधिनियम के अंतर्गत वह पादप प्रजनक के रूप में किस्म का पंजीकरण कराने और अन्य संरक्षण के लिए पात्र है।
- **बीज पर अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत किसान अपने फार्म उत्पाद जिनमें किस्म का बीज भी शामिल है, को बचाकर रखने, उसका उपयोग करने, उसकी बुवाई करने, पुन: बुवाई करने, आदान-प्रदान करने, और अन्य किसानों के साथ साझेदारी करने अथवा बेचने का हकदार है बशर्ते कि वह किसान संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीजों की बिक्री नहीं करे।
- **पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार :** इस अधिनियम के अंतर्गत जो किसान या कृषक समुदाय पादप आनुवंशिक संसाधनों (आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की लैण्डरेसिस अथवा भू-प्रजाति तथा वन्य संजात) के संरक्षण एवं सुधार के कार्य में संलग्न हैं, वे पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, पुरस्कार, सम्मान प्राप्त करने के पात्र हैं बशर्ते कि उनकी पादप सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य किस्मों का विकास करने में किया गया हो।
- **अज्ञानता के कारण हुए उल्लंघन के प्रति सुरक्षा** : यदि किसी किसान ने पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 65 के अनुसार किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन किया हो और वह न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित कर सके कि उसे उल्लंघन के समय ऐसे अधिकारों के विद्‌यमान होने का ज्ञान नहीं था तो उक्त किसान को आरोपी नहीं माना जाएगा।
- **शुल्क में छूट :** किसी किसान अथवा किसानों के समूह को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार के निर्णय अथवा आदेश या दस्तावेज की प्रति प्राप्त करने, अथवा उसका निरीक्षण करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क अदा नहीं करना होगा। किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क अदा करने और किस्म के पंजीकरण में सामान्यत: अन्य लोगों द्‌वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क की तुलना में ऐसे भुगतान से छूट प्राप्त है। उसे पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्‌वारा किस्मों के परीक्षण एवं अन्य सेवाओं, इसके साथ ही अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कानूनी कार्रवाई या न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा ट्रिब्यूनल आदि में चलाए जाने वाले मुकदमों के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क से भी छूट प्राप्त है।
- **बीजों का तर्कसंगत मूल्य :** इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों को तर्कसंगत एवं लाभकारी मूल्य पर पंजीकृत किस्मों के बीजों को प्राप्त करने का अधिकार है। जब यह शर्त पूरी नहीं होती है तो अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित प्रावधान के तहत प्रजनक का यह एकमात्र अधिकार निरस्त किया जा सकता है तथा प्रजनक को किसी किस्म का बीज उत्पादन, वितरण तथा बिक्री करने का अधिकार लेना पड़ता है। पादप सुरक्षा संबंधी अधिकांश कानूनों में संरक्षित किस्मों के लिए अनिवार्य लाइसेंस लेने का प्रावधान है ताकि किसानों को बीजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- **कृषकों की किस्म का प्राधिकार :** किसी कृषक किस्म से एक अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म का विकास करने तथा इसके व्यावसायीकरण के लिए उक्त किसान या कृषक समूहों से अनुमति हासिल करने के साथ साथ उनसे प्राधिकार प्राप्त करना होता है जिन्होंने ऐसी किस्म के संरक्षण या विकास में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया से किसानों, प्रजनकों के साथ प्राधिकार दिए जाने की शर्तों के बारे में परस्पर मोल-भाव कर सकते हैं जिसमें रॉयल्टी, लाभ-भागीदारी आदि शामिल हो सकती है।
- **क्षतिपूर्ति का अधिकार :** जब इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पंजीकृत किस्म की किसी प्रवर्धित सामग्री को किसी अन्य किसान को बेचा जाता है, तब ऐसी किस्म के प्रजनक द्वारा दी गई परिस्थितियों में किस्म के अनुमानित प्रदर्शन का खुलासा किया जाना चाहिए। यदि प्रवर्धन सामग्री निर्धारित परिस्थितियों में ऐसा प्रदर्शन करने में असफल रहती है तब किसान प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा पेश कर सकता है। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा संबंधित किस्म के प्रजनक को इस मुद्दे के बारे में अधिसूचित किया जाएगा और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके उपरान्त प्राधिकरण यदि उचित समझता है तब प्रजनक को संबंधित किसान को क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश दे सकता है।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में स्थित कृषक प्रकोष्ठ द्वारा कृषकों की किस्मों के आईपीआर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है, देशभर में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जननद्रव्य का संरक्षण करने तथा नवीन किस्मों का विकास करने में अपना योगदान देने वाले किसानों तथा कृषक समुदायों की पहचान की जाती है।

1.7 प्रजनकों के अधिकार

पंजीकरण के माध्यम से किस्म के नाम के साथ साथ उसे उत्पन्न करने, बेचने, विपणन करने, निर्यात अथवा आयात करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार किसानों के अधिकार के रूप में इस शर्त के साथ है कि किसान गैर ब्राण्ड वाले बीजों की किसी भी किस्म के पंजीकृत बीज का उपयोग कर सकता है।

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम के अत्यंत प्रमुख प्रावधान हैं जिनका भारतीय कृषि तथा वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरूद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्मियों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तथापि, किसी नवीन किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

1.8 पादप किस्मों का पंजीकरण

किसी पादप किस्म और इसके नाम का पंजीकरण कराने हेतु आवेदन को निम्नलिखित श्रेणियों में प्रस्तुत किया जा सकता है :

- **नवीन किस्म** : पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख पर यदि किस्म का व्यावसायीकरण एक वर्ष से कम की अवधि के लिए किया गया है तब वह एक नवीन किस्म है।
- **प्रचलित अथवा विद्यमान किस्म :** इसमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं :
  - **बीज अधिनियम**, 1966 **की धारा 5 के तहत अधिसूचित प्रचलित अथवा विद्यमान किस्म** : बीज अधिनियम**, 1966** की धारा 5 के तहत अधिसूचित किस्में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण कराने की पात्र हैं।
  - **कृषक किस्म :** कृषकों द्वारा अपने खेतों में पारम्परिक रूप से उगाई गईं एवं विकसित किस्में जिनमें वन्य संजात अथवा भू-प्रजाति या किस्म भी शामिल है जिसके बारे में किसानों को सामान्य जानकारी है।

- **सामान्य जानकारी वाली किस्म :** ऐसी किस्म जो कि बीज अधिनियम, **1966** की धारा 5 के तहत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए व्यावसायीकरण श्रृंखला में है।

- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म** : वह किस्म जो मुख्यत: प्रारंभिक किस्म से विकसित की गई हो, नवीन अथवा प्रचलित या विद्‌यमान किस्म के अंतर्गत आती हो।

1.9 किस्मों के खेत परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाता है और आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क , पंजीकरण शुल्क और अन्य शुल्क जमा कराना होता है। जरूरी शुल्क और बीज प्राप्त करने के उपरान्त और साथ ही पौधा किस्मों की रजिस्ट्री पर आवेदक की संतोषजनक जांच करने के उपरान्त प्राधिकरण के रजिस्ट्रार द्‌वारा डीयूएस जांच करने के लिए जांच के लिए प्रस्तुत किस्म को फसल विशिष्ट केन्द्रों में भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :

- **नवीन किस्में** : दो स्थानों पर दो समान फसल सीजन
- **कृषक किस्म एवं प्रचलित अथवा विद्‌यमान जानकारी वाली किस्म (वीसीके)** : दो भिन्न स्थानों पर एक फसल सीजन
- **बीज अधिनियम**, 1966 **की धारा 5 के तहत अधिसूचित प्रचलित किस्म** : किसी प्रकार का डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता लेकिन किस्म को ईवीआरसी समिति द्‌वारा आगे बढ़ाया जाता है जो कि पंजीकरण के लिए संस्तुत करती है।
- **ईडीवी** : डीयूएस परीक्षण करना अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदण्डों की पुष्टि करने के लिए खेत परीक्षण किया जाता है।

डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन को आगे बढ़ाया जाता है और डीयूएस जांच के माध्यम से विशिष्टता की पुष्टि की जाती है तथा डाटाबेस की तुलना की जाती है। तदुपरान्त *प्लांट वैरायटीज जर्नल ऑफ इंडिया* में किस्म के पासपोर्ट डाटा को प्रकाशित किया जाता है।

आवेदन को प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तारीख से तीन माह की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होती अथवा यदि दर्ज कराई गई आपत्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है तब किस्म के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। संरक्षण की अवधि इस प्रकार है :

1.9.1 संरक्षण की अवधि एवं फसलें

वर्तमान में कुल 165 फसल प्रजातियां संरक्षण अथवा सुरक्षा की पात्र हैं (अनुलग्नक VII)। खेत फसलों के लिए संरक्षण अथवा सुरक्षा की कुल अवधि 15 वर्ष है जिसमें पंजीकरण के समय संरक्षण की अवधि 6 वर्ष है जो कि अगले 9 वर्ष तक नवीकृत हो सकती है, जबकि वृक्षों और लताओं के लिए यह अवधि 18 वर्ष है जिसमें पंजीकरण के समय संरक्षण की अवधि 9 वर्ष है जिसे अगले 9 वर्ष तक नवीकृत कराया जा सकता है। अधिसूचित प्रचलित अथवा विद्‌यमान किस्मों को बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख से खेत फसलों या वृक्षों व लताओं को क्रमश: 15 व 18 वर्ष के लिए संरक्षण अथवा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

1.10 किसानों/कृषक समुदायों को पुरस्कार/प्रतिदान

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 की धारा 45 (2) के साथ पढ़ा जाने वाला नियम 70 (2) (a) में उन किसानों व कृषक समुदायों और विशेष रूप से आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों को सहायता प्रदान करने और पुरस्कार देने का प्रावधान है जो विशेष रूप से कृषि जैव विविधता के हॉट-स्पॉट के रूप

में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संजात के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण के कार्य में संलग्न हैं। यह पुरस्कार/प्रतिदान राष्ट्रीय जीन निधि से प्रदान किए जाते हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 2009-10 में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार की शुरूआत की गई । इसके अंतर्गत प्रति वर्ष अधिक से अधिक ऐसे पांच पुरस्कार दिए जा सकते हैं और साथ ही दस किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान तथा बीस किसानों को पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है। इन पुरस्कारों का चयन किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में गठित विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

तालिका 1 : पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, प्रतिदान एवं सम्मान/मान्यता का विवरण

<table>
<tr><th>पुरस्कार</th><th>विवरण</th><th>आवेदन</th></tr>
<tr><td>पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार</td><td>प्रति वर्ष पांच कृषक समुदायों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्धरण, एक स्मृति चिन्ह तथा 10 लाख रूपये नकद दिए जाते हैं।</td><td rowspan="3">इन पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है और इसे प्राधिकरण की वेबसाइट (http://www.plantauthority.gov.in/forms.htm) पर भी दर्शाया जाता है ।

आवेदनों को संबंधित पंचायत समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव या संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या जिला आदिवासी विकास अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान</td><td>प्रति वर्ष दस किसानों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्धरण, एक स्मृति चिन्ह एवं 1.5 लाख रूपये नकद दिए जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान</td><td>प्रति वर्ष कुल बीस किसानों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

प्रत्येक पुरस्कार में एक उद्धरण, एक स्मृति चिन्ह तथा एक लाख रूपये नकद दिए जाते हैं।</td></tr>
</table>

1.11.संगठनात्मकढ़ांचा

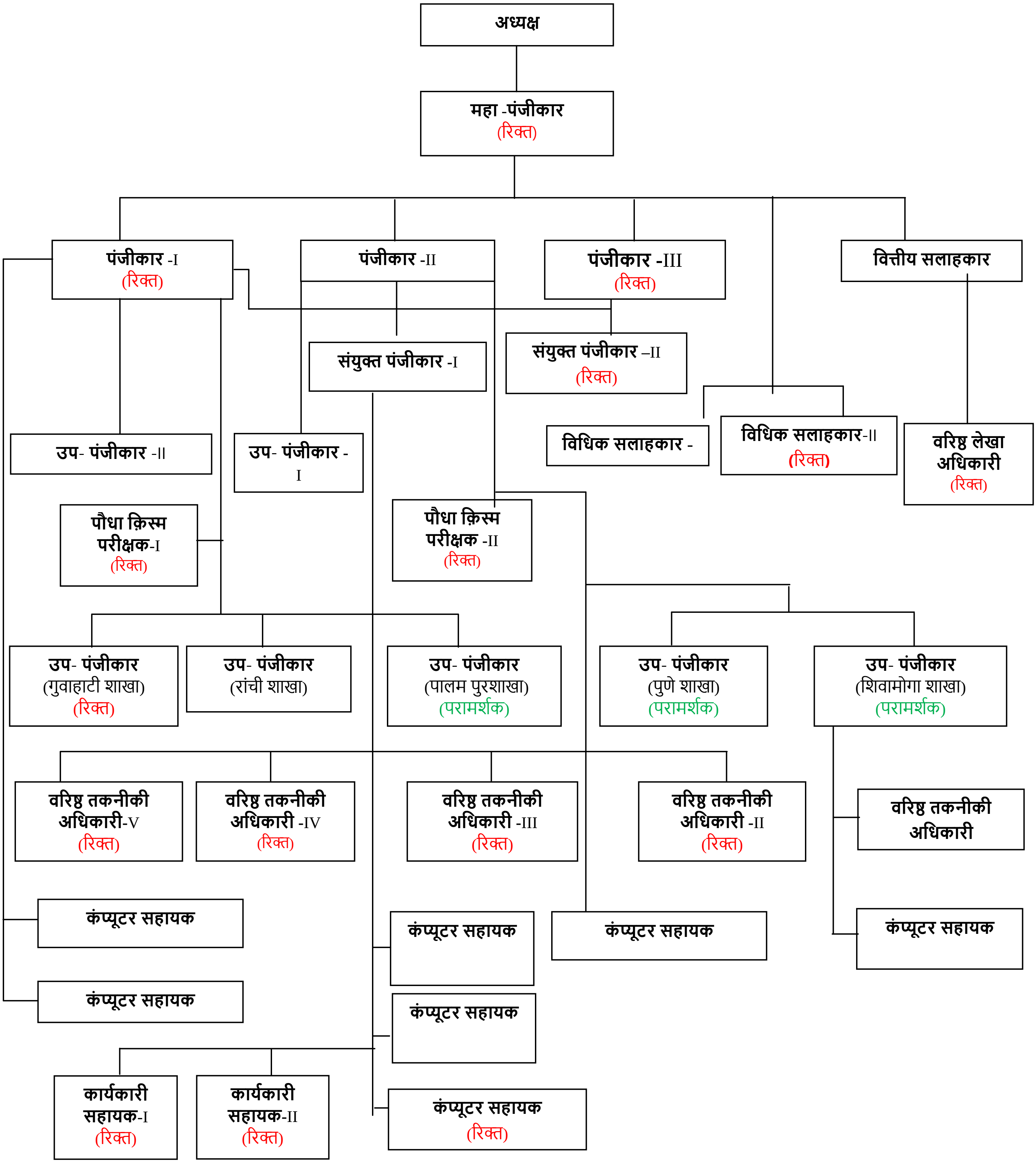

अध्याय 2 : पौधा किस्म रजिस्ट्री

2.1 फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का प्रकाशन

वर्ष 2020-के दौरान 21, कुल चार फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास किया गया और उन्हें *प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया* में प्रकाशित किया गया जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है। इस प्रकार 2 161 अब कुल फसल प्रजातियां हो गईं हैं जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा डीयूएस जांच दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं और उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इन विभिन्न फसल प्रजातियों के अंतर्गत किस्मों के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण)PPV & FRअधिनियम (, 2001 के तहत पादप किस्म संरक्षण के लिए पंजीकरण खुला हुआ है।

तालिका 2 : वर्ष 2020-शत डीयूएस जांच दिशानिर्देश फसल प्रजातियों के लिए विकसिके दौरान विभिन्न 21

क्र .सं.	फसल व प्रजातियां	पीवीजे प्रकाशन विवरण
1	कटहल *(आर्टोकार्पस हिटेरोफाइलस* लैम).	फरवरी, 2021 (अंक - 14 संख्या 12)
2	रतालू *(डाइऑस्को,रिया एलेटा एल.)*	फरवरी, 2021 (अंक -14 संख्या 12)
3	मिश्री कंड (पैकीराइजस इरोसस एल.)	फरवरी, 2021 (अंक -14 संख्या 12)
4	छरमा (हिपोफी रैम्नॉ यडीज एल.)	फरवरी, 2021 (अंक - 14 संख्या 12)

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या

श्रेणी	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	किसान
नवीन	20	166	-
विद्यमान अधिसूचित	154	18	-
विद्यमान (वीसीके)	17	53	-
विद्यमान कृषक	-	-	172
ईडीवी	2	-	-

वर्ष 2020-के दौरान अनाज 21, सब्जियों तथा फलीदार फसलों के लिए प्रमुख आवेदनों के साथ पंजीकरण हेतु कुल 3 तालिका) हुएआवेदन प्राप्त 602)।

तालिका 3: प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या (फसल समूह वार)

फसल समूह	कुल	फसल समूह	कुल
अनाज	406	तिलहन	10
खीरावर्गीय फसलें	14	मसाले	2
रेशा फसलें	25	गन्ना फसलें	5

पुष्प	3	सब्जियां	81
फल	19		
फलीदार फसलें	37		
		समग्र योग	**602**

सबसे अधिक आवेदन चावल)217) मक्काके लिए एवं तदुपरान्त (89(, गेहूं)28(, बाजरा)27(, मिर्च)22(, चतुर्गुणित कपास)19(, सोरघम)184 तालिका) हुएआदि के लिए प्राप्त ()।

तालिका : 4 प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या (फसल वार)

क्र.सं.	**प्रचलित नाम**	**कुल**	**क्र.सं.**	**प्रचलित नाम**	**कुल**	**क्र.सं.**	**प्रचलित नाम**	**कुल**
1	चावल	217	**20**	गन्ना	5	**39**	मूंग	2
2	मक्का	89	**21**	लोबिया	4	**40**	कटहल	2
3	गेहूं	28	**22**	कंगनी	4	**41**	मसूर	2
4	बाजरा	27	**23**	अंगूर	4	**42**	आम	2
5	मिर्च	22	**24**	राजमा	4	**43**	वेल्वेट बीन	2
6	चतुर्गुणित कपास	19	**25**	बर्नयार्ड कदन्न	3	**44**	सेब	1
7	सोरघम	18	**26**	करेला	3	**45**	जौ	1
8	टमाटर	18	**27**	खीरा	3	**46**	काजू	1
9	भिण्डी	12	**28**	द्विगुणित कपास	3	**47**	अमरूद	1
10	चना	10	**29**	मटर	3	**48**	कोडो कदन्न	1
11	रागी	10	**30**	जूट अथवा पटसन	3	**49**	अलसी	1
12	उड़द	9	**31**	अरहर	3	**50**	गौण कदन्न	1
13	कचरी	7	**32**	तोरई	3	**51**	जायफल	1
14	बैंगन	6	**33**	सीबकथोर्न	3	**52**	राजगीरा	1
15	डुरूम गेहूं	6	**34**	सूरजमुखी	3	**53**	छोटी इलायची	1
16	भारतीय सरसों	6	**35**	तरबूज	3	**54**	गेंदा	1
17	आलू	6	**36**	गुलदाउदी	2	**55**	सब्जी चौलाई	1
18	लौकी	5	**37**	शरीफा	2			
19	शहतूत	5	**38**	मटर	2			
							समग्र योग	602

कुल आवेदनों में 602, 237 आवेदनों को निजी सेक्टर द्वारा, 193 आवेदनों को सार्वजनिक सेक्टर द्वारा और 172 आवेदनों को किसानों द्वारा दर्ज कराया गया। प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के तहत, कुल आवेदन 172 प्रचलित अथवा विद्यमान वीसीके के तहत 70 हुए जिनमें सेप्राप्त, 186 नवीन के अंतर्गत, 2 ईडीवी के तहत और

172 कृषक किस्म श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए दर्ज कराए गए। वर्ष 2020-फसल प्रजातियों के 55 के दौरान 21 हुए।आवेदन प्राप्त 602 संबंध में कुल

2.3. रजिस्ट्री के शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट

2.3.1 शाखा कार्यालय, गुवाहटी

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शाखा कार्यालय, गुवाहटी ने दिनांक मई 20, 2011 से असम कृषि विश्वविद्यालय, खानपारा, गुवाहटी के परिसर में कार्य करना प्रारंभ किया था। रिपोर्टाधीन वर्ष 2020-के 21 दौरान, गुवाहटी शाखा कार्यालय के अध्यक्ष श्री फूल सिंह मालवीय ने गुवाहटी शाखा कार्यालय को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर संभाला। शाखा कार्यालय में आउटसोर्सिंग आधार पर एक डाटा ऑपरेटर और एक एमटीएस कार्यरत है।

2.3.2. शाखा कार्यालय, रांची

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, शाखा कार्यालय, रांची को कृषक एवं अन्य किस्मों के अनेक आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा, नवीन किस्म के लिए भी एक आवेदन प्राप्त हुआ जिनमें सभी कृषक किस्मों के आवेदनों को नए आवेदन के लिए हमारी नई पंजीकरण नीति के अनुसार उनके ऑन साइट पर डीयूएस जांच के लिए भेजा गया और नवीन किस्म आवेदनों को पुन: आगे बढ़ाने के लिए सभी दिशानिर्देशों के साथ मुख्यालय को भेजा गया।

चित्र : दिनांक 05-07 मार्च, 2021 के दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में आयोजित किसान मेला 2021 में भागीदारी

2.3.3. शाखा कार्यालय, शिवामोगा, कर्नाटक

क. डीयूएस लक्षणवर्णन, संकरीकरण तथा पुनरूद्धार कार्यक्रम

शाखा कार्यालय के प्रमुख उप रजिस्ट्रार है और इस केन्द्र को विभिन्न कृषि बागवानी फसलों में उनके संकरों के उत्पादन तथा रोपण सामग्री की डीयूएस जांच के लिए निर्धारित किया गया है। तदनुसार, वर्ष के 2020खरीफ तथा रबी मौसम में और वर्ष मौसम में डीयूएस लक्षणवर्णनके ग्रीष्म 2021, संकरीकरण और पुनरूद्धार के लिए निम्नलिखित फसलों को लिया गया।

खरीफ 2020			रबी ग्रीष्म मौसम 2021		
क्र .सं.	फसल	प्रविष्टियों, पैतृकों, अंतप्रजात तथा : परीक्षित प्राप्तियों की संख्या	क्र .सं.	फसल	प्रविष्टियों, पैतृकों, अंतप्रजात : तथा परीक्षित प्राप्तियों की संख्या
1	मक्का	108	1	तरबूज	04
2	धान	60	2	भिण्डी	10
3	कपास	102	3	टमाटर	22
4	बाजरा	06	4	सूरजमुखी	03
5	ज्वार	01	5	खीरा	01
6	मूंग	08	6	लौकी	03
7	उड़द	06	7	करेला	05
			8	तोरई	01

ख एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियमपौधा किस्म ., 2001 के तहत पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मटर, चावल, मक्का, छोटी इलायची तथा सब्जी लोबिया के लिए बीज रोपण/सामग्री के साथ साथ कुल) एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण हुए। पौधा किस्मआवेदन प्राप्त 97PPV & FR(, नई दिल्ली द्वारा कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा, कर्नाटक को परियोजना के तहत 88 इकृषक आवेदन प्रदान किए गए। प्रारंभिक जांच के उपरान्तन आवेदनों को पुनक कार्रवाई के लिए आवश्य : भेजा गया। लय कोमुख्या

फसल	आवेदनों की संख्या
नवीन किस्म	01
प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचित	07
कृषक किस्म	89
कुल	**97**

गदौरे ., प्रतिभागिता एवं प्रसार गतिविधियां

- दिनांक 8 से 12 फरवरी, 2021 की अवधि के दौरान भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरू में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में भाग लिया। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के

दो अधिकारियों नामत: उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्री सहायक ने इसमें भागीदारी की और वहां पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पोस्टर प्रदर्शित किए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, निजी बीज कम्पनी तथा अन्य सरकारी संस्थानों के स्टॉल का दौरा किया ताकि वहां स्थानीय कृषक किस्मों की खोज की जा सके और साथ ही पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत किस्मों के पंजीकरण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता का सृजन किया जा सके।

- उप रजिस्ट्रार ने दिनांक 4 मार्च, 2021 एवं 5 मार्च, 2021 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किस्मों के महत्व एवं पंजीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए एएचआरएस, श्रृंगेरी में आयोजित तकनीकी बैठक और पादप प्रजनक बैठक में भाग लिया।
- उप रजिस्ट्रार ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को टमाटर एवं बैंगन पर डीयूएस परीक्षण की निगरानी करने के प्रयोजन से डीयूएस जांच केन्द्र भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू का दौरा किया। वहां सब्जी फसल के डीयूएस परियोजना संभाग के परियोजना अन्वेषक डॉ. टी.एच. सिंह से भेंट की।

घ. प्रकाशन

1. स्थानीय भाषा (कन्नड) में एक तकनीकी फोल्डर शीर्षक "पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण" जारी किया गया।
2. पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार के बारे में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया।

2.3.3.1 पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FR) द्वारा वर्तमान में अपने शाखा कार्यालय कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा में तीन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं :

i) पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, डीयूएस केन्द्र, शिवमोगा, कर्नाटक में ''चावल एवं कपास के संकर बीज उत्पादनणडीयूएस लक्ष/ वर्णन तथा पैतृक वंशक्रमों का परीक्षण'' विषय पर डीयूएस परियोजना

(क) चावल

बीज सामग्री : खरीफ के दौरान चावल तथा कपास 2020 दन और द्वारा संकर बीज उत्पापरियोजना के अंतर्गत केन्द्र डीयूएस लक्षणवर्णन करने के लिए चावल ए), बी एवं आर वंशक्रममों में प्रविष्टियों के लिए परीक्षण के पैतृक वंशक्र (और यहां आयोजित किया गया। जैसा कि यह एक नया केन्द्र बुनियादी सुविधा का कार्य प्रगति चरण में है, इसलिए खेती योग्य क्षेत्र, परीक्षण के लिए तैयारी, समुचित सिंचाई सुविधा आदि के लिए कुछ बाधाएं भी महसूस की गई।

सस्यविज्ञान प्रबंधनविज्ञान प्रबंधन रीतियों जैसे कि हल त सस्य फसल तैयार करने के लिए संस्तुअच्छी : चलाना, जमीन को समतल करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, पौध रोपण करना, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, नाशीजीव एवं रोग नियंत्रण उपायों का उपयोग करना, उर्वरकों का ऊपर से छिड़काव करना आदि को समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया।

नर्सरी में बुवाईवंशक्रमों (ररिस्टो) हासिल करने के लिए आरए तथा आर वंशक्रमों के बीच सामंजस्य : की दो पृथक्कित नर्सरी बुवाईकी गई। इसके उपरान्त अगस्त, **2020** के मध्य तक सभी वंशक्रमों को एकसाथ बोया गया।

जमीन तैयार करना : **जुलाई - अगस्त माह के दौरान हुई लगातार वर्षा के कारण जमीन तैयार करने के कार्य में केन्द्र को मुश्किलों का सामना करना पड़ा** और इसलिए रोपाई के कार्य में देरी हुई। वर्षा रूकने के उपरान्त, बाहर से ट्रैक्टर किराये पर लेकर जमीन को तैयार किया गया और खेत को रोपाई के लिए तैयार किया गया। तदनुसार, एक पुनरावृति के अंतर्गत 60 x 3 = 180 प्रविष्टियों के लिए परीक्षण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया गया। परीक्षण की डिजाइन इस प्रकार है :

जांच प्लॉट डिजाइन :

- कतारों की संख्या : प्रत्येक ए, बी तथा आर वंशक्रम के लिए 2
- कतार की लंबाई : ए, बी व आर वंशक्रम के लिए मीटर 8
- कतार से कतार के मध्य दूरी : 30 सेमी.
- पौधे से पौधे के मध्य दूरी : 20 सेमी.
- पुनरावृतियों की संख्या : 01

दो कतारों अथवा पंक्तियों में पौधों की कुल संख्या ए :, बी तथा आर वंशक्रम प्रत्येक के लिए 80

पौध रोपण ब्लट डिजाइन के अनुसार फसल को तीन विभिन्नजांच प्लॉ : ॉकों नामतडीयूएस पर्यवेक्षण : कब्लॉ, संकरीकरण ब्लॉक तथा रखरखाव ब्लॉक में डॉ तथा अन्य (षकसह प्रधान अन्वे) पिलानिया .एस.डी . फ की निगरानी में रोपा गया।स्टा

- **संकरीकरण ब्लॉक** : (ए x आर ब्लॉक) : रोपाई करने से पहले दोनों पृथक्करण पौधों को नर्सरी क्यारियों से उखाड़ा गया और अच्छी तरह से मिश्रण किया गया और उसके बाद आठ मीटर लंबी पंक्ति अथवा कतार में प्रविष्टि वार ए वंशक्रम)80 पौधे) की दो पंक्तियों तथा आर वंशक्रम (80 पौधेकी दो (पंक्तियों की रोपाई क ी गई और इस कार्य को संकर एवं आर वंशक्रम बीज उत्पादन के लिए उसी दिन पूरा किया गया।
- **रखरखाव ब्लॉक : बी वंशक्रम** : (रखरखाव वंशक्रम) (ए x बी ब्लॉक) ए वंशक्रम तथा बी वंशक्रम का बीज उत्पादन करने के लिए ए वंशक्रम)80 पौधे) की दो पंक्तियों और बी वंशक्रम (80 पौधेकी दो (क की रोपाई की गई। में दूसरे ब्लॉ अवस्थापंक्तियों के साथ पौधों की उपयुक्त
- **ए वंशक्रम** : (वंशक्रमनर वंध्य)(ए x बी ब्लॉक) ए वंशक्रम का पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पादन करने के लिए बी वंशक्रमों के मध्य ए वंशक्रम)80 पौधे की दो पंक्तियों (की रोपाई की गई।
- **डीयूएस ब्लॉक** : 5 मीटर पंक्ति लंबाई और प्रति पंक्ति पौधों के साथ डीयूएस पर्यवेक्षण करने के 25 ए :लिए सभी तीन वंशक्रमों नामत, बी तथा आर वंशक्रमों के लिए डीयूएस ब्लॉक की रोपाई की गई।

अपनाया गया पैटर्न :

ए X आर ब्लॉक : आर ए ए आर

ए X बी ब्लॉक : बी ए ए बी

डीयूएस ब्लॉक : 5 मीटर लंबाई वाली पंक्ति और पौधे से पौधे के मध्य का फासला .सेमी 20 प्रविष्टियां 60 रखते हुए एकसाथ ए वंशक्रम की ए वंशक्रम की पांच मीटर लंबी पंक्ति अथवा कतार में

एकसाथ बी वंशक्रम की प्रविष्टियों वाला बी वंशक्रम 58पांच मीटर लंबी पंक्ति अथवा कतार में एकसाथ आर वंशक्रम की प्रविष्टियां 58

अवरोधक प्रदान करनान होने से पहले विदेशी परागित फसल है लेकिन पुष्प :तथापि चावल एक स्व : कराये जाएंत्रिम अवरोधक उपलब्धपरागों से होने वाले किसी भी प्रकार के संदूषण को रोकने के लिए कृ। तदनुसार, कृत्रिम अवरोधक प्रदान किए गए, खेत में सात फीट की ऊंचाई के साथ दोनों ब्लॉक ए)X बी तथा ए X आर की गई।वस्था और तारपॉलिन अवरोधकों की व्यके लिए प्रविष्टि वार पोल्स (

संकरीकरण अथवा क्रासिंग के लिए उपयोग की गईं तकनीकें

करने के लिएन्नसंकर बीज उत्प :ए X आर ब्लॉक को आठ मीटर की पंक्ति लंबाई के साथ प्रत्येक वंशक्रम की दो पंक्तियों के साथ अलग से रोपा गया। नवम्बर, **2020** के तीसरे सप्ताह से ए X आर तथा ए X बी ब्लॉक में परागण प्रारंभ हुआ और इसे फूलों तथा परागों दिसम)बर, **2020** के अंत तकता बने रहने तक जारी रखा की उपलब्ध (ए) कगया। परागण प्रयोजन के लिए प्रविष्टि वार दोनों ब्लॉ X बी तथा ए X आर : का उपयोग किया गया और संकर और स्वमें दस मीटर लंबाई वाली पृथक रस्सी (ए प्र मात्रा में हासिल करने के लिपरागित बीजों को पर्याप्तात :8:30 बजे से दोपहर 12:बजे के 00 न का कार्य क प्रविष्टि को तीन बार देखा गया। पछेती रोपाई करने के कारण पुष्पदौरान रोजाना प्रत्ये न के समय शीत मौसम तथा हुआ। पुष्पर के दौरान प्रारंभ हुआ और वह शीत मौसम में प्रविष्टनवम्ब और स् भारी वर्षा होने के कारण संकरव मात्रा में हासिल करने के लिए बहुत परागित बीजों को पर्याप्त : हो सके।कम पराग और फूल उपलब्ध

डीयूएस पर्यवेक्षणडीयूएस दिशानिर्देश के अनुसार : यादृच्छिक रूप से चयनित पौधों से सभी डीयूएस आंकड़ों को और परियोजना एसआरएफ तथा टीए पुस्तिका में पौधों की उपयुक्त द्वारा खेत रिकॉर्ड पर आंकड़ों को दर्ज किया गया तथा उसे अवस्था (प्रारूपप्राधिकरण से प्राप्त) ल डाटा शीटएक्सेमें दोहराया जा रहा है। कुछ आंकड़ों जैसे कि दाना लंबाई और दाना चौड़ाई तथा एलबी अनुपात एवं भार को आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग/, कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा की मदद से दर्ज किया गया और इस कार्य को विश्वविद्यालय की बीज इकाई में किया गया क्योंकि हमारे पास वर्तमान में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। शेष गुणों अथवा विशेषताओं नामत 53 विशेषता संख्या :: लेम्ना की दाना फिनोल प्रतिक्रिया, विशेषता संख्या 58: एमायलोज की भ्रूणपोष उपस्थिति, विशेषता संख्या 59: एमायलोज की भ्रूणपोष मात्रा तथा विशेषता संख्या 62: डिकॉर्टीकेटिड दाना सुगन्ध के लिए पैतृक वंशक्रमों ए), बी तथा आर वंशक्रमके बीजों को (नसंधान संस्थाय चावल अनुराष्ट्री - भाकृअनुप, कटक, ओड़िशा को भेजा गया ताकि डाटा का अनुमान लगाया जा सके। संबंधित केन्द्र से हमें परिणाम प्राप्त हो गए हैं इसलिए एक्सेल शीट में डाटा प्रविष्टि कार्य प्रगति पर है।

कटाई अथवा तुड़ाई कार्य : सम्पूर्ण शरीरक्रिया विज्ञान परिपक्वता हासिल करने और डंठलों को सूखा दिखने के

उपरान्त दिनांक रदिसम्ब 10, **2020** को उचित प्रकार से लेबलिंग किए गए थैलों में प्रविष्टि वार ए), बी तथा आर वंशक्रम होने तक तुड़ाई अथवा कटाई का कार्य प्रारंभ किया गया और इसे कटाई कार्य समाप्त (पौधों को उचित तरीके से लैबलिंग का कार्य पूरा होने के उपरान्त जारी बनाये रखा। तुड़ाई अथवा कटाई किए गए तारपॉलिन थैलों के साथ धूप में सूखने के लिए रखा गया औरप्रविष्टि वार दानों को पुष्पगुच्छों से अलग किया गया तथा इन्हें स्वच्छता प्रयोजन के लिए उन्हीं लेबल लगे हुए थैलों में रखा गया।

बीजों की गहाई अथवा थ्रेसिंग और सफाई हाथ से गहाई वंशक्रम वार कटाई कार्य करने के उपरान्त : अथवा थ्रेसिंग का कार्य किया गया और इसे अंतिम प्रविष्टि तक जारी बनाये रखा। इसके उपरान्त बीजों को साफ किया गया और अनुकूल नमी मात्रा को हासिल करने के लिए और साथ ही भण्डारण नाशीजीवों के हमले से बचने के लिए बीजों को अनेक बार धूप में सुखाने के लिए रखा गया।

प्राधिकरण को प्रस्तुत बीजडीयूएस पर्यवेक्षण को पूरा करने और प्रविष्टि वार बीजों को उचित तरीके से : गया मिनियम फॉइल कवर में पैक किया जल रोधी एल्यु इन्हेंसुखाने के उपरान्त, उचित तरीके से लेबलिंग की गई और भार मापा गया तथा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा कराया गया।

(ख) कपास

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, ''चावल तथा कपास का संकर बीज उत्पादनपैतृक वंशक्रमों का परीक्षण डीयूएस लक्षणवर्णन एवं/'' शीर्षक परियोजना के तहत कपास की प्रविष्टियों को डीयूएस जांच के साथ साथ संकरों का उत्पादन करने के लिए लिया गया। परियोजना का नेतृत्व श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा प्रधान अन्वेषक द्वारा परियोजना के सह प्रधान अन्वेषकों नामतअजय कुमार सिंह .डॉ :, पीवीई एवं डॉपिलानिया .एस.डी ., टीए के साथ किया गया। इस परियोजना के तहत, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो, डॉनागराजू ., सीएवं गुरूराजा .एच., एम . तकनीकी सहायक, सुश्री सुजाता को फसलों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया।

खरीफ दौरान के 2020, शाखा कार्यालय शिवमोगा, कर्नाटक केन्द्र को पैतृक वंशक्रमों का डीयूएस परीक्षण करने और संबंधित पैतृकों के संकरीकरण के लिए प्रविष्टियां 196 के साथ साथ कुलसंदर्भ किस्मों 15 नर पैतृक 98 यथा)+तथा मादा पैतृकों की हुईं। सभी पैतृक वंशक्रमों को आठ पंक्तियोंप्राप्त (मादा 98 क संकर संयोजन के साथ दो पुनराचार पंक्तियां तथा नर पैतृकों की चार पंक्तियां वाले प्रत्येवृतियों में बोया गया और इस कार्य में 3.क पंक्ति में पांच पौधों को लगाया गया तथा मीटर लंबाई वाली प्रत्ये 6 90 पौधे से पौधे के मध्यxफासला बनाये रखा। इस कार्य में कुल दो एकड़ कृषि का .सेमी 60 क्षेत्रफल का उपयोग किया गया। इन प्रविष्टियों को अनुमोदित योजना के अनुसार बोया गया तथा प्रत्येक प्रविष्टि में दस पौधों को चुना गया एवं डीयूएस संबंधी आंकड़ों को दर्ज किया गया। स्वस्थ फसल तैयार करने के लिए सभी निर्धारित फसल प्रबंधन रीतियों और नाशीजीव नियंत्रण उपायों को समय से एवं आवश्यकतानुसार आजमाया गया।

तालिका 5 : फसलचक्र मौसम के दौरान आयोजनों की सूची इस प्रकार है :

क्र .सं.	**विवरण**	**दिनांक**
1	बीजों की बुवाई डिबलिंग/	24.07.2020
2	पैतृक वंशक्रमों की सेल्फिंग, नपुंसीकरण तथा क्रासिंग	दिनांक को प्रारंभ हुआ जो कि 9.10.2020 तक जारी रहा 11.12.2020

3	पूरी तरह से खिली बॉल की तुड़ाई करना	दिनांक को प्रारंभ हुआ जो कि 15.12.2020 तक जारी रहा 9.02.2021
4	संकरों एवं पैतृक वंशक्रमों की गिनिंग	26-2-21 से 04-5-2021

वर्गाकार गठन के उपरान्त स्वपरागण :, नपुंसीकरण और क्रासिंग कार्य को प्रारंभ किया गया। प्रफुल्लन से पहले प्रति दिन दोपहर 3.5 से 00. कलियों को चुनकर हाथ से पुष्पस्थ मादा की स्वबजे के मध्य 00 नपुंसीकरण का कार्य किया गया। झटका देकर तर्जनी अंगुली कट वं अंगूठे से मोड़ते हुए कली के आधार पर हल्काए लगाकर परागकोश कॉलम के साथ साथ लगे दलपुंज को हटाया गया। यदि कोई परागकोश उपस्थित था तो उसे भ्रूण को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाये बिना सावधानीपूर्वक हटाया गया। प्रफुल्लन के लिए पूरी तरह से खिले फूलों को नर पैतृकों से चुना गया और पके हुए परागकोश को अगली सुबह प्रात :9.00 बजे से 11.बजे के 00 मामध्यदा पैतृक के नपुंसीकृत वर्तिकाग्र पर पर्याप्त रूप से छिड़का गया। परागित कलियों की थैलाबंदी की गई और उनकी लेबलिंग की गई। पैतृक वंशक्रमों और संदर्भ किस्मों के स्वपरागण को बिना खिले : मात्रा में एफदित किया गया। पर्याप्तफूलों पर बटर पेपर रखकर निष्पा-1 संकर बीजों को हासिल करने के लिए प्रत्येक संकर संयोजन में से भी अधिक क्रास किए गए । इन बीजों का उपयोग अगले वर्ष 250 ओं के दौरान प्रतिकूल मौसम रीकरण अवस्थान तथा संकडीयूएस परीक्षण के लिए किया जाएगा। पुष्प परिस्थितियों जैसे कि वर्षा, तेज हवा और लंबी शुष्कन अवधिजल की कमी के कारण कपास में फूलों के / गिरने और बॉल के गिरने की घटना को बढ़ावा मिला। सृजित किए गए सभी एफ-1 संकरों को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली में तथा डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में भेजा गया। रेशा गुणवत्ता पैरामीटरों का अनुमान लगाने के लिए ग्राम भार वाले लिंट नमूनों का 60 स्टिक कवर में पैक किया गया एवं प्रविष्टि वार अलग अलग प्लाभार मापन किया गया और इन्हें नय कपास अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाए गए पैकेटों को केन्द्री पैक कितदुपरान्त, सीआईसीआर कैम्पस, कोयम्बटूर में भेजा गया ताकि रेशा गुणों के लिए डीयूएस का मूल्यांकन किया जा सके।

डीयूएस आंकड़े :

- ✓ द्विगुणित तथा चतुर्गुणित कपास में क्रमश :31 तथा किए गए। डीयूएस आंकड़े दर्ज 37
- ✓ निर्दिष्ट अवस्थाओं में डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस आंकड़ों को दर्ज करने के लिए यादृच्छिक रीति में प्रत्येक प्रविष्टि में दस पौधों को चुना गया।
- ✓ खेत रिकॉर्ड पुस्तिका में आंकड़ों को प्रविष्ट किया गया और साथ ही इन्हें मुख्यालय से प्राप्त प्रारूप के अनुसार सॉफट प्रति में भी प्रविष्ट किया गया।

साठ ग्राम भार वाले कपास लिन्ट को केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सीआईसीआर परिसर, कोयम्बटूर को भेजा गया ताकि वहां रेशा गुणवत्ता विश्लेषण किया जा सके।

(ii) पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, डीयूएस केन्द्र, शिवमोगा में "मक्का एवं तिलहन के पैतृक वंशक्रमों का संकर बीज उत्पादनडीयूएस लक्षणवर्णन एवं परीक्षण/" पर डीयूएस परियोजना

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शाखा कार्यालय, शिवमोगा, कर्नाटक में जुलाई, 2019 के दौरान ''मक्का व तिलहन के पैतृक वंशक्रमों का संकर बीज उत्पादन डीयूएस/लक्षणवर्णन एवं परीक्षण'' पर एक परियोजना को प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना को श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा,

प्रधान अन्वेषक द्वारा संभाला गया और इस कार्य में उन्हें उप रजिस्ट्रार डॉ . अजय कुमार सिंह, पीवीई तथा डॉपिलानिया .एस.डी ., टी.एका सहयोग . षक के रूप में मिला।परियोजना के सह प्रधान अन्वे

इस परियोजना के अंतर्गत, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो नामतचेतन .जी.श्री के :, श्री प्रसन्ना सखारे, डॉसुश्री :एक तकनीकी सहायक नामत लिंगराजू और . वी को फसलों की देखभाल करने के प्रयोजन से निपल्ल .आर.केयुक्त किया गया। इन फसलों के अंतर्गत रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों एवं अन्य जानकारी का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क) मक्का)*जीआ मेज* एल; 2n=20): खरीफ, **2019** में शाखा कार्यालय, शिवमोगा को कुल पैतृक 218 प्रविष्टियां वीसीके श्रेणी में 38 प्रविष्टियां नवीन श्रेणी में और शेष 180 हुई थी जिनमें सेप्रविष्टिता प्राप्त 2020 खरीफ :प्रविष्टियों को एक बार पुन 180 श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तमें नवीन किस्म 2019 थीं। खरीफ

के दौरान दूसरे वर्ष डीयूएस जांच करने के लिए बोया गया और इसके साथ साथ ताजा पैतृक 36 यथा) संकर पैतृकों 18 को संबंधित पैतृकों के डीयूएस लक्षणवर्णन के साथ (प्रविष्टियां परागण और संकरीकरण के लिए आजमाया गया। :साथ स्व यां यथा मादा पैतृकय पंक्तिक संकर संयोजन में दो युग्मीप्रत्ये की दो पंक्तियां और नर पैतृक की दो पंक्तियां शामिल थीं और साथ 90xका फासला बनाये रखते हुए चार मीटर .सेमी 20 पौधों को समायोजित किया गया 20 क पंक्ति में कुललंबी प्रत्ये था। कुल सोलह संदर्भ वंशक्रमों को दो पुनरावृतियों में बोया गया।

मक्का प्रविष्टियों में, खरीफ 15 के दौरान 2020.29 किलोग्राम संकर बीज तथा 393.किलोग्राम 463 पैतृक बीज मात्रा की खरीद की गई । पैतृक बीज सामग्री के साथ साथ सभी एफ-1 संकरों को शिवमोगा में उत्पन्न किया गया था जिन्हें दिनांक मार्च 8, 2021 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के जीन बैंक में भेजा गया।

क्र .सं.	विवरण	दिनांक
1	पैतृक वंशक्रमों की बुवाई की तारीख दूसरा वर्ष डीयूएस) (परीक्षण	04-07-2020
2	संदर्भ वंशक्रमों की बुवाई की तारीख	06-07-2020
3	संकर संयोजन वंशक्रमों की बुवाई की तारीख	23-07-2020
4	परिपक्व छल्लियों अथवा कॉब की तुड़ाई करना	03-11-2020 से 12-12-2020

	मक्का जांच प्लॉट डिजाइन
1.	प्रति प्रविष्टि पंक्तियों की संख्या 2 :
2.	प्राप्त प्रविष्टियों की संख्या 108 :नर पैतृक + 108 क्रमसंदर्भ वंश 16 मादा पैतृक एवं साथ ही
3.	पंक्ति की लंबाई 4 :मीटर

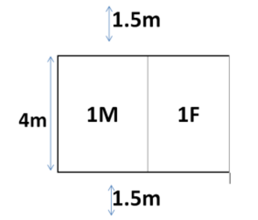

4.	पंक्ति से पंक्ति के मध्य दूरी अथवा फासला 90 :सेमी .
5.	पौधे से पौधे के मध्य फासला 20 :सेमी .
6.	पुनरावृतियों की संख्या 2 :
7.	प्रति पुनरावृति पौधों की संख्या 40 :
8.	कुल क्षेत्रफल 4593 :वर्ग मीटर यथा)~ गण्टा 45.93 (एकड़ 1.06 अथवा

(ख) सूरजमुखी (*एचएनुअस .* एल (.(2n=34) : सूरजमुखी फसल में, कुल संदर्भ वंशक्रमों के साथ साथ तीन एबीआर 6) प्रविष्टियोंतथा तीन ए वंशक्रम + तीन बी वंशक्रम + तीन आर वंशक्रमके दौरान डीयूएस परीक्षण एवं 2020 के लिए रंबी (किया गया। प्रविष्टियों को तीन पुनरावृतियों संकरीकरण का कार्य के साथ अनुमोदित योजना के अनुसार दिनांक 10 रदिसम्ब, **2020** को बोया गया। सभी एबीआर वंशक्रमों को तीन पंक्तियों में बोया गया जैसे कि ए वंशक्रम के लिए तीन पंक्तियां, बी वंशक्रम के लिए तीन पंक्तियां और आर वंशक्रम के लिए तीन पंक्तियां। इसमें 60x .सेमी 30 क पंक्ति में दस पौधों को समायोजित किया गया।का फासला बनाये रखते हुए तीन मीटर लंबी प्रत्ये

प्रत्येक प्रविष्टि में कुल दस पौधों को चुना गया और डीयूएस आंकड़ों को दर्ज किया गया। कुल डीयूएस 34 के दौरान लक्षणों को दर्ज किया गया।क बढ़वार अवस्थापैतृक वंशक्रमों पर प्रत्ये लक्षण थे जिनमें से सभी

प्रविष्टि के लिए उत्पन्न एफ-1 बीजों को सभी तीन एबीआर वंशक्रमों के लिए संकरीकरण और पैतृक बीज उत्पन्न करने के लिए लिया गया जिससे केन्द्र द्वारा उत्पन्न कुल संकर बीज मात्रा 4.किलोग्राम हो गई। 209 एन्नशिवमोगा में उत्प, बी तथा आर वंशक्रमों के बीजों के साथ साथ सभी एफ-1 बीज सामग्री को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में भेजा गया।

क्र .सं.	विवरण	दिनांक
1	छ: संदर्भ वंशक्रमों के साथ साथ तीन एबीआर प्रविष्टियों यथा) तीन ए वंशक्रम+ तीन बी वंशक्रम + तीन आर वंशक्रमको (तीन पुनरावृतियों में अनुमोदित योजना के अनुसार बोया गया	10-12-2020
2	थैलाबंदी, स्व परागण एवं संकरीकरण कार्यक्रम :	06-02-2021 से 19-02-2021
3	परिपक्व शीर्ष की कटाई अथवा तुड़ाई करना	22-03-2021 से 05-04-2021

	जांच प्लॉट डिजाइन
1.	प्रति प्रविष्टि पंक्तियों की संख्या :**3**
2.	प्राप्त प्रविष्टियों की संख्या :तीन ए वंशक्रम **+** तीन बी वंशक्रम **+** तीन आर वंशक्रम एवं साथ ही 6 संदर्भ वंशक्रम
3.	पंक्ति की लंबाई :3 मीटर
4.	पंक्ति से पंक्ति के मध्य दूरी अथवा फासला :60 सेमी .
5.	पौधे से पौधे के मध्य फासला :30 सेमी .

6.	पुनरावृतियों की संख्या :3
7.	प्रति पुनरावृति पौधों की संख्या :30
8.	कुल क्षेत्रफल :484 वर्ग मीटर

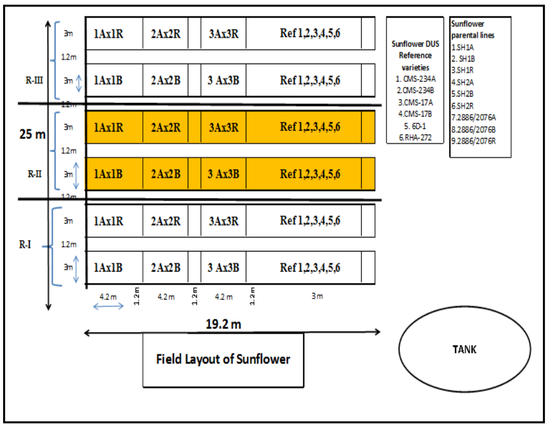

iii. परियोजना शीर्षक "अनाज (तथा चावल को छोड़करमक्का), दलहन एवं सब्जी फसलों के लिए पैतृक वंशक्रमों का स्थिरता मूल्यांकन, संकर बीज उत्पादन एवं डीयूएस लक्षणवर्णन"

वर्ष 2020- के दौरान 21पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के केन्द्र तथा कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा में डीयूएस लक्षणवर्णन एवं संकर बीज उत्पादन के साथ साथ स्व करने न्नपरागित बीज उत्प : किया गया।के लिए कृषि बागवानी फसलों को प्राप्त

बुवाई फसल डीयूएस दिशानिर्देशों में दिए गए अनुदेशों के अनुसार फसलों को बुवाई के लिए लिया गया और अच्छे : जमाव केलिए और संकर एवं स्वत पैकेज रीतियों मात्रा में तुड़ाई करने के लिए सभी संस्तुपरागित बीजों की पर्याप्त : तथा पादप सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया गया ।

डीयूएस आंकड़े :परियोजना के स्टाफ सदस्यों द्वारा समुचित अवस्था में दस यादृच्छिक चयनित पौधों से सभी प्रकार के डीयूएस आंकड़ों को दर्ज किया गया और एकबार पुनल शीट में आंकड़ों की प्रविष्टि की गई और जांच करते हुए एक्से : षक को भेजा गया।इसे परियोजना के प्रधान अन्वे

संकरीकरण :संकर बीज उत्पादन के लिए मैनुअल तकनीकों को आजमाया गया। मादा एवं नर और ए X आर वंशक्रमों को एकसाथ रोपा गया और नर पौधों पर इसे आर वंशक्रम से पराग को संकलित किया गया तथा मादा नपुंसीकृत पुष्पों/ की गईं एवं जांची गईं फसलों का विवरण इस प्रकार छिड़का गया तथा संदूषण से बचने के लिए थैलाबंदी की गई। प्राप्त : है

क्र .सं.	**फसल**	**वर्ष एवं मौसम**	**बुवाई की तारीख**	**कटाई या तुड़ाई की तारीख**	**पैतृक वंशक्रम**			**संदर्भ**	**कुल**
					ए	बी	आर		
अनाज									
1	बाजरा	खरीफ	13/08/2020	15/12/2020	6	6	6	12	30
2	सोरघम	खरीफ	28/07/2020	19/01/2021	1	1	1	8	11
सब्जियां									
					नर	मादा	संदर्भ	कुल	

3	टमाटर	रबी ग्रीष्म/	29/10/2020	15/3/2021	22	22	10	54
4	मिर्च	रबी ग्रीष्म/	29/10/2020	-	15	15	-	30
5	बैंगन	रबी ग्रीष्म/	29/10/2020	-	2	2	-	4
6	भिण्डी	रबीग्रीष्म/	27/10/2020	15/1/2021	10	10	-	20
7	तरबूज	रबीग्रीष्म/	29/10/2020	1/2/2021 से 27/2/2021	4	4	-	8
8	खीरा	रबी ग्रीष्म/	17/11/2020	27/1/2021 से 2.2.2021	1	1	-	2
9	करेला	रबी ग्रीष्म/	15/12/2020	2/3/2021 से 20.03.2021	5	5	2	12
10	लौकी अथवा घिया	रबी ग्रीष्म/	15/12/2020	2/3/2021 से 25.03.2021	3	3	4	10
11	तोरई	रबी ग्रीष्म/	05/02/2021	10/05/2021 से 25.05.2021	1	1	2	4

1. वर्ष 2020-2021 के दौरान जांची गईं फसलों का विवरण

क्र .सं.	**फसल**	**प्राप्त प्रविष्टियों की संख्या**	**प्रयोजन**	**प्राधिकरण को प्रस्तुत डाटा बीजों की स्थिति/**
1	बाजरा	6 (ए, बी तथा आर वंशक्रम)	-डीयूएस तथा F_1 बीज उत्पादन के लिए 3 प्रविष्टियां -डीयूएस परीक्षण के लिए 3 प्रविष्टियां	-संकर की प्रविष्टियों और 3 :स्वपरागित बीजों को प्रस्तुत किया गया -डीयूएस आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया
2	सोरघम	1 (ए, बी एवं आर वंशक्रम (	- डीयूएस परीक्षण	-डीयूएस आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया
3	टमाटर	22 (22F X 22M)	-डीयूएस परीक्षण के लिए 2 प्रविष्टियां - F_1 बीज उत्पादन के लिए प्रविष्टियां 19 - डीयूएस परीक्षण तथा F_1 बीज उत्पादन के लिए 1 प्रविष्टि	-19 प्रविष्टियों के संकर बीजों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया -डीयूएस आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं
4	मिर्च	15 (15F X 15M)	- F_1 बीज उत्पादन के लिए प्रविष्टियां 13 - डीयूएस एवं F_1 बीज उत्पादन के लिए 2 प्रविष्टियां	-कोई अंकुरण नहीं हुआ और पीआई को सूचना दी गई
5	बैंगन	2 (2F X 2M)	- बीज उत्पादन के लिए 2	-कोई अंकुरण नहीं हुआ और

			प्रविष्टियां	पीआई को सूचना दी गई
6	भिण्डी	10 (10F X 10M)	- F_1 बीज उत्पादन के लिए प्रविष्टियां 9 - डीयूएस परीक्षण के लिए प्रविष्टि 1	-संकर एवं स्वपरागित बीजों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया -डीयूएस आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं
7	तरबूज	4 (4F X 4M)	- F_1 बीज उत्पादन के लिए प्रविष्टियां 44	-संकर एवं स्वपरागित बीजों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया
8	खीरा	1(1F X 1M)	- F_1 बीज उत्पादन के लिए प्रविष्टि 1	-संकर एवं स्वपरागित बीजों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया
9	करेला	5 (5F X 5M)	- F_1 बीज उत्पादन के लिए प्रविष्टियां 4 -डीयूएस परीक्षण एवं F_1 बीज उत्पादन के लिए 1 प्रविष्टि	-संकर एवं स्वपरागित बीजों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया -डीयूएस आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया
10	लौकी	3 (3F X 3M)	- F_1 बीज उत्पादन के लिए प्रविष्टि 1 - डीयूएस परीक्षण तथा F_1 बीज उत्पादन के लिए 2 प्रविष्टियां	-संकर एवं स्वपरागित बीजों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया -डीयूएस आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं
11	तोरई	1 (1F X 1M)	- डीयूएस परीक्षण एवं F_1 बीज उत्पादन के लिए 1 प्रविष्टि	-संकर एवं स्वपरागित बीजों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया -डीयूएस आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं

2. वर्ष 2020-2021 के लिए परियोजना की वित्तीय स्थिति

क्र .सं.	**परियोजना शीर्षक**	**स्वीकृत (रूपये)**	31 **मार्च,** 2021 **तक व्यय (रूपये)**	**दिनांक 01.04.2021 को शेष (रूपये)**
1	अनाज (एवं चावल को छोड़करमक्का), दलहन तथा सब्जी फसलों के लिए पैतृक वंशक्रमों का स्थिरता मूल्यांकन संकर बीज उत्पादनडीयूएस / लक्षणवर्णन	625000.00	511181.00	113819.00*

*शेष अथवा बकाया राशि को समायोजन हेतु प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया

3.परियोजना के अंतर्गत परिसम्पतियों/बुनियादी सुविधा विकास का विवरण :

क्र .सं.	विवरण	मात्रा	लागत (रूपये)/इकाई	कुल राशि (रूपये)
1	कम्प्यूटर डेस्कटॉप (लिनेवो)	02	29,900.00	59,800.00
2	प्रिंटर (सैमसंग)	01	20,602.00	20,602.00
3	रेफ्रीजरेटर (टसेलफ्रास)	01	40,184.00	40,184.00
4	वीड कटर (कुबकाडेट)	01	17,555.00	17,555.00
5	स्प्रेयर बैट्री चालित (ननेप्चू)	01	3,333.00	3,333.00
6	डीप फ्रीजर (वोलटास)	01	19,915.00	19,915.00
7	भार मापने की मशीन क्षमता -10 किलोग्राम क्षमता - 100 किलोग्राम क्षमता - 200 ग्राम	 01 01 01	 - 8,999.00 54,895.00	 - 8,999.00 54,895.00
8	बीज कैबीनेट	03	11,525.00	34,575.00
			कुल व्यय =	2,59,858.00

ड वर्ष .2020-2021 के लिए वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	स्वीकृत (रूपये)	व्यय (रूपये)	शेष (रूपये)
1	अनाज अथवा धान्य (व चावल को छोड़करमक्का) फसलों के लिए पैतृक वंशक्रमों दलहन और सब्जी /डीयूएस लक्षणवर्णन/दनके संकर बीज उत्पा कनस्थिरता मूल्यां	625000.00	511181.00	**113819.00***
2	मक्का तथा तिलहनी फसल के पैतृक वंशक्रमों का संकर बीज उत्पादनर्णन एवं डीयूएस लक्षणव/ परीक्षण	516631.00	420448.00	**96183.00***
3	चावल तथा कपास के लिए वंशक्रमों के का स्थिरता विश्लेषणडीयूएस /दनसंकर बीज उत्पा/ लक्षणवर्णन	957780.00	879128.00	**78652.00****
4	भूमि विकास	350000.00	347200.00	**2800.00***
5	शाखा कार्यालय निधि	200000.00	100160.00	**99840.00***
6	मूंग एवं उड़द का डीयूएस परीक्षण	53500.00	35275.00	**18225.00***

***पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय को भेजा गया**

च. सिविल वर्क्स बुनियादी सुविधा विकास/

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, शिवमोगा में किए गए विकासपरक कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है। इसमें कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा के कुलपति, अनुसंधान निदेशक, कम्पट्रोलर तथा सम्पदा अधिकारी की मदद एवं प्राधिकरण का अनुमोदन मिला।

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत (रूपये)	टिप्पणी
1	चैन से जुड़ी चारदीवारी	41,50,000.00	कार्य पूरा किया गया
2	सीसीटीवी कैमरा	6,50,000.00	निविदा प्रक्रिया जारी है
3	कार्यालय का रिनोवेशन कार्य	9,75,000.00	कार्य पूरा किया गया
4	सिंचाई पाइपलाइन	6,70,000.00	कार्य पूरा किया गया
5	सीसीटीवी कैमरा	27,67,000.00	निविदा प्रक्रिया जारी है
6	सीसीटीवी सर्वर कक्ष तथा अस्थाई खेत संरचनाएं	9,70,000.00	निविदा प्रक्रिया जारी है
7	जैक वेल	90,000.00	निविदा प्रक्रिया जारी है
8	बोर वेल	-	संशोधित अनुमान की प्रतीक्षा है

2.3.4. शाखा कार्यालय, पालमपुर

गेहूं की दो किस्मों नामत: डीएच 114 (एचआईएम प्रथम) तथा एचपीडब्ल्यू 368 (एचआईएम पॉम) को पर्याप्त बीज मात्रा के साथ एवं क्रमश: पहचान संख्या पीवीपी पीएल 2110200001 तथा पीवीपी पीएल 271020001 के साथ सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में जमा कराया गया।

दिसम्बर, 2020 के दौरान, धान एवं दलहन की निम्नलिखित अधिसूचित एवं कृषक किस्मों को मुख्यालय में भेजा गया। इसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	किस्म का नाम	पहचान संख्या
1	आर 575 धान फसल (विद्यमान कृषक किस्म)	0312200001
2	काली झीनी धान (विद्यमान कृषक किस्म)	0312200002
3	मिताली धान (विद्यमान कृषक किस्म)	2112200001
4	जट्टू धान (विद्यमान कृषक किस्म)	2112200002
5	मटर (पॉम त्रिलोकी) अधिसूचित	2212200001
6	मटर पॉम समूल (अधिसूचित)	2212200002
सब्जियों नामत: ऐस्पेरेगस, टमाटर तथा भिण्डी की अधिसूचित किस्मों को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण)PPV & FR(में भेजा गया था लेकिन पंजीकरण अवधि समाप्त हो जाने के कारण वापस लेनी पड़ीं।		
7	आर.एस. पूसा बासमती	1201210001
8	भद्रवाह राजमा	1201210002
9	चना एचआईएम पॉम चना -1 (डीकेएच -986)	2502210001
10	एचआईएम पालम धान (एचपीआर -2656)	1101210001
11	एचआईएम पालम धान -2 (एचपीआर -2880)	1101210002
12	एचआईएम पालम लाल धान 1 (एचपीआर -2795)	1101210003
13	बारोट लाल राजमा	1201210001
14	बारोट पीला राजमा	1201210002

2.3.5. शाखा कार्यालय, पुणे :

श्रेणी	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कृषक
नवीन	01	02	--
विद्यमान अधिसूचित	02	02	--
विद्यमान वीसीके	11	--	--
विद्यमान कृषक	--	--	08

शाखा कार्यालय, पुणे द्वारा प्रस्तुत किस्मों का विवरण

2.4 किस्मों का पंजीकरण

वर्ष 2020- के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किस्मों 388 फसल प्रजातियों के अंतर्गत कुलके दौरान विभिन्न 21 और इसमें जारी किए गए प्रमाण पत्रों की सबसे (चित्र) करके प्रमाण पत्र जारी किए गएअधिक संख्या नवीन किस्म)140) कृषक श्रेणीए एवं तदुपरान्तके लि (91(, अधिसूचित)105) तथा वीसीके (52के लिए थी। इसी प्रकार (, अनाज)209) रेशा फसलोंके लिए सबसे अधिक प्रमाण पत्र और उसके उपरान्त (47(, सब्जी फसलों)49(, तिलहन)29(, फलीदार फसलों)18(, खीरावर्गीय)15(, मसाले)10(, फल)7(, गन्ना फसल)02(, पुष्प)01) एवं वृक्ष (01 (पत्र जारी किए गए।-के लिए प्रमाण

तालिका 6: फसल समूह वार जारी किए कुल प्रमाण पत्र-(2020-21)

फसल समूह	**जारी किए गए प्रमाण पत्र-**	**फसल समूह**	**जारी किए गए प्रमाणपत्र-**
अनाज	209	मसाले	10
सब्जियां	49	फल	07
रेशा फसलें	47	गन्ना फसलें	02
तिलहन	29	पुष्प	01
फलीदार फसलें	18	वृक्ष	01
खीरावर्गीय फसलें	15	**कुल**	**388**

अध्याय 3 : डीयूएस जांच केन्द्र

3.1 सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 19 और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के नियम 29 (7) के तहत स्थापित डीयूएस परीक्षण केंद्र।.

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान देश में 42 केंद्रों पर डीयूएस लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए 40 फसल मसालों का प्रतिनिधित्व करने वाली 364 उम्मीदवार किस्मों का परीक्षण किया गया। ये केंद्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कृषि अनुसंधान प्रणालियों के तहत सबसे उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जिनमें आईसीएआर, सीएसआईआर, डीबीटी, यूजीसी, एसएयू या सीएयू शामिल हैं। प्राधिकरण के अनुमोदन से परियोजना मोड में अधिनियम के तहत आवश्यक परीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए प्रत्येक केंद्र पर समर्पित अनुसंधान कर्मचारी और सहायता प्रदान की जाती है। प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:-

3.1.1.चावल के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप भारतीय - चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

भाकृअनुप) नभारतीय चावल अनुसंधान संस्था -ICAR - IIRR) चावल की फसल में डीयूएस परीक्षण के लिए एक प्रमुख केंद्र है। पहले वर्ष में शी के मुकाबले में कुल दस प्रत्यासंदर्भ किस्मों 22 किस्मों का मूल्यांकन किया गया। पुन :12 संदर्भ किस्मों के मुकाबले में कन किया गया। इसके साथ ही का मूल्यांवीसीके किस्मों 6, खरीफ के 2020 1 का डीयूएस लक्षणवर्णन भी किया गया। एफदौरान नौ कृषक किस्मों संकरों के लिए स्थिरता परीक्षण हेतु पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शिवमोगा केंद्र से उत्पन्न संबंधित एफ$_1$s के साथ संदर्भ 24 कन किया गया । इसके अलावा का मूल्यांनवीन किस्मों 14 के मुकाबले मेंकिस्मों, परीक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान F_1s के साथ साथ चार संदर्भ किस्मों के विरूद्ध चार वीसीके का मूल्यांकन भी किया गया। एक कृषक किस्म और एक वीसीके किस्म में अंकुरण नहीं हो सका और इस प्रकार वहां कोई आंकड़ा दर्ज नहीं किया जा सका।

फसल	नवीन		वीसीके		एफवी	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां		
चावल	10	F_1s के साथ 6 + 14	6	F_1s के साथ 4	9	17-12-2020

एकरूपता : स्थिरता पर पर्यवेक्षण /प्रविष्टियों के मध्य समूहीकृत लक्षण शीथ रंगआधारीय पत्ती), 50 प्रतिशत पुष्पन में लगने वाला समय, तने की लंबाई, विवल्कीकृत दाना लंबाई, दाना टाइप, दाने का रंग, एमॉयलोज की मात्रा तथा दाना महक,1शी संकर और एफएकसमान थे। संकरता के कुछ विशेष आंकड़ों में प्रत्या :अधिकांशत (में कुछ गुणों जैसे कि पुष्पन और दाना टाइप में भिन्नता देखने को मिली। पुनसंकरता परीक्षणो :ं में कुल ऑफटाइप भी - पाए गए।

परीक्षण के आयोजन के दौरान मुद्देमहामारी के कारण 19 कोविड : , इक्रीसेट न का भारतीय चावल अनुसंधान संस्था) में कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे जिनमें खेत प्रचालनों की संख्या (फार्म इक्रीसेट परिसर में स्थित है, इक्रीसेट परिसर में

आवाजाही और इक्रीसेट में प्रवेश के लिए लोगों की संख्या के लिए अनुमति हासिल करना। प्रारंभ में केवल चारपांच - न को मजदूरों की गंभीर कमी महसूस हुई। इसके फ को ही खेत में जाने की अनुमति थी जिससे संस्थाखेत स्टा रूप डीयूएस परीक्षणों की पछेती बुवाई और रोपाई हुपरिणामस्वई। पुनजंगली सूअर द्वारा किए गए नुकसान के साथ : बरसाथ अक्तू, 2020 के दौरान हुई भारी वर्षा के कारण खडी फसल में उल्लेखनीय नुकसान हुआ।

निगरानी टीम के प्रमुख पर्यवेक्षण :पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक बरअक्तू 17, 2020 को वर्चुअल तरीके से *खरीफ,*गरानी का कार्य किया गया। के लिए डीयूएस परीक्षणों की नि 2020 रावसुब्बा .वी.एल .डॉ : निगरानी टीम में शामिल थे, प्रधान वैज्ञानिकनोडल अधिकारी/, डॉ कुमारअरविन्द .जे ., प्रधान वैज्ञानिकसह नोडल अधिकारी/, डॉति बद्रीज्यो ., वरिष्ठ वैज्ञानिकसह नोडल अधिकारी/, भाकृअनुप भारतीय - नचावल अनुसंधान संस्था, हैदराबाद एवं श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण; डॉसी.बी .. पात्र, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भाकृअनुप य चावल अनुसंधाराष्ट्री -न संस्थान, कटक एवं अन्य केंद्रों से वैज्ञानिक। टीम ने आवेदक द्वारा किए गए दावे के साथ साथ परियोजना स्टाफ द्वारा दर्ज किए गए डाटा की गहन जांच की। पुनक डीयूएस गुण को दर्शाने निगरानी टीम ने सुलभ संदर्भ के लिए प्रत्ये : की रोपाई करनेवाली उदाहरण किस्मोंका सुझाव दिया।

रखरखाव : लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में /कोविड से जुड़े प्रतिबंधों और हमारे इक्रीसेट फार्म पर मजदूरों की गंभीर कमी के कारण केवल का अनुरक्षण प्रजनन कार्य किया गया।किस्मों 50

पादप किस्म संरक्षण के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दर्ज आवेदन

फसल	**वर्ष से केंद्र 1966 धिसूचित द्वारा अ की संख्याकिस्मों**	**वर्ष से केंद्र 1999 द्वारा अधिसूचित की संख्याकिस्मों**	**प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचितवीसीके/नवीन/ के लिए दर्ज आवेदनों की संख्या**	**जारी प्रमाण पत्र**
चावल	59	33	25	19

भाकृअनुप: राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

भाकृअनुप नय चावल अनुसंधान संस्थाराष्ट्री -, कटक चावल फसल के लिए डीयूएस परीक्षण करने का एक प्रमुख सहयोगी केंद्र है। डीयूएस परीक्षण करने के लिए *खरीफ,* में प्रयोग किया गया जिसमें अनेक विशिष्ट 2020 ते हुए आकृतिविज्ञान से लेकर जैव रासायनिक हुए। डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का अनुपालन करपरिणाम प्राप्त विश्लेषण तक सभी आंकड़ों का संग्रह किया गया। प्रत्याशी किस्मों और वीसीके तथा दूसरे वर्ष में कृषक किस्मों के मुकाबले में संदर्भ किस्मों को बोया गया था। दावा किए गए लक्षणों को पूरा करने वाली किस्मों को जीन बैंक में संरक्षित किया गया।

वर्ष 2020-में प् 21रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	**नवीन**		**वीसीके**		**कृषक किस्म**		**निगरानी की तारीख**
	प्रथम वर्ष	**दूसरा वर्ष**	**प्रथम वर्ष**	**दूसरा वर्ष**	**प्रथम वर्ष**	**दूसरा वर्ष**	
चावल	1 संकर	14 संकर	5 टिपिकल	4 संकर	10 टिपिकल	31 टिपिकल	17.10.2020
	1 टिपिकल	1 टिपिकल					
		5 पैतृक वंशक्रम					

<u>प्रत्याशी किस्मों का दूसरे वर्ष में परीक्षण:</u> दिनांक जून 26, 2020 को नर्सरी में संबंधित संदर्भ किस्मों, स्थानीय एवं क्षेत्रीय तुलनीय किस्मों के साथ साथ बीस प्रत्याशी किस्मों के एक सेट को नर्सरी में बोया गया और दिनांक 01 अगस्त, 2020 को आरबीडी में तीन प्रतिकृतियों में रोपा गया। प्रत्याशी संकर और एफ $_1$ एसएमजी सहित अधिकांश किस्मों में रंगहीन बीजपत्रक थे जबकि 2884/ 2061(संकर हो सकता है(, 2884/2880 (एफ$_1$ एसएमजी(, 8094/2525 (एफ$_1$ एसएमजीकृत हरा रंग पाया गया। में सफेद विवल्कीमें हरे रंग के प्राकुर चोल थे। सभी किस्मों ( ) में बहुत कम तना लंबाईजांची गई अधिकांश किस्मों91 सेमीथी (से कम ., इनमें से 2884/2053, 2884/2060 (संकर हो सकता है), 2884/2075 (संकर हो सकता है), 2884/2880 (संकर हो सकता है), 8094/2525 संकर हो) 1सकता है तथा एसएमजी एफ) में तने की कम लंबाई)91 से में केवल तीन पाई गई। इन सभी किस्मों (.सेमी 110 यथाकिस्मों2884/2060 (एसएमजी एफ $_1$) तथा 2884/2058 (संकर हो सकता है), 2884/2058 (एफ$_1$ एसएमजी), 2884/2880सकता है तथा संकर हो) एफ$_1$ एसएमजी में शूक अथवा तूड था। (2884/2052 तथा 2884/2056 में 1,31 दानों का भार सबसे अधिक अर्थात् 000.0 ग्राम था। अठारह किस्मों में दाने की लंबाई मध्यम)8.6 से 10. 5 8094 थी जबकि (.मिमी/ 2525(संकर हो सकता है और एफ) ईमें दाने की कम लंबा (एसएमजी 16.1 से 8. 5 दर्ज की गई। केवल (.मिमी2884/2054, 8094/9104 (संकर हो सकता है फिनोल के प्रति को छोड़कर सभी किस्में (8094 क पाई गईं।सकारात्म/ 6331(संकर हो सकता है29 में एमॉयलोज़ की अधिकतम प्रतिशत यथा (.पाई गई 692 2884 जबकि तदुपरान्त/29 में 2052. यलोज प्रतिशतका एमॉ 595दर्ज किया गया।

प्रत्याशी किस्मों का प्रथम वर्ष में परीक्षण :पहले वर्ष में डीयूएस परीक्षण करने के लिए संदर्भ किस्मों, स्थानीय तथा क्षेत्रीय तुलनीय किस्मों के साथ साथ दो प्रत्याशी किस्मों के एक सेट को बोया गया। इस सेट को दिनांक जून 30, 2020 को नर्सरी में बोया गया और दिनांक अगस्त 3, 2020 को रोपा गया। इन दोनों किस्मों में रंगहीन प्राकुर चोल, सफेद विवल्कीकृत दाना रंग, अति लघु तना लंबाई तथा मध्यम दाना लंबाई थी। की तुलना में 1आर नवीन 2020 $_1$आर एफ 2020 में प्रति पौधा पुष्पगुच्छ की संख्या और भ्रूणपोष में एमॉयलोज की उच्चतर मात्रा पाई गई।

वीसीके प्रथम वर्ष परीक्षण :संदर्भ किस्मों, स्थानीय एवं क्षेत्रीय तुलनीय किस्मों के साथ साथ पांच वीसीके किस्मों के एक सेट को दिनांक जून 26, 2020 को नर्सरी में बोया गया और दिनांक अगस्त 01, 2020 को खेत में रोपाई की गई। सभी किस्मों में रंगहीन प्राकुर चोल और विवल्कीकृत दाने का सफेद रंग था। इनमें से, 2020 आर वीसीके 3 आर 2020 और 1आर वीसीके 2020 में तने की लंबाई बहुत कम पाई गई जबकि 5 आर वीसीके 2020 और मेंकिस्मों में तने की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक थी। अधिकांश 4वीसीकेलंबी बड़ी विवल्कीकृत दाना आकृति थी जबकि किस्म 1आर वीसीके 2020 कृत दाना आकृति देखने को मिली। किस्ममें लंबी इकहरी विवल्की 1आर वीसीके 2020 28 तम प्रतिशतमें एमॉयलोज का उच्च.1 में 5 आर वीसीके 2020 पाया गया। किस्म 20,तम दानों का उच्च 000 ग्राम दर्ज 32 भारकिया गया।

वीसीके दूसरा वर्ष परीक्षण :संदर्भ किस्मों, स्थानीय तथा क्षेत्रीय तुलनीय किस्मों सहित कुल चार वीसीके संकरों के एक सेट को दिनांक जून 26, 2020 को नर्सरी में बोया गया और दिनांक अगस्त 01, 2020 को इन्हें खेत में रोपा गया तथा सभी आंकड़ों को दर्ज किया गया। सभी किस्मों में रंगहीन प्राकुर चोल और बहुत कम तना लंबाई थी। 2884/ 2064(एफ$_1$ एसएमजी2884 शीथ पर बैंगनी रंग की रेखाएं पाई गईं। किस्म में आधारीय पत्तीकिस्म (/ 2067 (संकर हो सकता है एवं एफ$_1$ एसएमजी मों में लंबी सभी किस्को छोड़कर अन्य (लंबी बड़ी) (इकहरी विवल्कीकृत दाना आकृति थी। किस्म 1330/ 5995(संकर हो सकता है में जहां एमॉयलोज की कमतर मात्रा थी वहीं किस्म (2884/ 2067(एफ$_1$ एसएमजी29 तर एमॉयलोज प्रतिशत यथामें उच्च (. में दर्ज किया गया। इन सभी किस्मों 07 1330 केवल किस्म/ 5995(एफ$_1$ एसएमजीमें ही शूक (अथवा तूड था।

कृषक किस्म :दस कृषक किस्मों में से दो किस्मों में अंकुरण नहीं हो सका, के एक सेट को दिनांक जून 30, 2020 को बोया गया और निर्धारित खेत में दिनांक अगस्त 3, 2020 को रोपा गया। कुलदीप बालागोरा, ब्लैक राइस, कोमल ग्रीन राइस किस्मों में आधारीय पत्ती शीथ में क्रमश बैंगनीहल्का :, एकसमान बैंगनी, तथा बैंगनी रंग की धाराएं

अथवा रेखाएं थीं। अधिकांश किस्मों में तने की लंबाई बहुत कम थी जबकि कोमल ग्रीन राइस किस्म में तने की मध्यम तथा अधिक लंबाई दोनों देखने को मिली। केवल यमुना गोरा किस्म में शूक अथवा तूड था और इसमें एमॉयलोज की अधिकतम प्रतिशत यथा 26.धिक लंबी इकहरी में ही अत्यदर्ज किया गया। केवल बुरा बुरी किस्म 28 कृत दाना महक विद्यमान में ही विवल्कीकृत दाना आकृति देखने को मिली। केवल कोमल ग्रीन राइस किस्मविवल्की थी।

संबंधित संदर्भ किस्मों, स्थानीय और क्षेत्रीय तुलनीय किस्मों के साथ कुल के एक अन्यकृषक किस्मों 31 जून 26 सेट को दिनांक, 2020 को नर्सरी में बोया गया और दिनांक अगस्त 01, 2020 को खेत में रोपा गया। सभी किस्मों में रंगहीन प्राकुर चोल था। इनमें से केवल दो किस्मों यथा 2877/ए 2546वं 2877/में दीर्घ तना लंबाई 2547 2877 पाई गई जबकि किस्म/2883 धिक थी। किस्ममें तने की लंबाई अत्य 3000/ शीथ में आधारीय पत्ती 2265 2876 पर बैंगनी रंग की रेखाएं अथवा धारियां थीं। किस्म/ग्राम दर्ज 33 दानों का अधिकतम भार 1000 में 3000 सके उपरकिया गया जबकि इ्ान्त किस्म 2883/ यथाग्राम भार दर्ज हुआ। केवल आठ किस्मों 32 में 2261 2880/4296, 2880/4338, 2881/3904, 2881/2174, 2877/2725, 2876/3369, 2883/2265तथा मुंगडा मिश्रण में ही शूक अथवा तूड था। केवल किस्म 2883/2883 तथा 2261/महक मौज कृत दानामें ही विवल्की 2265ूद थी। किस्म 2883/26 में एमॉयलोज का अधिकतम प्रतिशत 2094. दर्ज किया गया। 123

एकरूपता : स्थिरता पर पर्यवेक्षण /डीयूएस परीक्षण के लिए प्राप्त सभी किस्मों में केएच को केवल कृषक किस्म 20 न पायाप्रथम वर्ष को छोड़कर सभी डीयूएस लक्षणों के संबंध में एकसमा गया। कुल आठ कृषक किस्म प्रथम में से केवल यमुना गोरा ही एकसमान पाई गई।

संकरता परीक्षण के विशिष्ट पर्यवेक्षण

- **प्रत्याशी द्वितीय वर्ष के मामले में**: 2883/2730 (संकर हो सकती है), 2884/2059 (एफ$_1$ एसएमजी), 2884/2060 (एफ$_1$ एसएमजी), 3563/2198 (एफ$_1$ एसएमजी) की तुलना में क्रमश :2883/2730 (एफ$_1$ एसएमजी), 2884/2059 (संकर हो सकती है), 2884/2060 (संकर हो सकती है), 3563/2198 (संकर हो सकती है) में शीर्ष गठन का समय पछेती था। किस्म 2884/ 2050(एफ$_1$ एसएमजी) में बहुत कम तना लंबाई पाई गई जबकि किस्म 2884/ 2060(संकर हो सकती है2884 में तना लंबाई कम थी। किस्म (/ 2880 (एफ$_1$ एसएमजी) में अत्यधिक लंबी विवल्कीकृत दाना लंबाई थी जबकि किस्म 2884/ 2880(संकर हो सकती है8094 कृत दाने थे। किस्ममें लंबे विवल्की (/ 0016(संकर हो सकती हैमें मध् (यम भ्रूणपोष एमॉयलोज मात्रा के साथ लंबी बड़ी विवल्कीकृत दाना आकृति पाई गई जबकि किस्म 8094/ 0016(एफ$_1$ एसएमजी) में कम भ्रूणपोष एमॉयलोज मात्रा के साथ लंबी इकहरी विवल्कीकृत दाना आकृति देखने को मिली।
- **वीसीके के मामले में** : किस्म 2884/ 2064(संकर हो सकती है(तथा 2884/ 2064(एफदोनों (एसएमजी 1 शीथ रंग और शीर्ष निकलने के समय के संबंध में एकसमान नहीं थीं।आधारीय पत्ती

निगरानी टीम के प्रमुख पर्यवेक्षणय चावल राष्ट्री - महामारी के कारण उपजी परिस्थितियों में भाकृअनुप 19 कोविड : नअनुसंधान संस्था, कटक के डीयूएस प्लॉट की निगरानी का कार्य दिनांक बरअक्तू 17, 2020 को ऑन लाइन रीति में किया गया जिसमें निगरानी टीम, परियोजना प्रभारी, संभागाध्यक्ष तथा संबंधित स्टाफ सदस्य शामिल रहे।

रखरखाव2020 वर्ष :**लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/**- का अनुरक्षण प्रकिस्मों 100 के दौरान 21जनन किया गया।

भाकृअनुप (क्षेत्रीय केंद्र) नधान संस्थाभारतीय कृषि अनुसं -, करनाल

भाकृअनुप न क्षेत्रीय केंद्रभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था -, करनाल में *खरीफ*,संदर्भ 13 के दौरान 2020 सरायकेला) का डीयूएस परीक्षण किया गया। पांच कृषक किस्मों के साथ साथ कुल सात कृषक किस्मोंकिस्मों,

पैनिसायिर, बडका गोरा, धूचरी धान तथा रामेश्वर विष्णु भोग का पहले वर्ष परीक्षण किया गया। एक कृषक किस्म (अंजली गोरा में अंकुरण नहीं हो सका। इन पांच कृषक किस्मों को प्रथम वर्ष के परीक्षण के तहत सात क्षेत्रीय और राष्ट्रीय तुलनीय किस्मों के साथ उगाया गया। दो कृषक किस्मों)2881/3975 तथा 2881/3672) तथा अन्य छ : के साथ दूसरे वर्ष भी परीक्षण किया गया। इसके अलावासंदर्भ किस्मों, *खरीफ,*बासमती की 24 के दौरान इन 2020 का रखरखाव भी किया गया।संदर्भ किस्मों

वर्ष 2020- के डीयूएस परीक्षण का विवरणशी किस्मोंमें प्रत्या 21

फसल	वीसीके	कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
चावल	...	7 (5+2) प्रथम वर्ष में कृषक 2 और दूसरे वर्ष मेंकृषक किस्म 5 किस्में	14.10.2021*

*डीयूएस केंद्रों के सभी प्रधान अन्वेषकोंषकों तथा श्री दीपल राय चौधरीसह प्रधान अन्वे/, संयुक्त रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वर्च्युल रीति में निगरानी का कार्य किया गया।

एकरूपता /स्थिरता पर पर्यवेक्षणसरायकेला : नामतकृषक किस्मों : , पैनीसायिर तथा रामेश्वर विष्णु भोग में ऑफ टाइप पाई गईं। इन्हें दर्ज किया गया और इनकी सूचना डीयूएस डाटा तथा डीयूएस जांच रिपोर्ट में भेजी गई। वर्ष 2020-(डीयूएस) के डीयूएस जांच परिणामों को नोडल अधिकारी 21, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजा गया।

रखरखाव 2020 वर्ष : **मेंलक्षणवर्णन के अंतर्गत किस् /-** का रखरखाव बासमती संदर्भ किस्मों 24 के दौरान कुल 21 किया गया।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली से आठ नवीन प्रविष्टियों 1 20 आर), आर 3 20, आर 1 एच 20, आर 2 एच 20, आर 3 एच 20, आर 4 एच 20, आर 5 एच 20),

एक कृषक किस्म 407 आरसीटीजेपी)) और प्रचलित जानकारी वाली एक किस्म) (वीसीके)2886/2105 और वीसीके में किए गए। कृषक किस्मके बीज प्राप्त (आठ नवीन चावल प्रविष्टियों के लिए प्रथम : अंकुरण प्रदर्शित हुआ। अतशून्य 2020 परीक्षण कार्य वर्ष वर्ष का डीयूएस-में क 21िया गया। परिणामों को प्रस्तुत किया गया ।

इसके अलावा, डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार चावल की कुल 26 53 जैसे एडीटीकिस्मों, चमनसाल, कॉटन डोरा, सीओ 51, सीओ 52, सीओ 53, सीआर 1 सब 1009, डीआरआर, डीआरआर धान 2, दुला 1, जीके 107- 2, जीके 114, जीके 121, जीके 5028-3, हिमालय, केआरएच 4, कुंजूरीमट्टा, एमडीयू 6, एनपी 9369, पीए 6444, रक्षाली, शीतल, थानु, टीकेएम 13, यूएस 382, वीजीडीषण का कार्य प्रगति पर का अनुरक्षण प्रजनन किया गया। बीज का लक्षणवर्णन और प्रयोगशाला विश्ले 1 है।

दूसरे वर्ष डीयूएस परीक्षण को चावल की तीन प्रविष्टियों यथा 2884/2079, 2876/2871 एवं 2883/2685 के साथ किया गया और वर्ष 2020-के दौरान परीक्षण किया गया। बीज का लक्षणवर्णन कार्य और प्रयोगशाला 21 षण का कार्य प्रगति पर है।विश्ले

तालिका 7 : वर्ष 2020-21 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नवीन किस्में		वीसीके	कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष	दूसरा वर्ष			
चावल	8	3	1*	1*	18.12.2020 (ऑन लाइन निगरानी)

* एफवी - आरसीटीजेपी 407 तथा प्रचलित अथवा विद्यमान वीसीके - 2886/2105 में शून्य अंकुरण प्रदर्शित हुआ

रखरखाव / लक्षणवर्णन के तहत किस्में : वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 26 किस्मों का रखरखाव किया गया।

इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

पहले मौसम एवं दूसरे मौसम में प्रविष्टियों की संख्या क्रमशनौ एवं : एक प्रविष्टि में अंकुरण नहीं हो सका और अठारह थी। पहले वर्ष के दौरान दूसरे वर्ष के परीक्षण में तीन प्रविष्टियों में अंकुरण नहीं हुआ।

बारानी सिंचित परिस्थितियों के तहत परीक्षण किया गया; दिनांक जून 24, 2020 को बुवाई और दिनांक जुलाई 20, 2020 को रोपाई की गई। प्रथम मौसम के लिए, किस्म आरईजी/2017/22560 बैंगनी पत्ती शीथ, बैंगनी लिगुले, पत्ती शीथ पर मजबूत एंथोयायनिन रंग के साथ पत्ती के किनारों पर एंथोसायनिन रंग का वितरण और बैंगनी वर्तिकाग्र जैसे अनेक गुणों के लिए अनूठी पाई गई। इसमें पछेती पत्ती सठियाव के साथ मध्यम परिपक्वता अवधि और लघु ऊंचाई पाई जाती है। दूसरे मौसम के लिए किस्म 2876/70 लंबाई) ड की अधिक चौडाई ब्ले की अधिक लंबाई तथा पत्तीपत्ती 3000..सेमी 5, चौड़ाई 2.(.सेमी 1, तने की मोटाई 0).(.सेमी 59, पुष्पगुच्छ की अधिक लंबाई)30 सेमी(., पूरी तरह से विकसित 1,000 दानों का अधिकतम भार)30.5 ग्राम(, लंबी बड़ी दाना आकृति और बहुत कम एमॉयलोज मात्रा जैसे अनेक गुणों के लिए मामले में अनूठी पाई गई।

डीयूएस परीक्षण के आंकड़ों को दर्ज करने में महसूस किए गए विषय :प्रथम मौसम के लिए कुछ प्रविष्टियों यथा आरईजी/2016/1170 और आरईजी/2018/652 और दूसरे मौसम के लिए प्रविष्टि जैसे 2880/एकसमान नहीं 4297 थीं और इनमें ऑफ टाइप पौधे थे।

वर्ष 2020- के डीयूएस परीक्षण का विवरणशी किस्मोंमें प्रत्या 21

फसल	कृषक				तुलनीय संदर्भ किस्में/	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां 2020-21		दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां 2019 व 2020-21			
चावल	09*		18**		15	12/10/2020
	अंकुरित प्रविष्टियां	08	अंकुरित प्रविष्टियां	15		

*प्रथम वर्ष एक प्रविष्टि में अंकुरण नहीं हुआ -, **दूसरा वर्ष - तीन प्रविष्टियों में अंकुरण नहीं हुआ

प्रथम एवं दूसरे फसल मौसम में, सभी किस्मों में एकरूपता/स्थिरता प्रदर्शित हुई केवल आरईजी/2016/1170 तथा आरईजी/2018/652 में प्रथम मौसम के दौरान और किस्म 2880/में दूसरे मौसम के दौरान बीज मिश्रण हुआ 4297 था और इनमें एकरूपता नहीं देखी गई।

पादप किस्म संरक्षण के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दर्ज कराये गए आवेदन

फसल	वर्ष से केंद्र 1966 द्वारा अधिसूचित की संख्याकिस्मों	वर्ष से केंद्र 1996 द्वारा अधिसूचित की संख्याकिस्मों	दर्ज आवेदनों की संख्या			जारी प्रमाण पत्र	लम्बित आवेदन
			प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचित	नवीन	वीसीके		
चावल	-	29	17			13	04

असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम

Variation in Stigma colour

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली से कुल ग्यारह कृषक किस्मों का एक सेट और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, गुवाहटी शाखा से कुल का एक सेट प्राप्तकृषक किस्मों 41 के साथकन संदर्भ किस्मोंहुआ जिनका कि मूल्यां*खरीफ,*के दौरान दूसरे 2020 फसल मौसम में किया गया। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी गुणों के लिए डीयूएस विशेषताओं पर आंकड़ों को दर्ज कियागया। वर्ष 2020-के 21 धिकरण एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्रास्मदौरान पौधा कि, नई दिल्ली से तीन कृषक किस्मों का एक अन्य सेट प्राप्त हुआ जिसका कि वर्गीकरण और अन्य गुणों के लिए लक्षणवर्णन किया गया।

अभ्यर्थी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	कृषक किस्म		निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां	
1	3	11+41	15 दिसम्बर, 2020 (ऑन लाइन)

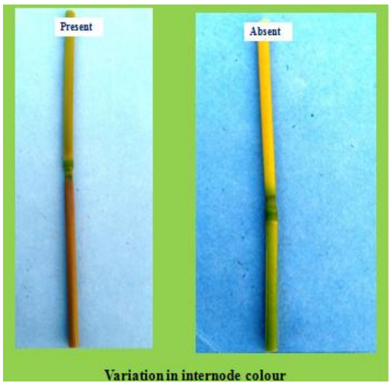

Variation in internode colour

रखरखाव/लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में

अधिदेशित फसल प्रजातियां	रखरखाव प्रजनन के तहत किस्मों का नाम अथवा संख्या	रखरखाव प्रजनन के तहत किस्मों का स्रोत	
		निजी	अन्य वर्णित) (करें
चावल	13	10	3

भाकृअनुप शनर पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप का अनुसंधान स्टेपूर्वोत्त -, लम्फलपेट, मणिपुर

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रविष्टि 2876/2668 तथा प्रविष्टि का दूसरे वर्ष में परीक्षण और पांच संदर्भ किस्मों नामत: महामया, आरसी मणिफोयु 10, आरसी मणिफोयु 13, निधि और प्रसन्ना के साथ साथ कुल 73 कृषक किस्मों के लिए प्रथम वर्ष में डीयूएस लक्षणवर्णन किया गया। इस परीक्षण को बारानी दशाओं में निचली भूमि की रोपित दशाओं में दो प्रतिकृतियों में युग्मीय पंक्ति विधि में किया गया। फसल तैयार करने के लिए मानक रीति पैकेज का अनुपालन किया गया। कुल 48 आकृतिविज्ञान लक्षणों और 14 फसलोत्तर लक्षणों के लिए आंकड़ों को दर्ज किया गया।

प्रविष्टियां 2876/2668 तथा वी47 के वानस्पतिक भागों जैसे आधारीय पत्ती शीथ, कर्णपल्लव, कॉलर, वर्तिकाग्र, अंतर नोड्स के एंथोसायनिन रंग की विशिष्टता पाई गई। प्रविष्टि 2876/2668 हल्के लाल रंग के दाना, वी-47 गहरे बैंगनी रंग के विवल्कीकृत दानों और विवल्कीकृत दानों के साथ अत्यधिक गंधयुक्त थीं। इसके साथ ही प्रविष्टि वी-3 में लाल से हल्का बैंगनी रंग होने के कारण आधारीय शीथ, लेमा तथा पुष्प कवच रंग में बैंगनी रेखाएं प्रदर्शित हुईं। पांच प्रविष्टियों (वी 4, वी 13, वी 23, वी 48 तथा वी 56) में लेमा शीर्ष तथा बैंगनी वर्तिकाग्र पर मजबूत एंथोसायनिन रंग था। दो प्रविष्टियां (वी 20 एवं वी 38) 91 सेमी. से कम औसत तना लंबाई के साथ बहुत छोटी थीं और शेष प्रविष्टियां मध्यम, अधिक तना लंबाई वाली थीं। कुल सोलह प्रविष्टियां (वी 9, वी-12, वी-14, वी-16, वी-19, वी-20, वी-22, वी-25, वी-28, वी-45, वी-47, वी-49, वी-50, वी-65, वी-66, वी -72) अत्यधिक सगंधीय थीं। प्रविष्टि वी 29 में लेमा में अत्यधिक सयानपन अथवा रोमिलता थी। आठ प्रविष्टियों (वी 30, वी 37, वी 38, वी 42, वी 43, वी 44, वी 50 तथा वी 55) में अत्यधिक लंबे पुष्पगुच्छ (30 सेमी. से अधिक) थे। लगभग 29 प्रविष्टियों में कणिशिका (स्पाइकलेट्स) पर शूक अथवा तूड़ थे।

खरीफ, 2020 के दौरान, पर्वतीय पारितंत्र के अनुकूलित चावल की लगभग 33 किस्मों को भाकृअनुप - कृषि विज्ञान केंद्र , तामेंगलोंग, मणिपुर के माध्यम से किसान समुदाय द्वारा उपलब्ध कराया गया था जिनका तुलनीय

किस्मों निधि, महामाया, प्रसन्ना तथा आरसी मणिफोयु 6 के साथ साथ विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता के लिए सीधी बीजाई वाली परिस्थितियों में मूल्यांकन किया गया।

वर्ष 2020- के डीयूएस परीक्षण का विवरणशी किस्मोंमें प्रत्या 21

फसल प्रजाति	कृषक		संदर्भ	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां		
चावल	2	1	5	ऑन लाइन निगरानी (19/10/2020)

रखरखाव / लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में : वर्ष 2020-21 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के तहत कुल आठ जारी की किस्में शामिल थीं।

भाकृअनुप - पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्रीय स्टेशन, नागालैण्ड

भाकृअनुप, नागालैंड केंद्र को वर्ष 2020 में परीक्षण कोड आरईजी/2013/757 (गुन्दरी भोग), 2876/2668 तथा 2876/2672 के साथ तीन प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। 12 जून को फसल बोई गई और दिनांक 17 जुलाई को रोपी गई। हालांकि दो प्रविष्टियों यथा 2876/2668 तथा 2876/2672 में कोई अंकुरण नहीं हुआ। इसलिए, वर्ष 2019 में प्राप्त गुन्दरी भोग और तीन प्रविष्टियों - 2877/2338, 2877/2339 एवं 2877/2319 का मूल्यांकन चार तुलनीय किस्मों नामत: पूसा सुगन्ध, रंजीत, आरसीएम 9 तथा आईईटी 16313 के साथ निचली भूमि वाले पारितंत्र में वर्ष 2020 के *खरीफ* मौसम के दौरान किया गया। याद्दच्छिक विधि से चयनित दस पौधों में 62 डीयूएस लक्षणों के लिए आंकड़ों को दर्ज किया गया। सभी चार प्रविष्टियां तुलनीय किस्मों से भिन्न पाई गई। नागालैंड के फेक तथा कोहिमा जिलों से चावल की कुल 67 स्थानीय प्रजातियों को संकलित किया गया। इस वर्ष केंद्र को भाकृअनुप नागालैंड केंद्र , मेडजीफेमा में चावल के खेतों में पक्षियों के अति प्रकोप तथा चूहों द्वारा किए जाने वाले नुकसान का सामना करना पड़ा।

फसल	कृषक		कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां		
चावल	1	3	4	20/10/2020

वर्ष 2020- में संकलित चावल जननद्रव्य 21

नामकरण	पारितंत्र	भौगोलिक समन्वय		ऊंचाई (मीटर)	गांव	जिला
		अक्षांश	देशान्तर			
नाडे, खरूम्बे, नीन्गट्सू , रूबे, विसापु रूबे, केहाबे मीना, पेल्ही यू रूबे, तेन्गुबे	निचली भूमि	25.5787	94.3417	156	मेसुलुमी	फेक
टैंगु	निचली उच्च/					

	भूमि					
थेवुरू, कुजुहलू, रूबोलु	निचली भूमि	25.5807	94.2199	1270	किकरूमा	
नेसाखोलु	निचली उच्च/ भूमि					
मुलुहा	उच्च भूमि					
मेकिरू व्हाइट, मेकिरू ब्लैक, लोसामी राइस, सोरहुमी रू	निचली भूमि	25.6102	94.4238	154	लोसामी	
मुचीहलु, पोरारी, नेजुलु, (व्हाइट(, नेजुलु (रेड़), मोडोटसुरी, नेजुलु, मुकरेमी री, वेमराटसो री, मटिखू, न्योड	निचली भूमि	25.6169	94.3614	4440	सकराबा	
मनाबे, करिबे	निचली भूमि	25.5703	94.3	2133	फ्टसेरोमी	
बछेरू	निचली भूमि उच्च/ भूमि					
फुरू	उच्च भूमि					
आशु राइस, वेटशेलो, नेरे, टीवेलु हा, चपाटा हा, टैनी, हुसुसा हा, कुमुनो, रिलु, कुचोसेलु, वेडिलो	निचली भूमि	25.5869	94.3761	154	खोमी	
कुटसा टैनी, टुखोबुरी, जापान राइस, कुटसा मुन्यो, कुसोरू, चिटसोनुलु	निचली भूमि	25.6145	94.34	156	पोरबा	
रूबोल, टेन्गा केजे	निचली भूमि	25.5871	94.3671	156	इनहुलामी	
रूथु, नगाथु, रूथु, नगाथु हाना, नगाथु कैरियू, रूथु, नगाथु मुनो	निचली भूमि	25.5346	94.3053	156	सफ्यूम (छोबामा)	
नुहुटो, लहान्गु, रूजोई, फुखी लहा, नगोन्नी, टुन्गो, थुफु लहा पुष्प) (चावल, नगोनी, ससिनु,	निचली भूमि	25.5912	94.1102	935	मिमा गांव	कोहिमा

एकरूपता / स्थिरता पर पर्यवेक्षण : शाखाओं के व्यवहार के संबंध में कृषक किस्म 2877/2338 अन्य प्रविष्टियों और तुलनीय किस्मों से अलग पाई गई। इस प्रविष्टि में, जहां शाखाओं का अर्ध सीधा रूप प्रदर्शित हुआ वहीं अन्य किस्मों में शाखाओं का सीधा और सीधे से अर्ध- सीधा रूप देखने को मिला। इसके साथ ही, इस किस्म में छोटा एवं ठोस

Cha 39. Panicle: awns

दाना पाया गया जबकि अन्य प्रविष्टियों और तुलनीय किस्मों में मध्यम और इकहरा लंबा दाना था लेकिन इसमें गुन्दरी भोग किस्म शामिल नहीं थी जिसमें छोटा और ठोस दाना था लेकिन लेमा की फिनोल प्रतिक्रिया उपस्थित थी।

एक अन्य प्रविष्टि -2877/2339 भी अन्य प्रविष्टियों और तुलनीय किस्मों से भिन्न पाई गई, इस प्रविष्टि में पत्ती शीथ का एंथोसायनिन रंग उपस्थित था जबकि अन्य किस्मों में यह अनुपस्थित था, फ्लैग पत्ती (अगेती पर्यवेक्षण) क्षैतिजाकार थी जबकि अन्य किस्मों के मामले में यह सीधी तथा अर्ध सीधी थी। इस प्रविष्टि में शूक अथवा तूड़ की उपस्थिति भी देखने को मिली और इसका पुष्पगुच्छ अधिक लंबा था।

प्रविष्टि, 2877/2319 का व्यवहार अन्य प्रविष्टियों और तुलनीय किस्मों से भिन्न था, इस प्रविष्टि में हरे रंग की सघनता हल्की थी जो कि पूसा सुगन्ध और आईईटी 16313 को छोड़कर अन्य किस्मों के लिए गहरी तथा मध्यम थी लेकिन अन्य लक्षणों पर विचार करते हुए यह प्रविष्टि भिन्न थी जिसमें पूरी तरह से विकसित 1000 दानों का भार बहुत अधिक था जबकि अन्य किस्मों में भी यह भार अधिक पाया गया और इसके साथ ही इस प्रविष्टि में तने की लंबाई अधिक थी जो कि अन्य किस्मों में बहुत छोटी और छोटी थी।

गुन्दरी भोग किस्म के शीर्ष में एंथोसायनिन रंग की उपस्थिति देखने को मिली जो कि अन्य प्रविष्टियों और तुलनीय किस्मों में अनुपस्थित थी। लेमा तथा पुष्प कवच का रंग भूरा था जबकि अन्य प्रविष्टियों और किस्मों में यह पुआल अथवा भूसे के रंग जैसा था।

प्रविष्टियों के विशिष्ट लक्षण

क्र .सं.	परीक्षण कोड	विशिष्ट लक्षण
1.	2877/2338	लक्षण अथवा गुण 45, पुष्पगुच्छ (अर्ध सीधी) वहारशाखाओं का व्य : लक्षण अथवा गुण 53. दाना : लेमा की फिनोल प्रतिक्रिया लक्षण (अनुपस्थित) 56 अथवा गुण, विवल्कीकृत दाना (लघु बोल्ड) आकृति :
2.	2877/2339	लक्षण अथवा गुण 6. पत्ती शीथ : एंथोसायनिन का रंग (उपस्थित) लक्षण अथवा गुण 21. फ्लैग पत्ती (क्षैतिज) (अगेती पर्यवेक्षण) वहारड का व्यब्ले : लक्षण अथवा गुण 33. पुष्पगुच्छ 31 अति लंबी) अक्ष की लंबाईमुख्य :. (.सेमी 7 लक्षण अथवा गुण 39. पुष्पगुच्छ (उपस्थित) तूड़ शूक अथवा :
3.	2877/2319	लक्षण अथवा गुण 3. पत्ती (हल्का) हरे रंग की सघनता : लक्षण अथवा गुण 29. तना कोगुच्छपुष्प) लंबाई :हटाकर, फ्लोटिंग चावल को हटाकर138 लंबा) (. (.सेमी 5 लक्षण अथवा गुण 50. दाना बहुत) दानों का भार 1000 पूरी तरह से विकसित : 31 अधिक. (ग्राम 5
4.	गुंदरी भोग	लक्षण अथवा गुण 26. लेमा (कमजोर) का एंथोसायनिन रंगशीर्ष अथवा एपेक्स : लक्षण अथवा गुण 38. लेमा एवं पुष्प कवच (भूरा) रंग :

		लक्षण अथवा गुण 50. दाना 1 पूरी तरह से विकसित :,बहुत) दानों का भार 000 12 कम. (ग्राम 04 लक्षण अथवा गुण 53. दाना (उपस्थित) लेमा की फिनोल के प्रति प्रतिक्रिया : लक्षण अथवा गुण 56, विवल्कीकृत दाना (लघु बोल्ड) आकृति :

निगरानी टीम के प्रमुख पर्यवेक्षण : ऑन लाइन निगरानी टीम द्वारा डीयूएस परीक्षण और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के राष्ट्रीय जीन बैंक के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज सामग्री प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में परिशुद्ध बीज सामग्री हासिल करने हेतु बड़े प्लॉटों में प्रविष्टियों और भू प्रजातियों का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया।

रखरखाव / लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में : वर्ष 2020-21 के दौरान किस्मों यथा आरसीएम 9, पूसा सुगन्ध 5, सहसारंग का अनुरक्षण प्रजनन किया गया।

पादप किस्म संरक्षण के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दर्ज आवेदन

फसल	**वर्ष से केंद्र 1999 द्वारा अधिसूचित की संख्याकिस्मों**	**प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचितवीसीके के लिए दर्ज आवेदनों की /नवीन/ संख्या**
चावल	2	भाकृअनुप नागालैंड केंद्र से तीन स्थानीय : प्रजातियों को जमा कराया गया- पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को वर्ष 2014 (वंडर राइस) तथा एक निचली भूमि (पटसा एवं लेखामो) भूमिदो उच्च में वर्ष 2018- एवं कृषक अधिकमें पौधा किस्म 19ार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए कुल साठ कृषक किस्मों को प्रस्तुत किया गया

3.1.2. कपास के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

महात्मा फुले कृषि विश्व विद्यालय, राहुरी

वर्ष 2020-21 में, डीयूएस केंद्र (कपास), कपास सुधार परियोजना, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी में प्रथम वर्ष के दौरान कुल सात नवीन संकरों और पांच वीसीके और इनके F_1s को प्रत्याशी किस्मों के तौर पर जांचा गया। इसी प्रकार, नोडल अधिकारी, सीआईसीआर, कोयम्बटूर से प्राप्त की गई 77 संदर्भ किस्मों का इस केंद्र में रखरखाव किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 को निगरानी टीम द्वारा इस केंद्र पर ऑन लाइन निगरानी की गई। इस निगरानी टीम में डॉ. के. रतिनावेल, प्रधान वैज्ञानिक, सीआईसीआर, कोयम्बटूर; डॉ. ए.एस. जाधव, अध्यक्ष, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी; डॉ. आर.एस. वाघ, कपास प्रजनक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी; डॉ. वी. शान्ति, प्रधान वैज्ञानिक, सीआईसीआर, नागपुर; तथा श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली शामिल थे। सभी आंकड़ों को

दर्ज किया गया और परिणामों को खेत के चित्रों के साथ निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया। जांची गईं किस्मों का प्रदर्शन कटाई अथवा तुड़ाई करने तक एकसमान, संतोषजनक और अच्छा बना रहा।

वर्ष 2020- के डीयूएस परीक्षण का विवरणशी किस्मोंमें प्रत्या 21

फसल	नवीन	वीसीके	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष		
कपास	07	05	04/12/2020

मध्य जोन के लिए दूसरे वर्ष 2020-21 के लिए कपास

क्र.सं.	किस्म का कोड	किस्म	श्रेणी
1	2884/2114	वीसीके	पराजीनी एवं संकर
	2884/2114	एफ $_1$ एसएमजी	
2	2884/2102	वीसीके	संकर
	2884/2102	एफ $_1$ एसएमजी	
3	2884/2104	वीसीके	संकर
	2884/2104	एफ $_1$ एसएमजी	
4	2884/2103	वीसीके	संकर
	2884/2103	एफ $_1$ एसएमजी	
5	2883/2130	वीसीके	संकर
	2883/2130	एफ $_1$ एसएमजी	

मध्य जोन के लिए प्रथम वर्ष 2020-21 हेतु कपास

क्र.सं.	किस्म का कोड	टाइप	श्रेणी
1	2020 TC H1	नवीन	संकर एवं पराजीनी
2	2020 TC H4	नवीन	संकर एवं पराजीनी (पैतृक वंशक्रम)
3	2020 TC H4	नवीन	संकर एवं पराजीनी
4	2020 TC H5	नवीन	संकर एवं पराजीनी
5	2020 TC H6	नवीन	संकर एवं पराजीनी
6	2020TC T6	नवीन	पराजीनी एवं संकर
7	2020TC H7	नवीन	पराजीनी एवं संकर

रखरखाव : लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/केन्द्र में कुल या गया जिन्हें का रखरखाव किसंदर्भ किस्मों 77 सीआईसीआर, कोयम्बटूर से प्राप्त किया गया था। संदर्भ किस्मों के प्रदर्शन को डीयूएस लक्षणों के लिए दर्ज किया गया और संदूषण को रोककर रॉजिंग तथा सेल्फिंग द्वारा विशिष्ट किस्मों की शुद्धता को बनाये रखा गया।

फसल प्रजाति	वर्ष 2020-रक्षण प्रजनन में अनु 21 की संख्याके तहत किस्मों	अनुरक्षण प्रजनन एवं अन्य का के तहत किस्मों (वर्णित) स्रोत
कपास	84	सीआईसीआर, कोयम्बटूर से कुल तथा महात्माकिस्में 77 विद्यालयफुले कृषि विश्व, राहुरी से की गईं प्राप्तकिस्में 7 जिन्हें अनुरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में शामिल किया गया

एकरूपता / स्थिरता पर पर्यवेक्षण : केवल 2020 टीसी टी 6 को छोड़कर अन्य सभी प्रविष्टियां एकरूप तथा स्थिर पाई गईं। जबकि इस प्रविष्टि में बढ़वार एवं विकास के संबंध में बहुत ही घटिया प्रदर्शन देखने को मिला।

संकरता परीक्षण के पर्यवेक्षण: द्विगुणित कपास में, वीसीके 2883/2130 (*गॉसीपियम आर्बोरियम* एल.) में पत्ती सयानपन अथवा रोमिलता में, पुष्प के रंग प्रत्याशी संकर और एफ$_1$ के साथ तुलना करने पर कुछ भिन्नता पाई गई। दर्ज किए गए आंकडों के अनुसार सभी प्रत्याशी संकर एवं एफ$_1$ एकसमान और स्थिर पाए गए।

प्रमुख पर्यवेक्षण और निगरानी टीम : निगरानी कार्य के दौरान, द्विगुणित कपास के लिए दावा किए गए लक्षणों और पाए गए आंकडों में कुछ भिन्नता देखने को मिली, दावा किए गए लक्षण पीला था और यह गहरा पीला पाया गया, कुछ प्रत्याशी संकर गोलाकार टाइप बॉल वाले थे हालांकि, इनका दावा अंडाकार आकृति वाला किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी डीयूएस कपास केंद्र में रखरखाव की गईं संदर्भ किस्में : केंद्र पर निम्नलिखित संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया : एमसीयू 10, एच 1098, एमसीयू 3, सुमन, एमसीयू 11, आरईबीए - बी - 50, एचएलएस 329, एलएच 900, एमसीयू 13, सुप्रिया, एकेएच 07 आर, जेके 4, एएच 107, एनएच 545, एमसीयू 5, आरएमपीबीएस 155, पीएच 93, आरसीएच 001, एफ 1378, वीसी 21, सुविन, एसीपी 71, प्रतिमा, जेसीसी 1, एनसीएच 419, टीसीबी 209, एमडीएच 89, एसएच 2379, एकेएच 081, सहाना, खंडवा 3, एनएच 452, जीएसएचवी 112, जी. कॉटन 18, एमसीयू 7, देवीराज, अबाधिता, एमसीयू 9, लक्ष्मी, जी.कॉटन 12, कंचना, बंदनवार 1, सुमन गाला, गुजरात 67, जे 34, डीएचवाई 286 - 1, एलएच 1556, बन्नी फीमेल, एनसीएच 11, टी 7, एमसीयू 8, एमसीयू 5 वी टी, सुरभि, पीकेवी रजत, वीसी 32, आरएसपी 4, खंडवा 2, एफ 846, जी. कॉटन 16, एमसीयू 12, जेएलएच 168, जी. कॉटन 16, पीआरएस 16, एमसीयू 4, सुजाता, एच 974, एच 1220, एलआरए 5166, सुमंगला, एल 604, नरसिम्हा, एफ 846, बीकानेरी नेरमा, सुमन, अंजलि, बंदवार, विक्रम, फुले 688, फुले 717, फुले 388, फुले 492, फुले 622, एनसीएस 954, अजित 155 एवं अजित 199.

फसल बढ़वार के दौरान वर्षा पैटर्न : महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी में वर्ष 2020-21

- कुल वर्षा : **1240.00** मिमी.
- कुल वर्षा दिवस : **60** दिन
- औसत : **535** मिमी.
- शुष्क अवधि : प्रारंभिक जून, **2020**
- भारी वर्षा : अगस्त व सितम्बर, **2020**
- अधिकता : **231%**
- प्रभाव : प्रारंभिक सूखा तथा पछेती मौसम में अत्यधिक वर्षा होने पर कपास फसल की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में दर्ज कराये गये आवेदन

फसल	वर्ष से 1966 केंद्र द्वारा अधिसूचित की किस्में	वर्ष से 1999 केंद्र द्वारा अधिसूचित की किस्में	दर्ज आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाण पत्र	लम्बित आवेदन

	संख्या	संख्या				
कपास	6	12	4 (प्रचलित अथवा विद्यमान)	6 (वीसीके)	6 फुले -492, फुले -388, फुले - 688, फुले धन्वंतरि, फुले अनमोल, फुले रूक्मणि	6 फुले तरंग आरएचएच) (707, फुले धारा (711 आरएचबी), फुले अस्मिता आरएचएच) (917, फुले सुमन, फुले माही, फुले चेतना

भाकृअनुप - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र , नागपुर

दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण संचालित किया गया। प्रथम वर्ष के परीक्षण में कुल सात प्रविष्टियां थीं और वीसीके के अंतर्गत पांच प्रविष्टियां शामिल थीं। प्रत्येक प्लॉट में वीसीके को मौलिक रूप में बोया गया और शिमोगा संकर को दो अलग अलग ब्लॉकों में बोया गया। आमतौर पर बॉल खिलने में देरी हुई और जांची गईं अधिकांश किस्मों में बॉल सड़न पाया गया।

वर्ष 2020-21 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नवीन	वीसीके	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां		
कपास	7	5	4.12.2020 (वर्च्युल)

प्रविष्टियों की एकरूपता / स्थिरता पर पर्यवेक्षण : अन्य प्रविष्टियों की तुलना में प्रविष्टि एच1 में एकसमान रूप से कहीं बड़े ब्रैक्ट्स प्रदर्शित हुए। इसमें ऐसी प्रविष्टियां थीं जिनमें विशेष अनूठे गुण प्रदर्शित हुए जैसे कि पुष्प के आधार पर पीला रंग का होना, असंसर्गिका वर्तिकाग्र, कप पत्ती प्रकटन, गोलाकार बॉल आकृति, पूरी तरह से खिले हुए बॉल आदि ।

संकरता परीक्षण के विशिष्ट पर्यवेक्षण : वीसीके परीक्षण के अंतर्गत प्रत्याशी और एफ $_1$ एसएमजी दोनों के लिए एक जैसे लक्षण पाए गए। बॉल की आकृति के लिए एक प्रविष्टि 2884/2102 को छोड़कर कोई विशेष मुद्दे नहीं पाए गए। वीसीके में बॉल की आकृति गोलाकार थी जबकि एफ$_1$ एसएमजी में यह अंडाकार थी और अन्य केंद्र में इसकी पुष्टि करने का निर्णय किया गया।

निगरानी टीम के प्रमुख पर्यवेक्षण : चूंकि सीआईसीआर द्वारा जारी बीटी कपास किस्मों का डीयूएस लक्षणवर्णन कार्य पूरा हो चुका है इसलिए इन्हें संदर्भ संकलन में शामिल करने का सुझाव दिया गया। डीयूएस परीक्षण में मध्य क्षेत्र के लिए पहचाने गए कुछ लोकप्रिय निजी बीटी संकरों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का सुझाव भी था।

रखरखाव / लक्षणवर्णन के तहत किस्में : वर्ष 2020-21 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत कुल 64 किस्में शामिल थीं।

प्रकाशन :

वी. शान्ति, के. रत्नीवेल, एम. सर्वनन, मिथिला मेश्रामंद, सी. प्रियदर्शिनी (2020)। जिनेटिक डाइवर्सिटी एसेसमेन्ट ऑफ एक्टेन्ट कॉटन वैरायटीज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिस (पीसीए) एंड कलस्टर एनालिसिस ऑफ इनलिस्टिड डीयूएस ट्रैट्स; *इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग* , 438 - 430 : (2) 11

भाकृअनुप - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, कोयम्बटूर

वर्ष 2020-2021 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	ईडीवी	IV	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां					
चतुर्गुणित कपास	4	3*	8* (प्रथम वर्ष +7 दूसरा वर्ष)	-	-	-	27.1.2021
द्विगुणित कपास	-	-	-	-	-	-	

*अभ्यर्थी संकरों के साथ साथ शिमोगा में उत्पन्न नौ एफ $_1$ की तुलना की गई

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

फसल	वर्ष का नाम एवं संख्यामें रखरखाव प्रजनन के तहत किस्मों 21-2020
चतुर्गुणित कपास *जी .हिर्सुटम (141)*	एनसी -61, एमसीयू 10, एमसीयू 13, सुमंगला, सुरभि, जेके 4, जीएसएचवी 112, एमआरसी 7351 बीजी II, आरसीएच 659 बीजी II, 70 ई, अबाधिता, एकाला ग्लैण्डलेस, एसीपी 71, एएच 107, अमेरिकन नेक्टारिलेस, अंजलि, एआरबीएच 813, एरिजोना सुपर ओकरा लीफ, बदनवार, भाग्या, बीकानेरी नेरमा, बीएन, बीएन 1, बीएन फ्रेगो ब्रैक्ट, बीएन रेड़, सीए 116, सीसीएच 2623, सीपीडी 423, सीपीडी 428, सीएसएच 19, देवीराज, डीएचवाई 1-286, डीएस एफ 28, ईसी) 344025ए के दजुरा ग्रीन लिंट(, ईसी 344034)ननकीन स्पॉट ब्राउन लिंट(, एक्सट्रीम ओकरा (टग्रीन लिं), एफ 1054, एफ 1378, एफ 1861, एफ 320, एफ 505, एफ 846, जी12 कॉटन ., जी10 कॉटन ., जी100 कॉटन ., जी16 कॉटन ., जी18 कॉटन ., जी20 कॉटन ., जी22 कॉटन ., जीएल 4 - 4 - 2 सीओ -, जीएलएम) 5ग्रीन लिंट(, गुजरात 67, एच 1098, एच 1117, एच 1157, एच 1220, एच 1226, एच 1236, एच 974, एचसी) 66 - 122ब्राउन लिण्ट(, जेके 35, जेएलएच 168, के 34007, कंचना, केसी 2, केसी 3, केकची रेड़, केम्प, खण्डवा 2, खण्डवा 3, एल 604, एलएएचएच 5, लक्ष्मी, एलएच 1134, एलएच 2076, एलएच 2108, एलएच 372, एलएच 900, एलआरए 5166, एलएसएस, महालक्ष्मी, एमसीयू 11, एमसीयू 12, एमसीयू 3, एमसीयू 4, एमसीयू 5, एमसीयू वीटी 5, एमसीयू 8 एमसीयू 7, एमसीयू 9, एमडीएच 89, मैसूर विजय, एन) 1ग्रीन लिण्ट(, नरसिम्हा, नर्मदा, एनसी 217, एनसीएच 11, एनएच 452, एनएच 545, एनएच 615, पी) 15ग्रीन लिण्ट(, पी ब्राउन लिण) डीपी 15्ट(, पी 15) 1 -ब्राउन लिण्ट(, पीजी 6, पीएच 93, पीआईएल 8, पीकेवी रजत, प्रतिमा, पीआरएस 72, पीआरएस 74, पूसा 6 - 8, आरएजेएचएच 769, रेबी बी 50, आरएचसी 003, आरएचसी

	004, आरएमपीबीएसएस 155, आरएस 2013, आरएस 810, आरएस 875, आरएसटी 9, सहाना, एसएच 2379, सिवानन्दी, सौभाग्य, सुमन, सुप्रिया, सूरज, एसवीपीआर 5, टी 7, टीसीएच 1716, वगद कल्यान, वीसी एवं विक्रम 21
चतुर्गुणित कपास -*जी बार्बेडेन्स .* (7)	सुजाता, सुविन, टीसीबी 209, पी 4, आरएचसी 001, आरएसपी 4, एसबी 425 (वाई एफ)
द्विगुणित कपास -*जी आर्बोरेटम .* (35)	एके235 , एकेए 5, एकेए 8, एकेए 8401, कैट संख्या) 8405ब्राउन फज(, धुमद, डीएनएसए 17, डीएस 5, जी15 कॉटन ., जी19 कॉटन ., जीएमएस वंशक्रम, एचडी 107, एचडी 226, एचडी 432, एचडी 151 - 110, जवाहर ताप्ती, जेके 5, जेएलए 794, के 11, केआर 111, केआर 64, एलडी 210, एलडी 327, एलडी 491, एलडी 694, एनएसीएच 12, पीए 183, पीए 402, फुले अनमोल, फुले धन्वंतरि, आरएजेडीएच 9, आरजी 18, आरजी 8, वीना, वाई 1
द्विगुणित कपास -*जी हर्बेसियम .* (3)	डीडीएचसी 11, जी23 कॉटन., जी 25 कॉटन .

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय प्रायोजित एवं वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत मुख्य केंद्र के रूप में भाकृअनुप - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र , कोयम्बटूर में कपास जीनप्ररूपों का विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थिरता परीक्षण किया गया और इस कार्य में भाकृअनुप - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर; राष्ट्रीय बीज परियोजना इकाई, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; कपास विभाग, चौधरी चरण सिहं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, भटिंडा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा कपास विभाग, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी भागीदारी केंद्र थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रचलित अथवा विद्यमान कपास किस्मों, अधिसूचित कपास किस्मों पर डाटाबेस को अद्यतन किया गया। पंजीकृत चतुर्गुणित तथा द्विगुणित कपास किस्मों के डाटाबेस को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली से अर्जित किया गया। चतुर्गुणित तथा द्विगुणित कपास में कुल 186 प्रचलित अथवा विद्यमान कपास किस्मों यथा *जी. हिर्सुटम* में 141, *जी. आर्बोरियम* में 35, *जी. हर्बेसियम* में 3 तथा *जी. बार्बेडेन्स* में 7 का अनुरक्षण प्रजनन एवं लक्षणवर्णन का कार्य किया गया।

प्रत्याशी संकरों के नौ एफ$_1$ संकरों (2880/3220, 2884/2112, 2884/2088, 2884/2089, 2884/2111, 2884/2113, 2870/2100, 2870/2107 तथा टीसी-एच-1) के साथ साथ 2877/4088, 2880/3220, 2884/2112, 2884/2088, 2884/2089, 2884/2111, 2884/2113, 2870/2100, 2870/2107 तथा टीसी-एच-**1** का दूसरे वर्ष में परीक्षण करने के लिए खेत परीक्षण किए गए। नौ प्रत्याशी संकरों के एफ$_1$ बीजों को शिमोगा में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के केंद्र पर उत्पन्न किया गया। नई प्रत्याशी किस्मों जैसे टीसी 20 एसएच$_1$, टीसी 20 एसएच$_2$, टीसी 20 एसटी$_1$, टीसी 20 एसटी$_2$, 2879/3887 को दस संदर्भ किस्मों के साथ-साथ परीक्षण के पहले वर्ष में बोया गया। तीन प्रतिकृतियों में यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में दिनांक 28 अगस्त, 2020 को खेत में बुवाई की गई। सभी प्रविष्टियों में सादृश्य प्लॉट में बुवाई के 12 दिनों उपरान्त अंकुरण गणना की गई। बुवाई प्रोटोकॉल के विवरण का अनुपालन किया गया यथा पंक्तियों की संख्या - 20, पंक्ति की लंबाई - 6 मीटर, पंक्ति से पंक्ति के बीच दूरी - 90 सेमी., पौधे से पौधे के बीच की दूरी - 60 सेमी., अनुमानित पौधे - 120, प्रति शीर्ष पौधों की संख्या - 1, प्रतिकृतियों की संख्या - 3 आदि। पूरी फसल अवधि के दौरान उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का और अन्य सस्यविज्ञान तथा पादप सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया गया। आकृतिविज्ञान लक्षणों यथा अल्पबीजपत्री : रंजक अथवा रंग, पत्ती : रंग, पत्ती : रेशादार अथवा बालदारता, पत्ती : प्रकटन, पत्ती : गॉसीपोल ग्लेंड्स, पत्ती :

नेक्टेरीज, पत्ती : डंठल रंजकता, पत्ती : आकृति, पौधा : तना में बालदारता, पौधा : तना रंजकता अथवा तने का रंग, ब्रैक्ट : टाइप, पुष्प : पुष्पन का समय, पुष्प : पंखुडी का रंग, पुष्प : पंखुडी में धब्बा, पुष्प : वर्तिकाग्र, पुष्प : परागकोश फिलामेन्ट रंग, पुष्प : पराग का रंग, पुष्प : नर वंध्यता, बॉल : बियरिंग प्रवृति, बॉल : रंग, बॉल : आकृति, बॉल : सतह, बॉल : सिरे की प्रधानता को सभी किस्मों के दस पौधों में दर्ज किया गया। भागीदार केंद्रों से प्राप्त किए जाने वाले डाटा को संकलित किया जाएगा और उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। भागीदार केंद्रों पर डीयूएस परीक्षणों की निगरानी को भी ऑन लाइन रीति में किया गया जैसे कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र , भटिंडा में दिनांक 9 अक्तूबर, 2020 को सीआईसीआर, नागपुर तथा महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी में दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 को, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को और सीआईसीआर, कोयम्बटूर में दिनांक 27 जनवरी, 2021 को ऑन लाइन निगरानी की गई। निगरानी कार्य के दौरान, प्रत्याशी संकर किस्म तथा शिमोगा के संबंधित एफ$_1$ संकर के गुणों की तुलना की गई । दो स्रोतों के सभी संकरों प्रविष्टियों में एकसमान लक्षण प्रकट हुए लेकिन प्रविष्टि 2884/2089 में ऐसा नहीं हुआ जिसमें बॉल सिरे का प्रकटन कुंद अथवा कुंठित था जबकि शिमोगा की प्रविष्टि 2884/2089 एफ$_1$ में प्रकटन नुकीला था। संदर्भ किस्मों, स्थानीय बीटी तुलनीय किस्मों एमआरसी 7351 बीजी II तथा आरसीएच 659 बीजी II की विशेषताओं की भी तुलना प्रत्याशी संकरों के साथ की गई। निगरानी के उपरान्त शेष बॉल तथा रेशा विशेषताओं को दर्ज किया गया और आंकड़ों को निर्धारित प्रारूप में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया। गुजरात कॉटन 20 के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से एक पौधा किस्म संरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, प्रकाशन एवं अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां :

- वी. शान्ति, के. रथिनावेल, एम. सर्वनन, मिथिला मेश्रामंद, सी. प्रियदर्शिनी (2020)। जिनेटिक डाइवर्सिटी एसेसमेन्ट ऑफ एक्टेन्ट कॉटन वैरायटीज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिस (पीसीए) एंड कलस्टर एनालिसिस ऑफ इनलिस्टिड डीयूएस ट्रैट्स। *इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग* , 11 (2) : 430 - 438
- रथिनावेल, के; एच. कविता एवं सी. प्रियदर्शिनी (2021)। डाइवर्सिटी स्टडीज इन एक्सटैंट डिप्लॉइड कॉटन जीनोटाइप्स विद सीड इमेज एंड फाइबर करैक्टरीस्टिक्स । *जे. कॉटन रिसर्च डेव.* , 35 (1) : 29 - 37.
- रथिनावेल, के; सी. प्रियदर्शिनी एवं एच. कविता (2021)। विच्युली एसेसेबल मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर्स बेस्ड इस्टाब्लिशमेन्ट ऑफ डिस्टिंक्टीवनेस, यूनीफॉर्मिटी एंड स्टैबिलिटी ऑफ टेट्राप्लॉइड कॉटन (*गॉसीपियम* प्रजातियां) । *जे. कॉटन रिस. डेव.* , 35 (2) : 165 - 172.

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में दर्ज कराये गये आवेदन

फसल	वर्ष 1966 से केंद्र द्वारा अधिसूचित की गईं किस्मों की संख्या	वर्ष 2001 से केंद्र द्वारा अधिसूचित की गईं किस्मों की संख्या	दर्ज आवेदनों की संख्या			जारी प्रमाण पत्र
			प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचित	नवीन	वीसीके	
कपास	16	8	3	1	-	7

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

वर्ष 2020-21 में *01* जून, *2020* को परीक्षण करने के लिए बीज प्राप्त हुए। खेत को तैयार किया गया और नाइट्रोजन - फॉस्फोरस - पोटेशियम (प्रति एकड़ 46, *24* एवं 0 किलोग्राम) की संस्तुत मात्रा का प्रयोग किया गया और 06 जून, *2020* को बुवाई का कार्य किया गया। सभी प्रत्याशी संकरों और संदर्भ किस्मों को तीन प्रतिकृतियों के

साथ यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में बोया गया। छः मीटर की पंक्ति लंबाई के साथ प्रति प्रविष्टि पंक्तियों की संख्या 12 थी और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 90 सेमी. और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेमी. रखी गई। डीयूएस लक्षणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया।

डीयूएस परीक्षण : वर्ष 2020-21 : कपास की 15 संदर्भ किस्मों (एफ 1378, एमसीयू 10, आरसीएच 650, प्रतिमा, आरसीएच 773, आरसीएच 776, लक्ष्मी, जेसीसी 1, यूएस 51, एसीपी 71, यूएस 71, कंचना, सुमंगला, आरएस 810 तथा जे 34) के साथ साथ चार प्रत्याशी संकरों जैसे सीएच 01, सीएच 02, सीएच 03 तथा बायो 6025412 तथा उनके एफ$_1$ संकरों जैसे सीएच 01 एफ$_1$ एसएमजी, सीएच 02 एफ$_1$ एसएमजी एवं सीएच 03 एफ$_1$ एसएमजी को तुलना एवं आंकड़ों को दर्ज करने के लिए उगाया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान जांचे गए एफ$_1$ संकर एसएमजी के साथ-साथ पराजीनी कपास के प्रत्याशी संकरों का विवरण इस प्रकार है :

क्र .सं.	अभ्यर्थी संकर एवं एफ $_1$ संकर शिवमोगा	उपयुक्त संदर्भ किस्में
1	सीएच $_1$ एफ 01 तथा सीएच 01 एसएमजी	एसीपी 71, एमसीयू 10, जेसीसी 1
2	सीएच $_1$ एफ 02 तथा सीएच 02 एसएमजी	एसीपी 71, आरएस 810
3	सीएच $_1$ एफ 03 तथा सीएच 03 एसएमजी	एसीपी 71, एफ 1378
4	बायो 6025412	एसीपी 71, आरएस 810, जे 34

प्रमुख पर्यवेक्षण : समग्र प्रदर्शन और फसल बढ़वार बहुत अच्छी थी और आंकड़ों को कपास के डीयूएस परीक्षण के राष्ट्रीय जांच दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

निगरानी : दिनांक 16 अक्तूबर, *2020* को निगरानी का कार्य किया गया।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र , भटिंडा

अभ्यर्थी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण :

फसल	नवीन दूसरा वर्ष	वीसीके	संदर्भ किस्में	निगरानी की तारीख
कपास	2020/सीएच/2-सीओ	2020/सीएच/1-सीओ	जेसीसी 1, एफ 1861, एमसीयू 10, खण्डवा 3, आरएस 810, एच 1157, लक्ष्मी, प्रतिमा, एफ 1378, जे 34, एसीपी 71, जेएलएच 168, एनएच 452, सुमंगला, एनएच 545, एल 604, कंचना, एफ 2228 (जेड सी)	09-10-2020 (ऑन लाइन)
	2020/सीएच/2-एसएमजी	2020/सीएच/1-एसएमजी		
	2020/सीएच/3-सीओ			
	2020/सीएच/3-एसएमजी			
	बायो 6025412			

निगरानी टीम के प्रमुख पर्यवेक्षण : सभी प्लॉटों में परीक्षण विन्यास, रखरखाव, फसल बढ़वार और आकृतिविज्ञान लक्षणों का प्रकटन अच्छा है।

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

फसल	**वर्ष 2020- का नाम अथवा में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों 21 संख्या**	**अनुरक्षण प्रजनन डाटा का संकलन किया गया और उसे पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में भेजा गया**
कपास	प्रविष्टियों की कुल संख्या = 18 जेसीसी 1, एफ 1861, एमसीयू 10, खंडवा 3, आरएस 810, एच 1157, लक्ष्मी, प्रतिमा, एफ 1378, जे 34, एसीपी 71, जेएलएच 168, एनएच 452, सुमंगला, एनएच 545, एल 604, कंचना, एफ 2228 (जेड सी)	हॉ
	प्रविष्टियों की कुल संख्या = 17 बदनवार 1(संकर(, एमसीयू 5, अबाधिता, जेके 4, एकेए 7, वीना, जीएसएचवी 112, पीकेवी रजत, एलएच 1556, एलएच 2076, एलएच 2108, एलएच 2298, पीएयू बीटी 1, पीएयू बीटी 2, एलडी 327, एलडी 1019 तथा एलडी 949	नहीं

पादप किस्म संरक्षण के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दर्ज आवेदन

फसल	**किस्म**	**दर्ज आवेदनों की संख्या (प्रचलित या विद्यमान (वीसीके/नवीन/**	**जारी प्रमाण पत्र**
चतुर्गुणित कपास	एफ 1378	प्रचलित अथवा विद्यमान	21-11-2011
	एफ 1861	प्रचलित अथवा विद्यमान	30-09-2011
	एलएच 2076	नवीन	29-05-2017
	पीएयू बीटी 1	नवीन	
	एलएच 1556	प्रचलित अथवा विद्यमान	

	एलएचएच 144	प्रचलित अथवा विद्यमान	
	एफ 2381	नवीन	
	एफ 2276	नवीन	
	एफ 2228	प्रचलित अथवा विद्यमान	
	एफएचएच 209	नवीन	
द्विगुणित कपास	पीएयू 626 एच	प्रचलित अथवा विद्यमान	30-09-2011
	एलडी 694	प्रचलित अथवा विद्यमान	
	एफएमडीएच 9	प्रचलित अथवा विद्यमान	
	एलएमडीएच 8	प्रचलित अथवा विद्यमान	

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS), धारवाड़, कर्नाटक

कपास के डीयूएस परीक्षण की निगरानी वर्चुअल रीति में डॉ. के. रथिनावेल, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर, कोयम्बटूर और श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई। समीक्षा टीम के अनुसार, डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुरूप परीक्षण का विन्यास तैयार किया गया और परीक्षण का रखरखाव बहुत अच्छा था। सभी प्रविष्टियों में फसल बढ़वार और आकृतिविज्ञान लक्षणों का प्रकटन अच्छा रहा। प्रत्येक प्रत्याशी किस्म की विशेषताओं के प्रकटन की पुष्टि पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के प्रपत्र के अनुसार की गई। निगरानी टीम द्वारा यह टिप्पणी की गई कि समग्र प्रदर्शन, फसल बढ़वार, परीक्षण आयोजित करने की विधि और आंकड़ों को दर्ज करने की विधि जरूरतों के अनुसार थीं।

वर्ष 2020-21 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नवीन		वीसीके	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
कपास	4	3	8	30.12.2021

रखरखाव/लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में : वर्ष 2020-21 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत 52 कपास किस्मों को लिया गया।

3.1.3.जूट अथवा पटसन के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं सीएसआरएसजेएएफ, बुद बुद बर्दवान, पश्चिम बंगाल

वर्ष 2020-21 के दौरान, लक्षणवर्णन प्रयोजन के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से एक कृषक किस्म (पट) को प्राप्त किया गया लेकिन अंकुरण के अभाव में इसे नहीं किया जा सका। *सी. ऑलिटोरियस*

(30 किस्में) और *सी. कैप्सुलेरिस* (21 किस्में) दोनों के संदर्भ संकलन का रखरखाव पौधे से संतति पंक्ति विधि के माध्यम से किया गया। संदर्भ संकलन का रखरखाव करते समय आंकड़ों को दर्ज करके संदर्भ संकलन का डाटाबेस तैयार किया गया।

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

अधिदेशित फसल प्रजाति	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों का नाम अथवा संख्या	रखरखाव प्रजनन के तहत किस्में	
		निजी	अन्य (वर्णित करें)
सी ऑलिटोरियस .	30 किस्में	22	8 (राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं बी ए आर सी (
सी लेरिसकैप्सु .	21 किस्में	14	7 (राज्य कृषि विश्वविद्यालय)

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दर्ज कराये गये आवेदन

फसल	वर्ष से केंद्र 1966 द्वारा अधिसूचित की संख्याकिस्मों	वर्ष केंद्र से 1999 द्वारा अधिसूचित की संख्याकिस्मों	दर्ज आवेदनों की संख्या			जारी प्रमाण पत्र
			प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचित	नवीन	वीसीके	
सी ऑलिटोरियस .	18	12	10	6		8
सी लेरिसकैप्सु .	11	8	7	4		6

3.1.4.मक्का के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र :

भाकृअनुप न अनुसंधान संस्थाभारतीय मक्का -(ICAR-IIMR), लुधियाना

कुल 247अभ्यर्थी प्रविष्टियों पर सफलतापूर्वक डीयूएस परीक्षण किया गया जिनमें 3 संकर 5, 9 अंतप्रजात वंशक्रम :, एक कृषक किस्म और प्रविष्टियां 202 में से संकरों 35 शामिल थीं। कुल (संकर एवं उनके पैतृक क्रास), 17 संकरों को परीक्षण के पहले सीजन में लिया गया तथा संकर 18ों को परीक्षण के दूसरे वर्ष में लिया गया। इसके अलावा, डीयूएस परीक्षण के पहले तथा दूसरे सीजन में क्रमश प्रजात वंशक्रमों को लिया गया। डीयूएस परीक्षण में :दो और सात अंत : प्रजात :अंत :शामिल थीं जिनमें से नौ संकर थे और छ भीसंदर्भ किस्में 15 वंशक्रम थे। संकरों की स्थिरता की जांच करने के लिए संकरों के पैतृकों का क्रास कराकर कुल तैयार किए गए। :पैतृक क्रास पुन 101

सभी तीन पुनरावृतियों में समग्र पौधा जमाव, बढ़वार और डीयूएस परीक्षण का प्रकटन बहुत अच्छा रहा। सभी प्रविष्टियों के लिए डीयूएस गुणों के आंकड़ों को दर् 31ज किया गया। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियों के

लिए संकरों और अंत 10) डीयूएस डाटाप्रजात वंशक्रमों के मक्का :पौधे डाटा शीट और नोट वैल्यू शीटत को प्रस्तु (किया गया।

वर्ष के डीयूएस परीक्षण का विवरणर्थी किस्मोंअभ्य में 21-2020

फसल [मक्का]	नवीन		वीसीके		कुल	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
संकर	16	80	**1**	**15**	112	03.09.2020
अंत प्रजात :	2	7			9	16.09.2020
कृषक किस्म	1				1	03.09.2020
अभ्यर्थी प्रविष्टियां एवं उनके पैतृक क्रास						03.09.2020
कुल	19	87	1	15	122	

एकरूपता अथवा स्थिरता पर पर्यवेक्षण :एक अथवा दो गुणों को छोड़कर सभी जांच प्रविष्टियों में एकरूपता देखने को मिली, विकृति अथवा असंगत आंकड़ों का विवरण निगरानी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार कुछ को छोड़कर डीयूएस गुणों में स्थिरता को भी पैतृक क्रास तथा मूल संकरों में पाया गया। पैतृक क्रास तथा मूल संकरों के बीच विकृतियों अथवा असंगत आंकड़ों के विवरण को निगरानी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

संकरता परीक्षण के विशिष्ट पर्यवेक्षण :अधिकांश एफ $_1$ एसएमजी का मिलान मूल संकर के साथ हो रहा है हालांकि, कुछ गुणों के लिए कुछ विशिष्ट उदाहरणों में कुछ विकृतियां पाई गईं जिन्हें उल्लिखित किया गया और निगरानी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

निगरानी टीम अथवा दल के प्रमुख पर्यवेक्षण :

- दिनांक रसितम्ब 3, 2020 को संकरों, कृषक किस्मों और पैतृक वंशक्रमों के लिए डीयूएस निगरानी कार्य किया गया जबकि अंतरसितम्ब 16 प्रजात वंशक्रमों के लिए इस कार्य को अलग से दिनांक :, 2020 को किया गया।
- एक अथवा दो गुणों के लिए केवल कुछ प्रविष्टियों को छोड़कर दावा किए गए गुणों यथा पत्ती कोण, पत्ती का व्यवहार, गुच्छा कोण, गुच्छा व्यवहार, ग्लूम में एंथोसायनिन रंग, आधार, रेशा रंजकता, परागकोश रंग को छोड़कर ग्लूम का एंथोसायनिन रंग आदि के साथ अधिकांश संकरों और अंत प्रजात वंशक्रमों का मिलान हुआ। :
- दर्ज किए गए आंकडे सटीक एवं परिशुद्ध थे और दावा किए गए गुणों के मुकाबले में पाई गई असंगति को भी ठीक किया गया और इसे संबंधित प्रविष्टि के निगरानी प्रपत्र में शामिल किया गया अथवा उल्लेख किया गया है।

पादप किस्म संरक्षण के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में दर्ज आवेदन

फसल	वर्ष से केन्द्र 1966 द्वारा अधिसूचित की संख्याकिस्मों	वर्ष से 1999 द्वारा केन्द्र अधिसूचित की संख्याकिस्मों	प्रचलित अथवा विद्यमान अधिसूचित वीसीके के /नवीन/ लिए दर्ज आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाण पत्र	लम्बित आवेदन

मक्का	326	185	146	113	16

प्रो विद्यालय कृषि विश्वजयशंकर तेलंगाना राज्य .(PJTSAU), हैदराबाद

वर्ष के डीयूएस परीक्षण का विवरणर्थी किस्मोंमें अभ्य 21-2020

फसल	नवीन		कृषक किस्म	कुल	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	दूसरे वर्ष की प्रविष्टियां			
मक्का	18	7	7	32	19/10/2020 (संकर)
	16 संकर एवं 2 प्रजात :अंत	7 अंत प्रजात :			06/11/2020 (अंतप्रजात एवं कृषक : (किस्म

- अभ्यर्थी प्रविष्टियों की कुल संख्या : 51, संदर्भ प्रविष्टियों की कुल संख्या : 45
- बुवाई की तारीखें : संकर - 08/08/2020, अंत: प्रजात एवं कृषक किस्म : 26/08/2020 कई दिनों तक लगातार वर्षा होते रहने से अंत: प्रजात की बुवाई में देरी हुई।

- कृषक किस्मों में बहुत कम अंकुरण हुआ और दो प्रविष्टियों में यह शून्य दर्ज किया जा सका (कंचन एवं तापरा) ।
- पूरे मौसम के दौरान फसल स्वस्थ बनी रही। हालांकि, अक्तूबर, 2020 में हुई भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनीं। हालांकि, इससे फसल को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ।
- डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार गुण संख्या 1 से 17 से संबंधित आंकड़ों को खड़ी फसल पर दर्ज किया गया है और क्र.सं. 18 से 31 से संबंधित गुणों को कटाई की गई फसल पर दर्ज किया गया।

एकरूपतास्थिरता पर पर/ृयवेक्षणप्रतिशत शुद्धता देखने को मिली जबकि कुछ संदर्भ 100 र्थी प्रविष्टियों मेंअभ्य : प्रविष्टियों में कु छ मिश्रण देखने को मिला। दूसरे वर्ष की कुछ प्रविष्टियों के मात्रात्मक और गुणात्मक आंकडे प्रथम वर्ष से भिन्न पाए गए। वार्षिक प्रतिवेदन में संचयी आंकड़ों को उपलब्ध कराया गया है। कृषक किस्म में अनेक प्रकार के मिश्रण देखने को मिले जो कि डीयूएस लक्षणवर्णन करने के लिए मुश्किल कार्य था। हालांकि, अधिकांश पौधों में कॉमन लक्षणों अथवा गुणों पर आधारित डीयूएस आंकड़ों को दर्ज किया गया।

निगरानी टीम अथवा दल के प्रमुख पर्यवेक्षणडीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण का आयोजन कर : दावों के अनुरूप ही गुण अथवा उसका प्रबंधन किया गया। अधिकांश प्रविष्टियों में संबंधित प्रजनकों द्वारा किए गए लक्षण प्रकट हुए। हालांकि, कुछ लक्षणों अथवा गुणों के लिए कुछ संकरों और अंतता देखने को भिन्नप्रजात में अल्प : कराया गया है।मिली। आंकड़ों को वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध

3.1.5.ब्रेड गेहूं, डाइकोकम , डुरूम तथा अन्य ट्रिटिकम प्रजाति के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा

वर्ष के फसल सीजन में डीयूएस 21-2020 परीक्षण के तहत नवीन श्रेणी के अंतर्गत कुल पांच र्थी किस्म के मुकाबले में एक अभ्यसंदर्भ किस्मों (1-2019 डब्ल्यू)को जांचा गया।

इसके अलावा, 75 संदर्भ किस्मों के मुकाबले में दो पुनरावृतियों में शुद्धीकरण द्वितीय वर्ष) की कृषक किस्मों 54 कुलके उपरान्त (जीओटी जांच की जा रही है। इसके अलावा, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की गईं सात कृषक किस्मों को बोया गया। (प्रथम वर्ष जीओटी)

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में डीयूएस परीक्षण में किस्मों का विवरण

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	
	प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां		प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां
गेहूं		डब्ल्यू 2019-1		7 प्रविष्टियां	54 प्रविष्टियां एसकेएफ डब्ल्यूडी 7003 (डुरूम) शुद्धीकरण एवं गुणनीकरण के लिए 7 - प्रविष्टियां

इसी प्रकार के परिणाम पौधा ऊंचाई के आधार पर संदर्भ किस्म के लिए पाए गए लेकिन फ्लैग पत्ती व्यवहार में भिन्नता थी।

डीयूएस परीक्षण की निगरानी

कोविड महामारी के कारण दिनांक मार्च 23, 2020 से लगी लॉकडाउन परिस्थिति के कारण हम भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में डीयूएस निगरानी का कार्य नहीं कर सके। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में गेहूं किस्मों के कुल संद 427र्भ संकलनों के साथ साथ कुल का रखरखाव उदाहरण किस्मों 122 एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार स पौधा किस्मट का विन्याकिया जा रहा है। प्लॉ यक अध्यसाथ उगाया गया ताकि तुलनात्म-मों के साथ को संदर्भ किस्र्थी किस्मोंकिया गया। अभ्यन किया जा सके।

इन्दौर, मध्य प्रदेश में निगरानी टीम ने शरीरक्रिया विज्ञान प्रदर्शन अगेती समूह), पछेती समूह, ऊंचा समूह, मध्यम ऊंचा तथा भूरी बाली समूह- के आधार पर चार (पांच समूहों में कृषक किस्मों को इकट्ठा करने का सुझाव दिया।

रखरखाव प्रजनन के अंतर्गत किस्में :

फसल	वर्ष की संख्यामें रखरखाव प्रजनन के तहत किस्मों 21-2020

गेहूं	जारी की गई किस्म *ऐस्टीवम*	314
	जारी की गई किस्में ड्रूरूम एवं *डाइकोकम*	42
	सन् से पूर्व जारी की गईं किस्में 1965	71
	उदाहरण किस्में	122

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दर्ज कराए गए आवेदनभारतीय गेहूं एवं जौ - भाकृअनुप : नअनुसंधान संस्था, करनाल द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 21-2020पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में गेहूं की छ187 डीबीडब्ल्यू : नामतस्मोंकि :, डीबीडब्ल्यू 222, डीडीडब्ल्यू 47, डीबीडब्ल्यूएच 221, डीबीडब्ल्यू को पंजीकृत कराया गया है। 48 और डीडीडब्ल्यू 303

भाकृअनुप नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था -, क्षेत्रीय केन्द्र, इन्दौर, मध्य प्रदेश

फसल सीजन में 21-2020, डीयूएस परीक्षण में नवीन श्रेणी के तहत पांच संदर्भ किस्मों के मुकाबले में एक अभ्यर्थी किस्म (1-2019 डब्ल्यू)को जांचा गया।

इसके अलावा, कुल के मुकाबले में शुद्धीकरणसंदर्भ किस्मों 63 की कृषक किस्मों 53 कुलके उपरान्त (द्वितीय वर्ष जीओटी) दो पुनरावृतियों में की जा रही ह जांचै। इसके अलावा, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति की गई कुल सात कृषक किस्मों को बोया गया। (प्रथम वर्ष जीओटी)

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, इन्दौर, मध्य प्रदेश में डीयूएस परीक्षण में किस्मों का विवरण

फसल	**नवीन**		**वीसीके**	**कृषक किस्म**	
	प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	**द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां**		**प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां**	**द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां**
ब्रेड गेहूं		डब्ल्यू 2019-1		7 प्रविष्टियां	53 प्रविष्टियां

डीयूएस परीक्षण की निगरानी

कोविड महामारी के कारण दिनांक मार्च 23, 2020 से उत्पन्न लॉकडाउन अवधि के कारण हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, इन्दौर, मध्य प्रदेश में डीयूएस निगरानी का कार्य नहीं कर सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, इन्दौर में गेहूं ब्रेड गेहूं), ड्रूरूम तथा *डाइकोकम* के उदाहरण किस्मों 130 की कुल (एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के स पौधा किस्मट का विन्यासंकलन का रखरखाव किया जा रहा है। प्लॉ

यन करने के लिए संदर्भ किस्क अध्यदिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। तुलनात्ममों के साथ साथ ही अभ्यर्थी किस्मों को भी उगाया गया।

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक

डीयूएस परीक्षण में शामिल थीं किस्मएक अभ्य :, 'एसकेएफ डब्ल्यूडी 7003' (द्वितीय वर्ष जीओटी किस्म8663 एचआई : नामत किस्मेंतथा सात संदर्भ (, एमएसीएस2846 , एचआई 8627, एचआई 8498, पीबीडब्ल्यू 34, एचआई डब्ल्यू 4 तथा जेएनके 8713 जो कि 184*ट्रिटिकम ड्रूरम* प्रजातियों से संबंधित थीं।

बढ़वार प्रवृति लक्षणों, बाली शीर्ष लक्षणों अथवा गुणों, दाना गुणों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लक्षणों अथवा 45गुणों के लिए आंकड़ों को दर्ज किया गया। आंकड़ों का अवलोकन करने पर अभ्यर्थी और संद र्भ किस्मों के बीच विभिन्न डीयूएस लक्षणों अथवा गुणों के लिए पर्याप्त भिन्नता देखने को मिली।

मूल्यांकन के द्वितीय वर्ष में अभ्यर्थी किस्म 'एसकेएफ डब्ल्यूडी 7003' को समूहीकृत लक्षणों अथवा गुणों यथा प्राकुर चोल की उपस्थिति एंथोसायनिन रंग : (9), धुंधला सफेद रंग : बाली (1), सघन बाली शीर्ष (7), लघु डंठल लंबाई (1), शूक अथवा तूड़ की उपस्थिति (1), कहरूवा रंग : दाना (2), गोल क्रीज : दाना (9), अनुपस्थित लघु/ब्रश केश लंबाई (3), सुगम थ्रेसिंग क्षमता (1), रैकिस भंगुरता की अनुपस्थिति (9), सम्पूर्ण जनपरागकोश एक्स्ट्रू (1), हरा परागकोश रंग (1), पूरी तरह से उर्वर सीजन टाइप के संदर्भ में सभी संदर्भ (3) नर उर्वरता और वसंत (7) एकजैसा पाया गया । के साथ समान अथवाकिस्मों

सं दर्भ किस्म एमएसीएस थीं किस्मके साथ साथ अभ्य 2846'एसकेएफ डब्ल्यूडी 6003' में फ्लैग पत्ती की अनुपस्थिति ऑरिकल पर बाल को दर्ज किया गया। हालांकि : (1), अन्य संदर्भ किस्मों में लक्षण अथवा गुण उपस्थित था। इसी प्रकार (9), फ्लैग पत्ती एंथोसायनिन रंग संदर्भ किस् :म एचआई बाली (1) और टैपरिंग (1) में अनुपस्थितथीं किस्मके साथ साथ अभ्य 8627 : (9) की उपस्थिति में फ्लैग पत्ती संदर्भ किस्मोंआकृति पाई गई। हालांकि अन्य गई। बाली आकृति की उपस्थिति दर्ज की (2) रएंथोसायनिन रंग और समानान्त

संदर्भ किस्मों नामतके साथ 184 डब्ल्यू 4 तथा जेएनके 8663 एचआई : थीं किस्मसाथ अभ्य'एसकेएफ डब्ल्यूडी 7003' में मध्यम : म मात्राकमतर ग्लू (5) (1) में सीधा संदर्भ किस्मोंनुकीले सिरे की लंबाई को दर्ज किया गया। जबकि अन्य रे कीनुकीले सि : मकमतर ग्लू लंबाई को दर्ज किया गया। इसी प्रकार, कमतर ग्लूम : तथा पीबीडब्ल्यू 2846 एमएसीएस : नामतनुकीले सिरे की आकृति को संदर्भ किस्मों दर्ज किया गया। जबकि (2) में आंशिक वक्राकारथीं किस्मके साथ साथ अभ्य 34 नुकील : मकमतर ग्लू (1) में सीधा संदर्भ किस्मोंअन्य े सिरे की आकृति को दर्ज किया गया।

संदर्भ किस्मों नामतके साथ 184 डब्ल्यू 4 तथा जेएनके 8627 एचआई : संदर्भ वहार दर्ज किया गया। जबकि अन्यडंठल व्य (3) में सीधाथीं किस्मसाथ अभ्य

वहार देखने को मिला। इसी प्रकारडंठल व्य (5) में मुड़ा हुआकिस्मों, अभ्यर्थी किस्म 'एसकेएफ डब्ल्यूडी 7003' और संदर्भ किस्म जेएनके दर्ज किया गया। हालांकि (7) दानों का भार बड़ा 100 में 184 डब्ल्यू 4, अन्य संदर्भ किस्मों में दर्ज हुआ। (9) धिक बड़ादानों का भार अत्य 1000

अभ्यर्थी किस्म 'एसकेएफ डब्ल्यूडी 7003' में बाली सयानपन अथवा रोमिलता और शूक अथवा तूड़ रंग के संबंध में भिन्नता प्रदर्शित हुई। गैर बालदार गैर सयानपन तथा काली बालदार सयानपन टाइप को अलग करके टैगिंग की गई जिनकी कि अलग से कटाई और गहाई की गई।

कृषक किस्म का मूल्यांकन

वर्ष 17 लके दौरान गेहूं की कु 21-2020कृषक किस्मों का संकलन किया गया और अभ्यर्थी किस्म के डीयूएस लक्षणवर्णन के साथ साथ इनका मूल्यांकन किया गया। इनमें से, एक कृषक किस्म में अंकुरण नहीं हुआ और अन्य में बीज नमूनों का गलत संग्रहण हुआ। अत को ही बोया गया जो किकृषक किस्मों 15 केवल :*ट्रिटिकम ड्रूरम* एवं *ट्रिटिकम ऐस्टीवम* प्रजातियों से संबंधित थीं। कृषक किस्मों को शुद्ध करने के लिए मिश्रण को हटा दिया गया और एकल बाली शीर्ष वाली संततियों को तैयार किया गया।

आगामी सीजन में लक्षणवर्णन का कार्य किया जाएगा और तदुपरान्त आवेदनों को प्रस्तुत किया जाएगा।

3.1.6.जौ के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा

गेहूं एवं जौ पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना परीक्षणों में तीन वर्षों के औसत प्रदर्शन के आधार पर डीडब्ल्यूआरबी 182 अकेला ऐसा जीनप्ररूप पाया गया जिसमें दाना बीटा ग्लूकान मात्रा (5.0 प्रतिशत से कम वाला एकमात्र जीनप्ररूप) और वॉर्ट बीटा - ग्लूकान (506 पीपीएम) के अत्यंत कम स्तर की सूचना थी। दानों तथा वार्ट में कम बीटा - ग्लूकान मात्रा सभी तुलनीय किस्मों के बीच उच्चतम फिल्ट्रेशन दर (263 मिलि./घंटा) द्वारा भी परिलक्षित होती है। वर्तमान पसंद का एक अन्य गुण माल्ट डाइसटैटिक पॉवर है जो कि प्रस्तावित जीनप्ररूप में अधिकतम (860 L) है। शेष जीनप्ररूप/तुलनीय किस्में इन गुणों के मामले में कमतर पाई गईं। देश में जारी की गईं की माल्ट जौ किस्मों में अभी इन दो गुणों की कमी देखी गई है। माल्टिंग तथा ब्रूइंग उद्योग वास्तव में ऐसे जीनप्ररूप की कमी महसूस कर रहा है जिसका उपयोग आयातित विदेशी जौ के स्थान पर किया जा सकता है।

डीडब्ल्यूआरबी 182 किस्म खेत में पीले रतुआ की और साथ ही देश में ज्ञात सभी रोगजनकों के प्रति एसआरटी परीक्षण में अत्यधिक प्रतिरोधी है जबकि तुलनीय किस्में एसआरटी परीक्षण में अनेक रोगजनकों के प्रति संवेदनशील पाई गई हैं। इसके अलावा, इसमें एनबीडीएसएन में स्क्रीनिंग के सभी तीन वर्षों में तुलनीय किस्मों के मुकाब ले में पत्ती अंगमारी रोग के प्रति कहीं बेहतर प्रतिरोधिता देखने को मिली है।

डीडब्ल्यूआरबी 182 में सर्वश्रेष्ठ दो पंक्ति माल्ट जौ तुलनीय के मुकाबले में केवल 5 प्रतिशत से भी कम की उपज पेनल्टी देखी गई है। वास्तव में इसमें दो पंक्ति माल्ट जौ तुलनीय किस्मों डीडब्ल्यूआरबी 101 (-3.59%), डीडब्ल्यूआरबी 123 (-4.92%), आरडी 2849 (-4.63%), डीडब्ल्यूआरबी 160 (-3.16%) के मुकाबले में औसत दाना उपज में कमी

देखने को मिली है जिसे इसकी बेहतर गुणवत्ता और धारीदार रतुआ और पत्ती अंगमारी के प्रति इसकी प्रतिरोधिता वाली विशेषता के कारण समझा जा सकता है।

सस्यविज्ञान परीक्षणों में नाइट्रोजन की भिन्न खुराक का उपयोग करने पर प्रस्तावित जीनप्ररूप डीडब्ल्यूआरबी 182 में अन्य तुलनीय किस्मों की तुलना में संस्तुत (एन 90) मात्रा की तुलना में कमतर (एन 60) पर कम नुकसान के साथ अनुकूलनता और व्यापक स्वीकार्यता तथा उच्चतर (एन 120) में न्यूनतम उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

फसल	वर्ष	किस्मों का विवरण
जौ का डीयूएस परीक्षण	2020-21 के दौरान	7 5 (प्रथम वर्ष)+ 2 (द्वितीय वर्ष) : बीआरडीजे -287, बीएसएलएम -262, बीबीपीसी -286, बीडीपीजे -238, 20 बार 1, बी 2019-1, बी 2019-3

राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर (श्री करन नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, राजस्थान)

वर्ष 2020-21 के फसल मौसम में, डीयूएस परीक्षण केंद्र पर दो प्रत्याशी कृषक किस्मों को जांचा गया। केंद्र द्वारा जौ की कुल 102 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है।

फसल	वर्ष	किस्मों का विवरण
जौ का डीयूएस परीक्षण	2020-21 के दौरान	7 5 (प्रथम वर्ष)+ 2 (द्वितीय वर्ष) : बीआरडीजे -287, बीएसएलएम -262, बीबीपीसी -286, बीडीपीजे -238, 20 बार 1, बी 2019-1, बी 2019-3

3.1.7. ज्वार (सोरघम) के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र :

भाकृअनुप - भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, तेलंगाना

वर्ष 2020-21 की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, डीयूएस परीक्षण केन्द्र पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के स्रोत से कुल 134 संदर्भ किस्मों (सहित ए/बी/आर वंशक्रमों, संकरों तथा ओपीवी) का रखरखाव किया गया।

डीयूएस जांच के तहत किस्मों की सूची (श्रेणी वार नवीन/वीसीके/कृषक किस्म; प्रथम/द्वितीय वर्ष)

वर्ष (2020-21)	**फसल सोरघम :**		
	नवीन किस्में	**वीसीके**	**कृषक किस्म**
खरीफ 2020 (द्वितीय वर्ष में परीक्षण (	एस -1, एस -2, एस -3	-	-

खरीफ 2020 (प्रथम वर्ष में परीक्षण (	-	-	-
रबी 2020-21 (द्वितीय वर्ष में परीक्षण (	-	-	-
रबी 2020-21 (प्रथम वर्ष का परीक्षण)	-	-	-

खरीफ 2020 :

अंकुरण और प्रारंभिक वृद्धि अच्छी थी। एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए प्रोह मक्खी एवं फॉल आर्मीवर्म की रोकथाम के लिए समय से उपाय किए गए। पुष्पन समय से हुआ और सभी गुणों का प्रकटन संतोषजनक था। सितम्बर के दूसरे पखवाड़े और अक्तूबर, 2020 के पहले पखवाड़े के दौरान लगातार भारी वर्षा होने के कारण सभी प्रविष्टियों में परिपक्वता प्रभावित हुई और अधिकांश प्रविष्टियों में दाना फफूंद की समस्या देखने को मिली। दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आंकड़ों को दर्ज किया गया और उन्हें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।

रबी 2020-21 : लक्षणवर्णन अथवा रखरखाव प्रजनन के तहत सोरघम की कुल 134 संदर्भ किस्मों (ए/बी/आर वंशक्रम एवं ओपीवी सहि) को शामिल किया गया।

'पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम दिशानिर्देशों तथा कदन्न में डीयूएस परीक्षण' पर एक प्रशिक्षण व्याख्यान को दिनांक 10 से 31 दिसम्बर, 2020 के दौरान कदन्न अनुसंधान में हालिया प्रगति पर ऑन लाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के भाग के अंतर्गत प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के सोरघम एवं लघु कदन्न से जुड़े अनुसंधानकर्मियों के लाभ हेतु सोसायटी फॉर मिलेट रिसर्च, भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया था।

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र

खरीफ का दिशानिर्देशों के अनुसार सोरघम किस्मों के दौरान डीयूएस जांच 21-2020 के साथ साथ कुल चार संदर्भ किस्मों 11 डीयूएस परीक्षण करने के लिए दूसरे वर्ष में को डीयूएस संदर्भ किस्मों 112 में कुल 21-2020 को जांचा गया। रबीर्थी किस्मोंअभ्य पर जांचा गया।केन्द्र

खरीफ मौसम के दौरान दूसरे वर्ष के परीक्षण हेतु के साथ साथ संदर्भ किस्मों 11 का डीयूएस परीक्षण किया गया और रबी मौसम के खरीफ सोरघम की कुल चार किस्मों को जांचा गया। खरीफ परीक्संदर्भ किस्मों 112 दौरान कुलषण में दर्ज किए गए आंकड़ों को नोडल केन्द्र न अनुसंधान संस्थाभारतीय कदन्न :, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद को प्रस्तुत किया गया है।

.

3.1.8.बाजरा के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

कृषि अनुसंधान स्टेशन, मंदौर, जोधपुर

वर्ष का डीयूएस परीक्षणर्थी किस्मोंमें अभ्य 21-2020

नवीन		वीसीके	कृषक किस्म
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की		

	प्रविष्टियां		
02	08	01	02

वर्ष 2020-21 के दौरान बाजरा की कुल 56 संदर्भ किस्मों का रखरखाव डीयूएस परीक्षण केंद्र पर किया गया ताकि पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया जा सके।

बाजरा अनुसंधान स्कीम, कृषि कॉलेज, धुले, महाराष्ट्र

खरीफ 2020-21 के दौरान डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार बाजरा की किस्मों का डीयूएस परीक्षण करने के लिए प्रथम वर्ष में आठ प्रत्याशी किस्मों और दूसरे वर्ष में तीन प्रत्याशी किस्मों को डीयूएस केंद्र पर जांचा गया।

खरीफ 2020 के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए आठ प्रत्याशी किस्मों का और दूसरे वर्ष के लिए दो कृषक किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया और साथ ही 56 प्रविष्टियों सहित संदर्भ किस्मों का एक परीक्षण सफलतापूर्वक किया और आंकड़ों को दर्ज किया गया। प्रत्याशी किस्मों के लिए अवस्था वार चित्र भी लिए गए। खरीफ परीक्षण की दर्ज की गई डाटाशीट को नोडल केंद्र : परियोजना समन्वयक इकाई, एआरएस, मंदौर, जोधपुर को प्रस्तुत किया गया है।

3.1.9.रागी, कंगनी, सावां, प्रोसो कदन्न, लिटिल कदन्न तथा कोदो कदन्न के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

गौण कदन्न पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधी कृषि विज्ञान केन्द्र, बेंगलुरू

डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थी किस्में

फसलें	नवीन	
	प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां
रागी	0	2
कंगनी	0	1
कोदो कदन्न	0	1

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/:

फसलें	रखरखाव प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
रागी	77
कंगनी	28
कोदो कदन्न	26
लिटिल कदन्न	17
प्रोसो कदन्न	12
सावां	12

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मीय सेटों के साथ साथ डीयूएस गुणों के लिए पुनरावृति परीक्षणों में रागी, कंगनी तथा कोदो कदन्न में जांच प्रविष्टियों का लक्षणवर्णन किया गया। खरीफ के दौरान 2020, दूसरे वर्ष में रागी, कंगनी तथा कोदो कदन्न वंशक्रमों के लिए डीयूएस लक्षणवर्णन का कार्य किया गया। इस वर्ष कोई नई प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई। चार पुनरावृतियों में परीक्षण आयोजित किए गए और सभी प्रविष्टियों का लक्षणवर्णन संदर्भ किस्मीय सेटों के साथ साथ डीयूएस परीक्षणों के लिए किया गया।

खरीफ के दौरान 2020, रागी, कंगनी तथा कोदो कदन्न वंशक्रमों के लिए दूसरे वर्ष में डीयूएस लक्षणवर्णन का कार्य किया गया। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मीय सेटों के साथ साथ डीयूएस गुणों के लिए पुनरावृति परीक्षणों में रागी, कंगनी तथा कोदो कदन्न में जांच प्रविष्टियों का लक्षणवर्णन किया गया। विभिन्न कदन्न में प्रगति रिपोर्ट का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

रागी

डीयूएस जांच के अग्रणी केंद्र, परियोजना समन्वयक इकाई (लघु कदन्न), लघु कदन्न पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बेंगलुरू तथा सहयोगी केंद्र अथियान्डल, तमिल नाडु में *खरीफ* 2020 के दौरान रागी फसल के लिए दूसरे वर्ष का डीयूएस परीक्षण किया गया। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रागी फसल के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार कुल 77 संदर्भ किस्मों के साथ साथ पुनरावृति परीक्षण में कुल दो जांच प्रविष्टियों का लक्षणवर्णन किया गया। डीयूएस परीक्षण प्रविष्टियों को चार प्रतिकृतियों में बोया गया, 3.0 मीटर लंबाई वाली कुल चार पंक्तियां थी और पौधे से पौधे के बीच 22 x 10 सेमी. का फासला रखा गया। रागी फसल के लिए डीयूएस लक्षणवर्णन हेतु कुल 26 लक्षणों अथवा गुणों पर विचार किया गया। प्रत्येक लक्षण अथवा गुण के लिए मानों को कूट (कोडिड) प्रारूप में दर्ज किया गया। पुन: इन 26 लक्षणों अथवा गुणों को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रागी के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पांच समूह लक्षणों में वर्गीकृत किया गया।

कंगनी

कंगनी के लिए दूसरे वर्ष का डीयूएस परीक्षण परियोजना समन्वयक इकाई, लघु कदन्न, लघु कदन्न पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बेंगलुरू तथा अथियाण्डल, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय में *खरीफ* 2020 के दौरान किया गया। कंगनी कदन्न के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस का लक्षणवर्णन करने के लिए कुल 28 संदर्भ किस्मों के साथ साथ एक परीक्षण प्रविष्टि को लिया गया। डीयूएस परीक्षण प्रविष्टियों को चार प्रतिकृतियों में बोया गया और 3.0 मीटर लंबाई वाली कुल चार पंक्तियां थीं तथा पौधे से पौधे के बीच 22 x 10 सेमी. का फासला रखा गया।

कंगनी कदन्न के लिए कुल 23 लक्षणों अथवा गुणों पर डीयूएस लक्षणवर्णन करने के लिए विचार किया गया। प्रत्येक लक्षण अथवा गुण के लिए आंकड़ों को कूट प्रारूप में दर्ज किया गया। पुन: इन 23 लक्षणों अथवा गुणों को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार

संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंगनी कदन्न के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पांच समूहीकृत लक्षणों अथवा गुणों में वर्गीकृत किया गया।

कोदो कदन्न

खरीफ 2020 के दौरान डीयूएस लक्षणवर्णन करने के लिए खेत में कुल 26 संदर्भ किस्मों के साथ साथ दो कोदो कदन्न को दूसरे वर्ष में जांचा गया। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कोदो कदन्न के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस लक्षणवर्णन का कार्य किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार कोदो कदन्न में कुल 30 लक्षणों अथवा गुणों को डीयूएस पर्यवेक्षण वंशक्रमों और संदर्भ किस्म सेट दोनों के लिए दर्ज किया गया। प्रत्येक लक्षण अथवा गुण के लिए आंकड़ों को कोडिड प्रारूप में दर्ज किया गया।

सावां, प्रोसो कदन्न, कोदो कदन्न एवं लिटिल कदन्न

गौण कदन्न में उत्कृष्टता केन्द्र, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, अथियान्डल, तमिल नाडु

वर्ष 2020-21 के दौरान तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, अथियाण्डल डीयूएस परीक्षण केंद्र में निम्नलिखित संदर्भ किस्मों का रखरखाव फसल वार किया गया ।

क्र .सं.	फसलें	संदर्भ किस्मों की संख्या
1.	रागी	77
2.	कंगनी	28
3.	कोदो कदन्न	26
4.	लिटिल कदन्न	17
5.	प्रोसो कदन्न	12
6.	सावां	12

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के सेटों के साथ साथ डीयूएस परीक्षण के लिए पुनरावृति परीक्षणों में रागी, कंगनी तथा कोदो कदन्न के लिए दूसरे वर्ष में डीयूएस लक्षणवर्णन का कार्य किया गया। सभी तीनों रागी किस्में एकसमान थीं। कंगनी कदन्न की किस्मों के बीच एक प्रविष्टि दाना चौलाई थी (4040/2881); कंगनी कदन्न किस्म एकसमान अथवा एकरूप थी और कोदो (4030/2881) भी एकसमान अथवा एकरूप थी। की एक किस्मकदन्न

3.1.10. चना के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2020-21 के दौरान, डीयूएस परीक्षण केंद्र में चने की बीस संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया।

प्रथम वर्ष के लिए जांची गईं अभ्यर्थी किस्में कृषक किस्में :छ : किस्मों का नाम प्रथम वर्ष परीक्षण :

1	सीबीसीएम -206
2	सीसीआरए -207
3	सीजेआरए -208
4	सीएलसीएम -279
5	सीसीआरए -300
6	सीजेआरबी -303

रखरखाव की गई कृषक किस्मों और संदर्भ किस्मों के लिए एकल पृष्ठ वाले प्रारूप में दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को तथा दिनांक 15 जून, 2021 को नोडल केन्द्र, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर को प्रस्तुत किया गया।

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र

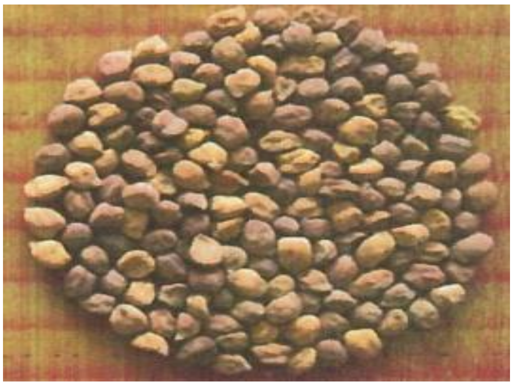

रबी 2020-21 के दौरान चने की 20 संदर्भ किस्मों के साथ साथ कुल छः कृषक किस्मों का डीयूएस परीक्षण कार्य किया गया। कुल 20 संदर्भ किस्मों में से तीन किस्मों (के 850, बिदिशा तथा बीजी 372) के आंकड़ों को खराब अथवा घटिया अंकुरण और मुरझान प्रकोप के कारण दर्ज नहीं किया जा सका। चने की कुल 17 संदर्भ किस्मों के साथ साथ छः कृषक किस्मों पर दर्ज किए गए आंकड़ों को सॉफ्ट प्रति में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को और उसी दिन नोडल केंद्र , परियोजना समन्वयक (चना), भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर को प्रस्तुत किया गया।

3.1.11. अरहर के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2020-21 के दौरान अरहर की प्रथम वर्ष की प्रविष्टि अरहर (आरईजी/2018/543) तथा दूसरे वर्ष की प्रविष्टि जीपीटी 1 (2881/3811) सहित कुल दो कृषक प्रत्याशी किस्मों को डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत जांचा गया।

रखरखाव/लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में :

फसल	रखरखाव प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम अथवा संख्या
अरहर (86)	दीर्घावधि परिपक्वता संदर्भ किस्में : 24 मध्यम परिपक्वता अवधि वाली संदर्भ किस्में 38 :

	अगेती परिपक्वता अवधि वाली संदर्भ किस्में 24 :

अरहर लक्षण अथवा गुणएस जांच परीक्षणों के विशिष्टप्रथम वर्ष डीयू (543/2018/आरईजी)

अरहर तथा कुसुम

डॉपंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ., अकोला, महाराष्ट्र

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डीयूएस केन्द्र पर अरहर की कुल संदर्भ 84 का रखरखाव किया गया और इसकी रिपोर्ट को डीयूएस परीक्षणकिस्मों दिशानिर्देशों के अनुसार गुणों अथवा लक्षणों की तालिका के अनुरूप'किस्मों की वर्गीकरण' प्रारूप में प्रस्तुत किया गया।

वर्ष थीं किस्मेंके दौरान डीयूएस परीक्षण के तहत अभ्य 21-2020

प्रथम वर्ष (2020)	द्वितीय वर्ष (2020-21)
अरहर (आरईजी/2018/543)	2881/3811

3.1.12. मसूर, मूंग, उड़द, मटर (दलहन टाइप) तथा राजमा के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश

खरीफ मौसम 41 और उड़द की कुलकिस्मों 67 में मूंग की कुल (2020) 39 में मसूर की कुल (21-2020) का रखरखाव किया गया। रबी मौसमकिस्मों किस्मों, मटर की कुल का रखरखाव किया किस्मों 14 और राजमा की कुलकिस्मों 61 से दस एकल पौधों को क किस्म का रखरखाव करने के लिए प्रत्येगया। इन किस्मों चुना गया और तुड़ाई का कार्य हाथ से किया गया।

कृषक किस्मों में मूंग की कुल चार (2020) खरीफ मौसम, उड़द की नौ कृषक किस्मों और उड़द की एक नवीन किस्म को प्राप्त किया गया जिनका कि संदर्भ किस्मों के साथ साथ दूसरे वर्ष में परीक्षण किया गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया। इसी प्रकार, संदर्भ किस्मों के साथ साथ पहले वर्ष के लि उड़द की एक नवीन किस्म को जांचा गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार

आंकड़ों को दर्ज किया गया। रबी मौसम में (21-2020), संदर्भ किस्मों के साथ साथ दूसरे वर्ष में मटर की कुल नौ कृषक किस्मों और मसूर की एक किस्म को जांचा गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया। इसी प्रकार, संदर्भ किस्मों के साथ साथ दूसरे वर्ष में मटर की एक कृषक किस्म तथा दो वीसीके किस्मों, राजमा की दो कृषक किस्मों और एक नवीन किस्म को जांचा गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया । इसी के साथ संदर्भ किस्मों के अनुसार प्रथम वर्ष में राजमा की एक कृषक किस्म को जांचा गया एवं डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया।

2462/2883 मूंग की कृषक किस्म *येलो मोज़ेक वायरस* रोग से अत्यधिक प्रभावित है इसलिए दूसरे वर्ष आंकड़ों को दर्ज नहीं किया जा सका। उड़द में कृषक किस्म) 2129/2883नवीन किस्मफली लक्षण :भी एमवाईएमवी रोग के प्रति संवेदनशील पाई गई। अत (में (21-2020) संबंधी आंकड़ों को दर्ज नहीं किया जा सका। रबी मौसम, मटर फसल के मामले में दूसरे वर्ष में कृषक किस्म पीएईके जो कि एक फबाबीन 290 थी और मकिस्मटर की अन्य कृषक किस्में पीएकेके 232 तथा पीएमकेके 227 थींजो कि लैथायरस किस्में, में भी आंकड़ों को दर्ज नहीं किया जा सका। रबी मौसम में (21-2020), मटर फसल के मामले में कृषक किस्म यथा आरईजी 392/2018/जो कि फबाबीन की एक किस्म थी, को प्राप्त किया गया। रबी मौसम में राजमा की (21-2020) ता आदि न से परिपक्वमें जलभराव के कारण अंकुरण नहीं हो सका। इसलिए पुष्प (2259/2883) एक कृषक किस्म थीं किस्मओं में उचित जानकारी के कारण आंकड़ों को दर्ज नहीं किया गया। मूंग में अभ्यतक सभी अवस्था को उड़द टाइप पौधा के 2482/2883रूप में सादृश्य पाया गया।

वर्ष के दौरान रखरखाव प्रजनन के तहत किस्में 21-2020

क्र .सं.	फसल प्रजातियां	संदर्भ किस्मों की संख्या
1.	मूंग [*विग्ना रेडियेटा* (एल.) विलजेक]	67
2.	उड़द [*विग्ना मुन्गो* (हेपर (.एल)	41
3.	मसूर)*लेन्स कुलीनेरिस* (	39
4.	मटर)*पाइसम सैटाइवम* (	61
5.	राजमा)*फैजियोलस वल्गेरिस* (	14

उड़द

राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केन्द्र, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, वम्बन, तमिल नाडु

राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र , वम्बन, पुडुकोट्टी जिला, तमिल नाडु, उड़द की फसल के लिए नया सहयोगी डीयूएस केंद्र है। इस परियोजना को वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर से वर्ष 2020 में एक जांच प्रविष्टि 2883/2129 तथा तीन संदर्भ किस्मों यथा शेखर 2, डब्ल्यूबीयू 108 तथा आईपीयू 2-43 के बीजों को प्राप्त किया गया। तदुपरान्त उड़द (पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण वेबसाइट) पर डीयूएस दिशानिर्देशों के आधार पर परीक्षण आयोजित किया गया। विस्तृत कार्य रिपोर्ट को यहां

प्रस्तुत किया गया है।

अभ्यर्थी किस्म का परीक्षण कोड	2883/2129
परीक्षण का वर्ष	2020-21
बीज प्राप्ति करने की तारीख	28.12.2020
बीज मात्रा (की गईजैसा प्राप्त)	100 ग्राम
बुवाई रोपण की तारीख/	04.02.2021
निगरानी की तारीख	-
तुड़ाई अथवा कटाई की तारीख	30.04.2021
परीक्षण डिजाइन	यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन
पंक्तियों की संख्या	6
पंक्ति की लंबाई	5 मीटर
पंक्ति से पंक्ति के मध्य फासला	45 सेमी.
पौधे से पौधे के मध्य फासला	15 सेमी.
नाइट्रोजन एकड़/.पोटेसियम किग्रा - रसफॉस्फो -	10 N: 20 P: 10 K

3.1.13. भिण्ड़ी, बैंगन, टमाटर, मटर (शाकीय), राजमा, करेला, लौकी, खीरा तथा कद्दू के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

रिपोर्टाधीन वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया जिसके तहत खीरा की 6, करेला की 1, लौकी की 1, टमाटर की 14 प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षण किया गया जिसमें तीन प्रत्याशी संकर और खीरा में तीन शिवमोगा संकर, करेला में एक प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके), लौकी में एक प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके) तथा चार प्रत्याशी संकर, टमाटर में 4 शिवमोगा संकर तथा 3 संदर्भ संकर और 3 संदर्भ किस्में शामिल थीं।

टमाटर किस्मों पर निगरानी टीम के पर्यवेक्षण : टीएच 3 एच प्रत्याशी संकर (सपाट अथवा समतल) और टीएच 3 एच शिवमोगा संकर (अंडाकार) के मध्य फल आकृति में भिन्नता पाई गई।

डीयूएस परीक्षण के लिए अभ्यर्थी किस्मों का विवरण (2020-21)

फसल	नामकरण	श्रेणी	टाइप
खीरा	सी 20-1 एफ $_1$	सीवी संकर	वीसीके
खीरा	सी 20-1 एफ$_1$ एसएमजी	एफ $_1$संकर (शिमोगा)	
खीरा	सी 20-2 एफ$_1$	सीवी संकर	वीसीके
खीरा	सी 20-2 एफ$_1$ एसएमजी	एफ $_1$संकर (शिमोगा)	
खीरा	सी 20-3 एफ$_1$	सीवी संकर	वीसीके
खीरा	सी 20-3 एफ$_1$ एसएमजी	एफ $_1$संकर (शिमोगा)	

करेला	बिग -20-1	टिपिकल	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)
लौकी अथवा घिया	बीजी -20-1	टिपिकल	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)
टमाटर	टीएच एच 3	अभ्यर्थी संकर	नवीन
टमाटर	टीएच एच एसएमजी 3	एफ $_1$संकर एसएमजी	नवीन
टमाटर	टीएच एच 7	अभ्यर्थी संकर	नवीन
टमाटर	टीएच एच एसएमजी 7	एफ $_1$संकर एसएमजी	नवीन
टमाटर	टीएच एच 10	अभ्यर्थी संकर	नवीन
टमाटर	टीएच एच एसएमजी 10	एफ $_1$संकर एसएमजी	नवीन
टमाटर	टीएच एच 12	अभ्यर्थी संकर	नवीन
टमाटर	टीएच एसएमजी 12	एफ $_1$संकर एसएमजी	नवीन
टमाटर	20 टीएच 3	संकर	नवीन
टमाटर	20 टीएच 4	संकर	नवीन
टमाटर	20 टीएच 5	संकर	नवीन
टमाटर	20 टीआर एच 11	संदर्भ किस्म	नवीन
टमाटर	20 टीआर एच 5	संदर्भ किस्म	नवीन
टमाटर	20 टीआर एच 8	संदर्भ किस्म	नवीन

नोट अप्रैल :, 2021 के प्रथम सप्ताह में डाटा संकलन का कार्य पूरा हो गया

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से संकलित टमाटर, बैंगन, भिण्ड़ी, शाकीय मटर, फ्रासबीन, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू तथा परवल की संदर्भ किस्मों का रखरखाव भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थाना, वाराणसी में किया जा रहा है। इन फसलों की अनेक किस्मों का रखरखाव किया गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आकृतिविज्ञान गुणों को दर्ज किया गया।

रखरखाव व लक्षणवर्णन की गईं संदर्भ किस्मों का फसल वार विवरण

फसलें	**संदर्भ किस्मों की संख्या**	**पाए गए आकृतिविज्ञान गुणों की संख्या**	**बीज में योगदान देने वाले संस्थानों कृषि राज्य/ विद्यालयों की संख्याविश्व**
टमाटर	92	46	23
बैंगन	86	47	01
भिण्ड़ी	45	31	01
शाकीय मटर	42	21	11
फ्रासबीन	26	22	13
खीरा	24	36	11
करेला	30	33	14
लौकी	33	33	15
कद्दू	25	32	11
परवल	21	15	-
कुल	**424**		

टमाटर

भाकृअनुप न अनुसंधान संस्थाभारतीय सब्जी -, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में टमाटर की कुल को का रखरखाव किया गया। इन किस्मोंसंदर्भ किस्मों 89 से संकलित किया गया। इन केन्द्रोंविभिन्नकेन्द्रों में शामिल हैं भारतीय कृषि : नअनुसंधान संस्था, पूसा, नई दिल्ली; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन, हिमाचल प्रदेश; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश; बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; डी ए आर एल, पिथोरागढ़, उत्तराखण्ड; गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड; हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा; एच ए आर पी, रांची, झारखण्ड; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़, गुजरात; केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानीकारा, केरल; नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश; ओड़िशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिल नाडु; वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र एवं शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू व कश्मीर।

बैंगन

विभिन्न केन्द्रों से बैंगन की संकलित की गई कुल का संदर्भ किस्मों 86 से संकलित किया गया को जिन केन्द्रोंरखरखाव किया गया। इन किस्मों उनमें शामिल थे नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था :, पूसा, नई दिल्ली; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़, गुजरात; गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड; एच ए आर पी, रांची, झारखण्ड; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर; केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानीकारा, केरल; ओड़िशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; पी डी के वी, अकोला, महाराष्ट्र; आर ए यू, समस्तीपुर, बिहार; तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिल नाडु; बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल; सी एच ई एस, भुवनेश्वर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा; नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद, नेपाल, बांग्लादेश; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र; एवं पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र, बारापानी, मेघालय ।

भिण्डी

विभिन्न केन्द्रों से भिण्डी की के को संकलित किया गया और डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मोंकिस्मों 42 : से संकलित किया गया जिनमें शामिल थे केन्द्रों को विभिन्नतौर पर रखरखाव किया गया। इन किस्मोंभारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़, गुजरात; हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; आर ए यू, सबौर, बिहार; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानीकारा, केरल; ओड़िशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर,

ओड़िशा; तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिल नाडु तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।

शाकीय मटर

विभिन्न केन्द्रों से शाकीय मटर की कुल को संकलित किया गया और डीयूएसकिस्मों 41परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के तौर पर इनका रखरखाव किया गया। विभिन्न केन्द्रों से इन किस्मों को संकलित किया गया। इन केन्द्रों में शामिल थे नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था :, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन, हिमाचल प्रदेश; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; डी ए आर एल, पिथोरागढ़; नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश; गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड; हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा; एच ए आर पी, रांची, झारखण्ड; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र; डॉवाई एस . विद्यालयपरमार बागवानी एवं वानिकी विश्व, सोलन, हिमाचल प्रदेश; विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड; तथा चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

फ्रासबीन

डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के तौर पर फबाबीन की कुल का रखरखाव किया गया। इन किस्मों 26 को किस्मोंविभिन्न केन्द्रों से संकलित किया गया जिनमें शामिल थे नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था :, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन, हिमाचल प्रदेश; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; डॉवाई एस परमार बागवानी एवं . विद्यालयवानिकी विश्व, सोलन, हिमाचल प्रदेश; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; सीएचईएस, रांची, झारखण्ड; विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; तथा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

खीरा

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 24 से खीरा की कुल (वीसी) को संकलित किया गया और इनका रखरखाव डीयूएस परीक्षकिस्मोंण के लिए संदर्भ किस्मों के तौर पर किया गया। इन केन्द्रों को विभिन्न केन्द्रों से संकलित किया गया जिनमें शामिल केन्द्र थे नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था :, पूसा, नई दिल्ली; एच ए आर पी, रांची, झारखण्ड; बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल; गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; डॉवाई एस परमार . विद्यालयबागवानी एवं वानिकी विश्व, सोलन, हिमाचल प्रदेश; शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू व कश्मीर; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; एवं आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद, गुजरात।

करेला

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को संकलित किया किस्मों 25 से करेला की कुलकेन्द्रों (वीसी) को जिन के तौर पर किया गया। इन किस्मों का रखरखाव डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मोंगया। इन किस्मों से संकलित कियाकेन्द्रोंगया उनमें शामिल थे नसंधान संस्थाभारतीय कृषि अनु :, नई दिल्ली; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; बिधान चन्द्र कृषि

विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानीकारा, केरल; नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; डॉवाई . विद्यालयकी विश्वएस परमार बागवानी एवं वानि, सोलन, हिमाचल प्रदेश; तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिल नाडु; एच ए आर पी, रांची, झारखण्ड; गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड।

लौकी अथवा घिया

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को किस्मों 31 से लौकी अथवा घिया की कुलकेन्द्रों (वीसी) का रखरखाव डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ संकलित किया गया। इन किस्मों से संकलित किया को जिन केन्द्रों के तौर पर किया गया। इन किस्मोंकिस्मों गया उनमेंशामिल थे नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था :, नई दिल्ली; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद, गुजरात; बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू व कश्मीर; हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड; नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र; तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिल नाडु; आर ए यू, समस्तीपुर, बिहार।

कद्दू

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को संकलित किया किस्मों 24 से कद्दू की कुलकेन्द्रों (वीसी) का रखरखाव डीयूएस परीक्षण के लिए गया। इन किस्मों को जिन के तौर पर किया गया। इन किस्मोंसंदर्भ किस्मों सेकेन्द्रोंसंकलित किया गया उनमें शामिल थे भारतीय : नषि अनुसंधान संस्थाकृ, नई दिल्ली; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक; आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद, गुजरात; चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश; एच ए आर पी, रांची, झारखण्ड; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब; नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश; केरल कृषि विश्वविद्यालय, केरल तथा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिल नाडु ।

खीरा, करेला, लौकी का डीयूएस परीक्षण कार्य ग्रीष्म मौसम के दौरान पूरा किया गया और पौधा वार तथा पुनरावृति वार आंकड़ों को संकलित करने का कार्य प्रगति पर है। टमाटर का डीयूएस परीक्षण कार्य अभ्यर्थी किस्मोंसंकरों के / लिए जारी है और टमाटर फसल की निगरानी का कार्य दिनांक मार्च 26, 2020 को किया गया। परिणामों के संकलन का कार्य प्रगति पर है। सेल्फिंग का रखरखाव किया जा म से दस शाकीय फसलों की संदर्भ किस्मोंसिबिंग के माध्य/ रहा है।

भिण्डी, बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी, खीरा तथा कद्दू

भाकृअनुप नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था -, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बेंगलुरू, कर्नाटक

वर्ष 2020-21 के दौरान भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू स्थित डीयूएस परीक्षण केंद्र में निम्नलिखित संदर्भ किस्मों का फसल वार रखरखाव किया गया

क्र .सं.	फसल	संदर्भ किस्मों की संख्या
1.	टमाटर	28
2.	बैंगन	34
3.	भिण्डी	16
4.	खीरा	12
5.	करेला	16
6.	लौकी अथवा घिया	25
7.	कद्दू	08

वर्ष 2020-21 के दौरान भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू में जांची गईं टमाटर की डीयूएस प्रविष्टियों की सूची

टमाटर	अभ्यर्थी संकर	टीएच एच 3	नवीन	2020
टमाटर	एफ $_1$ संकर एसएमजी	टीएच एच एसएमजी 3	नवीन	2020
टमाटर	अभ्यर्थी संकर	टीएच एच 7	नवीन	2020
टमाटर	एफ $_1$ संकर एसएमजी	टीएच एच एसएमजी 7	नवीन	2020
टमाटर	अभ्यर्थी संकर	टीएच एच 10	नवीन	2020
टमाटर	एफ $_1$ संकर एसएमजी	टीएच एच एसएमजी 10	नवीन	2020
टमाटर	अभ्यर्थी संकर	टीएच एच 12	नवीन	2020
टमाटर	एफ $_1$ संकर एसएमजी	टीएच एच एसएमजी 12	नवीन	2020
टमाटर	संकर	20 टीएच 3	नवीन	2020
टमाटर	संकर	20 टीएच 4	नवीन	2020
टमाटर	संकर	20 टीएच 5	नवीन	2020
टमाटर	संदर्भ किस्म	20 टीआर एच 11	नवीन	2020
टमाटर	संदर्भ किस्म	20 टीआर एच 5	नवीन	2020
टमाटर	संदर्भ किस्म	20 टीआर एच 8	नवीन	2020

वर्ष 2020-21 के दौरान भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू में जांची गईं बैंगन की डीयूएस प्रविष्टियों की सूची : शून्य

वर्ष 2020-21 के दौरान भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू में जांची गईं खीरे की डीयूएस प्रविष्टियों की सूची

क्र .सं.	परीक्षण कोड	टिप्पणी	
1.	सी 20-1 एफ 1	वीसीके	संकर
2.	सी 20 -2 एफ 1	वीसीके	संकर
3.	सी 20-3- एफ 1	वीसीके	संकर

करेला की संदर्भ किस्मों का रखरखावपूसा विशेष : नामतसंदर्भ किस्मों 16 करेले की कुल : , पूसा दो मौसमी, सेल . 5, एमसी 84, सेल 1, अर्का हरित, हिरकानी, फुले ग्रीन गोल्ड, फुले उज्जवला, मेघना 2, प्रीति, एनडीबीटी 9, कल्याणपुर बारहमासी, एनडीबीटी 7, एचएबीजी 1, सीओ का रखरखाव किया गया। 1

वर्ष नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था - के दौरान भाकृअनुप 21-2020, बेंगलुरू में जांची गईं कद्दू की डीयूएस प्रविष्टियों की सूची शून्य :

करेला, लौकी, खीरा तथा कद्दू

भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली

वर्ष 2020-21 के दौरान, खीरावर्गीय फसलों के डीयूएस परीक्षण के तहत निम्नलिखित सब्जी फसलों को जांचा गया ।

लौकी	1 प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)
करेला	1 प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)

केन्द्र पर रखरखाव की गईं संदर्भ एवं उदाहरण किस्मों की संख्या

क. लौकी अथवा घिया - 18

(पंजाब लॉग, केबीजीआर 12, अर्का बहार, काशी गंगा, पंत लौकी 1, कल्याणपुर लॉग ग्रीन, नरेन्द्र ज्योति, नरेन्द्र रश्मि, एबीजी 1, एनडीबीजी 618, पंत लौकी 3, एनडीबीजी 132, वीआरबीजी 136, नरेन्द्र धारीदार, पूसा समृद्धि, पूसा संतुष्टि, पूसा नवीन एवं पूसा संदेश (

ख 17 - करेला .

(पंत करेला 1, काशी उर्वशी, पंजाब 14, सीओ 1, फुले उज्वला, प्रीति, एनडीबीटी 7, हिरकानी, कल्याणपुर बारहमासी, एनडीबीटी 9, फुले ग्रीन गोल्ड, मेघना 2, एचएबीजी 21, एचएबीजी 22, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष एवं अर्का हरित (

Arka Bahar

डीयूएस परिणाम का सारांश

लौकी अथवा घियाजांची गई एक प्रचलित अथवा : 1-20- बीजीकिस्म (वीसीके) विद्यमानमें दिल्ली की परिस्थितियों में केवल शाकीय वृद्धि प्रदर्शित हुई और पुष्पन नहीं हुआ।

करेला : जांची गई एक प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके) 1-20- बिगकिस्ममें हिरकानी के समान (संदर्भ किस्म)

परिणाम प्रदर्शित हुए।

डॉनागरत्न .के.टी ., रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक जून 5, 2020 को डीयूएस निगरानी का कार्य किया गया।

3.1.14. चौलाई, पालक, तोरई के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप नस्थाभारतीय बागवानी अनुसंधान सं -, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बेंगलुरू, कर्नाटक

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसलें	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	संदर्भ किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां				
तोरई	5	4	-	5	9	वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड 19 लॉकडाउन के कारण डीयूएस निगरानी का कार्य नहीं किया जा सका

तोरई की नवीन प्रविष्टियों, द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियों तथा कृषक किस्मों का डीयूएस परीक्षण :

तोरई की पांच नवीन प्रविष्टियों, चार द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियों और पांच कृषक किस्मों को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त किया गया और उन्हें नौ संदर्भ किस्मों के साथ साथ डीयूएस परीक्षण के लिए बोया गया। इन प्रविष्टियों का लक्षणवर्णन फसल विशिष्ट डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार कुल 35 आकृतिविज्ञान लक्षणों अथवा गुणों के लिए किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड 19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई लॉकडाउन स्थिति में डीयूएस निगरानी नहीं की जा सकी। हालांकि, डीयूएस जांच रिपोर्ट को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।

डीयूएस परीक्षण के लिए उपयोग की गईं डीयूएस जांच प्रविष्टियां और संदर्भ किस्में

क्र .सं.	डीयूएस प्रविष्टि	पंजीकरण संख्या	संदर्भ किस्में
1.	आरजीजीएल 192	आरईजी /2018/162	पूसा नसदर, अर्का सुमित
2.	आरजीजीएल 201	आरईजी /2018/159	पूसा नसदर, जयपुर लॉग
3.	आरजीजीएल 204	आरईजी /2018/161	जीएआरजी 1, पूसा नसदर
4.	आरजीजीएल 211	आरईजी /2018/158	पूसा नसदर, जयपुर लॉग
5.	आरजी -20-1		पूसा नसदर, जयपुर लॉग, पूसा नूतन
6.	आरजी -20-2		पूसा नसदर, जयपुर लॉग, पूसा नूतन
7.	आरजी -20-3		पूसा नसदर, जयपुर लॉग, पूसा नूतन
8.	आरजी -20-4		पूसा नसदर, जयपुर लॉग, पूसा नूतन
9.	आरआईजी -20-1		अर्का सुजत, अर्का सुमित, जयपुर लॉग
10.	2201 (कृषक किस्म)	आरईजी /2017/2201	पूसा नसदर, अर्का सुजित, दीप्ति
11.	2202 (कृषक किस्म)	आरईजी /2017/2202	दीप्ति
12.	2203 (कृषक किस्म)	आरईजी /2017/2203	पूसा नसदर, अर्का सुजित, दीप्ति

13.	2204 (कृषक किस्म)	REG/2017/2204	पूसा नसदर, अर्का सुजित, दीप्ति
14.	2175 (कृषक किस्म)	REG /2017/2175	दीप्ति

डीयूएस केन्द्र में तोरई की नौ संदर्भ किस्मों, चौलाई की 19 किस्मों तथा पालक की 05 किस्मों का रखरखाव किया गया। निगरानी टीम ने यह पाया कि कुल 14 प्रविष्टियों और कृषक किस्मों के साथ तोरई के डीयूएस परीक्षण प्लॉट को तैयार किया गया था और आंकड़ों को दर्ज किया गया था। दोनों केन्द्रों यथा भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू और भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में रखरखाव प्रजनन के अंतर्गत शाकीय चौलाई, पालक और तोरई की संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया और उनका लक्षणवर्णन किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

फसलें	किस्मों की संख्या	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत संदर्भ किस्मों का नाम
सब्जी चौलाई	19	(स्वयं द्वारा जारी की गई 5 -, 14 - अन्य 6 - भाकृअनुप)+ राज्य कृषि विश्वविद्यालय - (8: अर्का सुगुना, अर्का समरक्षा, अर्का वर्ना, अर्का अरूणिमा, आईआईएचआर 1 - 109 -, आईसी -551606, आईसी -551607, आईसी -551608, पूसा कीर्ति, पूसा किरन, पूसा लाल चौलाई, रेनुश्री, कनारा लोकल, सीओ 1, सीओ 2, सीओ 3, सीओ 4, सीओ 5, आरएनए 1Pusa Kirti,
पालक	5	(स्वयं द्वारा जारी की गई 1 -, 4 - अन्य 2 - भाकृअनुप)+ राज्य कृषि विश्वविद्यालय - (2:अर्का अनुपमा, एचएस 23, पूसा भारती, ऑल ग्रीन, सीओ 1
तोरई	9	(स्वयं द्वारा जारी की गई 2 -, 7 - अन्य 2 - भाकृअनुप)+ राज्य कृषि विश्वविद्यालय - (5:अर्का सुजत, अर्का सुमित, जयपुर लॉग, पूसा नसदर, पूसा नूतन, सीओ 1, फुले सुचेता, जीएआरजी 1, दीप्ति

तोरई की पांच नवीन प्रविष्टियों, चार द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियों और पांच कृषक किस्मों का लक्षणवर्णन कुल डीयूएस डिस्क्रिटर्स के लिए 31 एवं कृषक अधिकार संरक्षण किया गया और रिपोर्ट को पौधा किस्म प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया। पैतृक वंशक्रमों के साथ साथ तोरई के एक संकर, अर्का विक्रम को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया।

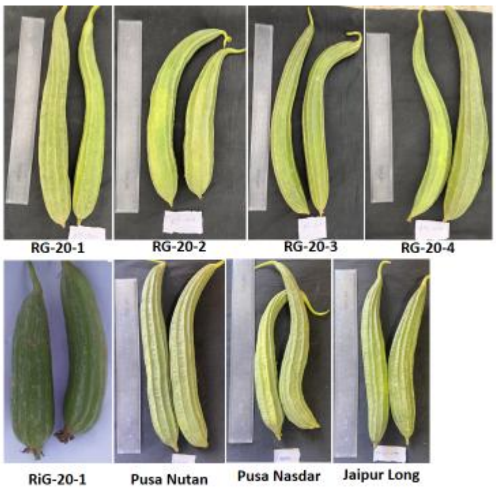

भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली

वर्ष 2020-21 के दौरान, खीरावर्गीय फसलों (तोरई - 4 (चार नवीन

तथा एक प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके) किस्म) को डीयूएस परीक्षण के लिए जांचा गया।

केंद्र पर रखरखाव की गईं संदर्भ एवं उदाहरण किस्में

तोरई - 9 (पूसा नसदर, पूसा नूतन, सीओ 1, अर्का सुमित, जयपुर लांग, फुले सुचेता, अर्का सुजत, जीएआरजी 1, तथा दीप्ति)

चौलाई - 19 (अर्का समरक्षा, अर्का सुगुमा, सीओ 3, आईआईएचआर 109-1, ए. वर्मा, सीओ 4, पूसा लाल चौलाई, आईसी 551606, आईसी 151608, सीओ 2, रेने श्री, कनारा लोकल, अरूण, पी. किरन, आईआईएचआर - 109 - 4, आएनए 1, ए. अरूणिमा, सीओ 5 तथा कृष्णा श्री)

पालक - 5 (अर्का अनुपमा, पूसा ऑल ग्रीन, पूसा भारती, सीओ 1 तथा एचएस 23)

डीयूएस परिणामों का सारांश

तोरई : प्राप्त की गईं कुल पांच किस्मों में से चार प्रत्याशी किस्में थीं। इन किस्मों को तीन संदर्भ किस्मों (जयपुर लांग, पूसा नूतन तथा पूसा नसदर) और एक आरआईजी - 20 - 1 प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके) किस्म के साथ जांचा गया। ये सभी प्रत्याशी किस्में संदर्भ किस्मों जैसी थीं। प्रचलित अथवा विद्यमान किस्में (वीसीके) चिकनी तोरई की थीं।

सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के अध्यक्ष तथा डॉ. टी.के. नागरत्न, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में दिनांक 5 जून, 2020 को डीयूएस का निगरानी कार्य किया गया।

3.1.15. बंदगोभी तथा फूलगोभी के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली

वर्ष 2020-21 में प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां			
1	-- शून्य --	-- शून्य --	-- शून्य --	-- शून्य --	-- शून्य --

रखरखाव स्मेंलक्षणवर्णन के तहत कि/

अधिदेशित फसल प्रजातियां	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों की संख्या	डाटा प्रस्तुति (रखरखाव प्रजनन) नहीं/हॉ
बंदगोभी	15	हां
स्नोबॉल फूलगोभी	11	हां

बंदगोभी की संकरों को परिशुद्ध बनाया 2 और किस्मों 9 बॉल फूलगोभी कीसंकरों तथा स्नो 3 एवंकिस्मों 12 गया और उनका रखरखाव किया गया। हालांकि, डीयूएस परीक्षण करने के लिए बंदगोभी तथा फूलगोभी की कोई भी अभ्यर्थी किस्म नहीं की गई थी।प्रविष्टि प्राप्त/

भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र, कटराइन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2020-21 में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण, यदि कोई है :

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां			
1	- शून्य -	- शून्य -	- शून्य -	- शून्य -	- शून्य -

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

अधिदेशित फसल प्रजातियां	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम अथवा संख्या	डाटा प्रस्तुति (रखरखाव प्रजनन) नहीं/हॉ
बंदगोभी	गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम हैड, 83 - 1, पूसा कैबेज 1 (केजीएमआर 1), पूसा हाइब्रिड 81, 6 ए, सी 121, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ एशिया, पूसा अगेती, पूसा हाइब्रिड 82 (केटीसीबीएच 822), 208 ए, सी 122 तथा किन्नर रेड़ **कुल संख्या = 15**	हॉ
स्नोबॉल फूलगोभी	पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल के 1, पूसा हिमज्योति, स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल के 25, पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1, केटी 22, सेल. 27, पूसा हाइब्रिड 301 (केटीएच 301), 33 ए - 1, एसके 1 Pusa **कुल संख्या = 11**	हॉ

बंदगोभी की बारह किस्मों एवं तीन संकरों तथा स्नोबॉल फूलगोभी की नौ किस्मों और दो संकरों को परिशुद्ध बनाया गया और उनका रखरखाव किया गया। हालांकि, डीयूएस परीक्षण करने के लिए बंदगोभी तथा फूलगोभी की कोई भी अभ्यर्थी किस्मप्रविष्टि / नहीं की गई थी।प्राप्त

3.1.16. आलू के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप नय आलू अनुसंधान संस्थाकेन्द्री -, शिमला, हिमाचल प्रदेश

Lady Terra

MI2009-924-016

MI2007-019-039

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी फागु इकाई, कुफरी में मानक आलू डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पुष्पीय गुणों के लिए संबंधित संदर्भ किस्मों यथा कुफरी फ्राइसोना तथा सैन्टाना के साथ साथ तीन अभ्यर्थी किस्मों यथा लेडी टेरा, एमआई - 019 - 2007 और एमआई 016 - 924 - 2009) 039टेक्नीको एग्री साइन्स लिमिटेड के साथ साथ का डीयूएस लक्षणवर्णन किया गया जबकि संबंधित संदर्भ किस्मों (न क्षेत्रीय केन्द्रय आलू अनुसंधान संस्थाकेन्द्री, मोदीपुरम और सीपीआरएस, जालन्धर में पंद्रह किस्मों यथा भाकृअनुप

नय आलू अनुसंधान संस्थाकेन्द्री -, शिमला की कुफरी अटल तथा कुफरी एल्लार; टेक्नीको एग्री साइन्स लिमिटेड की कैरिबोयू रसेट, एमआई 016 - 924 - 2009, एमआई - 019 - 2007 लिमिटेडतथा लेडी टेरा और महिन्द्रा 039 की डेलिया रेड़ (एचजेडपीसी), हरमोजा, एलसैन्डर, एल्वरस्टोन रसेट, सनरेड़, इनोवेटर, डबल फन, प्राइमाबेले तथा सुनीता में शाकीय एवं कंदीय गुणों को दर्ज किया गया।

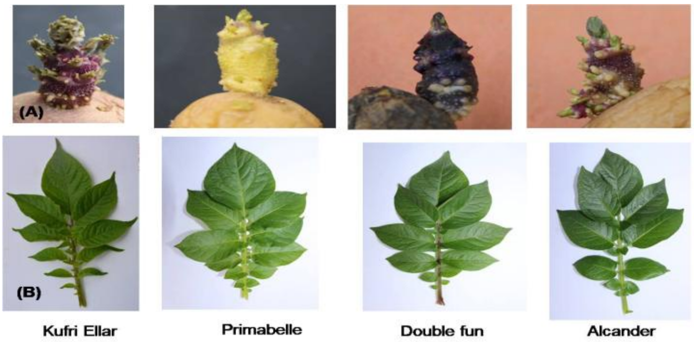

डीयूएस संदर्भ किस्मों का रखरखावनय आलू अनुसंधान संस्थाकेन्द्री : , शिमला में का रखरखावसंदर्भ किस्मों 215 *स्वपात्रे :* परिस्थितियों में किया गया जबकि केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी फागु इकाई, कुफरी एवं केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम की खेत परिस्थितियों के अंतर्गत क्रमश 180 :एवं 158 का रखरखाव किया गया।किस्मों

3.1.17. प्याज एवं लहसुन के लिए डीयूएस केन्द्र

भाकृअनुप ज एवं लहसुन अनुसंधानप्या -निदेशालय, राजगुरूनगर, पुणे, महाराष्ट्र

वर्ष 2020-21 के दौरान प्याज एवं लहसुन किस्मों का रखरखाव

डीयूएस केन्द्र नामत: प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरूनगर, पुणे में प्याज की 63 रबी एवं 11 खरीफ किस्मों और लहसुन की 35 किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। इनमें से प्याज एवं लहसुन की दीर्घ प्रदीप्ति काल वाली किस्मों का रखरखाव भाकृअनुप - केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर में; बहुगुणक टाइप वाली प्याज किस्मों का रखरखाव तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में और शेष किस्मों का रखरखाव भाकृअनुप - प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरूनगर, पुणे के साथ साथ भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। पूर्ववर्ती रबी प्याज किस्मों के भण्डारित कंदों और वर्तमान में खरीफ प्याज किस्मों के खुदाई किए गए कंदों को पुन* बीज उत्पादन और रखरखाव के लिए कड़े पृथक्करण के तहत नायलोन के जाल में दिसम्बर, 2020 में रोपा गया। प्याज किस्मों का रखरखाव खरीफ और रबी सीजन के दौरान अधिदेश के अनुसार किया जा रहा है जबकि लहसुन की किस्मों का रखरखाव रबी सीजन के दौरान किया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 के दौरान खरीफ प्याज किस्मों का डीयूएस लक्षणवर्णन

खरीफ प्याज की 11 किस्मों यथा एग्रीफाउण्ड डार्क रेड़, अर्का कल्याण, बी 780, भीमा राज, भीमा रेड़, भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, भीमा सुपर, भीमा डार्क रेड़, भीमा सफेद और एन 53 के बीजों को दिनांक 10 जून, 2020 को बोया गया और उठी हुई क्यारियों पर 1 × 6 मीटर वाले प्लॉट आकार में तीन पुनरावृतियों में दिनांक 30 जुलाई, 2020 को रोपा गया। फसलों की खुदाई का कार्य नवम्बर, 2020 में किया गया और डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आंकड़ों को दर्ज किया गया। खराब जमाव के कारण प्याज की तीन किस्मों (एग्रीफाउण्ड डार्क रेड़, अर्का कल्याण एवं एन 53) के आंकड़ों को दर्ज नहीं किया गया। खुदाई के उपरान्त हासिल किए गए कंदों को दिसम्बर, 2020 के दौरान बीज उत्पादन प्रयोजन हेतु रोपा गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान रबी प्याज किस्मों का डीयूएस लक्षणवर्णन

दो कृषक किस्मों यथा संदीप प्याज एवं सोना 40 के साथ साथ रबी प्याज की कुल 44 किस्मों नामत: एग्रीफाउण्ड व्हाइट, एग्रीफाउण्ड लाइट रेड़, अर्का भीम, अर्का निकेतन, अर्का पीताम्बर, अर्का प्रगति, बलवान प्याज, भीमा किरन, भीमा राज, भीमा रेड़, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, भीमा लाइट रेड़, जीडब्ल्यूओ 3, जीजेआरओ 11, जेडब्ल्यूओएल 85, कल्याणपुर रेड़ राउण्ड, एन - 2 - 4 - 1, एनएचआरडीएफ रेड़ (एल 28), एनएचआरडीएफ रेड़ 2 (एल 355), एनएचआरडीएफ फुरसंगी (एल 819), पीकेवी व्हाइट, फुले सफेद, फुले समर्थ, पीलीपट्टी जूनागढ़, पंजाब नरोया, पंजाब व्हाइट, पूसा माधवी, पूसा रेड़, पूसा सोना, पीओएच 1, पीआरओ 6, पीआरओ 7, पीवाईओ 1, पीडब्ल्यूओ 2, राशिदपुरा, संजीवनी कला, सोना - 40 - 2, सुखसागर, सुखसागर (बलिया), वीएल प्याज - 3 तथा उदयपुर 102 के बीजों को दिनांक 7 नवम्बर, 2020 को बोया गया और दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को 2 × 3 मीटर वाले प्लॉट आकार में तीन पुनरावृतियों में रोपा गया। फसलों की खुदाई अप्रैल - मई, 2021 में की गई और सभी आंकड़ों को डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार दर्ज किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान लहसुन किस्मों का डीयूएस लक्षणवर्णन

एक अभ्यर्थी किस्म अंटा गार्लिक के साथ साथ पांच 1 यथाकृषक किस्मों2879/3457, 2879/3458, 2879/3459, ब्रज लहसुन स लहसुनतथा प्रा (688/2018/आरईजी) 31 के साथ साथ लहसुन की कुल (685/2018/आरईजी) यथा भीमा ओंकारकिस्मों, भीमा पर्पल, चुनार लोकल 1, चुनार लोकल 2, डीडब्ल्यूडीजी 1, डीडब्ल्यूडीजी 2, जी 1, जी 41, जी 50, जी 282, जी 323, जी 386, जी 404 (वाईपी (10, जीएजी 5, जीएजी 6, जीएजी 7, जीजी 2, जीजी 3, जीजी 4, जी) 189वाईएस (5, जी) 384वाईएस (8, गोदावरी, नवापुर लोकल, ऊटी लोकल, फुले बासवंत, फुले नीलिमा, पीजी 17, पीजी 18, रानी बेन्नूर लोकल, सिक्किम लोकल तथा सिलकुई लोकल को 3 × 2 मीटर आकार वाले प्लॉट में तीन पुनरावृतियों में दिनांक बरअक्तू 27, 2020 को रोपा गया। मार्च, 2021 के महीने में फसल की खुदाई की गई और डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आंकड़ों को दर्ज किया गया।

भाकृअनुप नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था -, पूसा, नई दिल्ली

डीयूएस परीक्षण के लिए किस्मों की संख्या : लहसुन के मामले में एक किस्म

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां			
प्याज	-	-	-	-	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 9मार्च, 2021
लहसुन	केवीके एएनटीए गार्लिक 1	-	-		

वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्र पर रखरखाव की गईं संदर्भ एवं उदाहरण किस्मों की संख्या

फसल	रखरखाव प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
प्याज	47
लहसुन	14

भाकृअनुप ज एवं लहसुन की डीयूएस जांच का आयोजन करने के न द्वारा प्याभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था - तथा 47 ज की कुल के रूप में कार्य किया जा रहा है। हम इस परियोजना के अंतर्गत प्याकेन्द्र लिए सह नोडल ज का रखरखाव किया जा रहा है। प्याकिस्में 14 लहसुन की कुलएवं लहसुन की इन किस्मों पर संदर्भ किस्मों के रूप में विचार किया गया । डीयूएस परियोजना के अंतर्गत प्याज व लहसुन की रखरखाव की गईं सभी किस्मों में डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आंकड़ों को दर्ज किया जा रहा है। लहसुन की एक नवीन किस्म केवीके अंटा) गार्लिक (1को वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षण 21-2020 किया गया प्राप्त एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण सेके लिए पौधा किस्म के दौरान डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार 21-2020 था जिसकी जांच रबी किया गया।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक मार्च 5, 2021 की एफ संख्या पीपीवी एंड एफआरए - पार्ट/08/10-2/31/ 49/2द्वारा भाकृअनुप षि भारतीय कृ - नअनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में 'लहसुन के डीयूएस जांच परीक्षण' की निगरानी के लिए टास्क बल समिति का गठन किया गया। निगरानी समिति के अध्यक्ष डॉतोमर .एस.बी ., अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान संभाग थे और समिति के सदस्य डॉनागरत्न .के.टी ., रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण तथा डॉअनिल खार ., सह परियोजना अन्वेषक, डीयूएस परियोजना थे। दिनांक मार्च 9, 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में निगरानी कार्य किया गया।

3.1.18. मिर्च, शिमला मिर्च एवं पपरिका के लिए डीयूएस केन्द्र

भाकृअनुप नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था -, पूसा, नई दिल्ली

केन्द्र द्वारा निजी कम्पनियों से वर्ष 2019-20 के ग्रीष्म मौसम में कुल 34 प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया जिनमें 14 संदर्भ किस्मों के साथ साथ दो नवीन प्रविष्टियां, पच्चीस द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां तथा सात कृषक किस्में शामिल थीं। आंकड़ों को दर्ज करके मिर्च फसल के लिए विकसित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार इन सभी प्रविष्टियों के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2021 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया। पुन: हमने आठ संकर किस्में भी प्राप्त कीं जिनके बीजों को निजी कम्पनी द्वारा भेजा गया था और साथ ही इनके तुलनात्मक प्रदर्शन के लिए शिवमोगा केन्द्र में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

द्वारा उत्पन्न किया गया था। इन किस्मों के आंकड़ों को दर्ज किया गया और चित्रों को लिया गया तथा उन्हें दिनांक 25 फरवरी, 2021 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए दो प्रविष्टियों नामत: 2883/2688 और 2884/2051 को मूल्यांकन के लिए भेजी गईं चार प्रविष्टियों नामत: सीएच 6 एच, सीएच 6 एच एसएमजी, सीएच 12 एच, सीएच 12 एच एसएमजी के साथ साथ दूसरे वर्ष में मूल्यांकन के लिए बोया गया। इनमें से दो प्रविष्टियों में अंकुरण नहीं हुआ। ये प्रविष्टियां हैं : सीएच 6 एच एसएमजी तथा सीएच 12 एच एसएमजी जबकि इनकी तुलनात्मक प्रविष्टियों यथा सीएच 6 एच तथा सीएच 12 एच में 90 प्रतिशत से भी अधिक अंकुरण देखने को मिला। मूल्यांकन प्रयोजन के लिए बोए गए वंशक्रमों को दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को खेत में रोपा गया।

डॉविद्यालयवाई एस आर बागवानी विश्व ., लाम फार्म, गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश

बागवानी अनुसंधान स्टेशन, लाम, मिर्च पर अनुसंधान के लिए भारत का एक अग्रणी अनुसंधान केन्द्र है जिसका मुख्य फोकस मिर्च अनुसंधान पर केन्द्रित है। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, लाम में सन् में मिर्च के सुधार के लिए अनुसंधान की शुरूआत की गई थी 1928 म को प्रारंभ किया र्च के सुधार हेतु स्कीके दौरान मि 1949 और वर्ष में 1970 गया था। वर्ष, बहु विषयी युक्ति के साथ सब्जी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को प्रारंभ किया गया । वर्ष के दौरान 1987, लाम केन्द्र को मिर्च प्रजनक बीज उत्पादन के लिए सब्जियों पर राष्ट्रीय बीज परियोजना सौंपी गई थी। वर्ष में 2009, मिर्च के प्रजनक बीज उत्पादन के लिए सब्जियों पर राष्ट्रीय बीज परियोजना का विलय अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना में कर दिया गया और वर्तमान में यह सब्जी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के रूप में कार्य कर रहा है।

देश के कुल मिर्च उत्पादन में आन्ध्र प्रदेश राज्य एक अग्रणी उत्पादक राज्य है जिसका कि देश के कुल मिर्च उत्पादन में भी है। कर्नाटक राज्यदारी है और साथ ही ये इसका सबसे बड़ा निर्यातक राज्यप्रतिशत की हिस्से 41 यर टन प्रति हेक्टे 4.74 प्रदेश में जहांप्रतिशत का योगदान है। आन्ध्र 15 से 10 दन में लगभगका कुल मिर्च उत्पा लाख हेक् 2.094 दकता के साथ लगभगकी औसत उत्पाटेयर कृषि रकबे से शुष्क मिर्च का लगभग लाख 9.92 बागवानी) यर हैटन प्रति हेक्टे 1.9 र केवलदकता का स्तय उत्पादन होता है जबकि राष्ट्रीमिलियन टन उत्पा टन है जो 6.25 यरदकता प्रति हेक्टेर जिले में मिर्च की उत्पा प्रदेश के गुण्टू। आन्ध्र (एक नजर में 2018 सांख्यिकी के र जिला ही मिर्च में अकेला गुण्टू प्रदेश राज्यगुणा से भी अधिक है। आन्ध्र 3.3 य औसत की तुलना मेंकि राष्ट्री 44.69 :दन में क्रमशकृषि रकबे और उत्पातथा प्रतिशत का योगदान देता है। 43.50

3.1.19. तरबूज और खरबूजा के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप न बागवानी संस्थाय शुष्ककेन्द्री -, बीकानेर, राजस्थान

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां			
तरबूज	-	-	डब्ल्यूएम 20-1 एफ$_1$ एसएमजी डब्ल्यूएम 20-1 एफ$_1$ डब्ल्यूएम 20-2 एफ$_1$ डब्ल्यूएम 20-2 एफ$_1$ एसएमजी डब्ल्यूएम 20-3 एफ$_1$ डब्ल्यूएम 20-3 एफ$_1$ एसएमजी डब्ल्यूएम 20-4 एफ$_1$ डब्ल्यूएम 20-4 एफ$_1$ एसएमजी	-	19/05/2020
खरबूजा	-	एमएम 20-1	-	डांगर बजारे - (नायलोन) आरईजी/2018/618	19/05/2020

निगरानी टीम ने पाया कि मई माह के दौरान तापमान में अचानक हुई वृद्धि जिससे गरम हवा अथवा लू हुई, के कारण तरबूज की फसल बची नहीं रह सकी और इससे फसल के घटिया प्रदर्शन को बल मिला और अंततन फसल में फलन नहीं हो सका। पुष्प : आंकड़ों को दर्ज नहीं किया जा सका।के उपरान्त

जैसा कि सामग्री में पृथक्करण किया गया था, खरबूजे के डांगर (नायलोन) बजारे- 618/2018/आरईजीके अधिकांश लक्षणों अथवा गुणों में भिन्नता देखने को मिली ।

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

फसल	वर्ष 2020-21 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्में
तरबूज	सुगर बेबी, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, असाही यमाटो, अर्का मानिक, एएचडब्ल्यू 19, एएचडब्ल्यू तथा थार मानक 65
खरबूजा	अर्का जीत, एमएचवाई 3, एमएचवाई 5, आरएम 43, आरएम 50, दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, पूसा मधुरस, जीएमएम 3, पंजाब सुनहरी तथा हरा मधु

भाकृअनुप -भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बेंगलुरू, कर्नाटक

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक किस्म	निगरानी की तारीख
	प्रथम वर्ष में प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष में प्रविष्टियां			
तरबूज	-	-	4+4	-	-
खरबूजा	-	2	-	0	-

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

अधिदेशित फसल प्रजातियां	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों का नाम अथवा संख्या	डाटा को प्रस्तुत करना रखरखाव) नहीं/हॉ (प्रजनन
तरबूज	9	हॉ
खरबूजा	13	हॉ

वर्ष 2020-21 के दौरान तरबूज में कुल नौ संदर्भ किस्मों और खरबूजे में कुल 13 संदर्भ किस्मों का रखरखाव और पुनर्जनन किया जा रहा है।

दो संदर्भ किस्मों के साथ तरबूज में आठ प्रविष्टियों और दो संदर्भ किस्मों के साथ खरबूजे की दो प्रविष्टियों का डीयूएस परीक्षण किया गया। फसलों को दिनांक 20 मार्च, 2020 को बोया गया। परीक्षण को जून, 2020 तक पूरा किया गया और रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया।

3.1.20. परवल के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

क्र.सं.	वर्ष 2020-21 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों का नाम अथवा संख्या	स्रोत, जारी करने अथवा व्यावसायिक तौर पर जारी करने की तारीख, यदि कोई है	रखरखाव प्रजनन डाटा संकलन तथा उसे पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजना
1.	बीसीपीजी -1*, बीसीपीजी -3*, बीसीपीजी -4*, बीसीपीजी -5*,	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,	एक्सेल प्रारूप में सम्बद्ध पूर्ववर्ती सीजन (2019-20) का डाटा

	बीसीपीजी -6*, बीसीपीजी -14, बीसीपीजी -16*, बीसीपीजी -17*, बीसीपीजी -22, बीसीपीजी -23, बीसीपीजी -24, बीसीपीजी -25*, बीसीपीजी -26*, बीसीपीजी -27*, बीसीपीजी -29, बीसीपीजी -30*, बीसीपीजी -31, बीसीपीजी -32, बीसीपीजी -33, बीसीपीजी -34, बीसीपीजी -36*, बीसीपीजी -37*, बीसीपीजी -38	कल्याणी, पश्चिम बंगाल	वर्तमान फसल मध्य सीजन में है और सम्पूर्ण डाटा को फसलचक्र सीजन समाप्त होने रनवम्ब), 2021) पर पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
2.	स्वर्णा अलौकिक*, स्वर्णा रेखा *	पूर्वी भारत के लिए भाकृअनुप क्षेत्रीय संस्थान, रांची	एक्सेल प्रारूप में सम्बद्ध पूर्ववर्ती सीजन (2019-20) का डाटा वर्तमान फसल मध्य सीजन में है और सम्पूर्ण डाटा को फसलचक्र सीजन समाप्त होने रनवम्ब), 2021) पर पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
3.	फैजाबाद परवल 1, फैजाबाद परवल 3, फैजाबाद परवल 4, नरेन्द्र परवल -260*, एनपी -520	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	एक्सेल प्रारूप में सम्बद्ध पूर्ववर्ती सीजन (2019-20) का डाटा वर्तमान फसल मध्य सीजन में है और सम्पूर्ण डाटा को फसलचक्र सीजन समाप्त होने रनवम्ब), 2021) पर पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
4.	काशी सुफल *, काशी अलंकार*	भाकृअनुप भारतीय - अनुसंधान सब्जी नसंस्था, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	एक्सेल प्रारूप में सम्बद्ध पूर्ववर्ती सीजन (2019-20) का डाटा वर्तमान फसल मध्य सीजन में है और सम्पूर्ण डाटा को फसलचक्र सीजन समाप्त होने रनवम्ब), 2021) पर पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

*डीयूएस लक्षणवर्णन में संदर्भ प्रविष्टियों के रूप में चिन्हित की गई, बीसीपीजी के रूप में अंकित अन्य प्रविष्टियों का रखरखाव किया जा रहा है। (ननल सेलेक्शभू प्रजातियों से क्लो)

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, यदि कोई है
राल पर हमारे खेतों का दौरा करते हैं। इस परियोजना से त अन्त से किसान नियमिर्ण पश्चिम बंगाल राज्यसम्पू : जुड़े वैज्ञानिक रोपण प्रणाली, फसल प्रबंधन, परागण प्रबंधन तथा कीट नाशीजीव एवं रोग प्रबंधन के विभिन्न - पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की कृषक किस्मों के पंजीकरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पर प्रकाशन एवं अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां, यदि कोई है :
परवल का डीयूएस परीक्षण करने पर दिशानिर्देशों को अभी हाल ही में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भाकृअनुप न अनुसंधान संस्थाभारतीय सब्जी -, वाराणसी के सक्रिय सहयोग से प्रकाशित किया गया है।

भाकृअनुप न अनुसंधान संस्थाभारतीय सब्जी -, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

** इस परियोजना को जनवरी, 2021 में भाकृअनुप संधान अनुभारतीय सब्जी - नसंस्था, वाराणसी को स्वीकृत किया गया। जैसा कि सर्दियों के (फरवरी - रनवम्ब) में थी और उसमें मार्च में अंकुरण प्रारंभ हुआ अवस्थादौरान फसल प्रसुप्ता, इसलिए परियोजना कार्य अप्रैल, 2021 में प्रारंभ किया गया।

3.1.21. ड्रमस्टिक के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट, कर्नाटक

डीयूएस केन्द्र पर रखरखाव की गई संदर्भ किस्मों का विवरण

क्र .सं.	प्राप्ति का नाम	कोड	संकलन का क्षेत्र	संकलन का राज्य
1.	पीकेएम -01	एमओ_1	पेरियाकुलम	तमिल नाडु
2.	पीकेएम -02	एमओ_2	पेरियाकुलम	तमिल नाडु
3.	धनराज	एमओ_3	धारवाड़ (यूएएसडी परिसर)	कर्नाटक
4.	भाग्या (केडीएम -01)	एमओ_4	बागलकोट (यूएचएसबी परिसर)	कर्नाटक
5.	करवर -01	एमओ_5	कुम्बर्डा गांव, करवर	कर्नाटक
6.	बदामी -02	एमओ_6	बदामी	कर्नाटक
7.	मैसूर -01	एमओ_7	मैसूर	कर्नाटक
8.	मैसूर -02	एमओ_8	मैसूर	कर्नाटक
9.	मैसूर -03	एमओ_9	मैसूर	कर्नाटक
10.	येलवला -01	एमओ_10	शेट्टीनायाकनहल्ली, मैसूर	कर्नाटक

11.	शिरडी -01	एमओ_11	शिरडी	महाराष्ट्र
12.	तांगी -01	एमओ_12	तांगी गांव	ओडिशा
13.	भुवनेश्वर -01	एमओ_13	भुवनेश्वर	ओडिशा
14.	कटक -01	एमओ_14	कटक	ओडिशा
15.	बागलकोट -01	एमओ_15	बागलकोट	कर्नाटक
16.	थार - हर्षा	एमओ_16	वेजलपुर, गोधरा	गुजरात
17.	माड्या -01	एमओ _17	मांड्या	कर्नाटक
18.	बीजी -1	एमओ_18	बागलकोट	कर्नाटक
19.	बीजी -2	एमओ_19	बागलकोट	कर्नाटक
20.	बीजी -3	एमओ_20	बागलकोट	कर्नाटक
21.	बीजी -4	एमओ_21	बागलकोट	कर्नाटक

धनराज अपराइट -	भाग्या रशीलविस्ता -	बागलकोट 1 - = ड्रूपिंग

3.1.22. पान के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था -, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बेंगलुरू, कर्नाटक

भाकृअनुप नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था -, बेंगलुरू के प्रयोगात्मक फार्म पर *सेस्बेनिया ग्रैण्डीफ्लोरा* एल) .*सेस्बेनिया* के अंतर्गत उगाए गए पान के (गुणों पर :न पर डीयूएस गुणों को दर्ज किया गया। कुल छरह संदर्भ क्लोग्या आंकड़ों को दर्ज किया गया जैसेकि ऑर्थोट्रॉपिक तना अंतर(.सेमी) नोडल लंबाई-, तिर्यक अनुवर्ती प्रोहकी संख्या (मीटर/संख्या) इकाई लंबाई/, तिर्यक अनुवर्ती पत्ती लंबाईचौड़ाई अनुपात/, मादा पुष्पक्रम लंबाई (.सेमी), नर पुष्पक्रम लंबाई (.सेमी), पुष्पक्रम तिर्यक अनुवर्ती प्ररोह की संख्या/।

कुल ग्यारह गुणात्मक विशेषताओं पर आंकड़ों को दर्ज किया गया जिनमें शामिल थे लैमिना रंगऑर्थोट्रॉपिक पत्ती :, ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती एपेक्स आकृति, ऑर्थोट्रॉपिक पत्ती बनावट, तिर्यक अनुवर्ती तना रंग, तिर्यक अनुवर्ती पत्ती लैमिना आकृति, तिर्यक अनुवर्ती पत्ती एपेक्स आकृति, तिर्यक अनुवर्ती पत्ती बनावट, पौधे का लिंग, पुष्पन प्रवृति, मादा पुष्पक्रम का रंग, प्रति तिर्यक अनुवर्ती शाखा में पुष्पक्रम की संख्या आदि।

अगस्त, 2019 में डीयूएस परीक्षण करने के लिए मैसर्स एलाइस टिर्की, रायपुर, छत्तीसगढ़ से एक कृषक किस्म

नामत 20) हुईखादान देशी कपूरी :जड़युक्त कटिंग की किया गया था। प्राप्त को प्राप्त (गई रोपण सामग्री में पौधे के मानक आकार की पुष्टि नहीं हुई थी । जैसा कि दिशानिर्देशों में बताया गया है, उसके अनुसार ये पौधे पतले और कमजोर थे। इसे पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया। खेत में संदर्भ किस्मों के साथ पान की बीस बेल को रोपा गया जिनमें अभी भी डीयूएस आंकड़ों को दर्ज करने के लिए अच्छी बढ़वार होनी है। इसके साथ ही इन्हें छायादार नेट में बनाये रखा जा रहा है।

बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

खेती की परिबद्ध का रखरखाव प्रवर्धन तथा उदाहरण किस्मोंप्रणाली के अंतर्गत जननद्रव्य (राजाबो)

देश के विभिन्न भागों से संकलित की गई पान की किस्मों का रखरखाव बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, नादिया, पश्चिम बंगाल में दो स्थानों पर बोराजा संरचना में किया जा रहा है। परियोजना के डीयूएस परीक्षण केन्द्र के सहयोग से कुल मिलाकर का रखरखाव किया गया है। इसमें किस्मों/वंशक्रमों 41 शामिल हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में वर्णित सभी उदाहरण किस्में इसके अलावा, इस केन्द्र में बीस संकर वंशक्रमों का रखरखाव भी किया जा रहा है।

बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी में रखरखाव किए गए *पाइपर बीटल* एल की सूचीकी किस्में .

	बंगला किस्में			**सांची किस्में**	
1.	बागेरहट बंगला	16	लक्षमण	30	हलिसहर सांची
2	बांकुरा बंगला	17	मलिशापुर बंगला	31	कालीपट्टी
3	भबानी बंगला	18	सादा बंगला (बाहेरल)	32	सिमुरली सांची
4	भैनछाइगोडी	19	सादा बंगला (1 फतेपुर)	33	गंगारामपुर सांची
5	भण्डारखोला	20	सादा बंगला (2 फतेपुर)	**कपूरी किस्में**	
6	दोगापन सादा	21	सादा बंगला (गंगारामपुर)	34	सीएआरआई **-6 (एएन)**
7	घनागेटे	22	एसजीएम -1	35	कपूरी (चिनाचेपल्ली)
8	गोदी बंगला	23	सिमुरली भाबना	36	कपूरी (डोड्डीपटला)
9	हलिसाहर झाल	24	सिमुरली चामुण्डली	37	कपूरी (लीपेडाचेप्पा)
10	हरीशपुर बंगला	25	सिमुरली देशी	38	कपूरी (र्णास्व)
11	जबलपुर बंगला	26	सिमुरली गोल भाबना	मीठा किस्में	
12	कडवा	27	उत्तरे पान	39	मीठा -1

13	कल बागिनी	28	सीएआरआई **-2** (एएन)	40	मीठा -2
14	काली बंगला	29	बिलहारी	41	मीठा -3
15	कोटकी बंगला				

3.1.23. आंवला (इंडियन गूजबेरी) के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2020-21 की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आंवला की नौ व्यावसायिक किस्मों जैसे कृष्णा, बनारसी, एनए 10, कंचन, एनए 6, चकैय्या, फ्रान्सिस तथा एनए 7 का रखरखाव संदर्भ किस्मों के तौर पर डीयूएस केंद्र में किया गया। आकृतिविज्ञान गुणों अथवा लक्षणों पर खेत आंकड़ों को दर्ज किया गया। उपरोक्त सामग्री के तीन पौधों को मूल्यांकन प्रयोजन के लिए डीयूएस जांच प्लॉट में रोपा गया। ये पौधे शाकीय बढ़वार के प्रारंभिक वर्ष अथवा अवस्था में हैं।

इसके अलावा वर्ष 2019 में श्री वलुन्ज बालासाहेब लहानु, मनमन्दिर, के.जी. राजमार्ग, औरंगपुर, तालुका अकोले 422 601, जिला ए. नगर, नामकरण संजीवनी - पिंक द्वारा प्रस्तुत एक पंजीकृत किस्म पर आकृतिविज्ञान आंकड़ों को दर्ज किया गया और उन्हें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया। इस आशाजनक सामग्री के तीन पौधों को वर्ष 2020-21 के दौरान मूल्यांकन प्रयोजन के लिए अन्य आशाजनक सामग्री के साथ साथ डीयूएस जांच प्लॉट में रोपा गया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आशाजनक सामग्री वाले दो निम्नलिखित प्रगतिशील आंवला उत्पादकों ने पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में अपनी सामग्री का पंजीकरण कराने के लिए सम्पर्क किया। उन्हें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में अपनी सामग्री का पंजीकरण कराने के बारे में समुचित परामर्श प्रदान किया गया।

भाकृअनुप - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, गोधरा, गुजरात

रिपोर्टाधीन अवधि 2020-21 के दौरान, भाकृअनुप - केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, गोधरा, गुजरात केंद्र पर आंवला की कुल 13 संदर्भ किस्मों यथा बनारसी, फ्रान्सिस, चकैय्या, कंचन (एन 4), कृष्णा (एन 5), एन 7, आनंद 1, आनंद 2, गोमा ऐश्वर्य, आनंद 2, बीएसआर 1, बीएसआर 2 तथा एनए 10 का रखरखाव डीयूएस परीक्षण केंद्र में खेत जीन बैंक में किया गया। डीयूएस लक्षणों की स्थिरता का पता लगाने के लिए आकृतिविज्ञान तथा जैव रासायनिक लक्षणों पर आंकड़ों को दर्ज किया जा रहा है।

3.1.24. बेल के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप न बागवानी संस्थाय शुष्ककेन्द्री -, गोधरा, गुजरात

रिपोर्टाधीन अवधि 2020-21 के दौरान, बेल की कुल 15 प्रत्याशी / संदर्भ किस्मों (गोमा याशी, थार दिव्या, थार नीलकण्ठ, थार सृष्टि, सीआईएसएच - बी - 1, सीआईएसएच - बी - 2, एनबी 16, एनबी 17, एनबी 5, एनबी 7, एनबी 9, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता तथा पंत उर्वशी) का रखरखाव भाकृअनुप - केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, गोधरा, गुजरात में स्थित खेत रिपोजिट्री में किया गया।

डीयूएस परीक्षण के लिए कुल 13 कृषक किस्मों का लक्षणवर्णन अथवा अध्ययन किया जाना है। छत्तीसगढ़ से सभी कृषक किस्मों (5) के फल नमूनों को संकलित किया गया और इनका अध्ययन किया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण लगी लॉकडाउन अवधि के कारण कृषक किस्म के पके हुए फल लक्षणों को छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल से संकलित नहीं किया जा सका। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, अध्ययन प्रयोजन के लिए फल नमूनों का संकलन करने के लिए चार - पांच दौरे किए जाएंगे।

भाकृअनुप - केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

इस केंद्र में बेल की कुल ग्यारह व्यावसायिक किस्मों यथा सीआईएसएच - बी - 2, एनबी 9, पंत सुजाता, एनबी 16, पंत शिवानी, एनबी 5, पंत अपर्णा, सीआईएसएच - बी - 1, पंत उर्वशी, एनबी 7, एनबी 17 का रखरखाव किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान आकृतिविज्ञान लक्षणों के लिए कुल 6 किस्मों पर खेत आंकड़ों को दर्ज किया गया। उपरोक्त सामग्री के तीन पौधों को मूल्यांकन प्रयोजन हेतु डीयूएस जांच प्लॉट में रोपा गया। ये पौधे अभी शाकीय बढ़वार के प्रारंभिक वर्ष अथवा अगेती अवस्था में हैं।

किस्मीय ब्लॉक में पिछले वर्ष रोपी गई तीन नई किस्में यथा थार नीलकंठ, थार दिव्या तथा गोमा याशी अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। इनके पौधे शाकीय बढ़वार अवस्था में हैं। पुष्पन एवं फलन हासिल करने के उपरान्त डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया जाएगा। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गईं तीन किस्मों यथा देव बेल, अमृत बेल तथा राजा बेल पर डीयूएस आंकड़ों को भी दर्ज किया गया।

3.1.25. जामुन के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

रिपोर्टाधीन अवधि 2020-21 के दौरान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ केंद्र पर जामुन की सात संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। कुल 40 प्राप्तियों का संकलन करके इस डीयूएस परीक्षण केंद्र के खेत जीन बैंक में उन्हें स्थापित किया गया। प्रति वर्ष प्रत्येक लक्षण अथवा गुण के आकृतिविज्ञान आंकड़ों को दर्ज किया जा रहा है। संदर्भ किस्मों का लक्षणवर्णन किया गया।

भाकृअनुप न बागवानी संस्थाय शुष्ककेन्द्री -, गोधरा, गुजरात

रिपोर्टाधीन अवधि 2020-21 के दौरान, जामुन की कुल सात प्रत्याशी /संदर्भ किस्मों (गोमा प्रियंका, कोंकण बारदोली, सीआईएसएचजे 37, सीआईएसएचजे 42, थार क्रान्ति तथा जामवंत) का रखरखाव कृषक किस्म की जांच करने के लिए स्टेशन, सीएचईएस, गोधरा में स्थित खेत रिपोजिट्री में किया गया।

3.1.26. अमरूद के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

खेत जीन बैंक में उपलब्ध अमरूद की किस्मों का डीयूएस लक्षणवर्णन करने के साथ साथ पंजीकरण के (21) पर डीयूएस परीक्षण किया गया।लिए दो कृषक किस्मोंखेत जीनबैंक में संदर्भ और कृषक किस्मों का रखरखाव किया (10) गया। सीआईएसएच, लखनऊ द्वारा पंजीकरण त के लिए प्रस्तु (2) पर डीयूएस परीक्षण किया गया। सीआईएसएच में किस्मों व को के लिए पंजीकरण प्रस्ताविकसित अमरूद की दो किस्मों त किया गया।प्रस्तुपौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के साथ किस्मों का पंजीकरण कराने के लाभ और मौजूदा किस्मों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक कृषक किस्म जी विलास) का पंज (पसंद ीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रयागराज और लखनऊ क्षेत्र से अमरूद की नई प्राप्तियों संकलित किया गया। को (8)

3.1.27. लीची के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप य लीची अनुसंधान केन्द्रराष्ट्री -, मुजफ्फरपुर, बिहार

रिपोर्टाधीन वर्ष 2020-21 के दौरान, लीची के लिए भाकृअनुप - राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा अनुरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत लीची की कुल 75 प्राप्तियों का रखरखाव किया गया। इस वर्ष केंद्र द्वारा रखरखाव की गईं 6 संदर्भ किस्मों का रखरखाव डीयूएस परीक्षण ब्लॉक में किया जा रहा है। डीयूएस डिस्क्रिप्टर्स के अनुसार कुल बीस जननद्रव्य का लक्षणवर्णन किया गया। वर्तमान में डीयूएस ब्लॉक में कोई भी कृषक किस्म नहीं है।

3.1.28. शरीफा तथा पपीते के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था -, हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक

पपीता :रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पपीते की कुल कूर्ग हनी डयू) संदर्भ किस्मों 19, सनराइज सोलो, वाशिंगटन, पंत 2, पीएयू सेलेक्शन, लखनऊ कलेक्शन, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा जिआंट, ड्वार्फ लिलि, अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, सीओ1 , सीओ 2, सीओ 4, सीओ 5, सीओ 6, सीओ (8 तथा सीओ 7को खेत में उगाया गया। किस्मों का रखरखाव करने के लिए सेल्फिंग तथा सहोदर समागम कराया गया। फसल अब फल विकास अवस्था में है। शरीरक्रिया विज्ञान परिपक्वता हासिल करने पर, तुड़ाई, बीज निकालने का कार्य, प्रसंस्करण तथा बीज भण्डारण का कार्य मानक प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। जैसा कि डीयूएस परीक्षण के लिए पपीते की कोई भी प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए पपीता फसल में डीयूएस परीक्षण का कार्य नहीं किया गया।

शरीफा :मानक उत्पादन रीतियों का अनुपालन करते हुए खेत जीन बैंक में शरीफा की कुल (.वामोज़ा एलस्क .ए) यथा बालानगरसंदर्भ किस्मों 13, रायदुर्ग, एपीके 1, रेड़ सीताफल, मैम्मोथ, बारबडोस, वाशिंगटन 07005, वाशिंगटन 98797, ताइवान, एनएमके 1, अर्का नीलांचल विक्रम, फुले जानकी तथा अर्का सहन का रखरखाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तथा महाराष्ट्र के बारामती में शरीफा का ऑन साइट डीयूएस परीक्षण कार्य कोविड री के महामा 19 परिस्थितियों में नहीं किया जा सका और इसे अब अगले वर्ष किया जाएगा।न्नकारण उत्प

पपीता

तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिल नाडु

संदर्भ किस्मों का डीयूएस लक्षणवर्णन

रिपोर्टाधीन अवधि 2020-21 के दौरान, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में रखरखाव की गई पपीते की कुल 19 संदर्भ किस्मों के लिए डीयूएस गुणों का लक्षणवर्णन किया गया।

1.	सीओ 1	11.	पूसा जिआंट
2.	सीओ 2	12.	अर्का सूर्या
3.	सीओ 3	13.	अर्का प्रभात
4.	सीओ 4	14.	पीएयू सेले .
5.	सीओ 5	15.	पंत पपाया 2
6.	सीओ 6	16.	कूर्ग हनी ड्यू
7.	सीओ 7	17.	वाशिंगटन
8.	टीएनएयू पपाया सीओ 8	18.	सनराइज सोलो
9.	पूसा नन्हा	19.	रेड़ लेडी
10.	पूसा ड्वार्फ		

पपीते की बढ़वार और विकास के इष्टतम अवस्था में मात्रात्मक, गुणात्मक और स्यूडो गुणात्मक लक्षणों अथवा गुणों से संबंधित आंकड़ों को दर्ज किया गया। संदर्भ किस्मों के लिए मात्रात्मक लक्षणों यथा प्रथम पुष्प में नोड्स की संख्या (.सेमी), मध्य अंतर नोड की लंबाई (.सेमी), प्रथम फल तक ऊंचाई (.सेमी), फल भार (.किग्रा), फल लंबाई व व्यास क लक्षणों डो गुणात्मको दर्ज किया गया। स्यू (.सेमी) सय कैविटी व्याएवं केन्द्री (.मीसे) गूदा मोटाई (.सेमी) यथा लिंग टाइप, परिपक्व पत्ती डंठल का रंग तथा पुष्पक्रम पर्णवृंत का रंग, वयस्क पौधे में तने का रंग और फल आकृति को दस्तावेजी रूप प्रदान किया गया। पपीते की किस्में अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, कूर्ग हनी ड्यू तथा पीएयू सेलेक्शन पपीता गोलाकार धब्बा वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित थीं।

3.1.29. जायफल के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

डॉबालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ ., दपोली, रत्नागिरि, महाराष्ट्र

जायफल की संकलित चार नवीन कृषक किस्मों यथा खनोली 2, खनोली 3, दीपा एवं गीता जो कि पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत हैं, को डीयूएस केंद्र , मुल्डे में वर्ष 2020-21 के दौरान खेत में रोपा गया। इसी प्रकार डीयूएस केंद्र , मुल्डे में नौ कृषक किस्मों (प्रत्येक किस्म के पांच पौधे) तथा 32 संदर्भ किस्मों की रोपाई की गई। पंजीकरण प्रयोजन के लिए केरल से प्राप्त तीन कृषक कलम बंधन

(प्रत्येक किस्म के 11 कलम बंधन) की जांच टेटवाली ब्लॉक, सीईएस वकावली में की जा रही है। रिपोर्टाधीन अवधि 2020-21 के दौरान, कुल 23 कृषक किस्में डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत शामिल हैं।

3.1.30. सुपारी के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप नय रोपण फसल अनुसंधान संस्थाकेन्द्री -, विट्टल, कर्नाटक

सुपारी की कुल सोलह डीयूएस संदर्भ किस्मों अथवा उदाहरण किस्मों नामतमंगला :, सुमंगला, श्रीमंगला, मोहितनगर, स्वर्ण मंगला, काहीकुचि, मधुरम मंगला, नलबारी, शता मंगला, वीटीएलएएच 1, वीटीएलएएच 2, हिरेहल्ली ड्वार्फ, एस के लोकल, तीर्थाहल्ली, सागर तथा सिरसी की सूखी गिरियों से आर्कोलिन मात्रा का अनुमान लगाया गया। सुमंगला किस्म की सूखी गिरी से सबसे कम आर्कोलिन मात्रा 796.10µg/ग्राम को दर्ज किया गया जबकि तदुपरान्त सागर (799.80 µg/ग्राम), काहीकुचि (806.42 µg/ग्राम), स्वर्ण मंगला (808.53 µg/ग्राम), शता मंगला (813.48 µg/ग्राम), मंगला (838.17 µg/ग्राम), एस के लोकल (846.68 µg/ग्राम) आदि में दर्ज किया गया। अधिकतम आर्कोलिन मात्रा को हिरेहल्ली ड्वार्फ किस्म)1295.63 µg/ग्राममें पाया गया जबकि (हितनगर मोइसके उपरान्त(1264.52 µg/ग्राम), वीटीएलएएच 2(1217.68 µg/ग्राम) आदि में दर्ज किया गया। उदाहरण से आकृतिविज्ञान संदर्भ किस्मों/ पौधा ऊंचाई गुणों जैसे कि, तना ऊंचाई, क्राउन अथवा शीर्ष की लंबाई, क्राउन अथवा शीर्ष की आकृति, परिधि, अंतर नोडल लंबाई, पत्तियों की संख्या, पत्रकों एल की संख्या, पत्रकों आर की संख्या आदि तथा ताजा दाना विशेषताओं जैसे कि ताजा फल भार, फल की लंबाई, फल की चौड़ाई आदि को दर्ज किया गया।

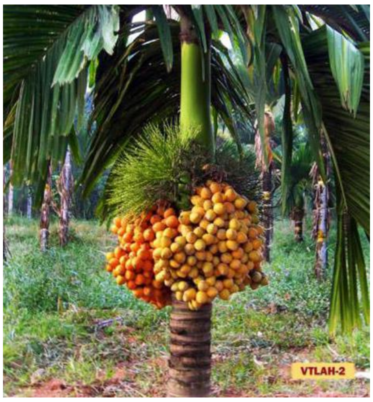

सहयोगी केन्द्र भाकृअनुप न अनुसंधान केन्द्रय रोपण फसल अनुसंधान संस्थाकेन्द्री -, मोहितनगर, पश्चिम बंगाल में डीयूएस उदाहरण अथवा संदर्भ किस्मों के आकृतिविज्ञान गुणों को दर्ज किया गया। अधिकतम पौधा ऊंचाई को नलबारी 509.3)सेमी 374.8) काहीकुचिजबकि इसके उपरान्त में दर्ज किया गया (.सेमी(., सुमंगला 372.2)सेमी (. 336.0) तथा मोहितनगरसेमीमें दर्ज किया गया। हालांकि (., ड्वार्फ संकर वीटीएलएएच मे 1ं न्यूनतम ऊंचाई 138.9)सेमी 173.7) ड्वार्फ हिरेहल्लीदर्ज की गई जबकि इसके उपरान्त (.सेमीअधिकतम परिधि में दर्ज की गई। (. 19.0) को नलबारीसेमी 18.5) मधुरम मंगलामें एवं तदुपरान्त (.सेमी में अन्यमें दर्ज किया गया। नलबारी किस्म (. लंगुणों जैसे कि पत्तीबाई, पत्ती शीथ लंबाई, पत्ती चौड़ाई, पत्रकों की संख्या, पत्रक की लंबाई तथा पत्रक की चौड़ाई के संबंध में भी उच्चतर मान दर्ज किए गए। सहयोगी केन्द्र भाकृअनुप न य रोपण फसल अनुसंधान संस्थाकेन्द्री - अनुसंधान केन्द्र, काहीकुचि, गुवाहटी, असम में डीयूएस उदाहरण के अंकुरण एवं पौद संबंधी गुणों को संदर्भ किस्मों/ यथा सागरदर्ज किया गया। तीन किस्मों, सुमंगला तथा काहीकुचि में शत प्रतिशत अंकुरण पाया गया और अंकुरण में क्रमश68 :, 67 और में अंकुरण के दस माह दिनों का समय लगा। पौद बढ़वार के संबंध में सागर किस्म 60 उपरान्त अधिकतम पौद ऊंचाई 93.06)सेमी में पत्तियों की अधिकतम संख्या 2 दर्ज की गई। जबकि वीटीएलएएच (. तक की .मिमी 20.19 से लेकर .मिमी 12.40 पौद की परिधि में के मध्य किया गया। किस्मोंको दर्ज (5.54) ता देखने को मिली। अंकुरण के दस माह उपरान्तभिन्न, वीटीएलएएच 1 किस्म में जहां अधिकतम परिधि 20.19) मिमी की गई।में दर्ज (.मिमी 17.54) 2 वीटीएलएएचदर्ज की गई वहीं इसके यह उपरान्त (.

3.1.31. काजू के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप काजू अनुसंधान निदेशालय -, पुत्तूर, कर्नाटक

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एच न द्वारा संस्था) एक बड़े आकार की गिरी वाले काजू संकर 130 वेदन को प्राधिकरण को भेजा गया और अभी इसका के लिए आ (जारी पंजीकरण कार्य लंबित है। अभी हाल ही में निदेशालय द्वारा काजू की एक नवीन बौनी किस्म एनआरसी) 492नेथरा वामनको जारी किया गया है (जिसके लिए आवेदन को पंजीकरण एवं प्रयोजन हेतु पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण लक्षणों अथवा गुणों के लिए चरित्रांकन की गई 68 भेजा जाएगा। कुल को य काज का रखरखाव राष्ट्रीजारी किस्मों 44 कुल् खेत जीन बैंक में किया गया है। काजू जननद्रव्य डाटाबेस (https://cashew.icar.gov.in/dcr) को प्राप्तियों से जुड़ेजननद्रव्य 76 मार्च 31 दध बनाया गया। दिनांकचित्रों से समृ 842, 2021 तक इस डाटाबेस को कुल बार देखा गया। 3611

वर्ष 61 पितके दौरान स्था 2017काजू जननद्रव्य प्राप्तियों के कोर संकलन का रखरखाव किया गया और इस कार्य में संस्तुत सस्यविज्ञान रीतियों और आकृति प्रूनिंग का अनुपालन किया गया।

कुल तीस संदर्भ किस्मों के ब्लॉक का रखरखाव किया गया है।

3.1.32. चिरोन्जी एवं इमली के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

केन्द्रीय बागवानी प्रयोगात्मक स्टेशन, भाकृअनुप न बागवानी संस्थाय शुष्ककेन्द्री -, गोधरा, गुजरात

वर्ष 2020-21 के दौरान, डीयूएस परीक्षण केंद्र द्वारा इमली की कुल 11 किस्मों यथा गोमा प्रतीक, प्रतिष्ठान, टी 263, पीकेएम 1, अजंता, डीटीएस 1, रेड़ टाइप, स्वीट टाइप, बन्तूर, उरिगम तथा थार किरन और चिरोन्जी

के दस जीनप्ररूपों नामत: थार प्रिया, सीएचईएससी 1, सीएचईएससी 2, सीएचईएससी 3, सीएचईएससी 4, सीएचईएससी 5, सीएचईएससी 6, सीएचईएससी 8, सीएचईएससी 9 तथा सीएचईएससी 10 का रखरखाव किया गया जबकि डीयूएस परीक्षण के तहत कोई प्रत्याशी किस्म शामिल नहीं थी।

3.1.33. शहतूत के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

केन्द्रीय रेशा संवर्धन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर, कर्नाटक

नियमित रूप से निराई गुडाई करके, सिंचाई करके, गोबर की खाद का प्रयोग करके, नियमित तौर पर कटाई छंटाई करके और अन्य फार्म प्रचालनों को पूरा करते हुए तीन प्रतिकृतियों में 46 प्राप्तियों के साथ डीयूएस जांच

प्लॉट का रखरखाव किया गया। सीएसजीआरसी, होसुर से कुल 12 जननद्रव्य खरीदे गए और चूंकि ये घटिया रूटर्स हैं इसलिए वी 1 मूलवृंत पर इनका कलम बंधन किया गया।

पना के लिए सीएसआरटीआई की स्थानोडल डीयूएस जांच केन्द्र-सह, बरहामपुर को कुल जननद्रव्य 51 (34) प्रविष्टियां भेजी गई थीं। उदाहरण जीनप्ररूपों, संदर्भ किस्मों का कु (6) थीं किस्मोंतथा अभ्य (12)ल गुणों 35 अथवा लक्षणों के लिए डीयूएस लक्षणवर्णन किया गया।

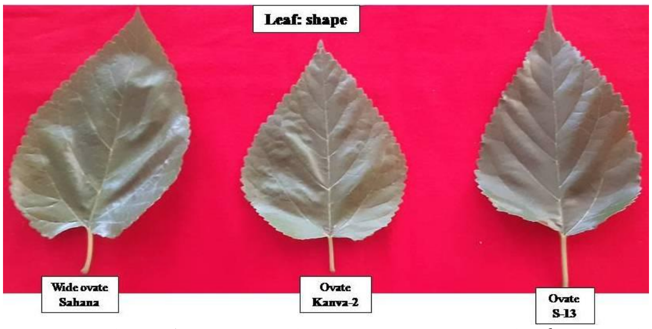

क पुनरावृत्ति में आठ पौधों को प्रत्ये (12) संदर्भ किस्मों के साथ तीन पुनरावृतियों में रोपा गया और दस खेत में प्रति पुनरावृतिउदाहरण जीनप्ररूपों को मुख्य पौधों के साथ तीन पुनरावृतियों में रोपा गय :छा। डीयूएस जांच खेत में पुनपौधरोपण करने के लिए : के लिए नर्सरी को तैयार किया गया। थीं किस्मोंअभ्य ट में उदाहरण और इसके साथ ही डीयूएस जांच प्लॉ जीनप्ररूपों के 32 म से अन्यके माध्य राल को पाटने के लिए कटिंग और कलम बंधन के बीच अन्तसंदर्भ किस्मों लिए भीनर्सरी को तैयार किया गया। प्रत्येक शहतूत किस्म यथा जी 2, एआर 12, आरसी 1, सहाना तथा एमएसजी के लिए डीयूएस जांच आवेदन तैयार किया गया और 2पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत शहतूत की इन किस्मों का पंजीकरण करने के लिए दर्ज कराया गया। कुछ अतिरिक्त जानकारी के साथ 'आवंटन का कार्य)Deed of assignment(' के साथ साथ संदर्भ किस्मों सहित प्रत्येक अभ्यर्थी किस्म के विशिष्ट गुणों को दर्शाने वाले रंगीन चित्रों को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। शहतूत की पहचान चित्र के लिए मैनुअल किस्मथीं किस्मोंसंदर्भ एवं अभ्य 17(MCID) उत्पन्न किया गया। यह शहतूत की किस्मों की पहचान करने में उपयोगी है। इसके द्वारा शहतूत के सात डीयूएस लक्षणों पर आधारित 17 क्तिगत रूप से पहचान की गई।अलग अलग किया गया और उनकी व्य कोकिस्मों

3.1.34. पोपलर के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश

रखरखाव प्रजनन/लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्मों की संख्या तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की प्रगति, यदि लागू है (जैसा मामला हो)

प्रजाति का नाम	**किस्मों की संख्या**	स्रोत (स्वयं द्वारा जारी/भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालय)
पापुलस डेल्टॉइड्स	15 एल 6105, एल 30/06, एल 621/84, जी -48 (उत्तराखण्ड़ वन विभाग (एस$_7$ सी$_{15}$, एस$_7$ सी$_8$, डब्ल्यूएसएल 22, डब्ल्यूएसएल 39 (विमको सीडलिंग्स रूद्रपुर, उत्तराखण्ड़ (6503, 5503, 1007, एल 200/86 (टाइगर विभाग, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन (पीएल -3, पीएल -6, पीएल -7 (वानिकी विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (	राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वन विभाग, विमको

जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, फरवरी, 2020 में संदर्भ किस्मों का रखरखाव परीक्षण किया गया :

प्रयोगात्मक विवरण

स्थान: बागवानी एवं वानिकी श्वविद्यालय नौनी

क्लोन्स की संख्या : 15

पुनरावृति : 3

प्रति पुनरावृति पौधों की संख्या : 16

डिजाइन : यादृच्छिक ब्लॉक

फासला : 60 सेमी. X 60 सेमी .

3.1.35. विल्लो के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

वृक्ष सुधार एवं आनुवंशिक संसाधन विभाग, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश

रखरखाव प्रजनन/लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्मों की संख्या एवं डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की प्रगति

प्रजातियों का नाम	**किस्मों की संख्या**	**स्रोत निजी द्वारा) कृषि राज्य/भाकृअनुप/जारी (विद्यालयविश्व**
सैलिक्स प्रजातियां	17 पीएन -731, एसआई -64-016, पीएन -227, एफएलएस, एसआई-64-017, एसआई-63-007, 006/05, घेघस, जे -799, एनजेड -1140, 131/25, जे -194, जे -795, ऑस्ट्री, कश्मीरी लोकल, वी -99, देवमाता	राज्य कृषि विश्वविद्यालय

जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, फरवरी, 2020 में संदर्भ किस्मों का रखरखाव परीक्षण किया गया :

प्रयोगात्मक विवरण

स्थान : बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी

क्लोन्स की संख्या : 17

पुनरावृति : 3

प्रति पुनरावृति पौधों की संख्या : 20

डिजाइन : यादृच्छिक ब्लॉक

फासला : 40 सेमी. X

कृषक किस्मों के चार आवेदन प्राप्त किए गए और उन्हें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शाखा कार्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में भेजा गया ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

3.1.36. कैजूआरीना तथा यूकेलिप्टस के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (ICFRE), कोयम्बटूर, तमिलनाडु

यूकेलिप्टस

करूण्या में रोपे गए यूकेलिप्टस के क्लोनल परीक्षणों का मूल्यांकन वृक्ष स्वरूप तथा शाखा गुणों के लिए किया गया। यूकेलिप्टस के डीयूएस लक्षण वन परिसर तथा सेलम में पाए गए। करूण्या तथा सेलम में परीक्षणों का रखरखाव किया गया। फूलों, पुष्पक्रमों तथा फलों के नमूने संकलित किए गए और पर्यवेक्षण किया गया। संदर्भ और मैट्रिक्स को दर्ज करने करने के लिए एक इमेज डाटाबेस सृजित किया गया। भण्डारित इमेज का विश्लेषण किया गया और इस कार्य में इमेज एनालाइजर का उपयोग किया गया।

कैजूआरीना

वन परिसर, कोयम्बटूर, तमिल नाडु में लगभग वाले संयोजन का रखरसंदर्भ किस्मों 110खाव किया गया है। अधिक आयु वाले वृक्षों की प्राप्तियों को प्रवर्धित किया गया और उन्हें जननद्रव्य बैंक में बनाये रखने के लिए पुन : रोपित किया गया। प्राप्तियों से समय समय पर डीयूएस लक्षणों को दर्ज किया गया। विशेषकर, वर्ष तथा 2015 के दौरान पंजीकरण के लिए 2017 प्रस्तुत छ : के लिए सभी लक्षणों अथवा र्थी किस्मोंअभ्य गुणों को दर्ज किया गया। डिस्क्रिप्टर्स जानकारी और सस्यविज्ञान गुणों के संबंध में इन किस्मों के बारे में प्राधिकरण द्वारा मांगी गई सभी अतिरिक्त जानकारी को उपलब्ध कराया गया। किस्मीय विकास कार्यक्रम चलाने वाले उद्योगों से सम्पर्क किया गया और उन्हें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के साथ अपने क्लोन्स को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विशेषकर, आईटीसी लिमिटेड और तमिल नाडु न्यूज़प्रिन्ट एंड पेपर लिमिटेड जिनके यहां सक्रिय वृक्ष सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, को डीयूएस लक्षणों अथवा गुणों को दर्ज कराने और प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु आवेदन तैयार करने पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई।

नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात

नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात में क्लोनल मूल्यांकन परीक्षणों में उपस्थित *यूकेलिप्टस यूरोफाइला* एस टी ब्लेक वृक्षों से बीजों को संकलित किया गया। नर्सरी में पौधों को तैयार किया गया और उनका रखरखाव किया गया।

हालांकि, गंभीर मृत्युदर देखने को मिली और इसलिए कोई भी फलोद्यान नहीं किया जा सका।

दिनांक जून 24, 2020 और रसितम्ब 4, 2020 को जेके पेपर मिल, सोनगढ़ में खेत दौरे किए गए। *ई . यूरोफाइला* के चयनित वृक्षों पर आंकड़े लिए गए। जेके पेपर मिल, सोनगढ़ से *यूकेलिप्टस यूरोफाइला*- नक्लो) टर्बोविद्यालयसंकलित किए गए और नवसारी कृषि विश्व (नल पौधेक्लो) के जननद्रव्य (, नवसारी, गुजरात में एक परीक्षण में स्थापित किए गए।

विभिन्न हितधारकों से फलोद्यान तथा जननद्रव्य की उपलब्धता के संबंध में संसाधन डाटा का संकलन किया गया। सह प्रधान अन्वेषक द्वारा पहले ही मैसूर पेपर मिल, शिवमोगा, कर्नाटक में *ईयूरोफाइला .* एस टी ब्लेक के फलोद्यानों का दौरा किया जा चुका है। पुनखेत दौरों तथा नमूनों : व जननद्रव्य का संकलन करने के लिए लगातार दूरभाष पर बातचीत की जा रही है। हालांकि, कोविड नमहामारी के कारण उत्प 19्न परिस्थितियों में कोई और दौरा अथवा सर्वेक्षण नहीं किया जा सका।

3.1.37. बेर के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप न बागवानी संस्थाय शुष्ककेन्द्री -, बीकानेर, राजस्थान

Tikadi

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 21-2020, बेर की कुल 85 औरसंदर्भ किस्मों 25 उदाहरण किस्मों का रखरखाव खेत जीन बैंक में किया गया। वर्ष के दौरान 2020, जय दुर्गा कृषक क्लब, वीपीओ लखुरी, जांजगीर म्पाच -, रायपुर से दावा की गईं आठ किस्मों का मूल्यांकन स्थल पर किया गया और डिस्क्रिप्टर पैरामीट 36 सभी)रके (अनुसार संकलित डाटा का प्रमाणन क िया गया। प्रो ,निदेशक) सरोज .एल.पी (.डॉ) . - भाकृअनुप केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान - 3 दिनांक क्षता मेंकी अध्य (बीकानेर , 2020 ,मार्च 4को किस्मीय प्रमाणन समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस समिति में विशेषज्ञ के रूप में डॉ . रवि प्रकाश .तथा डॉ (नई दिल्ली ,नभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ,गएफ एच एंड टी विभा ,प्रोफेसर) अवस्थी .पी.ओ ,ररजिस्ट्रा)पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण बेर जननद्रव्य ,शामिल थे। इसके अलावा (नई दिल्ली , तु किया गया ।र के अनुसार भावी संदर्भ हेक से नई बीस प्राप्तियों का लक्षणवर्णन डिस्क्रिप्टब्लॉ

लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्मों का नाम अथवा संख्या
20 किस्में : जननद्रव्य ब्लॉक बीसी सीरीज र्स के का वर्णन डीयूएस डिस्क्रिप्ट (8) तथा जोधपुर सीरीज (12) अनुसार किया गया।

3.1.38. शकरकंदी एवं कसावा के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप नय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थाकेन्द्री -, तिरूवनंतपुरम, केरल

कसावा और शकरकंदी में विशिष्ट, स्थिर और एकसमान आकृतिविज्ञान लक्षणों अथवा गुणों का विकास करने के प्रयोजन से परियोजना को प्रारंभ किया गया ताकि विभिन्न किस्मों अथवा क्लोन्स में भिन्नता की जा सके और एक 'किस्मीय जीन बैंक' तथा कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की स्थापना की

जा सके। कसावा (57) और शकरकंदी (42) की संदर्भ किस्मों के जीन बैंक का संरक्षण खेत में किया जा रहा है। कसावा की किस्मों को वार्षिक रूप से दोबारा रोपा गया जबकि शकरकंदी की किस्मों को एक वर्ष में तीन बार रोपा गया। कसावा और शकरकंदी किस्मों का पंजीकरण प्रारंभ करने के लिए किसानों को जागरूक बनाया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, एक आशाजनक किस्म, मन्ना का डीयूएस जांच परीक्षण आयोजित किया गया और आवेदन को तैयार किया गया। इसके साथ ही कसावा की दो कृषक किस्मों और शकरकंदी की दो किस्मों के डीयूएस परीक्षण भी आयोजित किए गए। आवेदन प्रपत्रों को पूरा किया गया और उन्हें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया ।

फसल	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत किस्मों की संख्या
कसावा	डीयूएस गुणों के लिए संदर्भ किस्में (जारी) 29 :, अन्य 28 :, कुल 57 :
शकरकंदी	डीयूएस गुणों के लिए संदर्भ किस्में (जारी) 35 :, अन्य 7 :, कुल 42 :

भाकृअनुप नय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थाकेन्द्री -, भुवनेश्वर, ओड़िशा

वर्ष 2020-21 के दौरान, शकरकंदी की 43 और कसावा की 12 संदर्भ किस्मों का रखरखाव खेत जीन बैंक में किया गया। इसके साथ ही किस्मों अथवा क्लोन्स की रोपण सामग्री का गुणनीकरण किया गया। चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण हम *स्व: पात्रे* परिस्थितियों में शकरकंदी और कसावा की किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं। ऊतक संवर्धन से तैयार रोपण सामग्री का अनुकूलनीकरण किया गया और नेटहाउस में इसका रखरखाव किया जा रहा है।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2020 को डीयूएस परीक्षण डाटा प्रबंधन - स्वचालन - इमेज विश्लेषण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार में भाग लिया। इसी प्रकार पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2021 को पीवीपी नियंत्रण उपायों का आदान-प्रदान विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार में अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

उठाए गए संरक्षण उपाय : शकरकंदी की सभी किस्मों की बेलों की तुड़ाई की गई और उन्हें खेत में दोबारा से रोपाई करने के लिए वैयक्तिक गमलों में रोपा गया। चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस्मों में होने वाली भावी नुकसान से बचने के लिए शकरकंदी के अनूठी किस्मों का रखरखाव करने के लिए *स्व: पात्रे* संरक्षण किया गया।

उठाए गए संरक्षण उपाय खेत में दोबारा से रोपाई की बेलों की तुड़ाई की गई और उन्हेंशकरकंदी की सभी किस्मों : सी प्राकृतिक करने के लिए वैयक्तिक गमलों में रोपा गया। चक्रवात जै में होने वाली भावी नुकसान से बचने के लिए आपदाओं के कारण किस्मों का रखरखाव करनेशकरकंदी के अनूठी किस्मों के लिए *स्व पात्रे :* संरक्षण किया गया।

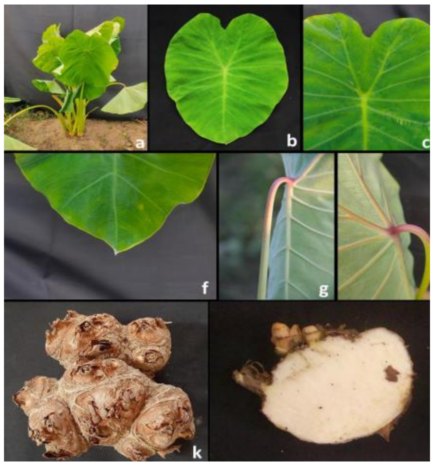

3.1.39. जिमिकंद एवं तारो के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप - केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर, ओड़िशा

वर्ष 2020-21 के दौरान, तारो की 21 और जिमिकंद की 18 संदर्भ किस्मों का रखरखाव खेत जीन बैंक में किया गया। इसके साथ ही किस्मों अथवा क्लोन्स की रोपण सामग्री का गुणनीकरण किया गया। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त दो प्रविष्टियों (गुछेदार तथा नरेन्द्र घुइया) के लक्षणवर्णन का कार्य प्रथम वर्ष के लिए किया गया।

ओड़िशा के कंधमाल जिले से तारो में तीन स्थानीय वंशक्रमों और जिमिकंद के तीन वंशक्रमों को संकलित किया गया। संकलित किए गए सभी वंशक्रमों को खेत में रोपा गया और डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षणवर्णन का कार्य किया गया। संकलित किए गए सभी नवीन वंशक्रमों के वैयक्तिक विशिष्ट लक्षणों की पहचान की गई और उनका दस्तावेजीकरण किया गया। चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण हम *स्व: पात्रे* परिस्थितियों में तारो और जिमिकंद की किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं। ऊतक संवर्धन से तैयार रोपण सामग्री का अनुकूलनीकरण किया गया और नेटहाउस में इसका रखरखाव किया जा रहा है।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2020 को डीयूएस परीक्षण डाटा प्रबंधन - स्वचालन - इमेज विश्लेषण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार में भाग लिया। इसी प्रकार पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2021 को पीवीपी नियंत्रण उपायों का आदान-प्रदान विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार में अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक बरअक्तू 6, 2020 को डीयूएस परीक्षण डाटा प्रबंधन य वेबीनार में भाग लिया। इसी षण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीइमेज विश्ले - चालनस्व - एवं ककिस्म प्रकार पौधा ृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक अप्रैल 8, 2021 को पीवीपी नियंत्रण उपायों का आदान य वेबीनार में अपनी भागीदारी दर्ज कराई।प्रदान विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्री-

3.1.40. नींबू, मैण्डेरिन तथा माल्टा के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र

भाकृअनुप -केन्द्रीय नींबूवर्गीय अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र

रखरखाव लक्षणवर्णन के अंतर्गत किस्में/

अधिदेशित फसल प्रजातियां	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों का नाम अथवा संख्या	डाटा प्रस्तुति (रखरखाव प्रजनन) नहीं/हॉ
मैण्डेरिन	एनआरसीसी नागपुर मैण्डेरिन (4 एन) 4 -, मुदखेड सीडलैस, सिक्किम मैण्डेरिन, दार्जीलिंग मैण्डेरिन, एन 28, एन 34, एन 38	प्रगति में
माल्टा	एम 3, एम 4, एम 8, मोसम्बी, सथगुडी	प्रगति में
नींबू	विक्रम प्रमालिनी, साई शरबती, एनआरसीसी नीबू 3, एनआरसीसी नींबू4 , एनआरसीसी नींबू 5, एनआरसीसी एसिड़ लाइम तथा एनआरसीसी एसिड़ 7 8 लाइम	प्रगति में

तकनीकी प्रगति

1.	डीयूएस परीक्षण के तहत अभ्यर्थी किस्में	1 कीन्नू मैण्डेरिन 1 माल्टा 1 कीन्नू मैण्डेरिन 1 माल्टा
2.	डीयूएस केन्द्र पर रखरखाव की गई संदर्भ किस्मों की संख्या	मैण्डेरिन : 7 नींबू : 6 माल्टा : 5

3.1.41. चाय के लिए डीयूएस परीक्षण

टॉकलाइ चॉय अनुसंधान संस्थान, टॉकलाइ परीक्षण केंद्र, टॉकलाई परीक्षण केंद्र, जोरहाट, आसाम

टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम, को भारत का सबसे पुराना चाय जननद्रव्य संग्रह केंद्र माना जाता है और पीपीवीएफआरए, नई दिल्ली की देखरेख में यह केंद्र चाय के डीयूएस नोडल केंद्र के रूप में कार्य संचालित करता है। वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान चाय की 22 रोपण सामग्री का सफलतापूर्वक लक्षणवर्णन किया गया और इससे संबंधित डेटा बेस तैयार किया गया। टीआरए ने नए जारी किए गए दो क्लोन, एक बीज स्टॉक और एक मौजूदा किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया है। टीटीआरआई)1, टीटीआरआई 2, टीएसएस 1 एवं टीवी 31)। वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान, टीआरए ने चाय रोपण सामग्री की वृद्धि, विकास एवं बहुगुणन के लिए 10,000 पौध क्षमता वाली एक चाय नर्सरी तैयार की है। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान टीआरए ने डीयूएस लक्षण वर्णन द्वारा 227 प्रविष्टियों का परीक्षण किया है। ।

संचालित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम, प्रकाशन एवं अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां :

35वें तोकलाई सम्मेलन में पोस्टरों का प्रस्तुतीकरण :1949 से अब तक टॉकलाई चाय अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किए गए चाय के प्रतिरूपों)क्लोनों का डीयूएस लक्षण वर्णन। (

एससिंह .के., डी बोरठाकुर एवं .एमदेवी ., टीआरए/35टीसी- रपोस्ट/38 कुल पृष्ठ संख्या 124।

डॉसिंह .के.एस ., वैज्ञानिक ने कुंभ मेला के अवसर पर ग्रामीण समृद्धि एवं किसानों की आय सुरक्षा की संभावनाओं पर बायोवेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ") एंड साइंसेजBRIATS)" द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 16-17 फरवरी 2019, को आयोजित 21वें भारतीय कृषि वैज्ञानिकों एवं किसान कांग्रेस में सहभागिता की तथा विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता परीक्षण (डीयूएस)के लिए चाय)*कैमेलिया साइनेंसिस*के रूपात्मक लक्षण वर्णन (पर एक प्रस्तुतिकरण दिया जो एक नया भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चाय के क्षेत्र में एक डीयूएस नोडल केंद्र के रूप में, हमारा विशेष जोर हमेशा केंद्र में चाय के सभी प्रकार के मूल्यवान जननद्रव्य को संरक्षित करने और इसके पंजीकरण के लिए पीपीवी और एफआरए के साथ समन्वय पर केंद्रित रहा। डीयूएस के एक प्रमुख)नोडलकेंद्र के रूप में (, चाय के संरक्षण कार्यक्रम एवं समावेश प्रक्रिया पर समझ विकसित करने के लिए चाय उद्योग के अनेक भागीदारों के साथ

जागरूकता कार्यक्रम तैयार कर उनका संचालन किया। टीआरए केंद्र में चाय बागान मालिकों के बीच चाय संरक्षण प्रक्रिया और टी डीयूएस गतिविधि पर एक कार्यशाला शुरू करने की योजना तैयार की। चाय की रोपण सामग्री की पहचान में डीयूएस लक्षणवर्णन परीक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाय में, विभिन्न किस्मों के लक्षण वर्णन के लिए पौधों के सभी दृश्य वानस्पतिक एवं)प्रजनन (भागों का उपयोग किया जाता रहा है। कई लक्षणों की ग्रुपिंग के बाद, चाय का पौधा, पादप प्रजनन परीक्षण में उपयोग में सक्षम हो सकता है।

वितीय वर्ष 2020-2021 के दौरान एक नोडल केंद्र के रूप में, हमारी शोध टीम ने सहयूपीएएसआई) नोडल केंद्रों-, वालपारी एवं डीटीआरडीसी, दार्जिलिंग मन्वय करकेके साथ स (100 रोपण सामग्री के डीयूएस लक्षण वर्णन का लक्ष निर्धारित किया है। वास्तव में हमने चाय जर्मप्लाज्म के विभेदीकरण के लिए कीमोवर्गीकरण)केमोटैक्सोनोमिकके (महत्व को समझा। शुरुआत में हमने10 नमूनों की जांच की। इसलिए, इस साल हमने लगभग 20 नमूनों का विश्लेषण करने की योजना तैयार की है। भारत के चाय की विभिन्न किस्मों के लक्षण वर्णन और इसके महत्व पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में शोध लेख प्रकाशित करने तथा पूर्वोत्तर भारत)एनके चाय उत्पादकों के लिए चाय पर (.ई. एक मोनोग्राफ तैयार करने की योजना तैयार की। चाय पर डीयूएस अनुसंधान दल ने चाय के पौधों के प्रजनन हेतु एक छोटी नर्सरी बनाने का प्रस्ताव रखा था। जंगली और स्थानीय प्रकार की रोपण सामग्री के संरक्षण के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चाय की विविधतापूर्ण रोपण सामग्री के व्यापक संग्रह के लिए हम अपनी नर्सरी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं।

3.1.42. शीतोष्ण फलों एवं बदाम (नट्स) जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुबानी, चेरी, बादाम, अखरोट एवं स्ट्राबरी के लिए डीयूएस परीक्षण

भाकृअनुप- केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर

प्रतिवेदित अवधि 2020-21 के दौरान, भाकृअनुप-सीआईटीएच, श्रीनगर द्वारा विकसित डीयूएस निर्धारकों (डिस्क्रिप्टर) के अनुसार सेब, अखरोट और बादाम की संदर्भित किस्मों का लक्षण वर्णन किया गया। इन विशिष्ट आंकड़ों को अलग-अलग लक्षणों (नोट) में परिवर्तित किया गया है जो किसी भी समय कैंडीडेट किस्मों की संदर्भ किस्मों के साथ तुलना करने के लिए एक डेटा बेस के रूप में काम करेंगे। संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है तथा उनकी एकरूपता एवं स्थिरता के लिए सभी लक्षणों/विशेषताओं का परीक्षण आईसीएआर-सीआईटीएच, श्रीनगर के नोडल केंद्र में किया जा रहा है।

सेब की 250 किस्मों को शामिल करते हुए सेब के नए रिफरेंस वेराइटी ब्लॉक को और अधिक मूल्यांकन एवं लक्षण वर्णन के लिए विकसित किया गया है। इस वर्ष के दौरान पीपीवी एवं एफआरए ने सेब, खुबानी और आड़ू में कृषक की उन किस्मों को संरक्षण प्रदान किया है जिनका निरीक्षण एवं अनुशंसा, समशीतोष्ण फल एवं नट्स, श्रीनगर के डीयूएस केंद्र द्वारा की गई थी। डीयूएस डिस्क्रिप्टर एवं फलों के अन्य गुण संबंधी लक्षणों के लिए अखरोट एवं बादाम के जीनप्ररूपों का लक्षणवर्णन किया गया। गिरी एवं उपज विशेषताओं के लिए अखरोट के 27 जीनप्ररूपों का मूल्यांकन किया गया। अखरोट में नट का अधिकतम व्यास (42.57 मिमी) CITH-W-7 में देखा गया जबकि गिरी की अधिकतम लंबाई (47.83 मिमी) CITH-W-20 में दर्ज की गई। अखरोट का अधिकतम भार (21.26 ग्राम) CITH-W-3 में दर्ज किया गया,

जबकि गिरी (कर्नेल) का सर्वाधिक भार (9.59g) CITH-W-1 में देखा गया। 27 जीनोटाइपों में से अखरोट के 10 जीनोटाइपों में गिरी कर प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक था।

गिरी (कर्नेल) का उच्चतम प्रतिशत CITH-W-1 (51.22%) में देखा गया जबकि उसके बाद इसे क्रमश: CITH-W-9 (50.89%), टर्टल (50.57%), CITH-W-11 (49.61%) एवं CITH-W-15 (49.21%) में पाया गया। अखरोट के 27 जीनप्ररूपों के फैटी एसिड संरचना (प्रोफाइल) में, CITH-W-9 (69.68%) में अधिकतम वसा प्रतिशत पाया गया और CITH-W-1 (68.74%) को छोड़कर सभी जीनप्ररूपों से काफी बेहतर पाया गया। अखरोट की गिरी का रंग, वर्णमापी से मापा जाता है। L* हल्कापन संबंधी घटक है जो 0 से 100 के बीच होता है और पैरामीटर a* (हरे से लाल), एवं b (नीले से पीला) होता है। रंग (ह्यू) का मान 75.85 से 53.12 के बीच पाया गया जबकि क्रोमा का मान 31.97 से 8.90 के बीच था। सफेदी (व्हाइटनैस) सूचकांक के संदर्भ में, CITH-W-10 को अन्य सभी किस्मों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर किंतु CITH-W-8 एवं CITH-W-15 के बराबर पाया गया।

भाकृअनुप- सीआईटीएच, श्रीनगर में अनुश्रृवित रखरखाव की जा रही संदर्भित किस्में		संदर्भित किस्मों का लक्षण वर्णन		परीक्षण की गई कैंडिडट किस्में	
फसलें	वर्ष 2020-21 के दौरान रखरखाव की गई किस्मों की संख्या	फसलें	वर्ष 2020-21 के दौरान लक्षणवर्णन की की गई किस्मों की संख्या	फसल	किस्म का नाम
सेब	120	सेब	82	अखरोट	01 (हेमलता) – आंशिक परीक्षण
नाशपाती	21	अखरोट	27		
अखरोट	27	बादाम	13		
बादाम	13				
आड़ू	31				
प्लम	25				
खुबानी	18				
चैरी	10				
स्ट्राबॅरी	107				

भाकृअनुपसीआईटीएच-, श्रीनगर में रखरखाव की जा रही किस्में

भाकृअनुप-सीआईटीएच, श्रीनगर द्वारा विकसित डीयूएस निरूपकों (डिस्क्रिप्टर) के अनुसार सेब, अखरोट एवं बादाम की संदर्भ किस्मों की विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया था। इन विशिष्ट आंकड़ों को अलग-अलग लक्षणों (नोट) में परिवर्तित किया गया है जिनका उपयोग कैंडीडेट किस्मों की संदर्भ किस्मों के साथ तुलना करने के लिए एक डेटा बेस के रूप में किसी भी समय किया जा सकता है। संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है तथा उनकी एकरूपता एवं स्थिरता के लिए सभी लक्षणों/विशेषताओं का परीक्षण आईसीएआर-सीआईटीएच, श्रीनगर के नोडल केंद्र में किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान सेब की 82 किस्मों/संकर किस्मों /जीनप्ररूपों के विभिन्न डीयूएस लक्षणों का अध्ययन किया गया।

3.1.43. केला के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, त्रिची, तमिलनाडु

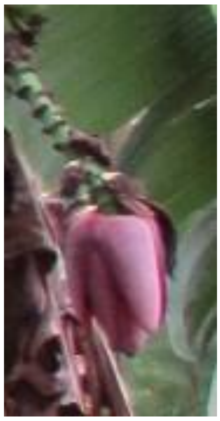

वर्ष 2020-21 के दौरान, किसानों की दो किस्मों नुमारन एवं कमल विकास ए1 तथा भाकृअनुप-बी द्वाराएनआरसी विकसित कावेरी सुगंथम किस्म के डीयूएस लक्षण वर्णन का कार्य पूरा करके इनसे संबंधित आंकड़ों को पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को भेज दिया गया है। भाकृअनुपएनआरसीबी द्वारा- विकसित किस्म कावेरी कल्कि के लिए डीयूएस लक्षण वर्णन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शीघ्र ही आंकड़ों को पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को भेजा जाएगा। सात संदर्भ एक्सेसनों) परिग्रहणोंऔर किसान की (एक किस्म चिंगन के मामले में डीयूएस लक्षण वर्णन और महत्वपूर्ण फसल संबंधी विशेषताओं के आंकड़ें दर्ज कर लिए गए हैं जिसे पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को भेजा जाना है। थोट्टू चिंगन एवं कुथिराइवल चिंगन नामक दो किस्मों के लिए किसानों से रोपण सामग्री एकत्र कर ली गई है और इनके लक्षणवर्णन हेतु इन्हें डीयूएस के लिए निर्धारित खेतों में रोपा गया है। पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली द्वारा आयोजित डीयूएस परीक्षण डेटा प्रबंधन पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। तमिलनाडु की पारंपरिक केला पट्टी में कृषक किस्म एवं कृषक अधिकार के पंजीकरण हेतु कृषि संवेदीकरण के चार कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई। इस कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में संपादित किया जाएगा।

तकनीकी प्रगति

1.	डीयूएस परीक्षण के तहत कैंडीडैट किस्में	शून्य 2 कृषक किस्में + 3 संस्थानीय किस्में 2 कृषक किस्में + 1 संस्थानीय किस्म
2.	डीयूएस केंद्र में रखरखाव की गई संदर्भित किस्मों की संख्या	((तीन प्रतिकृतियों में 32

3.1.44. नोनी के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

***मोरिंडा सिट्रिफोलिया* संदर्भ किस्मों की वृद्धि एवं उपज प्रदर्शन**

गाराचर्मा एवं सिपीघाट फार्म में वनवर्धन) सिल्वीकल्चरलकी (सामयिक गतिविधियों जैसे निराई, मिट्टी चढ़ाना, उर्वरक देना तथा कटाई -छंटाई द्वारा नोनी के मातृ ब्लॉक जैसे संपदा, संजीवनी, रक्षक एवं संजीवनी को बनाए रखा गया। वनवर्धन की इन क्रियाओं के समय पर कार्यान्वयन से नोनी पौधों की वृद्धि एवं फल उपज में सुधार हुआ।

नोनी संग्रह एवं संरक्षण

दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार जिलों के अनन्वेषित द्वीपों से जननद्रव्य (के गहन संग्रह हेतु सर्वेक्षण किया गया। नोनी की06 नई प्रविष्टियों का संग्रह करके उनके बीज निकाले गए और उसकी पौद (नर्सरी)के उत्पादन के लिए नर्सरी में बोया गया तथा गारचार्मा अनुसंधान फार्म में उनकी वृद्धि एवं निष्पादन अध्ययन किया जा रहा है।

गुच्छों में फलने वाला नोनी

गाराचर्मा अनुसंधान फार्म में गुच्छों में फलने वाले एक पेड़ की पहचान की गई है, जिसके प्रत्येक वैकल्पिक गांठ) नोड (5 से 4 परअंडाकार लंबे फलों का समूह लगता है। बहुत बड़े आकार वाले फलों का वजन ग्राम 307, अधिकतम लंबाई सेमी होती है। एक 5.9 सेमी और चौड़ाई 11.70 वर्ष में प्रत्येक वृक्ष से प्राप्त फल की उपज किग्रा 38 से 25के बीच थी।

पीले हरे रंग वाले नोनी के फलों की बनावट चिकनी होती है, जिसमें हरे रंग की फ्लोरल आंखें होती हैं। इसकी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी गुच्छों में फल देने वाली विशेषता को बनाए रखने की पुष्टि हेतु चिन्हांकित वृक्ष की स्टेम कटिंग द्वारा इसके पौधों को प्रवर्धित किया जा रहा है। एक बार इस वृक्ष की विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थिरता (डीयूएस) के मानकीकरण के पश्चात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसानों के लाभार्थ इस जननद्रव्य को एक किस्म के रूप में जारी किया जाएगा।

3.1.45. धनिया, मेथी के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी, अजमेर, राजस्थान

रखरखाव किए जा रहे जननद्रव्य के तहत सूची/ किस्मों की संख्या (फसलवार)

क्रम सं0	भाकृअनुप एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)	27	किस्मों का नाम
1.	भाकृअनुप एवं एसएयू	22	
2.	भाकृअनुप एवं एसएयू	20	
3.	सौंफ) *फोनिकुलम वल्गारी* मिल (		
4.	जीरा (*क्यूमिनम साइमिनम* (	भाकृअनुप एवं एसएयू	09

डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की सूची (श्रेणीवार नई/वीसीके/एफवी; प्रथम/द्वितीय वर्ष) मुख्य एवं सह-मुख्य केंद्र

वर्ष	नई किस्मों की सूची	वीसीके	एफवी
2020-21	परीक्षण का प्रथम वर्ष : कैंडीडेट किस्म : नई किस्म:	-	धनिया 1: की कृषक किस्म ईजी/**2016/436** प्रोजा मेथी की कृषक किस्म **: 2** आरईजी/**2015/391** सुगंधित आरईजी/**2018/293** जागृति-**1** कुल **: (3)**

वर्ष 2020-21 के दौरान एनआरसीएसएस, अजमेर धनिया) में प्रमुख बीज मसालों (राजस्थान), मेथी, सौंफ और जीरा पर (डीयूएस परीक्षण किया गया। इस प्रयोग में इन फसलों हेतु परीक्षण दिशानिर्देश टेस्ट) गाइडलाइंस (विकसित करने के लिए धनिया की 35 किस्में, (26 संदर्भित एवं 1 कैंडीडेट किस्म(, मेथी की 22 किस्में)2 कैंडीडेट किस्म(, सौंफ की 21 किस्मों तथा जीरे की 9 किस्मों को सम्मिलित किया गया।

धनिया) *कोरिएंड्रम सेटाइवम* एल.) की 27 संदर्भ एवं 1 कैंडीडेट किस्म का रखरखाव करते हुए रबी, 2020 के दौरान फसल को 20.10.2020 को बोया गया और 3.3.2020 को काटा गया। अंतिम रूप से तय की गई प्रमुख विशेषताओं में आधारीय)बेसलपत्तियों की (निम्न) संख्या, मध्यम या ऊंची(, सबसे लंबी आधार पत्ती की लंबाई छोटी) (सेमी), मध्यम, लंबी(, आधार पत्तियों की भौतिक संरचना बहुत चपटी)या प्रोस्टेट 7^0 के चाप सहित उठा हुआ, बहुत उर्ध्व(, सबसे लंबी आधार पत्ती की चमक गैर चमकदार), चमकदार(, सबसे लंबी आधार पत्ती की पत्ती की आभा गहरी) दाँतेदार, दाँतेदार(, सबसे लंबी आधार पत्ती की पत्ती का रंग हरा), गहरा हरा(, तने का रंग अनुपस्थित) (रंजकता), मौजूद(, गांठों की रंजकता अनुपस्थित), मौजूद(, सहपत्र चक्र अनुपस्थित), मौजूद(, वृद्धि व्यवहार उर्ध्व), अर्ध उर्ध्व, विस्तारित(, प्राथमिक शाखाएं कम), मध्यम, अधिक(, प्राथमिक शाखा का कोण संकीर्ण), मध्यम, चौड़ा(, माध्यमिक शाखाएं कम), मध्यम, अधिक(, माध्यमिक शाखा का कोण संकीर्ण), चौड़ा(, पौधे की ऊंचाई शीर्ष)तकछोटा) (, मध्यम, लंबा(, प्रति पुष्पछत्र पुष्पछत्रकों की संख्या (निम्न, मध्यम, उच्च(, प्रति पुष्पछत्र बीजों की संख्या (औसत, अच्छा(, 7-8% नमी अंश पर (ग्राम) 1000 बीजों का भार ।

मेथी) *ट्राइगोनेला फोनुमग्रेकम* एलमें रबी (., 2020 के दौरान 22 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। पहले वर्ष में 2 कैंडीडेट किस्मों का परीक्षण किया गया। प्रमुख विशेषताओं को अंतिम रूप दिया गया जिसमें प्रथम पत्ती ब्लेड तीव्र), कुंठाग्र, गोलाकार(का आधारीय आकार, प्रथम पत्ती ब्लेड मोटाई), गोलकारका शीर्ष आकार (, लंबाई एवं चौड़ाई के लिए पहली प्राथमिक शाखाओं के अक्ष पर पत्ती का आकार लंबाई एवं)चौड़ाई में छोटा, छोटालंबाई में छोटी (किंतु चौड़ी, बड़ा और चौड़ी(, पहली प्राथमिक शाखा के अक्ष पर पत्ती के ब्लेड का आधारी आकारतीव्र) , कुंठाग्र, गोलाकार(, लंबाई एवं चौड़ाई हेतु प्रथम फली के अक्ष पर पत्ती का आकार)लंबाई और चौड़ाई में छोटी, लंबाई में छोटी किंतु चौड़ी, अधिक लंबी किंतु तंग, बड़ी एवं व्यापक, पहली पॉड अक्ष पर पत्ती ब्लेड का आधारी आकार तीव्र), कुंठाग्र(, पहले पॉड अक्ष पर पत्ती के ब्लेड का शीर्ष आकार तीव्र), कुंठित, गोलाकार(, लंबाई एवं चौड़ाई के लिए पूर्ण रूप से विकसित अंतिम पत्ती का आकार लंबाई एवं)चौड़ाई में छोटी, लंबाई में छोटी किंतु चौड़ी, बड़ी एवं चौड़ी(, पूरी तरह से विकसित अंतिम पत्ती पर पत्ती ब्लेड का बेसल आकारतीव्र) , कुंठित(, पूरी तरह से विकसित टर्मिनल पर पत्ती ब्लेड का शीर्ष आकार तीव्र), मोटा(, प्राथमिक शाखाओं की संख्या कम), अधिक(, पौधे की वृद्धि का पैटर्न)v प्रकार, u प्रकार (, पौधे की वृद्धि का प्रवृत्ति मितपरि), अपरिमित(, पौधे की ऊंचाई छोटा), लंबा(, फली पौधा/ कम), अधिक(, फली की लंबाई छोटी), मध्यम, लंबी(, फली की वक्रता, 1,000 बीजों का भार कम), औसत, अधिकको (शामिल किया गया।

सौंफ (*फोनीकुलम वल्गारे* मिल.) में रबी-2020 के दौरान 21 किस्मों का रखरखाव किया गया। फसल की बुवाई 5.11.2020 को की गई। पौधे की जिन प्रमुख विशेषताओं को अंतिम रूप दिया गया उसमें युवा पौधा : बीजपत्रों की लंबाई (सेमी), छोटी (≤3), लंबी (>3), युवा पौधा: पहली पत्ती के पर्णवृंत की लंबाई (सेमी), छोटी (≤4), लंबी (>4), पत्ती: आकार (पहली पोरी), त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, आयताकार, पत्रकों की सघनता (पूरी तरह से खुली पत्ती पर पहली पोरी), विरल, घना, पत्ती

की प्रवृत्ति (मुख्य पुष्पछत्र के आधार पर) सीधा, लटकन लिए; पत्ती की लंबाई (मुख्य पुष्पछत्र के आधार पर) (सेमी), छोटा (≤25), लंबाई (>25), पत्ती की चौड़ाई (मुख्य पुष्पछत्र के आधार पर) (सेमी) संकीर्ण (≤15), चौड़ाई (>15); पौधे की वृद्धि का स्वभाव उठान लिए, फैलाव लिए, पत्तियों की सघनता, विरल, घनी, पत्ते का रंग हल्का हरा (आरएचएस140 बी) गहरा हरा (आरएचएस 141 बी), तना मोमयुक्त, अनुपस्थित, वर्तमान, शाखा निकलने की प्रकृति, पौधे के आधार से, पौधे के आधार के ऊपर, 50% पुष्पन में लगने वाले दिनों की संख्या, अगेती (≤100), देरी से परिपक्वता (> 100); पहली पोरी की लंबाई (सेमी), छोटी (≤4), लंबी (> 4); वृंतक की लंबाई (मुख्य पुष्पछत्र) (सेमी), छोटी (≤15), लंबी (> 15); पौधे की ऊंचाई (सेमी) में छोटे वृक्ष (≤125), मध्यम (126-200), लंबा (> 200); प्रति पौधे प्राथमिक शाखाओं की संख्या- कुछ शाखाएं (≤10), अधिक शाखाएं (>10) ; प्रति वृक्ष माध्यमिक शाखाओं की संख्या - कम (≤25), अधिक (>25), मुख्य पुष्पछत्र कोरिम्ब पर पुष्पछत्रकों का विन्यास, संयुक्त कोरिम्ब, पुष्पछत्र का ठोसपन (मुख्य पुष्पछत्रक), ढीला, ठोस, प्रति वृक्ष पुष्पछत्रों की संख्या -कम (≤35), औसत (36-40), अधिक (>40); प्रति प्रमुख पुष्पछत्र में पुष्पछत्रकों की संख्या -कम (≤30), अधिक (>30); प्रति पुष्पछत्र बीजों की संख्या (मुख्य पुष्पछत्र)- कम (≤20), अधिक (>20); बीज का आकार आयताकार, अंडाकार, परीक्षण वजन (ग्राम)- कम (≤7) उच्च (>7) को सम्मिलित किया गया। रबी 2020-21 के मौसम में **जीरे** (*क्यूमिनम साइमिनम*) की फसल में 9 किस्मों का रखरखाव किया गया। फसल 18.11.2020 को बोई गई। जिन प्रमुख विशेषताओं को अंतिम रूप दिया गया उनमें सम्मिलित थे युवा पौधे: बीजपत्रों की लंबाई (सेमी), छोटी (≤ 3) लंबाई (> 3), स्टेम रंजकता (अनुपस्थित, मौजूद , पहली पोरी की लंबाई (सेमी), छोटी (≤1) लंबाई (> 1); पौधे की वृद्धि का स्वभाव (उठा हुआ, फैलाव लिए); पत्तियों की सघनता (विरल, घना); फूलों का रंग (आरएचएस रंग चार्ट); सफेद (आरएचएस 157 डी); बैंगनी (आरएचएस 62 ए); पौधे की ऊंचाई (ऊपर तक) (सेमी), छोटा (30), लंबाई (>30); प्रति पौध प्राथमिक शाखाओं की संख्या- कुछ ≤5, अधिक (>5); प्रति पौध माध्यमिक शाखाओं की संख्या- कुछ (≤10), अधिक (>10); वृंतक की लंबाई (मुख्य पुष्पछत्र)- (सेमी), छोटा (≤2.5), लंबाई (>2.5), पुष्पछत्र की संहतता (मुख्य पुष्पछत्र)- ढीली संहतता (कॉम्पैक्ट), प्रति पौध पुष्पछत्रकों की संख्या - कम (≤20) अधिक (>20), पुष्पछत्रकों की संख्या प्रति पुष्पछत्र (मुख्य पुष्पछत्र)- कुछ (≤4) , अधिक (>4); प्रति पुष्पछत्रक बीजों की संख्या (मुख्य पुष्पछत्र)- कुछ (≤5), अधिक (>5); बीज पर रोम अनुपस्थित या मौजूद, बीज में रिजेज (लकीरें) -उथली, गहरी, बीज: रंग हल्का भूरा (आरएचएस 199 डी) , गहरा भूरा (आरएचएस 199 ए) बीज: लंबाई (मिमी)- कम (≤6), अधिक (>6), बीज: चौड़ाई (मिमी)- संकीर्ण (≤1.5), चौड़ी (>1.5), परीक्षण वजन (ग्राम)- कम (≤4), अधिक (>4)।

बीजीय मसाले, इसबगोल एवं कलमेघ

भाकृअनुप- औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात

कलमेघ (*एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलाटा*) की संदर्भ/ दृष्टांत किस्मों का रखरखाव

कलमेघ की 24 संदर्भ/ दृष्टांत किस्मों का रखरखाव किया गया तथा वर्ष 2020-21 के दौरान लक्षण वर्णित डेटा इस प्रकार है:

क्रम सं0	दृष्टांत किस्में	विशेषताएं
1.	डीएमएपीआर एपी 1	पत्ती लैमिना का : आकार / अंडाकार :अंडाकार - अंडाकार / यत्तीदीर्घवृ - भालाकार; पत्तीचौड़ी :चौड़ाई :लैमिना : ; पत्ती लंबी : लंबाई : लामिना : ; तना प्ररोह : के शीर्ष भाग में मुलायम पत्तियों के समूह मौजूद नहीं (रोसेट)

2.	डीएमएपीआर एपी 2	पत्तीमध्यम :चौड़ाई :लैमिना : ; तना प्ररोह :शीर्ष : शीर्ष पर (रोसेट) लायममु पत्तियों का पुंज मौजूद नहीं; पत्ती का लैमिनाझुर्रीदार :सतह :; पौधा :) मध्यम :ऊँचाई50- 70 सेमी(
3.	डीएमएपीआर एपी 3	पत्ती: लेमिना 137 - आरएचएस कलर चार्ट ग्रीन ग्रुप) गहरा हरा : रंग : एन ए, बी(; पत्ती भालाकार : लेमिना का आकार :; पत्ती ईचौड़ा : लेमिना : चौड़ाई) तंग :<1.5 सेंमी(; पौधा : मुख्य अक्ष का वृद्धि स्वभाव शयान : (टप्रोस्ट्रे)
4.	डीएमएपीआर एपी 4	पौध छत्र गोलाकार /झाड़ीनुमा : आकार :
5.	डीएमएपीआर एपी 6	पत्तीलैमिना : का आकारभालाकार :; पत्ती कम :लंबाई :लैमिना : ; पत्ती: लैमिना - चौड़ाई :संकीर्ण चौड़ाई)<1.5 सेमी(; प्रफुल्लन) एंथेसिस (पौधा) औसत :पैटर्नरोपण के 70-100 दिन बाद प्रफुल्लन प्रारंभ होना(; पुष्पक्रम रेकिस :(गुच्छपुष्प) टाइप रेकिस)पर पुष्प कलिकाओं की व्यवस्था(, पुष्प कलिकाएं पास पास- व्यवस्थितसघन) प्राक्ष या रैकिस(; तने पर पोरियां दो) कम -लंबाई : पोरियों के बीच दूरी <3 सेमी(
6.	डीएमएपीआर 10	पौध का छत्र का आकार पिरामिड के आकार का :
7.	डीएमएपीआर एपी 15	पत्ती(इंकर्व्ड) भीतर की ओर घुमावदार : (वक्रता) लेमिना का करवेचर :
8.	डीएमएपीआर एपी 16	पत्ती : लेमिना का करवेचर)वक्रतारी कीबाह :(ओर घुमावदार (प्रतिवर्तित)
9.	डीएमएपीआर एपी 19	पत्ती - आरएचएस रंग चार्ट पीला हरा ग्रुप) हल्का हरा :रंग : 146 ए, बी(; पत्ती लैमिना का : आकार - अंडाकार / यदीर्घवृत्ती -अंडाकार / अंडाकार : भालाकार; तना प्ररोह : शीर्ष :शीर्ष(रोसेट) पर कोमल पत्तियों का समूहन; तनाउठा :शाखा पैटर्न : हुआ; पौधा मुख्य अक्ष का :वृद्धि स्वभाववउठा : हुआ; पादप छत्र स्तंभाकार :आकार :; पौधे की ऊंचाई) मध्यम :50- 70 सेमी(; पत्ती सूखे वजन के आधार पर एंड्रोग्राफोलाइड :अंश) % $C_{20}H_{30}O_{5}$) अधिक : तना :शाखाओं का पैटर्नफैलाना :; स्टेम इंटरनोडलंबा :लंबाई :
10.	डीएमएपीआर एपी 21	पौध मुख्य अक्ष का :वृद्धि व्यवहार(शयान) प्रोस्ट्रेट :
11.	डीएमएपीआर एपी 22	तना: शाखा का पैटर्न फैलाव लिए हुए :; तने पर पोरियां अधिक : लंबाई :
12.	डीएमएपीआर एपी 24	पत्ती: लेमिना का आकार भालाकार- रअंडाका/भालाकार - अंडाकार/अंडाकार :; पत्ती) चौड़ी : चौड़ाई : लेमिना :>2.5 सेंमी (
13.	डीएमएपीआर एपी 27	पत्ता कम : लंबाई : लेमिना :; पत्तीऔसत :चौड़ाई :लेमिना :;
14.	डीएमएपीआर एपी 37	पत्ती लैमिना की : सतहचिकनी :; प्रफुल्लन का पैटर्नप्रफुल्ल] अगेती : का प्रारंभ < पौधारोपण के 70 दिन बाद[

		पुष्पक्रम रेकिस :(गुच्छपुष्प) टाइप रेकिस)पर पुष्प कलिकाओं की व्यवस्था(, पुष्प कलिकाएं दूरी पर व्यवस्थित (लंबी रेकिस)
15.	डीएमएपीआर एपी 45	पत्ती सूखे वजन के आधार पर एंड्रोग्राफोलाइड :अंश) % $C_{20}H_{30}O_5$) कम :
16.	डीएमएपीआर एपी 46	पौध छत्र रामिड के आकार कापि : आकार :
17.	डीएमएपीआर एपी 48	पत्ती (एलिप्टिकल) भालाकार : लेमिना का आकार :
18.	डीएमएपीआर एपी 51	पौध अधिक लंबी : ऊंचाई : (> 70 सेंमी)
19.	डीएमएपीआर एपी 56	पौध कम लंबी : ऊंचाई : (<50 सेंमी)
20.	डीएमएपीआर एपी 57	पौध छत्र पिरामिड के आकार का : आकार :
21.	डीएमएपीआर एपी 61	पत्ती : लेमिना : रंग - आरएचएस रंग चार्ट हरा ग्रुप) हरा :137 ए, बी(; पादप छत्र /झाड़ीनुमा : गोलाकारनप्रफुल्ल : पैटर्न न का प्रारंभ प्रफुल्ल) देरी से : पौधारोपण के>(दिन बाद 100
22.	डीएमएपीआर एपी 68	पत्ती : लेमिना का आकार भालाकार :; पत्ती :सूखे वजन के आधार पर एंड्रोग्राफोलाइड अंश) % $C_{20}H_{30}O_5$) औसत :
23.	डीएमएपीआर एपी 69	तना रित या फैलाव लिए हुएविस्ता : शाखाओं का पैटर्न :
24.	एके 1	पौध लंबी पौध : ऊंचाई : (> 70 सेंमी)

इसबगोल (*प्लांटागो ओवाटा*) की आदर्श / संदर्भित किस्मों का रखरखाव

वर्ष 2020-21 के दौरान, ईसबगोल (*प्लांटागो ओवाटा*) की ग्यारह आदर्श किस्मों अर्थात् डीएमएपीआर पीओ 1, डीएमएपीआर पीओ 2, डीएमएपीआर पीओ 3, डीएमएपीआर पीओ 4, डीएमएपीआर पीओ 5, डीएमएपीआर पीओ 6, डीएमएपीआर पीओ 7, डीएमएपीआर पीओ 8, डीएमएपीआर पीओ 9, डीएमएपीआर पीओ 10 एवं डीएमएपीआर पीओ 11 थे का रखरखाव किया गया।

बीजीय मसालों का डीयूएस परीक्षण

धनिया (*कोरिएंड्रम सेटाइवम*):

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राधिकरण से धनिया की एक कृषक - किस्म प्राप्त हुई। नोडल केंद्र अर्थात् भाकृअनुप - एनआरसीएसएस, अजमेर से प्राप्त पांच संदर्भित किस्मों को भी इस परीक्षण में शामिल किया गया। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान संदर्भित किस्मों के सहित इस प्रविष्टि के लक्षणवर्णन के कार्य को पूरा किया गया और संग्रहीत आंकड़ों को नोडल केंद्र में भेजा गया।

प्रतिनिधि) कैंडिडेट(किस्में	संदर्भित किस्में
प्रोजा	ACr-1

	आजाद धनिया
	CO 2 (संदर्भित किस्म)
	हिसार आनंद
	R Cr 20

मेथी (**ट्राइगोनेल्ला फोनम.ग्रेकम एल-**)

वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण से मेथी की दो कृषक किस्में प्राप्त हुईं। नोडल केंद्र अर्थात् भाकृअनुप - एनआरसीएसएस, अजमेर से प्राप्त चार संदर्भित किस्मों को भी इस परीक्षण में शामिल किया गया। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान संदर्भित किस्मों के सहित इन प्रविष्टियों (कृषक किस्मों) के लक्षणवर्णन के कार्य को पूरा किया गया और संग्रहीत आंकड़ों को नोडल केंद्र में भेजा गया।

प्रतिनिधि) कैंडिडेट(किस्में	संदर्भित किस्में
जागृति -1	AFg-1
सुगंधित मेथी	CO 2 (संदर्भित किस्म)
	जीएम-1
	हिसार सोनाली

3.1.46. आम के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

आम की 25 कृषक- किस्मों के पंजीकरण हेतु उनका डीयूएस परीक्षण तथा फील्ड जीन बैंक में उपलब्ध आम की120 किस्मों का डीयूएस लक्षण वर्णन किया गया। संदर्भित तथा कृषक (रेफरेंस) किस्मों)410) का रखरखाव किया गया। पंजीकरण के लिए प्राप्त किस्मों)100) का परीक्षण कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका क्योंकि फसल के लक्षणवर्णन का समय और इस बीमारी का समय लगभग एक था। सीआईएसएच, लखनऊ ने पंजीकरण के लिए प्रस्तुत)27) किस्मों पर डीयूएस परीक्षण किया। दो मौजूदा किस्मों के लिए एक पंजीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस क्षेत्र में दो जागरूकता अभियान उस इलाके में संचालित किए गए जहां आम की कृषक - किस्में मौजूद हैं और उन्हें अवश्य पंजीकृत किया जाना चाहिए। किसानों को आम की मौजूदा किस्मों तथा पीपीवी एवं एफआरए के साथ अपनी किस्मों को पंजीकृत करने के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भाकृअनुप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा, बैंगलुरू, कर्नाटक

वर्ष 2020-21 में कंडीडेट किस्मों का डीयूएस परीक्षण

फसलें	नई			वीसीके	एफवी
	प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	तृतीय वर्ष की प्रविष्टियां		
आम	15	10	5		
कुल	15	10	5		30

रखरखावलक्षण/ वर्णन हेतु सुरक्षित रखी गई किस्में :

फसलें	वर्ष 2020-21 में प्रजनन रखरखाव संख्या (या) का नामके तहत किस्मों (मेंटीनेंस ब्रीडिंग)
आम	फलों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के लिए आम की 21 किस्मों का लक्षण वर्णन किया गया।

वर्ष 2020-21 में प्रतिवेदित अवधि के दौरान, पुष्पक्रम की विशेषताओं जैसे पुष्पन का समय, पुष्पक्रम की लंबाई, पुष्पक्रम व्यास एवं अक्ष के एंथोसायनिन रंग को डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार दर्ज किया गया था। तलापुलापल्ली बाबू रेड्डी चित्तिथोटा (32.60.20 सेमी) में पुष्पक्रम की लंबाई अधिकतम थी, इसके बाद इसे पालमाकुला पल्ली के. रवींद्रनाथ ग्रीन बनेशान (31.96 सेमी), थुम्बावरिपल्ली सुब्रमण्यम रेड्डी नट्टी -3 (30.92 सेमी) तथा थुम्बावरिपल्ली सुब्रमण्यम रेड्डी नट्टी -4 (30.40 सेमी) में पाया गया जबकि पुष्पक्रम की लंबाई को पालमाकुलापल्ली के. रवींद्रनाथ लालबाबा (17.62 सेमी) में न्यूनतम पाया गया और उसके बाद इसे क्रमशः पी. रेड्डीवेरिपल्ली, वी. राममूर्ति रेड्डी नट्टी -3 (18.70 सेमी) और पालमाकुला पल्ली के. रवींद्रनाथ नट्टी -3 (21.20 सेमी) में पाया गया। पुष्पक्रम की चौड़ाई को पालमाकुलापल्ली के. रवींद्रनाथ लालबाबा में 5.10 सेमी से लेकर पालमाकुला पल्ली के. रवींद्रनाथ ग्रीन बनेशान में 29.96 सेंमी के बीच पाया गया। अधिकांश एक्सेसनों (परिग्रहणों) में एंथोसायनिन रंजकता को प्रबल पाया गया। इसे थलापुलापल्ली श्रीरामुलु आचारी नट्टी-8 में अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया। पुष्पन के समय के संबंध में, सभी किस्मों में पुष्पन काल को दिसंबर के दूसरे सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान पाया गया।

फलों की गुणवत्ता संबंधी विशेषताएं : भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर) में डीयूएस प्लॉट से आम की 09 किस्मों के फलों की विशेषताओं का विश्लेषण किया गया। फलों का भार 61.70 ग्राम से 308.98 ग्राम के बीच पाया गया। बड़ा आम किस्म में फलों का अधिकतम वजन (308.98 ग्राम) दर्ज किया गया जबकि मुजू किस्म में फलों का न्यूनतम वजन (60.71 ग्राम) दर्ज किया गया। कुल घुलनशील ठोस (टीएसएस) 12 से 22^0 ब्रिक्स के बीच पाया गया। उच्चतम टीएसएस मान मुजू किस्म (22^0 ब्रिक्स) में दर्ज किया गया जबकि महबूब किस्म में टीएसएस का न्यूनतम मान (12^0 ब्रिक्स) दर्ज किया गया।

मौसम्बी का आम : इसके फल का आकार दीर्घायत, औसत वजन लगभग 159.79 ग्राम, फलों की लंबाई (7.05 सेमी), फलों का व्यास (6.20 सेमी) और फलों की मोटाई (5.70 सेमी) दर्ज की गई। इसके फलों का स्वाद मीठा, औसत गूदा प्रतिशत (58.63%) और मध्यम टीएसएस (13.4^0 ब्रिक्स) होता है। छिलके का रंग पीला हरा और गूदे का रंग पीला होता है। फलों में मीठे नींबू जैसा स्वाद होता है, जिसमें हल्का अम्लीय ठोस गूदा तथा फलों को सुरक्षित रखने की अवधि (कीपिंग क्वालिटी) 8 से 10 दिनों तक होती है।

आम की किस्में तथा संदभ्र किस्मों को नीचे दिया गया है:

क्रम सं 0	आम की किस्में	संदर्भ किस्में	समान लक्षण या विशेषताएं
1	किंगफॉन	एलीफेंट हेड	फल का आकार एवं रंग

2	इमाम एवं इरफान	इलायची	फल का आकार रस वाली किस्में)जूसी टाइप (
3	रशीदा	शक्कर गोला	फल का आकार
4	शाहिर एवं अमेया	गोवा मनकुर्द	फल का आकार एवं गूदे का रंग
	अन्य संदर्भ किस्में		
1	खाद्य फल (खाने की बेहतर गुणवत्ता)	अल्फांसो बंगनपल्ली	
2	गूदे का रंग (गहरा नारंगी एवं ठोस गूदा (	आम्रपाली	
3	रंगीन किस्में	सुवर्ण रेखा, गुलाब खास	
4	रसवाली किस्में (जूसी टाइप)	इलायची, पचारसी	

3.1.47. गन्ना के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र (उपोष्ण)

भाकृअनुप- गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु एवं अगाली, केरल

बहुगुणन एवं कैंडीडेट किस्म एवं कृषक किस्म हेतु डीयूएस परीक्षण का संचालन

बहुगुणन: कोयंबटूर तथा आगली केंद्रों पर डीयूएस परीक्षण के संचालन एवं और अधिक बहुगुणन के लिए दिसंबर 2020 के दौरान भाकृअनुपएसबीआई से दो - कैंडीडेटकिस्में, सीओ 11015 एवं सीओ 10026 प्राप्त हुई थीं। प्रत्येक केंद्र पर प्रत्येक कैंडीडेट किस्म की लगभग 200 एकल कलिकाओं के साथसाथ उनकी संदर्भ किस्मों - जैसे सीओ85019, सीओ 85002 से 7508; सीओएन 95132 तथा जोनल चेक किस्में

उदाहरणार्थ सीओ 86032 तथा सीओसी 671 का संवर्द्धन (बहुगुणन) किया गया।

डीयूएस परीक्षण का संचालन :डीयूएस के दोनों परीक्षण केंद्रों पर 2020-2021 मौसम के दौरान कैंडिडेट किस्म सीओ 09004 एवं दो कृषक अर्थात् जीत कटारी एवं (एफवी) किस्मों-सुगम कटारी पर डीयूएस परीक्षण किया गया। कैंडीडेट किस्म सीओ 09004 तथा उनकी निकटतम सदृश संदर्भ किस्मों जैसे कि सीओवी 89101, सीओएन 95132, सीओ 7717 तथा जोनल जांच किस्मों सीओ 86032 एवं सीओसी 671 के साथ डीयूएस परीक्षण किया गया। दो कृषक-किस्में)एफवीजिनके (नाम जीत कटारी एवं सुगम कटारी हैं वे *एस. ऑफिसिनेरम* वर्ग से संबंधित हैं तथा इन किस्मों का डीयूएस परीक्षण, विश्व गन्ना जर्मप्लाज्म संग्रह, भाकृअनुप -एसबीआई, अनुसंधान केंद्र, कन्नूर से प्राप्त *एस. ऑफिसिनेरम* के निकटतम प्रतिरूपों)क्लोनों(के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इनमें सम्मिलित थे- : आईजे 76-317, एनजी 77- 137 एवं 57 एनजी 192 (सिगम कटारी के लिए आरवी(, ताहिती-3 एवं एनजी 77-015 (जीत कटारी के लिए आरवी। प्रत्येक कैंडीडेट(एवं कृषक किस्म)एफवी(के लगभग 40 सेट उनकी संदर्भ किस्मों के साथ कोयंबटूर)22.02.2020) और अगाली फरवरी)2020 के पहले सप्ताह में (4 पंक्तियों सहित प्लॉट पंक्ति की)लंबाई 6 मीटर, पंक्तियों के बीच की दूरी 0.9 मीटर में लगाए गए। (डीयूएस विशेषताओं जैसे पर्ण आच्छद से संलग्न पत्ती की गोलाई या वक्रता, पर्ण आच्छद रोमिलता, अंतरगांठों का रंग (कें मेंसूर्य के प्रकाश से संपर्क एवं गैर संप), छिलके की सतह, विशिष्ट कलिका झुर्रियां (ग्रूव), कलिका कुशन, अर्ध उठान, प्रकट वृद्धि वलय एवं वृद्धि वलय के संबंध में कलिका

शीर्ष आदि के मामले में केंडीडेट किस्म सीओ 09004 को तीन Rotcrciicc किस्मों सीओवी 89101, सीओएन 95132 तथा सीओ 7717 से पृथक पाया गया। केंडीडेट किस्म को दोनों संदर्भ किस्मों से अलग देखा गया।

डीयूएस लक्षणों जैसे लिग्यूल (जीभिका), ड्यूलाप का रंग (गल कंबल), पत्ती की चौड़ाई, पोरी का रंग सूर्य की रोशनी) (के संपर्क में नहीं, टेड़ामेड़ा संरेखण-, छिलके की सतह का दृश्य, पोरी में मोम की उपस्थिति, कली का आकार, वृद्धि वलय के संबंध में कली शीर्ष, वृद्धि वलय की स्पष्टता, पर्ण आच्छद की संलग्नता, आंतरिक आलिंद का आकार, ड्यूलॉप का रंग एवं कलिका ग्रूव और कली नाली के मामले में कृषक किस्म -जीत कटारी को दोनों संदर्भ किस्मों ताहिती-3 एवं एनजी 77-015 से पृथक पाया गया। यह सुगम कटारी जैसा दिखता है।

डीयूएस लक्षणों जैसे पर्ण आच्छद की संलग्नता, स्पाइंस, पोरी के व्यास, वृद्धि क्रेक, लीफ शीथ एडहेरेंस, जीभिका (ललिग्यू) का आकार, आंतरिक आलिंद का आकार तथा टेड़ाजिग) मेड़ा-संरेखण (जैग, आदि के मामले में तीन संदर्भित किस्मों आईजे 76-317, 77-137 एवं 57 एनजी 192 की तुलना में कृषक किस्म - सुगम कटारी को अलग पाया गया। यह जीत कटारी के समान किस्म है। दोनों ही कृषक किस्मों को (एफवी) से अलग पाया गया हालांकि वे उनकी प्रासंगिक संदर्भ किस्मों ।एक दूसरे के समान थीं

3.1.48. गन्ना के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र (उपोष्ण)

भाकृअनुप- गन्ना प्रजनन संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

गन्ने की किस्मों के संदर्भ संग्रह का रखरखाव :वर्ष 2020-21 के वसंत ऋतु के दौरान रखरखाव के लिए डीयूएस खेतों में लगाई गई गन्ने की 167संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया। इस संदर्भ संग्रह में सीवीआरसी द्वारा सभी चिन्हांकित, जारी एवं अधिसूचित किस्में, राज्यों से जारी किस्में और गन्ने की फसल पर काम करने वाले विभिन्न अनुसंधान संगठनों के पास उपलब्ध एआईसीआरपी (सगन्ना) की एडवांस किस्मगत परीक्षणों से प्राप्त प्रतिरूप) क्लोन शामिल हैं। डीयूएस (परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार इस संदर्भ संग्रह में-100 से अधिक किस्मों के डीयूएस लक्षणों को दर्ज किया गया।

डीयूएस परीक्षण ट्रॉयल वर्ष : 2020-21 के दौरान डीयूएस परीक्षण की स्थिति इस प्रकार थी:

कृषक किस्म :

कैप्टन बस्ती /आरईजी)2015/1586): यह किस्म रेड रॉट)लाल सड़न(के प्रति अतिसंवेदनशील है और इसलिए इसमें उत्तरजीविता की दर बेहद कम है। अत: इस पर कोई आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया।

पुरसा /आरईजी)2017/1416): जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में सूचित किया गया है अलग रोपण अलग तिथियों में-सामग्री के दो सेट प्राप्त हुए थे। दोनों प्रकार की बीज सामग्री से प्राप्त फसल को फरवरी, 2020 के दौरान खेत में अलगअलग उगाया- गया जिससे 2020-21 के फसल काल के दौरान इन पर प्रेक्षणों को दर्ज किया जा सके। यह देखा गया कि यह किस्म विल्ट)मुरझान (के लिए अतिसंवेदनशील है और इसकी उत्तरजीविता बहुत कम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि किसानों के पास उपलब्ध यह गन्ने की कोई पुरानी एडवांस) उन्नत(वंशावली हो सकती है। इसके साथ डीयूएस डेटा संलग्न है।

पसेरी (आरईजी/2016/929): इस वर्ष के दौरान कृषक किस्म पसेरी की रोपण सामग्री प्राप्त हुई जिसे आगे के बहुगुणन हेतु खेतों में लगाया गया और 2020-21 के दौरान प्रेक्षण लिए गए। डीयूएस आंकड़ों को संलग्न किया जा रहा है।

नई किस्में :

वर्ष 2020-21 के फसल मौसम के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए गन्ने की तीन नई जारी किस्मों सीओएलके 11203, सीओएलके 11206 एवं सीओ 12029 को लगाया गया। प्रथम वर्ष के आंकड़ों को निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार दर्ज किया गया और 2021-22 के फसल मौसम में इन किस्मों को द्वितीय वर्ष के परीक्षण हेतु फिर से लगाया गया।

भाकृअनुप- गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, करनाल, हरियाणा

गन्ने की संदर्भ किस्मों (आरवी) का रखरखाव: भाकृअनुप- गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, करनाल में रोग मुक्त दशाओं में **6** मीटर लंबाई वाले प्लॉट में प्रति आरवी दो पंक्तियों के बीच **0.9** मीटर की दूरी पर गन्ने की कुल **167** उप उष्ण कटिबंधीय संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया था। संदर्भ किस्मों के डीयूएस लक्षण वर्णन के एक भाग के रूप में संदर्भ किस्मों के डीयूएस निरूपकों (डिस्क्रिप्टर) का सत्यापन किया गया था।

निम्नलिखित श्रेणी के डीयूएस संदर्भ किस्मों का रखरखाव इस केंद्र पर किया जा रहा है:

बीओ श्रृंखला **-17** किस्में; सीओपी श्रृंखला **-7;** सीओबी श्रृंखला**-1;** सीओ बीएलएन श्रृंखला- **8;** सीओएच श्रृंखला **-12;** सीओजे श्रृंखला- **5;** सीओपीबी श्रृंखला- **4;** सीओ एलके श्रृंखला- **9;** सीओ पंत श्रृंखला **-9;** सीओएस श्रृंखला- **50;** सीओएसई श्रृंखला - **14;** सीओपीके**-1;** यूपी श्रृंखला- **6** किस्में, सीओ किस्में**-24**।

संदर्भ किस्मों की पुन: लक्षणवर्णन : भाकृअनुप-एसबीआईआरसी, करनाल में अनुरक्षित 167 आरवी के डीयूएस विशेषताओं को **2020-21** के दौरान सत्यापित / पुन: वर्णित किया गया तथा सभी सत्यापित डीयूएस संदर्भ किस्मों के डेटाबेस को पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को एक सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है (अनुलग्नक**-1**)।

किसान किस्म का बहुगुणन: पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण से एक कृषक किस्म - पुरसा की बीज सामग्री प्राप्त हुई थी। इस कृषक किस्म के एकल कलिकायुक्त सेट को प्रो-ट्रे में बोया गया। इस किस्म का औसत अंकुरण प्रतिशत **48%** था। **2019-20** के दौरान इस किस्म का खेतों में बहुगुणन किया गया। **2020-21** के दौरान इस किस्म का डीयूएस परीक्षण किया गया तथा डीयूएस परीक्षण के परिणाम प्रगति रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

गन्ने की नई किस्म का डीयूएस परीक्षण: भाकृअनुप- गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, करनाल में दो संदर्भ किस्मों (सीओ 05011 एवं सीओएस 97264) सहित गन्ने की नई किस्म सीओ 12029 का प्रथम वर्षीय डीयूएस परीक्षण किया गया। प्रथम वर्ष के डीयूएस परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि डीयूएस डिस्क्रिप्टर लक्षणों के संबंध में गन्ना की सीओ 12029 किस्म अन्य संदर्भ किस्मों से भिन्न है तथा सीओ 12029 की संख्या (पॉपुलेशन) एक समान थी और इसके डीयूएस जांच के परिणाम (अनुलग्नक-**II** में) में अलग से संलग्न हैं।

कृषक-किस्म का डीयूएस परीक्षण: एक कृषक किस्म (एफवी) पुरसा की पौध को 25.04.2020 को मुख्य खेत में **4** पंक्तियों (**6** मीटर लंबाई **x** 0.9m पंक्ति के बीच की दूरी x 20 पौधे / पंक्ति) में प्रतिरोपित किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान फसल का रखरखाव किया गया तथा जांच दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस विशिष्टताओं को दर्ज किया गया।

3.1.49. नारियल हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान, कासरगौड़, केरल

वर्ष 2020-21 के दौरान, नारियल की का रखरखाव कियागया और डीयूएस केंद्र पर उनका लक्षण संदर्भ किस्मों 11 वर्णन किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कैंडिडेट किस्मों का डीयूएस परीक्षण

नई किस्म			वीसीके	एफवी	निगरानी की तिथि
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां	द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां	तृतीय वर्ष की प्रविष्टियां			
-	-	1	-	-	-

तीन संदर्भ किस्मों के साथ 4 मीटर x 4 मीटर की दूरी पर डीयूएस खेतों में लगाई गई कैंडीडेट किस्म /आरईजी)2015/415) में डीयूएस लक्षणोंको (द्वितीय वर्ष के प्रेक्षणों) दर्ज किया गया।नारियल के वृक्षों की उल्लेखनीय अधिक ऊंचाई, पत्ती की कुल लंबाई, कॉलर की गहराई, पत्रकों) लीफलेट की संख्या और उनकी (लंबाई को संदर्भ किस्मों की तुलना करते हुए सिर्फ पत्रकों की चौड़ाई एवं अगेती पुष्पन के सिवा कैंडीडेट किस्म में दर्ज किया गया। कैंडीडेट एवं संदर्भ किस्मों के निरूपक)डिस्क्रिप्टरलक्षणों पर अब (तक के प्रेक्षित डेटाबेस को दर्ज किया गया।

रंग संबंधी विविधताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए नारियल के विभिन्न परिग्रहणों में रंग संबंधी विशेषताओं पर प्रेक्षणों को अभिलेखित किया गया। आदर्शसंदर्भ / किस्मों मेंें डीयूएस डिस्क्रिप्टर लक्षणों पर दर्ज किए गए प्रेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि कुछ लक्षणों में असावधानी वश हुई त्रुटियों के पुनवर्गीकरण तथा : उनमें सुधार की आवश्यकता है।

अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों के रूपात्मक वृद्धि विशेषताओं पर लिए गए प्रेक्षणों से यह प्रकट होता है कि परिग्रहणों एवं विभिन्न दूरियों पर लगाई गई किस्मों के बीच भिन्नता का पता चला। 4 मीटर x 4 मीटर की दूरी) डीयूएस परीक्षण के लिए अनुशंसित दूरीपर (रोपे गए पौधों में अधिकांश वृद्धि विशेषताओं में उल्लेखनीय रूप से उच्च मान दर्ज किए गए सिर्फ पत्तियों की संख्या एवं पत्रक की चौड़ाई को छोड़कर, जिसे 6 मीटर x 6 मीटर की दूरी पर लगाए गए पौधों में अधिक पाया गया। विभिन्न किस्मों में, कल्पतरु में स्तंभ) ट्रंककी (अधिक लंबाई, चंद्र कल्पा किस्म में लंबी पत्तियां तथा कल्पधेनु किस्म में चौड़े पत्रक दर्ज किए गए।

संदर्भ / जारी/ मौजूदा किस्मों चौघाट ऑरेंज) ड्वार्फ, वेस्ट कोस्ट टॉल, चौघाट ग्रीन ड्वार्फ, मलायन येलो ड्वार्फ, मलायन ऑरेंज ड्वार्फ, गंगाबोंडम ग्रीन ड्वार्फ, कल्परक्षा, कल्प धेनु, कल्प प्रतिभा, कल्प मित्र, चंद्र कल्पा, केरा चंद्रा, कल्पतरु (के पॉलीबैग मेंबीस पौद को डीयूएस परीक्षण के लिए तैयार किया गया।

डीयूएस वर्णनात्मक) डिस्क्रिप्टरलक्षणों को दर्ज करने हेतु (कृषक-किस्म -एडावा लांग फाइबर नारियल के आवेदन को डीयूएस केंद्र को सूचित किया गया है। हालाँकि, कोविड लॉकडाउन के कारण इसे इस वर्ष नहीं किया जा सका और इसलिए अगले मौसम में किया जाएगा। पीपीवीएफआरए वेब साइट में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित दो तालिकाओं में सूचना संकलित की गई है।

श्रेणी	**स्टेटस (स्तर)**
मौजूदा अधिसूचित	6 - प्रमाणपत्र जारी

किस्म	
किसान	9- लंबित
मौजूदा वीसीके	5- ऑनसाइट जांच हेतु अनुशंसित 2-लंबित
नई किस्में	1- लंबित
मौजूदा किस्में	2- लंबित

3.1.50. मेंथॉल मिंट, सदाबहार (पेरीविंकल), दमस्क गुलाब एवं ब्राह्मी के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

सीएसआईआर- केंद्रीय औषधीय एवं सगंधीय पादप संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अनुरक्षण का विवरणलक्षण वर्णन के लिए रखी गई किस्मों / :

क्रम सं0	फसलें	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों का नाम एवं संख्या	
		संख्या	नाम
1	मेंथॉल मिंट) *मेंथा आर्वेंसिस* (	11	कोसी, एमएएस1-, कल्का, शिवालिक, गोमती, हिमालय, सक्षम, कुशल, सिमेप सरयू, सीआईएमक्रांति एवं - तिउन्न -सीआईएम
2	पेरिविंकल) *केथरेंथस रोजियस* (	4	धवल, निर्मल, प्रबल एवं सीआईएम सुशील -
3	दमश्क रोज)*रोजा दमस्केना* (	4	रानीसाहिबा, नूरजहां, अलीगढ़, कनौज
4	ब्राह्मी) *बाकोपा मॉन्नियेरी*(	2	सीआईएम- जागृति, सुबोधक

मेंथॉल मिंट की किस्म सीआईएम-क्रांति के पंजीकरण हेतु एक आवेदन दिनांक 09.09.2015 को पीपीवी एवं एफआरए को भेजा गया है (आरईजी/2015)। सभी प्रकार के अधिसूचित लक्षणों पर दर्ज आंकड़ों को अभिलेखित करके इस किस्म के पंजीकरण हेतु उसे पीपीवी एंड एफआरए को भेजा गया है।

3.1.51. काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक एवं हल्दी हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड, केरल

पिछले तीन वर्षों में डीयूएस हेतु जांची गई प्रविष्टियों की संख्या की की संपूर्ण सूची संलग्नकेंडीडेट किस्म) (जानी है

काली मिर्च	**इलायची**	**हल्दी**	अदरक
1. साइनधिनी (पंजीकरण/2019/11) 2. जॉयन मंडी (पंजीकरण/2014/2488) 3. अश्वथी (पंजीकरण/ 2015/877) 4. सुवर्णा (पंजीकरण/2015/1791) 	एंजालनी (पंजीकरण/2014/558) 1. पप्लालू (पंजीकरण/2014/2418) 2. अर्जुन (पंजीकरण/2014/2487) 3. पटचकाई (पंजीकरण/2015/1030) 4. पी.एन.एस. वेगाई (पंजीकरण/2015/1585) 5. थडाथिल गोल्ड (पंजीकरण/2017/2401)	1. रेशमी हल्दी (पंजीकरण/ 2014/747) 2. पाहुला हल्दी -II (पंजीकरण/2014/750) 3. बुधराम हल्दी (पंजीकरण/2014/741) 4. संतरा (पंजीकरण/2014/2134) 5. कंडेला हल्दी (पंजीकरण/2014/3139) 6. दहाती हल्दी (पंजीकरण/2014/1987) 7. फूटीहलूद (पंजीकरण/2013/742) 8. सुर्खा (पंजीकरण/2014/2186) 9. हरदी (पंजीकरण/2016/30) 10. कोइराना (पंजीकरण/2015/985) 11. गोंडा (पंजीकरण/2015/846) 12. सुरगुजा लोकल (पंजीकरण/2016/1496) 13. हसगोरा हल्दी (पंजीकरण/2017/1152) 14. 916 हल्दी (पंजीकरण/2017/2213) 15. रमन (पंजीकरण/2014/900) 16. पुरबी (पंजीकरण/2017/130) 17. बोरियावी हल्दी (पंजीकरण/2018/620) 18. नवालोंग (पंजीकरण/2015/960)	1. वैजनाथ अदरख (पंजीकरण/2015/51) 2. सीताराम अदरख (पंजीकरण/2016/2273) 3. शिव (पंजीकरण/2015/848) 4. आदि-लो (पंजीकरण/2016/382) 5. कल्देव आदि (पंजीकरण/2016/1188) 6. नासरी देसी (पंजीकरण/2014/2151) 7. नासरी देसी (पंजीकरण/2014/2151)

डीयूएस केंद्र में अनुरक्षित संदर्भ किस्मों की संख्या

कालीमिर्च : 21

इलायची : 15

अदरख : 29

हल्दी: 35

3.1.52. खजूर (डेट पॉम) हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर, राजस्थान

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान फील्ड रिपॉजिटरी में खजूर की कुल 42 किस्मों का रखरखाव करके रूपात्मक लक्षणों, पुष्पन एवं फलों की विशेषताओं के लिए उनका मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान 38 किस्मों में स्पेथ के उद्‌भव / प्रफुल्लन, रूपात्मक, भौतिक एवं गुणवत्ता संबंधी लक्षणों पर प्रेक्षणों को दर्ज किया गया, जबकि अन्य किस्में अपनी वानस्पतिक वृद्‌धि के अंतर्गत थीं। जनवरी के दूसरे सप्ताह से स्पेथ का उभरना शुरू हुआ जो मार्च के मध्य में पूरा हो गया।

फसल की कटाई के दिन आंकड़ों को दर्ज किया गया और फील्ड रिपॉजिटरी)खेत(भंडार- में रोपे गए खजूर के जननद्रव्य की उपज संबंधित लक्षणों जैसे प्रति वृक्ष)गुच्छों की संख्या, वृंत की लंबाई, गुच्छे की लंबाई, तंतु संख्या एवं लंबाई को (दर्ज किया गया और जननद्रव्यों में उल्लेखनीय अंतर दर्ज किए गए। 28 जून, 2020 को जल्दी तैयार होने वाले जननद्रव्य धमास की कटाई की गई और उसके बाद नागल की 1.07.2020 को कटाई की गई। खजूर की सेवी किस्म में प्रति वृक्ष गुच्छों की अधिकतम संख्या)15.0) दर्ज की गई, उसके बाद इसे खुनेज़ी)14.3) में पाया गया, जबकि उमशोक)4.0) में गुच्छों की न्यूनतम संख्या पाई गई। विभिन्न जननद्रव्यों में वृंत की लंबाई)14.3 - 80), गुच्छे की लंबाई)5-39 सेमी(, प्रति गुच्छे में स्ट्रेंड)तंतु (की संख्या)19.3-58.3), तंतुओं की लंबाई)22.2-61.0 सेमीदर्ज की गई। (

देश के विभिन्न हिस्सों से आए आगंतुकों तथा गुजरात एवं राजस्थान से आए किसान समूहों तथा विभिन्न संगठनों के प्रशिक्षुओं, राज्य विभाग के अधिकारियों एवं छात्र समूहों ने अनुसंधान गतिविधियों को जानने के लिए खजूर के डीयूएस केंद्र का दौरा किया। राजस्थान में खजूर उगाने के इच्छुक उद्‌यमियों ने भी खेतों का दौरा किया और उन्हें खजूर की फसल उगाने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया।

प्रत्येक वर्ष किसानों द्‌वारा कैंडीडेट किस्मों के डीयूएस जांच हेतु सक्षम प्राधिकारी को एक प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, भाकृअनुपसीआईएएच को इसकी- सूचना दी जाती है किंतु पौध किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्‌वारा इसकी जिम्मेदारी खजूर अनुसंधान केंद्र, एसकेआरएयू, बीकानेर को दी गई है। भाकृअनुपसीआईएएच-, बीकानेर ने किसानों से संपर्क करके उन्हें पीपीवी एवं एफआरए के महत्व और विशिष्ट जननद्रव्य के संरक्षण के बारे में सक्षम प्राधिकारी को कृषक किस्मों के बारे में आवेदन जमा करने के लिए जागरूक किया गया है। प्राधिकरण के पत्र के अनुसार निम्नलिखित किसानों द्‌वारा इसके लिए आवेदन जमा किया गया है।

1. बदरी नारायण शर्मा, देइदासपुरा, गंगा नगर
2. लाल चंद, खसरा संख्या 354, गंगा नगर

3. कन्हैया लाल, कोनपाल, सूरतगढ़
4. गौरी शंकर
5. हंस राज पूनिया, खसरा संख्या 318

3.1.53. अंगूर के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र

संदर्भ किस्मों का रखरखाव और लक्षण वर्णन:

अंगूर की 57 चिन्हांकित संदर्भ किस्मों को डोग्रिज प्रकंद) रूटस्टॉक पर ग्राफ्ट करके (Y ट्रेलिस पर उसकी ट्रेनिंग)सधाई(की गई। प्रति रेप्लिकेशन) प्रतिकृतिचार लताओं (के साथ प्रत्येक किस्म को तीन बार दोहराया गया। अंगूरलताओं को 10 x 6 फीट की दूरी पर लगाया गया तथा इन्हें डोग्रिज प्रकंद) रूटस्टॉकपर ग्राफ्ट किया गया। पौधों (के छत्र विकास के लिए अंगूर की खेती की सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया जिनमें प्ररोह / पत्तियों को पतला करके उनके वानस्पतिक विकास को सीमित करके फलन को बनाए रखना, गुच्छा / बेरी की थिनिंग (विरल)द्वारा गुच्छा / बेरी विकास तथा आवश्यकतानुसार रोग एवं कीट की रोकथाम हेतु सुरक्षा तकनीकों का पालन सम्मिलित है। अंगूर के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार इन संदर्भ किस्मों का 40 गुणों हेतु लक्षण वर्णन किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण में पंजीकरण के लिए चार नए आवेदन पत्र भरे गए। ये इस प्रकार थे:

नई : 1 (मंजरी श्यामा (

कृषकों की किस्में : 3

1. आरके सीडलैस
2. वीएसडी सीडलैस
3. किंग बेरी

डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 40 विशेषताओं के आधार पर इन किस्मों में से 5 कैंडीडेट किस्मों का स्थल पर)ऑनडीयूएस परीक्षण किया गया। ये किस्में हैं (साइट-

नई श्रेणी : 2 (एराफिफ्टीन, मंजरी श्यामा (

कृषक की किस्में : 3 (आरके सीडलैस, वीएसडी सीडलैस, किंग बेरी)

पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली को साइट पर ही डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना

डीयूएस परीक्षण की कुल चार *ऑनसाइट*- समेकित रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई थीं। इसमें अंगूर की चार कैंडीडेट किस्में - आरके सीडलेस, वीएसडी सीडलेस, किंग बेरी एवं एराफिफ्टीन के अभिलेख शामिल हैं।

3.1.54. अनार के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, शोलापुर, महाराष्ट्र

डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत कैंडीडेट किस्में	2 (एनआरसीपी एच-6 एवं एनआरसीपी एच-12)
	2 (एनआरसीपी एच-4 एवं एनआरसीपी एच-14)
	2 (एनआरसीपी एच-4 एवं एनआरसीपी एच-14)
डीयूएस केंद्र में पोषित संदर्भ किस्मों की संख्या	39

वर्ष 2020-21 के दौरान, पीपीवी एवं एफआरए दिशानिर्देशों के अनुसार 35 डीयूएस विशेषताओं के लिए अनार की 12 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया तथा उनका लक्षण वर्णन किया गया। दूसरे वर्ष 23 फरवरी, 2021 को अनार की दो नई संकर किस्मों -एनआरसीपी एच)6 एवं एनआरसीपी एच-12) का स्थल पर डीयूएस परीक्षण किया गया। पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली द्वारा 6 और 7 अक्टूबर, 2020 को आयोजित इंडोजर्मन द्विपक्षीय कार्यक्रम - इमेज/स्वचालन/के तहत डीयूएस डेटा प्रबंधनविश्लेषण पर वेबिनार एवं प्रशिक्षण में सहभागिता की।

3.1.55. नीम, करंज एवं जेट्रोफा के लिए डीयूएस प्रशिक्षण केंद्र

वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मेट्टुपलायम, तमिलनाडु

प्रतिवेदित अवधि 2020-21 के दौरान इस केंद्र ने नीम की 32 एवं करंज की 33 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया। वर्ष 2019 के दौरान साइट पर)*ऑन* डीयूएस परीक्षण किया गया और कैंडिडेट (*साइट*-किस्मों हेतु पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण को 23.07.2020 को मेल द्वारा ऑनसाइट डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।-

नीम एवं करंज के संदर्भ संग्रह का विवरण

बायोमेट्रिक प्रेक्षण

नीम के 32 एवं करंज के 33 संदर्भ संग्रहों में तीन महीने के अंतराल पर बायोमेट्रिक प्रेक्षणऊंचाई) , कॉलर गहराई एवं बेसल ऊंचाई पर व्यास किएदर्ज (गए।

पत्ती का लक्षणवर्णन

नीम के 32 संदर्भ संग्रहों के पत्ती निरूपकों)लीफ डिस्क्रिप्टरपत्रक) (की लंबाई, पत्रक की चौड़ाई, पर्णवृंत की लंबाई, अंतर पत्रक रैकिस : की लंबाई, पत्रक का आकार एवं लीफ मार्जिनका (सेरेशन : लक्षण वर्णन एवं प्रलेखन किया गया। छद्म गुणात्मक विशेषताएंपेड़ की) प्रकृति या स्वभाव, पत्रक का आकार, अंतिम पत्रक का आकार एवं अंतिम पत्रक का आधार(, पुंगम के 33 संदर्भ संग्रह के गुणात्मक लक्षणो तना का) प्रकारका (लक्षण वर्णन एवं प्रलेखन किया गया।

पुष्प का लक्षणवर्णन

नीम के 32 संदर्भ संग्रहों के पुष्पक्रम की विशेषताओं पंखुड़ी का)आकारका (लक्षण वर्णन एवं प्रलेखन किया गया।

3.1.56. चमेली के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा लेक पोस्ट, बैंगलुरू, कर्नाटक

वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुरक्षित प्रजनन के तहत व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली मोगरा की जिनल विभिन्न प्रजातियों को लक्षण किया गया उनमें *जे .सम्बक*) 23(, *जे .*) *ऑरिकुलेटम*6(, *जे .मल्टीफ्लोरम*) 3 तथा (*जे .ग्रैंडिफ्लोरम*) 4 तथा (कम ज्ञात अन्य मोगरा-प्रजातियों की शामिलकिस्में 06 हैं। जैस्मिनम प्रजातियों हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों - को अंतिम रूप देने के लिए टास्क फोर्स की बैठक तय कर ली गई है।

प्रकाशन

जैस्मीनम ऑरिकुलटम के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों को प्लांट वैरायटी जर्नल ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 08, (सं .12) दिसंबर, 2014 में प्रकाशित किए गए हैं। इसे 2.7.2015 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (ii) में पंजीकरण के लिए अधिसूचित किया गया है। *जैस्मिनम सम्बैक* के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को पीवीजे, वॉल्यूम 10 (नंबर 1), जनवरी 2016 में प्रकाशित किया गया है। *जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम* के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को प्लांट वैरायटी जर्नल के वॉल्यूम 10, सं 010, 04 अक्टूबर, 2016 में प्रकाशित किया गया है। *जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम* के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें पीपीवी एवं एफआरए को भेजा गया है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, तमिल नाडु

वे किस्में जिनका रखरखाव किया जा रहा है :

निम्नलिखित प्रजातियों से संबंधित 12 70 जीनप्ररूपों का जननद्रव्य के तहत रखरखाव किया जा रहा है।

(1)	*जे. सम्बक*	(7)	*जे. रिगिदम*
(2)	*जे. ऑरिकुलेटम*	(8)	*जे. ह्यूमाइल .जे :पर्याय) (नेसियमबिग्नो*
(3)	*जे. ग्रांडिफ्लोरम*	(9).	*जे. प्रिमुलिनम*
(4)	*जे. मल्टीफ्लोरम .जे:पर्याय) (पुबेसेंस*	(10)	*जे. फ्लेक्साइल*
(5)	*जे. निटिडम*	(11)	*जे. आर्बोरेसेंस*
(6)	*जे. केलोफाइलम*		

क्रम संख्या	उपलब्धि	अधिप्रमाणन
1.	चमेली के जननद्रव्य का संकलन	पुष्प संवर्द्धन विभाग, कोयंबटूर में 65 संग्रहों के जननद्रव्य का रखरखाव किया गया

2.	*जेस्मिन ऑरिकुलेटम* के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार किए गए	प्लांट वेराइटी जर्नल, इंडिया के खंड 08, संख्या दिसंबर) 12, में प्रकाशित (2014
3.	*जेस्मिन सम्बक* के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार किए गए	प्लांट वेराइटी जर्नल, इंडिया के खंड 10, संख्या 01जनवरी) , 2016में प्रकाशित (
4.	*जेस्मिन मल्टीफ्लोरम* के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार किए गए	पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को दिसंबर, 2015 में प्रस्तुत किया गया
5.	*जेस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम* के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार किए गए	पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को दिसंबर, 2016 में प्रस्तुत किया गया
6.	राज्य किस्म विमोचन समिति, तमिल नाडु द्वारा जनवरी 2019 में बे-मौसमी पुष्पन क्षमता वाली *जैस्मीनम नाइटिडम* की एक आशाजनक किस्म 'सीओ .1 स्टार जैस्मीन' का किसानों द्वारा व्यावसायिक खेती हेतु अपनाए जाने के लिए विमोचन किया गया।	
7.	*जेमल्टीफ्लोरम* . के एक आशाजनक क्लोनल चयन एक्सेसन जेएम-1 की पहचान बेमौसमी- पुष्पन के साथ नसाथ सर्दियों के दौरान प्रचुर मात्रा में पुष्प-के लिए की गई है। वर्तमान में इनकी खेती बहु-एवं (एमएलटी) स्थानीय परीक्षणअनुकूली अनुसंधान परीक्षण के अंतर्गत (एआरटी) की जा रही है।	
8.	*जेग्रैंडिफ्लोरम* . और *जेऑरिकुलेटम* . में उत्परिवर्तन प्रजनन के प्रयास प्रगति पर हैं। वर्तमान में आशाजनक कल्पित म्यूटेंट का खेतों में मूल्यांकन किया जा रहा है।	

3.1.57. बोगेनविलिया के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

अनुरक्षण हेतु बोगेनविलिया किस्मों की संख्या : 100

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पुष्प संवर्द्धन एवं भूदृश्य विभाग, पूसा कैंपस, नई दिल्ली-12 द्वारा 26 मार्च, 2021 को बोगेनविलिया का प्रदर्शन एवं पारस्परिक विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. टी. के. नागरत्ना, रजिस्ट्रार एवं श्री दीपाल रॉय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पीपीवी एवं एफआरए (जीओआई) ने हमारी रिपॉजिटरी का दौरा किया और केंद्र में बोगेनविलिया जननद्रव्य के अनुरक्षण हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। यह, फूलों की खेती के शौकीन लोगों, नर्सरी उत्पादकों, माली, छात्रों, सीमांत किसानों सहित फूल उत्पादकों के बीच बागवानी के क्षेत्र में उन्नति के लिए नई तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने में बहुत मददगार रहा।

डॉ. आर. के. रॉय (पूर्व प्रभागाध्यक्ष, पुष्प संवर्द्धन एवं भूदृश्य विभाग, एनबीआरआई, लखनऊ) ने समय-समय पर हमारे केंद्र का दौरा किया तथा डीयूएस केंद्र में सुधार हेतु अपनी विशेष सलाह दी। बागवानी निदेशकों (एनडीएमसी, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए आदि) ने भी फूलों के मौसम में समय-समय पर हमारे केंद्र का दौरा किया और डीयूएस केंद्र में सुधार

हेतु विशेषज्ञ सलाह प्रदान की है। हमने हार्ड वुड कटिंग द्वारा बोगेनविलिया की रोपण सामग्री का दोनों मौसमों (गर्मी एवं बरसात) में बहुगुणन किया है और पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी जैसे कई विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली स्थित भूदृश्य विज्ञानियों को बेचा है।

3.1.58. ग्लेडिओलस हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

इस केंद्र पर ग्लेडिओलस की एक प्रजाति *जीकैलिएंथस* . सहित 156 जननद्रव्य / किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। इसके अलावा, अर्का केशर, पूसा सगुन, सिडनी पर्सी, लैंकेस्टर, अर्चना और रोशनी जैसी 5 दृष्टांत / संदर्भ किस्मों हेतु डीयूएस आंकड़ों का संग्रह और अनुरक्षण किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान एनबीआरआई, लखनऊ से पांच तथा आईआईएचआर, बैंगलोर से दो नई किस्में एकत्र की गईं और प्रभाग द्वारा *ग्लैडिओलस कैलिएंथस* प्रजाति सहित 156 किस्मों का संरक्षण और रखरखाव किया जा रहा है। इस प्रकार, अर्का प्रथम, अर्का शोभा, रश्मि, हीरक, वेदेव, सुवर्णा और उषा नामक नई संग्रहीत किस्मों का मूल्यांकन और रखरखाव किया गया। इस दौरान उपरोक्त कॉलम 5 (सी तमें उल्लिखित दृष्टां (/किस्मों के लिए डीयूएस आंकड़ों को प्रलेखित किया गया तथा आईएआरआई ग्लेडिओलस की 40 किस्मों/ जननद्रव्य का भी रखरखाव किया गया। इसके अलावा सामग्री को कोल्ड स्टोरेज में भेजने से पहले कटाई / खुदाई, सफाई, कॉर्म का शोधन जैसी अन्य गतिविधियां प्रगति पर हैं।

3.1.59. गुलदाउदी के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

इस केंद्र पर गुलदाउदी की 51 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान डीयूएस परीक्षण के लिए दो कैंडिडेट किस्मों एनबीआरआई-हिमज्योति एवं एनबीआरआई- पुखराज प्राप्त हुईं।

3.1.60. केन्ना, बोगेनविलिया तथा ग्लेडिओलस हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

सीएसआईआर- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

बोगेनविलिया

इस केंद्र पर पूरे साल भर नियमित खेती प्रक्रियाओं को अपनाते हुए मूल पौधारोपण)ग्राउंड प्लांटेशन(तथा पोर्ट्रेट संग्रह के रूप में जननद्रव्य संग्रह का संरक्षण, लक्षण वर्णन एवं अनुरक्षण किया जाता है। कटिंग एवं एयरग विधियों द्वारालेयरिं- जननद्रव्य का बड़े पैमाने पर बहुगुणन किया गया। इस केंद्र पर बोगेनविलिया की किस्मों का संरक्षण और रखरखाव किया गया 184 है।

कैना

नियमित खेती प्रक्रियाओं को अपनाते हुए पूरे वर्ष वनस्पति उद्यान क्षेत्र 3),वर्ग 000 मीटर क्षेत्रफलके (खेतों की क्यारियों में डीयूएस परीक्षण के लिए रखे गए जननद्रव्य संग्रह का रखरखाव किया गया। युवा प्रकंदों को अलग करके जननद्रव्य का बहुगुणन कर उन्हें लगाया

गया। इस केंद्र पर 50 कैना जननद्रव्य की वंशावलियों)लाइनों का संरक्षण और रखरखाव किया गया (है।

ग्लेडिओलस

संपूर्ण वर्ष भर में नियमित खेती प्रक्रियाओं को अपनाते हुए इस डीयूएस परीक्षण केंद्र में ग्लेडिओलस किस्मों के जननद्रव्य संग्रह का रखरखाव किया जा रहा है। मार्च, 2021 में फसल की कटाई खुदाई के दौरान मातृ/सामग्री से युवा घनकंदों) कॉर्म (को अलग करके जननद्रव्य का बहुगुणन किया गया। इन कॉर्म को ठीक से पैक करके अगले मौसम में रोपण हेतु शीतगृहों में रखा गया। इस केंद्र में ग्लेडिओलस की 110 विदेशी किस्मों का संरक्षण और रखरखाव किया गया है।

3.1.61. गेंदा के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, गेंदा के 57 जीनप्ररूपों) 23 संदर्भ किस्मों/ वंशावलियों सहित का (नर्सरी में प्रवर्धन करके नोडल / लीड केंद्र अर्थात् पुष्पसंवर्द्धन एवं भूदृश्य प्रभाग, भाकृअनुपनभारतीय कृषि अनुसंधान संस्था -, नई दिल्ली के मुख्य फार्म में प्रत्यारोपण किया गया। गेंदे की फसल में अपनाई जाने वाली खेती की प्रमाणिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इन किस्मों/ वंशावलियों का भली भांति रखरखाव किया गया। फूल आने के पश्चात लैंगिक विधि से प्रवर्धित संदर्भ किस्मों / वंशावलियों का स्वनिषेचन किया गया। (गसैल्फिं)बीजों की शुद्धता बनाए रखने के लिए स्वनिषेचन से पूर्व अवांछित पौधों को हटा (मिश्रण)दिया गया।

किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी की गईं/भाकृअनुप/एसएयू)
57	34 भाकृअनुप, नई दिल्ली (चयन /जारी किस्में) 09 आईआईएचआर, बैंगलुरू (चयन /स्मेंजारी कि) 02 सीसीएस एचएयू, हिसार (जारी किस्में) 02 बीसीकेवी, कल्यानी (जारी किस्में) 10 अन्य (जारी किस्में)

इसके अतिरिक्त, डीयूएस परीक्षण हेतु दो कैंडीडेट किस्में कृषक)किस्में अर्थात् (पुष्कश एवं ट्रायल कोड -2880/4169 को भी उगाया गया। कैंडीडेट किस्मों के डीयूएस परीक्षण ट्रॉयलों के प्रायोगिक परिणामों को नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	कैंडीडेट किस्म कृषक) ट्रॉयल /का नाम (किस्मों कोड	प्रयोग का परिणाम	टिप्पणी
1.	पुष्कश	संदर्भ किस्म सहित डीयूएस विशेषताओं हेतु आंकड़ों को दर्ज किया गया।	डीयूएस लक्षणों पर दर्ज आंकड़ों को एक अलग शीट में संलग्न किया गया है।
2.	2880/4169	संदर्भ किस्म सहित डीयूएस विशेषताओं हेतु आंकड़ों को दर्ज किया गया।	डीयूएस लक्षणों पर दर्ज आंकड़ों को एक अलग शीट में संलग्न किया गया है।

भाकृअनुप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा लेक पोस्ट, बैंगलुरू, कर्नाटक

प्रतिवेदित अवधि के दौरान वर्ष 2020-21 में गेंदा की 43 किस्मों का डीयूएस केंद्र में अनुरक्षण प्रजनन एवं लक्षण वर्णन के लिए रखरखाव किया गया। कुल 22 किस्मों के डीयूएस डेटा को दर्ज किया गया, जिनमें से 12 दृष्टांत किस्में और शेष 10 संदर्भ किस्में हैं।

इस केंद्र में सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त निम्न संदर्भ एवं दृष्टांत किस्मों का रखरखाव किया गया।

		कुल संख्या	दृष्टांत संख्या एवं नाम	संदर्भ संख्या एवं नाम
i)	आईएआरआई	**7**		
	ए. अफ्रीकन	5	4 (पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, आईएआरआई / डब्ल्यू /एएफ-4 एवं आईएआरआई /एएफ / डब्ल्यू-8	1 (आईएआरआई / डब्ल्यू /एएफ-7)
	बी. फ्रेंच गेंदा	2	1 (पूसा अर्पिता)	1 (पूसा दीप)
ii)	आईआईएचआर	**10**		
	ए. अफ्रीकन	7	6 (आईआईएचआर एमवाई-4, आईआईएचआर एमवाई -5, अर्का अग्नि, अर्का बंगारा -2, आईआईएचआर एमवाई -3 एवं आईआईएचआर एमओ-3)	1 (अर्का बंगारा)
	बी. फ्रेंच गेंदा	3	आईआईएचआर एमओ -4, आईआईएचआर एमओ एफएम -1(अर्का मधु) एवं आईआईएचआर एमओ -2 (अर्का परी)	

3.1.62. सोयाबीन के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- भारतीय सोयाबीनअनुसंधान संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश

सोयाबीन की कंडीडेट किस्म का डीयूएस परीक्षण :

एक कृषक किस्म (2883/2550) का प्रथम वर्ष के लक्षण वर्णन के पश्चात द्वितीय वर्ष के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया।

संदर्भ किस्मों का रखरखाव :

खरीफ, 2020 के दौरान सोयाबीन की 124 जारी एवं अधिसूचित किस्मों को रखरखाव एवं लक्षण वर्णन के लिए उगाया गया था। जलवायु की प्रतिकूलता के कारण पिछले कुछ वर्षों में सोयाबीन की फसल की बढ़वार पर नकारात्मक प्रभाव एवं व्याधियों में वृद्धि हुई है। खरीफ, 2020 में सोयाबीन की अधिकांश किस्में एरियल ब्लाइट के कारण संक्रमित हुई और पुष्पन के पश्चात मर गई। सोयाबीन की किस्मों से प्राप्त उपज को निम्न ग्राफ में दिया गया है।

रबी, 2020-21 में संदर्भ किस्मों के रखरखाव हेतु सोयाबीन की किस्मों को उगाया गया था। सोयाबीन की किस्मों के रखरखाव के लिए सोयाबीन की किस्मों को कम -तापमान पर भंडारित किया जाता है क्योंकि बार-बार होने वाली जलवायु प्रतिकूलता के कारण कई बार फसल को नुकसान होता है।

सोयाबीन की फसल लंबे दिनों और तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। सोयाबीन में जलवायु दशाओं के प्रति आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है और उपज में भिन्नता को निम्नलिखित ग्राफ से देखा जा सकता है।

3.1.63. ऑर्किड के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र, पेक्योंग, पूर्वी सिक्किम

1.	पिछले तीन वर्षों में डीयूएस परीक्षण की गई प्रविष्टियों की संख्या (करना है की संपूर्ण सूची को संलग्नकेंडीडेट किस्मों)	04
2.	डीयूएस केंद्र पर अनुरक्षित संदर्भ किस्मों की संख्या	8 (प्रति वंश एक प्रविष्टि)
	यदि संदर्भित किस्मों के प्रतिकृत आंकड़ों को प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है	*डेंड्रोबियम* एवं *सिंबिडियम* को केंडीडेट किस्म सहित पहले ही प्रेषित किया जा चुका है तथा अन्य का संकलन का कार्य प्रगति पर है।

संदर्भ किस्मों का डीयूएस लक्षणवर्णन, डिजिटीकरण एवं डेटाबेस प्रबंधन

सिंबिडियम 'सेप्टेम्बर सनसेट', 'फोर्टि नाइनर', 'पाइन क्लैश मून वीनस', 'मार्गरेट थेचर गोल्ड', 'एचसी ऑरोरा', 'फॉयर स्टॉर्म ब्लेज', 'रेड स्टॉर'; *डेंड्रोबियम* "जूली', 'एम्मा व्हाइट', 'लर्विया' 'ए. अब्राहम', 'ट्रिपल पिंक', 'बिग व्हाइट **4** एन', ' कटिंग डंग', 'एरिका', 'थौंगचाइ गोल्ड', 'मेडम पिंक', 'अमर'; *वेंडा* ' पेट डिलाइट', 'मोटेस इंडिगो ब्ल्यू ', ' आरबीएसडी ब्लैक', ' सेनसाइ ब्ल्यू', ' प्राओ स्काई ब्ल्यू', ' आरबीएसडी रेड'; *फेलेनॉप्सिस* ' शिह हुआ लॉग फस्ट लव', 'डेट्रॉयट', 'ब्यूनोस एरीज', 'मेंचेस्टर', ' कासा ब्लेंका', 'हिसिंग यांग फॉर्च्यून ', 'चियान जेन मेगपी'; *केटलेया* 'अहमद शेखी', 'पर्पल कास्केड फ्रेगरेंट बी', 'यू ब्लेज यू- एंपरर ', 'चिया लिन न्यू सिटी ', 'चाइनीज ब्यूटी आर्किड क्वीन ', 'क्वीन सिरिखित ', 'मेनरिमर फॉर हॉरिजन x एल. एन्सेप्स'; *ऑसिडियम* 'टाका यैलो ', 'स्वीट शुगर ', 'शेरी बेबी स्वीट फ्रेगरेंस ', 'वाइल्ड केट कारमेरा ', 'जे. आर.

ब्रॉउन'; *पेफियोपेडिलम* 'हेरॉल्ड कूपोविट्ज', 'शीतल- 1 (एनआरसीओ संकर), पेफियो वेनुस्टम क्लोन 01 (एनबारसीओ क्लोनल सेलेक्शन), 'माइकल बारटोस्ज ', ' यी-यिंग ट्विंक्लिंग स्टार्स ' एवं *मोकरा* 'हैप्पी ब्यूटी ', 'चर्क कुआन रेड ', 'जिट्टी ऑरेंज', 'वाल्टर आउमे व्हाइट ', 'खॉव फियाक सुवान x वी. रसरी गोल्ड ' एवं 'कुल्टाना गोल्ड ' ऑर्किड्स

सिंबिडियम, डेंड्रोबियम, वेंडा, फेलिनोप्सिस, केटलेया, ऑंसिडियम, पेफियोपीडिलम एवं *मोकरा* आर्किड्स की संदर्भ किस्मों का बहुगुणन एवं रखरखाव

कृषक किस्मों का डीयूएस परीक्षण (संख्या 5) उदाहरण टियू लिंगकसियर लिएंग (सिंबिडियम साइपेरिफोलियम), टियू किरवोहकॉव (डेंड्रोबियम क्राइसेंथम), टियू टडोंग्रिसेंग (डेंड्रोबियम डिवोनिएनम), टियू लिंगकसियर डोहनड (डेंड्रोबियम ट्रांसपेरेंस) एवं टियू लिंगस्क्वॉ (डेंड्रोबियम एफाइलम)।

ऑर्किड्स एवं कार्नेशन (गुलनार)

डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्व विद्यालय, नौनी, सोलन

कार्नेशन (गुलनार) की तीस किस्में जिनके नाम क्रमश: क्लेओस, टर्बो रेड, पिंक डोवर, व्हाइट डोना, गौडिना, रेजियो-डी सोल, बाल्टिको, बिज़ेट, सिंड्रेला, मैडम कोलेट, आइकार्डी, ब्राइट रेंडेंजवस, व्हाइट वेडिंग, किरो, डॉन पेड्रो, रेंडेंजवस, मद्रास, लिबर्टी, कूल, डार्क रेंडेंजवस, मास्टर, हर्मीज, स्नो स्टॉर्म, डायना येलो, नोर्डिका, हैप्पी गोलेम, डोमिंगो, टैंपो, टैम्पिंड, मैराथन को डीयूएस परीक्षण केंद्र के पुष्प संवर्द्धन एवं भू दृश्य आर्किटेक्चर विभाग के प्रायोगिक फार्म में प्ररोह शीर्षों (शूट टिप्स) के उपयोग से वानस्पतिक प्रवर्धन विधि द्वारा तैयार कर उनका रखरखाव किया जा रहा है।

3.1.64. गुलाब के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा, बैंगलुरू, कर्नाटक

वर्ष 2020-21 के दौरान इस केंद्र ने डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार कैंडीडेट किस्मों के डीयूएस परीक्षण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र से गुलाब की 27 किस्मों तथा निजी क्षेत्र की गुलाब की 160 किस्मों का अनुरक्षण करके उनका लक्षण वर्णन किया है। दो कैंडीडेट किस्मों का डीयूएस परीक्षण जिसमें नई श्रेणी के तहत गुलाब की अर्का आइवरी किस्म का दूसरे वर्ष डीयूएस परीक्षण तथा वीसीके श्रेणी के तहत गुलाब की किस्मों के अर्का स्वदेश, इंटरगेलन एवं इंटरोरलान किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया।

भाकृअनुप- पुष्प संवर्द्धन अनुसंधान निदेशालय, पुणे, महाराष्ट्र

इस केंद्र पर देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की 187 किस्मों के जननद्रव्य का रखरखाव किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से सुगंधित और कट पुष्पों की 16 किस्मों का संग्रह किया गया। चयनित किस्मों की विभिन्न विशेषताओं के लिए जांच की गई। वर्ष 2020-21 के फसल मौसम में पुणे की दशाओं में 25 किस्मों का डीयूएस लक्षण वर्णन किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण खेत में जननद्रव्य का रखरखाव करना मुश्किल था। श्रमिकों की कमी एक प्रमुख समस्या थी जिसके कारण जननद्रव्य ब्लॉक में डाईबैक का प्रकोप हो- गया। लॉकडाउन के कारण केंद्र मुख्य निर्माण कार्य नहीं कर (ग्रीनहाउस निर्माण)सका। ग्रीन हाउस का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

3.1.65. चाइना एस्टर एवं गुलदाउदी के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा लेक पोस्ट, बैंगलुरू, कर्नाटक

डीयूएस चाइना एस्टर

कुल मिलाकर 31 जीनप्ररूपों का बहुगुणन किया गया।

आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए इन सभी 31 जीनप्ररूपों का निषेचित (सेल्फ्ड) किया गया।

डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार इन 31 जीनप्ररूपों का लक्षण वर्णन किया गया (xl

अधिदेशित फसल प्रजातियां	वर्ष 2020-21में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों के नाम एवं संख्या	संदर्भ किस्मों के रेप्लिकेटेड आंकड़े (प्रतिकृत)
गुलाब	187 किस्में	25

फाइल संलग्न)

डीयूएस गुलदाउदी

टर्मिनल कटिंग्ज द्वारा गुलदाउझी के 90 जीनप्ररूपों का बहुगुणन किया गया।

अनुरक्षण प्रजनन के तहत इन सभी 90 जीनप्ररूपों का रखरखाव किया गया।

डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार इन सभी 90 जीनप्ररूपों का लक्षण वर्णन किया गया।

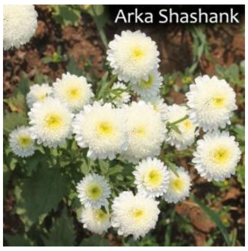

चाइना एस्टर

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, गनेशखिंद, पुणे, महाराष्ट्र

वर्ष 2020-21 के दौरान इस केंद्र ने चाइना एस्टर की आठ किस्मों का रखरखाव किया जिनमें अर्का पूर्णिमा, अर्का कामिनी, अर्का शशांक, फुले गनेश व्हाइट, फुले गनेश पर्पल, फुले गनेश वॉयलेट एवं फुले गनेश पिंक शामिल हैं।

3.1.66. सूरजमुखी, कुसुम एवं अरंडी के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना

तिलहन की तीन फसलों जैसे अरंडी, सूरजमुखी एवं कुसुम के परीक्षण हेतु भाकृअनुपभारतीय तिलहन अनुसंधान - नसंस्था, हैदराबाद एक सहयोगी केंद्र है। इस संबंध में अप्रैल,2020 से मार्च,2021 के बीच किए गए कार्य का ब्योरा नीचे दिया गया है।

अरंडी

वर्ष 2020-21 के दौरान, डीयूएस परीक्षण हेतु एक कृषक किस्म रितेश रेडी /पंजीकरण)2017/2151), प्रारंभिक लक्षण वर्णन और बीज बहुगुणन के लिए दो कृषक किस्मों - -सीडीबीए345 (पंजीकरण/2018/449) एवं बगरांडा /पंजीकरण)2016/1425) को *खरीफ,* 2020 (बुवाई का दिन 14.07.2020) में बोया गया।

कृषक किस्म रितेश रेडी /पंजीकरण)2017/2151) को दो संदर्भ किस्मों डीसीएस-9 एवं अरुणा के साथ रेप्लिकेटेड)प्रतिकृत(ट्रॉयल में प्रथम वर्ष के परीक्षण हेतु बोया गया। प्रत्येक प्रतिकृति में 6 मीटर की 6 पंक्तियों में बीज की बुवाई की गई। डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार 30

डीयूएस विशेषताओं के बारे में आंकड़ों को दर्ज किया गया। अरंडी की कृषक किस्म रितेश रेडी / पंजीकरण)2017/2151) हेतु दो संदर्भ किस्मों सहित दो केंद्रों की समेकित डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट को संकलित किया जा रहा है।

कृषककिस्मों- जैसे सीडीबीए-345 (पंजीकरण/2018/449) एवं बगरंडा/पंजीकरण) 2016/1425) को प्रारंभिक लक्षण वर्णन और बहुगुणन के लिए एक अप्रतिकृत खेत में बोया गया था। सीडीबीए-345 में बाईस पौधे अंकुरित हुए और इन सभी पौधों में एकरूपता पाई गई। *खरीफ,* 2020 के निषेचित बीजों से उनके बहुगुणन हेतु *रबी,* 2020-21 में फिर से उसी प्रविष्टि को बोया गया। दोनों मौसमों में पौधों को टैग करके निषेचित)सेल्फ किया गया और (*खरीफ* में कुल 350 ग्राम और *रबी* में 1280 ग्राम बीज का उत्पादन किया गया। सीडीबीए-345 (पंजीकरण/2018/449) के लिए उत्पादित बीज की मात्रा को दो डीयूएस केंद्रों भाकृअनुपआईआईओआर-, हैदराबाद तथा एमओआरएस, जूनागढ़ में *खरीफ* 2021 में डीयूएस परीक्षण परीक्षण के लिए पर्याप्त पाया गया है। बगरंडा /जीकरणपं)2016/1425) में कम अंकुरण)5 पौधे पाया (गया। इन पौधों में एकरूपता नहीं पाई गई और उनमें से किसी ने भी प्रस्तुत बीज के समान विशेषताओं वाले बीज का उत्पादन नहीं किया इसलिए आगे और अधिक परीक्षण हेतु इस कृषक किस्म के बीज का बहुगुणन संभव नहीं था।

खरीफ 2020 के दौरान संदर्भ किस्म सीओ -1 का बहुगुणन भी किया गया। *रबी* 2020-21 के दौरान, अरंडी की नौ संदर्भ किस्मों जैसे किरण, एसएच-72, जेपी-65, जेआई-96, डीपीसी-9, एसकेपी-84, वीपी-1 , वीआई-9 एवं टीएमवी-5 का रखरखाव एवं बहुगुणन किया गया।

सूरजमुखी

वर्ष 2020-21 के दौरान एक नई कैंडीडेट किस्म 2886/2076 को प्रथम वर्ष के डीयूएस परीक्षण हेतु तथा दो कैंडीडेट संकर किस्मों एसएच 1 एवं एसएच2 को तुलनात्मक डीयूएस परीक्षण हेतु क्रमश :एसएच 1 एसएमजी एवं एसएच 2 एसएमजी के साथ *रबी,* 2020-21 (बुवाई की तिथि 18.11.2020) में बोया गया था।

नई कैंडीडेट किस्म 2886/2076 को दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित, टेस्ट प्लॉट डिजाइन में दो संदर्भ किस्मों केबीएसएच-42 एवं केबीएसएच-44 के साथ एक प्रतिकृति परीक्षण में प्रथम वर्ष की जांच हेतु बोया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 26 डीयूएस लक्षणों के लिए आंकड़ों को दर्ज किया गया। फसलकटाई उपरांत- प्रेक्षणों को दर्ज करने का कार्य जारी है।

रबी, 2020-21 के दौरान दो कैंडीडेट संकर किस्मों एसएच1 सहित एसएच1 एसएमजी तथा एसएच2 सहित एसएच2 एसएमजी की तुलनात्मक डीयूएस परीक्षण गतिविधि पर रेप्लिकेटेड)प्रतिकृतियलटॉ (किया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 26 डीयूएस लक्षणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। फसलकटाई के- बाद के प्रेक्षणों को दर्ज किया जा रहा है। एसएच1 [आर-I (6), आर-II (15), आर-III (9)] में पौधों की दृढ़ता कम होने के कारण, एसएच1 एसएमजी के साथ इनकी वैध तुलना संभव नहीं है।

डेटाबेस को अंतिम रूप देने के लिए, 5 संकर किस्मों एवं 3 पैतृक वंशावलियों का रेप्लिकेटेड)प्रतिकृत ट्रॉयल (में दूसरे वर्ष भी लक्षण वर्णन किया गया और 26 विशेषताओं पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। फसलकटाई के बाद के- प्रेक्षणों को दर्ज करने का कार्य प्रगति पर है।

रबी 2020-21 के दौरान, सूरजमुखी की दो किस्में डीआरएसएफ)-108 एवं डीआरएसएफ -113) तथा 17 पैतृक वंशक्रमों - एके1आर, आरएचए-271, आरएचए-272, सीएमएस-10 ए/बी, सीएमएस 11 ए/बी, सीएमएस -17 ए/बी, सीएमएस -38 ए/बी, सीएमएस -67 ए/बी, सीएमएस -104 ए/बी, और सीएमएस -234 ए/बी का रखरखाव एवं बहुगुणन किया गया।

कुसुम

वर्ष 2020-21 के दौरान, *रबी* में एक नई कैंडीडेट किस्म 2877/4134 पर दूसरे वर्ष का डीयूएस परीक्षण किया गया बुवाई) की तिथि 18.11.2020)।

एक नई केंडीडेट किस्म 2877/4134 के दो सेटों को आवेदक द्वारा पीपीवी एवं एफआरए को आपूर्ति किए गए मूल बीजों को बोया गया और *रबी* 2019-20 के दौरान भाकृअनुपआ-ईआईओआर में मूल बीज से बहुगुणित बीजों का उपयोग करके दूसरे सेट को उगाया गया। इस ट्रॉयल में शामिल दो संदर्भ किस्में ए-1 एवं फुले कुसुमा थीं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार 22 डीयूएस विशेषताओं पर आंकड़ों को दर्ज किया गया तथा फसल कटाई के बाद के प्रेक्षणों को दर्ज करने का कार्य प्रगति पर है।

रबी 2020-21 के दौरान कुसुम की ग्यारह संदर्भ प्रविष्टियों जैसे ए-1, पीकेवीपिंक-, जेएसआई-99, जेएसआई-73, सागरमुत्यालु, ए-300, पीबीएनएस-40, शारदा, एसएसएफ-658, नारी-96 एवं भीम का रखरखाव एवं बहुगुणन किया गया।

डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

अरंडी

वर्ष 2019-20 के दौरान अरंडी की एक केंडीडेट किस्म सीए-8646 (पंजीकरण/2010/130) के दो केंद्रों भाकृअनुप-आईआईओआर, हैदराबाद तथा जेएयू, जामनगर में संचालित डीयूएस परीक्षण की समेकित डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट को संदर्भ किस्मों 48-1 एवं एसकेआई-215 सहित दिनांक 14.07.2020 के पत्रांक सं .IIOR/DUS/07-20/630 द्वारा भेजी गई तथा विशिष्ट लक्षणों के अपेक्षित चित्रों को भी भेजा गया ।

कुसुम

कुसुम की एक नई केंडीडेट किस्म 2877/4134 तथा एक वीसीके 2876/2327 की समेकित डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट जिसका परीक्षण 2019-20 के दौरान 2 केंद्रों, भाकृअनुपआईआईओआर-, हैदराबाद तथा डॉपीडीकेवी ., अकोला में किया गया संदर्भ किस्मों के साथ-साथ ए-1 एवं फुले कुसुमा 2877/ 4134 और जेएसआई-7 एवं जेएसएफF-97 को 2876/2327 के लिए F.No. IIOR/DUS/01-21/6221 दिनांक 06.01.2021 और विशिष्ट लक्षणों की आवश्यक तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं।

सहयोगी केंद्रों में डीयूएस ट्रॉयलों का समन्वय

संदर्भ प्रविष्टियों की बीज सामग्री, प्रायोगिक योजना और एक कृषक किस्म के डीयूएस परीक्षण ट्रॉयल का विन्यास)लेआउटऔर अरंडी की दो कृ (षक-किस्मों का प्रारंभिक विशेषताओं को 04.07.2020 के पत्रांक संख्या IIOR/DUS/07-20/4640 के द्वारा जेएयू, जूनागढ़ स्थित डीयूएस केस्टर केंद्र और बाद में दिनांक 23.07.2020 के पत्रांक संख्या IIOR/DUS/07-20/4640 द्वारा केंद्र के स्थानांतरण के बाद मुख्य तिलहन अनुसंधान स्टेशन, जेएयू, जूनागढ़ को भेजा गया।

संदर्भ प्रविष्टियों की बीज सामग्री, प्रायोगिक योजना और लेआउट को कुसुम की एक नई केंडीडेट प्रविष्टि के डीयूएस परीक्षण ट्रॉयल दूसरे वर्ष के परीक्षण हेतु दिनांक 20.10.2020 के एफ .संख्या.IIOR/DUS/10-20 को बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई, पीडीकेवी, अकोला को भेजा गया।

सूरजमुखी की आठ संदर्भ प्रविष्टियों की बीज सामग्री को आगे की आपूर्ति के लिए पीपीवी एवं एफआरए को पत्रांक सं .IIOR/DUS/10-20 दिनांक 12.10.2020 के माध्यम से डीयूएस परीक्षण हेतु आगे की आपूर्ति के लिए भेजा जा सके।

3.1.67. अलसी, मसूर एवं हरी मटर हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश

अलसी

रबी 2020-21 के दौरान 21 संदर्भ किस्मों, 7 अन्य किस्मों और 05 किसान किस्मों के बीजों को 15.11.2020 को बीज प्रजनन फार्म, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, जेएनकेवीवी, जबलपुर में तीन प्रतिकृतियों (रेप्लीकेशन) में संदर्भ किस्मों के अनुरक्षण हेतु अनुशंसित पैकेज के अनुसार पंक्ति

से पंक्ति के बीच 30 सेमी की दूरी पर 5 मीटर लंबी 5 पंक्तियों में राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बोया गया। उगे पौधों में खास लक्षणों की उचित अभिव्यक्ति के साथ अंकुरण एवं पौधों की इष्टतम संख्या पाई गई। पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए पर्यावरण को अनुकूल पाया गया। सभी संदर्भ और अन्य किस्मों के विशेष लक्षणों की अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देश के अनुसार पाया गया।

मसूर

वर्ष **2020-21** के दौरान, मसूर की फसल में किसी कृषक किस्म के प्राप्त न होने के कारण कृषक किस्मों की बुवाई नहीं हो सकी। *रबी* **2020-21** के दौरान जेएनकेवीवी, जबलपुर के बीज प्रजनन फार्म, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग में **16** संदर्भ किस्मों के बीजों को **15.11.2020** को **5** मीटर लंबाई की **5** पंक्तियों में पंक्ति से पंक्ति के बीच **30** सेमी की दूरी पर राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के अनुरक्षण हेतु अनुशंसित पैकेज के अनुसार बोया गया। अंकुरण बेहतर और खास लक्षणों की उचित अभिव्यक्ति सहित पौधों की इष्टतम संख्या को पाया गया। सामान्य वृद्धि एवं लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल पाई गईं।

हरी मटर

रबी **2020-21** के दौरान प्राधिकरण से प्राप्त दो संदर्भ किस्मों सहित **14** संदर्भ किस्मों, **14** अन्य किस्मों तथा **01** कृषक किस्म के बीजों को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए **15.11.2020** को जेएनकेवीवी, जबलपुर में **5** मीटर लंबी **5** पंक्तियों में **50** सेमी पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी पर बोया गया। अंकुरण तथा पौधों की संख्या को इष्टतम पाया गया। पौधों की सामान्य वृद्धि एवं लक्षणों की अभिव्यक्ति हेतु पर्यावरणीय दशाओं को अनुकूल पाया गया।

मटर पर कृषक किस्मों पर लिए गए प्रेक्षण

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त एक कृषक किस्म तथा दो संदर्भ किस्मों को डीयूएस केंद्र में अनुरक्षित संदर्भ किस्मों के साथ राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार खास गुणों के प्रलेखन हेतु बोया गया। कृषक किस्म की बुवाई **15.11.2020** को की गई। बीजों के अंकुरण के बाद एकमात्र कृषक किस्म फाबा बीन की पाई गई जो पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण से प्राप्त पत्र के अनुरूप नहीं थी। इसलिए, इस किस्म पर प्रेक्षणों को दर्ज नहीं किया गया।

3.1.68. तिल एवं रामतिल हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश

लक्षणों की अभिव्यक्ति के आधार पर तिल की संदर्भ किस्में

क्रम संख्या	विशेषताएं लक्षण /	संदर्भ किस्में
1	पुष्पन काल :50% पुष्पन में लगने वाले दिन	आरटी -54, आरटी -125, टीकेजी -21, जेसीएस-94, राजेश्वरी
2	पुष्प : पंखुड़ी का रंग	कलिका, आरटी -54, आरटी -103
3	पुष्प: पंखुड़ी की रोमिलता	आरटी -125, राजेश्वरी, आरटी -46
4	पौधा : मुख्य तने की ऊंचाई (सेंमी)	आरटी -125, जेटीएस -8, जीटी-1, एन-32, राजेश्वरी
5	पौधा: शाखाएं	एन-32, जीटी-1, जेसीएस-94, टीकेजी-55, आरटी -125, टी-13, आरटी -46

6	पौधा: शाखाओं का पैटर्न	आरटी -127, एकेटी-64
7	तना: रोमिलता	राजेश्वरी, टी-12, बी-67, आरटी - 46
8	पत्ती : लोब्स(भाग)	जीटी-10, एन-32, राजेश्वरी
9	पत्ती साइज या आकार :	वीआरआई-1, गौरी, टीकेजी-22, राजेश्वरी
10	पत्ती मार्जिन का सीरेशन :	टीकेजी-21, श्वेता तिल
11	संपुटिका : रोमिलता	रामा, टी-78, चंदना, जेसीएस-94, शेखर, जीटी-2
12	संपुटिका: लोक्यूल संख्या संपुटिका /	टीकेजी-22, आदर्श-8
13	संपुटिका: आकृति	जीटी-10, टीकेजी-21, फुले तिल -1
14	संपुटिका: संख्या पर्ण एक्सिल /	तिलक, जी तिल-1, जीटी-2
15	संपुटिका: विन्यास	आरटी-46, टीकेजी-22, एन-32, जी-तिल-1, जीटी-2
16	संपुटिका: लंबाई (सेंमी)	आदर्श-8, जीटी-2, एकेटी-64
17	परिपक्वता : परिपक्वता में लगने वाले दिन	आरटी-54, आरटी-125, श्वेता तिल, राजेश्वरी
18	बीज: आवरण का रंग	टीकेजी-21, उमा, रमा, तिलक, कृष्णा
19	बीज : 1000 बीजों का वजन (ग्राम)	कलिका, टीकेजी-55, जेएलटी-7
20	बीज तेल : अंश (%)	तिलोत्तमा, कृष्णा, टीकेजी-21

डीयूएस परीक्षण के तहत तिल की कैंडीडेट किस्में

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	उपाधि
1	पंजीकरण/2879/2267	-
2	पंजीकरण/2879/2309	-
3	पंजीकरण/2879/2312	-
4	पंजीकरण/2879/2314	-
5	पंजीकरण/2016/521	जधनाती
6	पंजीकरण/2016/476	बैशाखी
7	पंजीकरण/2016/460	चकरी भदाई
8	पंजीकरण/2015/840	अमाघावध -51

खरीफ 2020 के दौरान भाकृअनुप जेएनकेवीवी-, जबलपुर के बीज प्रजनन फार्म, पीसी इकाईसैंड) N(, में 91 संदर्भ किस्मों तथा 8 कृषक किस्मों के बीज बोए गए। इन्हें 6 मीटर लंबी 6 पंक्तियों में पंक्ति से पंक्ति के बीच सेंमी 45 क्ति के साथ पौधों मेंकी दूरी पर बोया गया। खास लक्षणों की उचित अभिव्यअंकुरण एवं उनकी संख्या को अनुकूलतम पाया गया। पौधों के सामान्य विकास हेतु पर्यावरण दशाओं को अनुकूल पाया गया। सभी संदर्भ एवं अन्य किस्मों के विशिष्ट लक्षणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया।

3.1.69. तोरिया एवं सरसों हेतु डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवार फार्म, भरतपुर, राजस्थान

वर्ष **2020-21** के दौरान किए गए डीयूएस परीक्षण में भारतीय सरसों की **10** संकर किस्मों) **5** कैंडीडेट **F1** बीज एवं शिमोगा में उत्पन्न **5 F1** बीज(को सम्मिलित करते हुए भारतीय सरसों की **1** नई किस्म, तोरिया सरसों की **4** कृषक किस्में तथा भारतीय सरसों की एक किस्म को प्रथम वर्ष के परीक्षण तथा कृषक किस्मों)**6** भारतीय सरसों, **1** पीली सरसों और **2** तोरिया सरसोंको दूसरे वर्ष के परीक्षण के लिए (शामिल किया गया। प्रथम वर्ष में सभी **5** कृषक किस्मों का लक्षण वर्णन कर लिया गया है तथा उन्हें **5** प्रतिशत मिश्रण से कम में एकरूप पाया गया।

तोरिया - सरसों की संदर्भ किस्मों के आंकड़ों के संग्रह कार्य को इस वर्ष पूरा किया गया। **84** भारतीय सरसों, **5** करन राई, **15** तोरिया सरसों, **10** पीली सरसों और **7** गोभी सरसों सहित सरसों की **121** संदर्भ किस्मों के डीयूएस लक्षणों हेतु एक कैटलॉग तैयार कर प्रकाशित किया गया। इस कैटलॉग में **24** तोरिया सरसों के-डीयूएस लक्षणों के लिए विभिन्न राज्यों के डिस्क्रिप्टर के लिए प्रजाति वार प्रतिनिधित्व, डीयूएस डिस्क्रिप्टर के आधार पर किस्मों की ग्रुपिंग के साथ-साथ उनका रेखीय निरूपण शामिल हैं।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2020-21 के दौरान डीयूएस परीक्षण हेतु कैंडीडेट किस्में

नई किस्में				आरवी वीसीके/		कुल
प्रथम वर्ष की प्रविष्टियां		द्वितीय वर्ष की प्रविष्टियां				
भारतीय सरसों	तोरिया सरसों	भारतीय सरसों	तोरिया सरसों	भारतीय सरसों	तोरिया सरसों	29
9	6	5	4	3	2	

डीयूएस केंद्र पर सरसों की 05 संदर्भ किस्मों कर रखरखाव किया जा रहा है, प्रस्तावित डीयूएस परीक्षण)2020-21) के तहत फसल की बुवाई 01.11.2020 को की गई तथा सभी कृषि क्रियाओं को समयसमय पर अपनाया- गया। तीन प्रतिकृतियों में प्रत्येक प्रविष्टि के 10 टैग किए गए पौधों के आंकड़ों को दर्ज किया गया। प्रथम वर्ष की अधिकांश प्रविष्टियों को अनुकूलतम अंकुरण प्रतिशत के साथ समरूप पाया गया। दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया। फसल की परिपक्वता पर तीन चरणों प्रारंभिक), मध्यम और देरी से में कटाई (की गई। प्रत्येक प्रविष्टि के प्राप्त बीज को भविष्य में उपयोग के लिए अनुकूलतम दशाओं में संग्रहित किया गया है।

इसी प्रकार, विभिन्न किस्मों के अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत दिनांक 01.11.2020 को डीयूएस जांच हेतु निर्दिष्ट खेत में पांच आरवी -आरएच)30, पीएम-27, पीताम्बरी, अग्रनी, उत्तरा किस्मों (की बुवाई आगे के उपयोगार्थ की गई।

3.1.70. मूंगफली के लिए डीयूएस परीक्षण

भाकृअनुप- मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात

भाकृअनुपडीओजीआर -, जूनागढ के डीयूएस केंद्र में मूंगफली की 30 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है। पीपीवीएफआरए, नई दिल्ली से अलग-अलगपंजीकरण संख्याओं एवं परीक्षण कोड के तहत प्राप्त तीन कृषक किस्मों)1)-पंजीकरण/2015/958, (भदैनवा(, (2)-पंजीकरण/2016/2094, (मूंगफला और ( )3) एवं)4) एफवी)2879/2930) और एक नए प्रकार की ट्रॉयल कोड -

2877/3187, (नया प्रकार (किस्मों को 8 संदर्भ किस्मों -जीजी 2, कोपरगांव -3, एसजी 84, गंगापुरी, बीएयू 13, जीजी-20, सोमनाथ तथा पंजाब-1 के साथ 2020 के *खरीफ* मौसम में बोया गया। बेहतर एवं स्वस्थ फसल उगाने के लिए सभी अनुशंसित कृषि प्रक्रियाओं को अपनाया गया। पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार फसल के वृद्धि काल के उपयुक्त चरणों में 13 गुणात्मक एवं 5 मात्रात्मक लक्षणों पर प्रेक्षणों को दर्ज किया गया।

3.1.71. रजनीगंधा एवं कारनेशन (गुलनार) के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा लेक पोस्ट, बैंगलुरू, कर्नाटक

वर्ष 2020-21 के दौरान, कार्नेशन की डीयूएस परीक्षण के तहत जांच की (वीसीके) की एक कैंडीडेट किस्म (गुलनार) गई।

अनुरक्षण/ लक्षण वर्णन के लिए किस्में :

फसल	वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों के नाम एवं संख्या	आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण (अनुरक्षण प्रजनन (हां नहीं /
रजनीगंधा	26	हां
कार्नेशन (गुलनार)	50	हां

रजनीगंधा

फील्ड जीन बैंक में अनुरक्षण प्रजनन के लिए रजनीगंधा (ट्यूबरोज) के 26 जीनप्ररूपों सहित 8 प्रजनन वंशावलियों (लाइनों) का एक संदर्भ संग्रह का रखरखाव किया जा रहा था। कुछ प्रमुख सामूहिक लक्षणों पर प्रेक्षणों को दर्ज किया गया जिनमें पत्ती की विविधता, पत्ती के आधार पर रंजकता, कली का रंग, फूल का प्रकार, फूल का आकार, स्पाइक की लंबाई, वर्तिकाग्र का प्रकार, स्टिग्मेटिक लोब, वृंत या डंठलों पर रंजकता, पुष्पन में लगने वाले दिन और फल में लोक्यूल्स की संख्या आदि शामिल हैं। रजनीगंधा के तीन परिग्रहणों का लक्षण वर्णन किया गया।

कार्नेशन (गुलनार)

कार्नेशन के 50 परिग्रहणों के संदर्भ संग्रह का संवर्द्धन करके फील्ड जीन बैंक में अनुरक्षण प्रजनन हेतु उनका रखरखाव किया गया। पौध प्रकार, फूल का प्रकार, पंखुड़ी (मुख्य रंग) एवं पंखुड़ी (द्वितीयक रंग), गुणात्मक एवं मात्रात्मक लक्षणों जैसे सामूहिक लक्षणों पर प्रेक्षणों को दर्ज किया गया। वर्ष 2020 के दौरान आईआईएचआरपी 1 (अर्का फ्लेम/पंजीकरण संख्या 284/2020) को मौजूदा किस्म के रूप में पीपीवी एवं एफआरए के पास पंजीकृत किया गया।

रजनीगंधा

भाकृअनुप- पुष्प संवर्धन अनुसंधान निदेशालय, पुणे, महाराष्ट्र

अनुरक्षण/ लक्षण वर्णन के लिए किस्में :

वर्ष 2017-18 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों की संख्या	आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण (अनुरक्षण प्रजनन (हांनहीं /
22	नहीं

2020-21 के दौरान संदर्भ किस्मों के साथ कैंडीडेट किस्म का परीक्षण किया गया। मार्च (लअर्का प्रज्ज्व), 2020 में लगभग 13 सिंगल एवं 9 डबल प्रकार के पौधे रोपित किए गए तथा कैंडीडेट एवं संदर्भ किस्मों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया रजनीगंधा) के लक्षणों हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार । कैंडीडेट(किस्म से संबंधित आंकड़ों को एक्सेल शीट में दिया गया है। (संलग्न)

वर्ष 2020-21 के दौरान सह - नोडल केंद्र पुष्प संवर्धन- भाकृअनुप)अनुसंधान निदेशालय, पुणे लिए मौजूदा में एक वर्ष के (किस्म वर्ग में कैंडिडेट किस्म अर्का प्रज्ज्वल का डीयूएस परीक्षण किया गया। भाकृअनुप - आईआईएचआर, बेंगलुरू द्वारा आपूर्ति की गई रोपण सामग्री 100% शुद्धता के साथ एक रूप पाई थी। विभिन्न लक्षणों के मामले में कैंडीडेट किस्म को संदर्भ किस्मों से अलग पाया गया जिनमें पृष्ठीय भाग पर पत्ती के आधार पर रंजकता -लक्षण) 5), कली का रंग - लक्षण)7), फूल का आकार -लक्षण)16), पुष्पक्रम की लंबाई -लक्षण)19), वर्तिकाग्र भाग - विशेषता)28), पुष्पावलि वृंतों की रंजकता - लक्षण)31), पुष्पन में लगने वाले दिन - लक्षण)32) तथा फल कोष्ठक -लक्षण)34)। अध्ययन अवधि के दौरान सभी खास लक्षणों को स्थिर देखा गया।

3.1.72. क्रॉसेंड्रा के लिए डीयूस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा लेक पोस्ट, बैंगलुरू, कर्नाटक

वर्ष 2020-21 में क्रॉसेंड्रा के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करके भारत के राजपत्र में 15.12.2021 को अधिसूचित किया गया .ओ .एस]4536 (ई[(, और यह सभी श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए खुला है। डीयूएस परियोजना के परियोजना अन्वेषक ने डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए *अर्का चेन्ना, आईआईएचआर म्यूटेंट -1, आईआईएचआर म्यूटेंट -2, आईआईएचआर म्यूटेंट -3, आईआईएचआर म्यूटेंट -4* और *क्रॉसनाड्रेनिलोटिका* संदर्भ किस्मों का उपयोग किया।

3.1.73. कटहल के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधी कृषि विज्ञान केंद्र, बंगलुरू

प्रतिवेदित अवधि 2020-21 के दौरान कटहल के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप से तैयार किया गया, कुल मिलाकर दृष्टांत किस्मों एवं संदर्भ किस्मों के चित्रों के साथ 33 लक्षणों को सूचीबद्ध किया गया है। कटहल में कृषक किस्मों के पांच आवेदनों को पंजीकरण हेतु पीपीवी एवं एफआरए, नई दिल्ली को अनूठे एवं विशेष लक्षणों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

उपज एवं फलों की गुणवत्ता विशेषताओं हेतु कटहल की संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन

कटहल के जननद्रव्य ब्लॉक में भारत के विभिन्न स्थानों से एकत्रित लगभग 125 जीनप्ररूपों का संग्रह है। उनमें से कुछ ने पौधारोपण के दूसरे वर्ष में ही फल देना शुरू कर दिया है। इन जीनप्ररूपों का व्यावसायिक खेती के उद्देश्य से बहुगुणित किया गया है। इन किस्मों से प्राप्त फल उपज एवं गुणवत्ता मानकों पर प्रेक्षणों को भी दर्ज किया जा रहा है।

2020-21 के फलन काल में प्राप्त फलों के आंकड़ों को संकलित किया गया जिसमें *लालबाग मधुरा, टुबागेरे रेड, सिंगापुर जैक, रामाचारा, बायराचारा, मलेशिया जैक, राजा रुद्राक्षी, थेजू, बसारुरयुजेनु बक्के, तलवनी प्लस, लालबाग राजा, अशोका रेड एवं पलूर आई* -नामक जीन प्ररूप सम्मिलित हैं।

3.1.74. ग्रेटर याम एवं याम बीन के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

भाकृअनुप- केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम, केरल

2020-21 के दौरान, ग्रेटर याम एवं याम बीन के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को संशोधित करके अंतिम दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई। ग्रेटर याम के डीयूएस परीक्षण के लिए, 20 लक्षणों का चयन किया गया था, जिनमें से पाँच लक्षणों जैसे पर्णवृंत का रंग, पत्ती का आकार, कंद का आकार, कंद के कॉर्टेक्स का रंग और कंद के गूदे का रंग को सामूहिक लक्षणों के रूप में पहचान की गई।

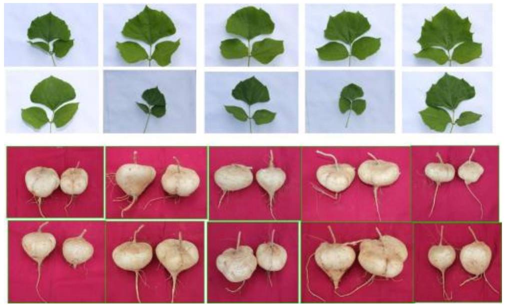

याम बीन के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में 17 लक्षणों को शामिल किया गया। इनमें से चार लक्षण जैसे फूल का रंग, फली की लंबाई, कंद का आकार एवं बीज के आकार को सामूहिक लक्षणों के रूप में चुना गया। ग्रेटर याम) 461) एवं याम बीन)24) की संदर्भ किस्मों तथा स्थानीय किस्मों के जीन बैंक का खेतों में संरक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित संदर्भ किस्मों को संरक्षित दशाओं में उगाकर, डीयूएस विशेषताओं के लिए उनका मूल्यांकन किया गया।

फसल	वर्ष21-2020 में अनुरक्षण प्रजनन के तहत किस्मों की संख्या
ग्रेटर याम	डीयूएस लक्षणों के लिए 38 संदर्भ किस्में किस्मगत जीन बैंक :427 स्थानीय किस्में (लैंडरेसेज)
याम बीन	8 संदर्भ किस्में 22 लाइंस (वंशावलियां)

भाकृअनुप - केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन, भुबनेश्वर, ओडिशा

भाकृअनुप -केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, भुवनेश्वर में डी ए-25, हाटिखोज, श्री कीर्ति, ओडिशा एलीट, श्री रूपा, टीजीवाई-3 एवं टीजीवाई नाम की कुल 7 ग्रेटर याम की किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है। जीन बैंक में 10 याम बीन की वंशावलियों)लाइन(का रखरखाव किया गया है जिनके नाम डीपीएच-63, 8 X 9, ईसी-100546, डीपीएच-10, एल-19, डीपीएच-20, एल नं 03, डीपीएच-6, आरएम-1 एवं आरएम-2 हैं। ओडिशा के कंधमाल जिले से दो ग्रेटर याम की वंशावलियों का संग्रह कर उन्हें फील्ड जीन बैंक में लगाया गया है और उनके रूपात्मक विशेषताओं का लक्षण वर्णन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन किस्मों का *इनविट्रो-* संरक्षण किया जा रहा है।

3.1.75. सीबकथॉर्न के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र

डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश

इस केंद्र पर सीबकथॉर्न की 13 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है।

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं जारी एसएयू/भाकृअनुप/
हिप्पोफी रेमनॉयडिस एल.	13	एसएयू, डिहार, वन विभाग

- हिमाचल प्रदेश की बास्पा घाटी और स्पीति घाटी के 06 अलगअलग - पॉपुलेशन/लोंस्थ अर्थात् एस$_1$ कूपा, एस$_2$ बडसेरी, एस$_3$ चिटकुल, एस$_4$ जियू, एस$_5$ माने और एस $_6$शीगो में *हिप्पोफी सैलिसिफोलिया* डी (सीबकथॉर्न) डॉन . पॉपुलेशन के रूपात्मक आंकड़ों को दर्ज किया गया।
- प्रतिवेदित अवधि 2020-21 के दौरान सीबकथॉर्न की कृषक किस्मों के पांच आवेदन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए।

3.2 पीपीवी एवं एफआरए

पौध किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से कैंडीडेट किस्मों के पारंपरिक या सच्चे बीजों चावल), गेहूं, मक्का, ज्वार, टमाटर, तोरियासरसों-, जूट इत्यादि के मध्यम अवधि के भंडारण हेतु (पीपीवी एवं एफआरए के राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है।

हालांकि, फल वृक्षों जैसे) नारियल, आम और नींबू(, रोपण वृक्ष प्रजातियों सजैसे यूकेलिप्ट) एवं चिनार(, मसाले काली) मिर्च, अदरक एवं हल्दी(, वाणिज्यिक प्रजातियों जैसे रबड़ के लिए, जो ऐसे हठी बीज (रिकेल्सिट्रेंट)पैदा करते हैं बीज) जो सामान्यत सूखे :का मुकाबला नहीं कर पाते या कम तापमान पर भंडारित नहीं किए जा सकते तथा जिन्हें पारंपरिक भंडारण दशाओं में रखना आसान नहीं होता (जिनका पुनरुत्पादन चक्र लंबा या जो लैंगिक तौर पर बाँझ होते हैं, जिन्में बिल्कुल भी बीज नहीं होता या ऐसी प्रजातियाँ जिन्हें सामान्य रूप से प्रतिरूप) क्लोनद्वारा (प्रवर्धित किया जाता है (गन्ना और आलू), इन प्रजातियों की रोपण सामग्री को *वाह्य स्थाने* दशाओं में फील्ड जीन बैंक में संरक्षित किया जाता है। क्योंकि इन आनुवंशिक संसाधनों की विविधता, उत्पत्ति के प्राथमिक या माध्यमिक केंद्रों या इनकी खेती वाले स्थानों के पास प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए इन प्रजातियों को स्थानीय कृषि जलवायु दशाओं-मृदा), पानी, तापमान आदि(के प्रति अनुकूलित हो जाती हैं, इसलिए इनके फील्ड जीन बैंक इन क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाते हैं।

फील्ड जीन बैंक सुविधा का उपयोग विभिन्न भौगोलिक संदर्भों में जारी किस्मों संदर्भ)संग्रह (रिपॉजिटरी) डारके भं (के रूप में भी किया जाएगा, जिसमें उप / प्रजातियां-किस्मों के बीच अंतर पाया जाता है और उन्हें एक ही स्थान पर संरक्षित किया गया है। फील्ड जीन बैंक में पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किस्मों के पौधों का भी रखरखाव किया जाएगा। स्रोत, पैतृक वंशावली, रूपात्मक खेती संबंधी / लैंगिक/विशेषताओं का मूल्य, डिजिटलीकरण एवं डेटाबेस प्रबंधन के बारे में प्रलेखन से तकनीकी कानूनी मुद्दों और विवादों-को हल करने में भी मदद मिलेगी।

3.2.1 राष्ट्रीय जीन बैंक, एनबीपीजीआर पुराना परिसर, नई दिल्ली

3.2.1.1 पीपीवी एवं एफआरए जीन बैंक में अनुरक्षण गतिविधियां

इस परियोजना के तहत, एनबीपीजीआर के तकनीकी विशेषज्ञों तथा परियोजना में कार्यरत विद्युत ऑपरेटर द्वारा नियमित रूप से मध्यम अवधि की सुविधा के संचालन एवं रखरखाव की निगरानी की जाती है। शीत गृह का तापमान + 4^0 सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है और सापेक्षिक आर्द्रता को 35% पर समायोजित किया जाता है। मध्यम अवधि के भंडारण- मॉड्यूल तथा (एमटीएस)डीयूएस परीक्षण भंडार की सापेक्षिक आर्द्रता एवं तापमान को इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रतिदिन दर्ज किया जाता है और यदि कोई बड़ी समस्या हो तो उसे एनबीपीजीआर के तकनीकी कार्मिकों के संज्ञान में लाकर उसका समाधान किया जाता है। रिपोर्ट की अवधि के

दौरान एक स्प्लिट एसी की मरम्मत की गई और एक 12 वोल्ट की बैटरी 150AH खरीदी गई जिसे पीपीवी एवं एफआरए जीन बैंक को लगातार बिजली आपूर्ति के लिए डीजी सेट में संस्थापित किया गया है। डीजी सेट शेल्टर की पुरानी कवरिंग शीट को भारी ड्यूटी वाली लोहे की शीट से बदला गया तथा अपेक्षित मरम्मत कार्य किया गया।

3.2.1.2 अंकुरण एवं नमी जांच हेतु पंजीकृत किस्मों की निगरानी

पीपीवी एवं एफआरए के जीन बैंक तमें संग्रही (एमटीएस)435 पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों का खाद्यान्न एवं फलीदार फसलों के मामले में भंडारण के 5वर्ष पश्चात तथा तिलहनी बीजों के मामले में 3 वर्षों पश्चात परीक्षण किया गया।

फसलें	वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान निगरानी की गई किस्मों की संख्या	नमी (%)	अंकुरण (%)
लौकी	03	9.52-10	48-88
बैगन	02	10.8-11.6	80-88
फूलगोभी	01	11	04
कपास	27	6.63-13.44	28-100
मटर	02	12.13-13.16	84-96
मूंग	01	12.24	80
मक्का	64	5.5-14.51	0-100
मूंगबीन	01	11.32	84
भिंडी	14	5.71-14.48	0-100
प्याज	03	12.63-13.01	28-88
बाजरा	47	8.22-15.83	0-100
अरहर	07	11.86-15.97	0-100
चावल	244	7.69-17.44	0-100
ज्वार	03	9.38-13.93	60-100
टमाटर	06	9.13-13.62	16-100
गेहूं	05	5.79-13.01	96-100
भारतीय सरसों	01	6.83	100
मूंगफली	01	6.13	75
सूरजमुखी	02	5.12-5.60	96-100
सोयाबीन	01	8.42	68

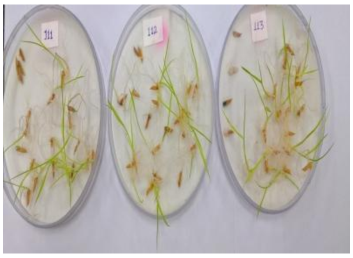

3.2.1.3 अतिरिक्त नमूना परीक्षण: प्रतिवेदित अवधि के दौरान मक्का के 12 तथा धान के 235 बीज नमूनों का प्रमाणिक अंकुरण एवं नमी अंश के लिए परीक्षण किया गया। टॉप पेपर विधि का-ऑफ-उपयोग करके अंकुरण परीक्षण तथा आईएसटीए प्रोटोकॉल के अनुसार हॉट एयर अवेन विधि का उपयोग करके नमी की मात्रा की जांच की गई। अंकुरित न होने वाले नमूनों की जीवनक्षमता का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किए गए। धान के नमूनों में सुप्तता अवस्था

का भी आकलन किया गया।

3.2.1.3.1 मध्यम अवधि की भंडारण दशाएं एवं डीयूएस भंडार गृह (31 मार्च, 2021 को)

क्रम सं0	फसलें	डीयूएस परीक्षण भंडार गृह (एसटीएस)					मध्यम अवधि का भंडारण					महायोग
		(डीयूएस परीक्षण के लिए कंडीडेट किस्मों को 22^0C पर रखा गया)					(4˚C)					
		प्राप्त बीज ए					जारी प्रमाणपत्र बी					
		नई किस्म	वीसीके +ईडीवी	कृषक किस्म	मौजूदा अधिसूचित	योग (ए)	नई किस्म	वीसीके +ईडीवी	कृषक किस्म	मौजूदा अधिसूचित	योग (बी)	(ए+बी)
1	जौ	11	5	34	4	**54**		1	2	16	**19**	**73**
2	बार्नयार्ड मिलेट			39	2	**41**						**41**
3	करेला	29	22	13		**64**		8		1	**9**	**73**
4	उड़द	3	2	110	16	**131**	1		2	21	**24**	**155**
5	लौकी	8	11	44		**63**		5		4	**9**	**72**
6	बैगन	113	88	89	4	**294**	17	79	4	13	**113**	**407**
7	पत्तागोभी	17	1	1		**19**	4	1		1	**6**	**25**
8	गेहूं	18		82	15	**115**	35	10	28	145	**218**	**333**
9	अरंडी	4	2	7		**13**	3	3		5	**11**	**24**
10	फूलगोभी	37	12	13	1	**63**	16	8	1	3	**28**	**91**
11	चना		1	74	14	**88**	2		8	50	**60**	**148**
12	मिर्च	109	115	20	8	**252**			1	8	**9**	**261**
13	धनिया	1		30		**31**				1	**1**	**32**
14	लोबिया				4	**4**						**4**
15	ककड़ी	7	21	28		**56**		2		2	**4**	**60**
16	सौंफ			1		**1**						**1**
17	**डुरम गेहूं**	1		4	3	**8**	3		2	23	**28**	**36**
18	द्विगुणित कपास	5	3		3	**11**	12	8		28	**48**	**59**
19	फाबा बीन			1	1	**2**				1	**1**	**3**
20	मेथी			9		**9**			1		**1**	**10**
21	रागी	1		51	5	**57**				9	**9**	**66**
22	कंगनी			31	2	**33**				1	**1**	**34**
23	हरी मटर				2	**2**						**2**
24	फ्रेंच बीन			4		**4**						**4**
25	चौलाई दाना	1		4	3	**8**				1	**1**	**9**
26	मूंग	4	3	51	9	**67**		1	4	33	**38**	**105**
27	मूंगफली	3	1	19	2	**24**	1		1	38	**40**	**64**
28	जूट	10	2	4	1	**17**	8	1		13	**22**	**39**
29	किडनी बीन	1	2	23	1	**26**		2	1	8	**11**	**37**
30	कोदो मिलेट			98		**98**						**98**
31	मसूर			58	2	**60**			7	12	**19**	**79**

क्रम सं0	फसलें	डीयूएस परीक्षण भंडार गृह (एसटीएस) (डीयूएस परीक्षण के लिए कंडीडेट किस्मों को 22^{0}C पर रखा गया) प्राप्त बीज ए					मध्यम अवधि का भंडारण (4°C) जारी प्रमाणपत्र बी					महायोग
		नई किस्म	वीसीके +ईडीवी	कृषक किस्म	मौजूदा अधिसूचित	योग (ए)	नई किस्म	वीसीके +ईडीवी	कृषक किस्म	मौजूदा अधिसूचित	योग (बी)	(ए+बी)
32	अलसी			57	2	**59**				7	**7**	**66**
33	लिटिल मिलेट			77	1	**78**				3	**3**	**81**
34	मकई	322	56	285	25	**688**	170	60	6	82	**318**	**1006**
35	खरबूजा	5		1		**6**				2	**2**	**8**
36	सरसों	18	9	59	7	**93**	4	13	10	52	**79**	**172**
37	भिंडी	78	44	23	3	**148**	9	19	1	15	**44**	**192**
38	प्याज	3	12	6	2	**23**	1	1		10	**12**	**35**
39	मटर	4	3	87	2	**96**			3	29	**32**	**128**
40	बाजरा	151	280	20	22	**473**	54	37		55	**146**	**619**
41	अरहर	13	2	170	7	**192**	15	2	9	23	**49**	**241**
42	कद्दू			29		**29**				3	**3**	**32**
43	तोरिया			21	1	**22**			2	13	**15**	**37**
44	चावल	329	47	2580	107	**3063**	117	50	1645	238	**2050**	**5113**
45	तुरई	8	2	18		**28**				1	**1**	**29**
46	कुसुम	3		1	3	**7**				7	**7**	**14**
47	तिल			66	2	**68**			1	10	**11**	**79**
48	स्नेप मेलन			12		**12**						**12**
49	ज्वार	63	8	58	23	**152**	64	38	14	43	**159**	**311**
50	सोयाबीन	4		22	2	**28**	2	1		36	**39**	**67**
51	सूरजमुखी	66	7		1	**73**	37	19		10	**66**	**139**
52	चतुर्गुणित कपास	308	160 +115		20	**603**	118	191+14	1	56	380	**983**
53	टमाटर	126	91+3	18	9	**153**	37	39	3	15	**94**	**247**
54	वेल्वेट बीन			2		**2**						**2**
55	तरबूज	4	15			**19**		1			**1**	**20**
	कुल	1887	774	4554	340	**7830**	730	619	1757	1147	**4253**	**12086**

3.2.3 बीज के मानक

क्रम संख्या	फसल	अधिसूचना की तिथि	कंडिडेटपैतृक वंशावली/ संकर (कप्रत्ये)बीज की मांग (ग्राम) जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो		अंकुरण %	नमी %	भौतिक शुद्धता %	प्रायोगिक मौसम – डीयूएस परीक्षण हेतु बीज डालने का माह	बीज के पैकेट का निर्धारित आकार (मिमी)
1	चावल (*ओराइजा*	1/11/2006	3000	1500	80	11-12	98	*खरीफ*–	230x300

	सेटाइवा एल.)							मार्च-अप्रैल	
2	रोटी वाला गेहूं)*ट्रिटिकम एस्टीवम* एल (.		3000	1500	95	8-9	98	*रबी*-अगस्त	230x300
3	मक्का) *जी मेज* एल (.		3000	1500	80(अंतर्जात/ एससीएच)90 (किस्म/डीसी एच)	8-10	98	*खरीफ* - मार्च-अप्रैल *रबी*- अगस्त	230x300
4	ज्वार (सोरघम बाइकलर एल (मेंच .		2000	1000	80	10	98	*खरीफ* -मार्च *रबी*-अगस्त	230x300
5	बाजरा (*पेन्नीसेटम ग्लूकम* (.एल) आर. बीआर.)		600	300	80(अंतर्जात/ एससीएच)90 (किस्म/डीसी एच)	10	98	*खरीफ* -मार्च	165x220
6	चना) *साइसर एरीटिनम* एल (.		2000 (देसी) 3000 (काबुली)	एन .ए.	95	8-9	98	*रबी*- अगस्त	230x300
7	मूंग) *विग्ना रेडिएट* (विलजेक (.एल)		1000	एन.ए.	95	8-9	98	*खरीफ* - मार्च	230x300
8	उड़द) *विग्ना मुंगो* (रहेप्प (.एल)		1000	एन.ए.	95	8-9	98	*खरीफ* - मार्च	165x220
9	हरी मटर)*पाइसम सेटाइवम* एल (.		2000	एन.ए.	85	8-9	98	*रबी* -अगस्त	230x300
10	किडनी बीन)*फेजिओलस वल्गेरिस* एल (.		3000	एन.ए.	85	8-9	98	जून- जुलाई	230x300
11	मसूर (*लेंस कुलिनेरिस* मेडिक (		1000	एन.ए.	85	8-9	98	*रबी- अगस्त*	230x300
12	अरहर) *कैजेनस केजन* (.मिल स्पी (.एल)		2000	1500	95	8-9	98	*खरीफ* - मार्च	230x300
13	कपास (*गौसिपियम हर्सुटम* एल (.		2000	1000	75	10	98	*खरीफ* - उत्तर - फरवरी प्रायद्वीपीय- दक्षिण -मई	230x300
14	कपास (जी.. *बारबेडेंस* एल.)	31/12/2007	2000	1000	75	10	98	*खरीफ* - उत्तर - फरवरी प्रायद्वीपीय- दक्षिण -मई	
15	कपास (जी.. *ऑर्बोरियम* एल.)		1500	750	75	10	98		
16	कपास (जी.. *हर्बेसियम* एल.)		1500	750	75	10	98		

17	जूट (*कॉरकोरस कैप्सुलेरिस* एल.)		1000	500	85	9	97	प्रि-खरीफ-जनवरी के प्रारंभ में	165x220
18	जूट (*कॉरकोरस ऑलिटोरियस* एल.)		1000	500	85	9	97	प्रि-खरीफ-जनवरी के प्रारंभ में	
19	गन्ना (*सैकैरम* एल (.	27/7/2009	400 एकल कलिका सैट						
20	अदरक (*जिंजिबर ऑफिसिनेल* रॉस्क.)		5000 ग्राम (25-30 ग्राम प्रत्येक का स्वच्छ एवं संपूर्ण प्रकंद 150 टुकड़े)						
21	हल्दी (*कुरुम्मा लॉगा* एल (.		6 किग्रा (35-40% नमी अंश सहित स्वच्छ एवं संपूर्ण ताजा प्रकंद)						
22	भारतीय सरसों (*ब्रेसिका जुन्सी* एल . (सीजर्न एंड कॉस	30/4/2010	500	250				जून-जुलाई	165x10 0
23	करन राई (*ब्रेसिका केरिनाटा* ए ब्राउन (		500	250				जून-जुलाई	165x10 0
24	तोरिया सरसों-(*ब्रेसिका रापा* एल (.		500	250	85	8	98	जून-जुलाई	165x100
25	गोभी सरसों (*ब्रेसिका नेपस* एल.)		500	250				जून-जुलाई	165x10 0
26	मूंगफली (*एराकिस हाइपोजिया* एल.)		3000 (स्पेनिश एवं वेलेंसिया) 8000 (बीज) वर्जिनिया एवं रनर टाइप	1500 4000	80	9	98	*खरीफ* : मई-जून *रबी*:अगस्त-सितंबर	300x450
27	सोयाबीन (*ग्लाइसिने मेक्स* (मेरिल (.एल)		3000	---	70	9	98	अप्रैल-मई	230x300
28	सूरजमुखी (*हेलिएंथस एनस* एल (.		3000	2000	70	9	98	जुलाई-अगस्त	230x300
29	कुसुम (*कार्थेमस टिंक्टोरियस* एल (.		3000	1500	80	9	98	जून-जुलाई	230x300
30	अरंडी (*रिसिनस कम्युनिस* एल (.		6000	2500	70	10	98	अप्रैल-मई	300x450
31	तिल (*सीसेमम इंडिकम* एल.)		500	250	80	9	97	अप्रैल-मई	165x100
32	अलसी (*लिनम यूसिटेटिसिमम* एल (.		500	250	85	9	98	मई-जून	165x100
33	काली मिर्च (*पाइपर निग्रम* एल.)		जड़युक्त कटिंग्स 40 नम्बर						
34	छोटी इलायची (*एलीटेरिया कॉर्डामोमम* मेटन(		50 सकर्स (रीभूस्ता :अंत)						

35	टमाटर (*लाइकोपर्सन लाइकोपर्सिकम* (.लए) (.फार्व .न एक्सकारस्टे		15 (खेतों में) 8 (ग्रीनहाउस)	वही	85	8	98	अप्रैल - मई	165x100
36	बैगन (*सोलेनम मेलांजेना* एल.)		15 (खेतों में)	15 (खेतों में)	85	8	98	अप्रैल - मई	165x100
37	भिंडी (*अबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस* (.एल) .मोएंच)		200	-				मई -जून	230x300
38	फूलगोभी (*ब्रेसिका ओलीरेसी* एल किस्म . *बोट्राइटिस*)		15	15	*	*	*	अप्रैल - मई	165x100
39	पत्तागोभी (*ब्रेसिका ओलिरेसी* एल किस्म . केपिटाटा)		15	15	*	*	*	अप्रैल - मई	165x100
40	आलू (*सोलेनम ट्यूबरोसम* एल.)	2/12/2010	300 पूर्णतया परिपक्व कंद (कंद का आकार 3.5-5.0 सेंमी होना चाहिए)						
41	प्याज (*एलियम सीपा* एल.)		100 1200 शल्क कंदिका (मल्टीप्लायर) 50 कंद (एमएस लाईस)	50	70	*	*	प्रासंगिक बुवाई मौसमों के अनुसार	
42	लहसुन (*एलियम सेटाइवम* एल.)		2000 जीवनक्षम क्लोव (लौंग)	--	*	*	*	अगस्त - सितंबर	-
43	गुलाब (*रोजा प्रजातियां)आरनादमस्के* . से अलग (		9 कलमबद्ध/ कलिकायुक्त पौधे (बडेड) 9 पौधे 12 इंच या 30 सेंमी पॉट साइज में						
44	गुलदाउदी (*क्राइसेंथिमम प्रजातियां*)		मातृ पौधे से दो गांठों वाले 100 टर्मिनल जड़युक्त कटिंग्स ली जानी चाहिए						
45	आम (*मैंजिफेरा इंडिका* एल.)		प्रत्येक लोकेशन के लिए 7 ग्राफ्ट						
46	डूरम गेहूं (*ट्रिटिकम डूरम* डेस्फ (.		3000	1500	95	8-9	98	गेहूं की तरह	230x300
47	डाइकोक्कम गेहूं)*ट्रिटिकम डाइकोक्कम* एल (.		3000	1500	95	8-9	98	गेहूं की तरह	230x300
48	अन्य *ट्रिटिकम* प्रजाति	18/8/2011	3000	1500	95	8-9	98	गेहूं की तरह	230x300
49	इबसगोल (*प्लांटागो ओवाटा* फोर्स्क (		250	-	95	8-9	98		
50	मेंथाल मिंट (*मेंथा आर्वेंसिस* एल.)		5 किग्रा सकर्स् (10-15 सेंमी लंबे)						

51	दमश्क गुलाब (*रोजा दमस्केना* मिल)		100 कटिंग						
52	पेरीविंकल (*केथारेंथस रोजियस* एल.)		10 ग्राम	-	85	8	98		
53	ब्राहमी (*बेकोपा मोनियेरी* एललपेन्न .)		500 कटिंग (10-15 सेंमी लंबाई वाला स्वच्छ एवं पूर्ण वानस्पतिक भाग)						
54	नारियल (*कोकोज न्यूसिफेरा* एल.)		मानक पॉटिंग मिश्रण वाले पॉलिबैग में उगाई गई एक वर्ष पुरानी पौद की संख्या 30						
55	ऑर्किड (*सिंबिडियम* एसडब्ल्यू .)		20 पौधे (प्रत्येक केंद्र हेतु 10) न्यूनतम दो आभासी । आयुबल्ब-कंद एवं एक बैक-3-4 वर्ष						
56	ऑर्किड (*डेंड्रोबियम* एसडब्ल्यू.)	27/3/2012	20 पौधे (प्रत्येक केंद्र हेतु 10) न्यूनतम दो प्ररोह। आयु 2-3 वर्ष						
57	ऑर्किड (*वेंडा जोन्स* एक्स आर.बीआर .)		20 पौधे, आयु 2-3 वर्ष						
58	अनार (*प्यूनिका ग्रैनेटम* एल.)		एयर लेयरिंग या रूटेड स्टेम कटिंग से तैयार किए गए एक वर्ष के 10 प्रवर्ध्य,एक ही) न के लिए ऊतक संवर्धन से तैयार पौधेक लोकेशया प्रत्ये (वृक्ष से बहुगुणित						
59	ऑर्किड (*केटलेया लिंडल*)		कम से कम दो प्ररोह सहित दो या तीन वर्ष आयु के 20 पौधे						
60	ऑर्किड (*फेलेनोप्सिस ब्लूम* (		20 पुष्पन स्थिति वाले पौधे						
61	केसुरिना (*केसुरिना एक्विसेटिफोलिया* एल.)		सुविकसित जड़ प्रणाली सहित कॉलर या शीर्षस्थ टिप से न्यूनतम सेंमी की 2050 जड़युक्त कटिंग्स (न्यूनतम 03 माह पुराने)						
62	केसुरिना (*केसुरिना जंघुनियाना* मिक (.								
63	करेला (*मोमोर्डिका चरंतिया एल.*)		300 ग्राम या 1500 नं0	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
64	लौकी (*लेजीनेरिया साइसेरेरिया* (मॉल(. स्टेंडल.)	15/4/2014	250 ग्राम या 1500 नं0	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
65	ककड़ी (कुकुमिस सेटाइवस एल.)		50 ग्राम या 1500 नं0	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
66	कद्दू (*कुकरबिटा मौसकेटा* डच एक्स पॉयर)		200 ग्राम या 1500 नं0	-	80	8	98	अप्रैल	230x300
67	जौ (*हॉर्डियम वल्गारे* एल.)		1500	1000	95	8	98	अगस्त-सितंबर	230x300
68	धनिया (*कोरिएंड्रम सेटाइवम* एल.)		250	-	80	8-9	98	जुलाई-अगस्त	165x100
69	मेथी (*ट्राइगोनेल्ला फोनम ग्रेकम* एल.)		250	-	80	8-9	98	जुलाई-अगस्त	165x100
70	बादाम (*प्रुनुस डलसिस* (वेब .ए.डी (.मिल)		10 कलम किए या बडेड पौधे						

71	सेब (*मेलस डोमेस्टिका* बोर्ख)		6 कलम किए या बडेड पौधे
72	नाशपाती (*पाइरस कम्युनिस* एल.)		6 कलम किए या बडेड पौधे
73	खुबानी (*प्रुनुस आर्मेनियाका* एल.)		10 कलम किए या बडेड पौधे
74	चेरी (*प्रुनुस एवियम* एल.)		10 कलम किए या बडेड पौधे
75	अखरोट (*जुगलेंस रीजिया* एल.)		10 कलम किए या बडेड पौधे
76	अंगूर (*वाइटिस प्रजातियां*)		12 कलम किए पौधे (एक वर्ष पुराने) प्रत्येक लोकेशन के लिए
77	इंडियन जुजुबे (बेर))*जिजिफस मॉरिटियाना* लेम्क)		7 पौधे प्रत्येक डीयूएस केंद्र के लिए (न्यूनतम आयु 3 माह)
78	यूकेलिप्टस (*यूकेलिप्टस केमलडुलेंसिस* डेहन्ह.)		60 जड़युक्त पौधे (पौधा 250 cc रूट कंटेनर में होना चाहिए) जिनकी आयु कम से कम 6 माह हो
79	यूकेलिप्टस (*यूकेलिप्टस टेरेटिकॉर्निस एसएम.*)		
80	चाय (*केमीलिया साइनेंसिस* एल (.	16/10/2014	75 पौधे (ऊचांई 15-18 इंच), युवा पौधे जिनका तना पेंसिल की मोटाई वाला हो तथा जिनमें उनकी जड़े हों
81	चाय (*सी. असामिका* (		
82	चाय (*सी. असामिका* प्रजातियां लेसियोकेलिक्स.)		
83	एसिड लाइम (*सिट्रस ऑरेंटिफोलिया* स्विंगल)		प्रत्येक डीयूएस केंद्र के लिए 10 पौधे । आयु 06 माह से अधिक होनी चाहिए।
84	मंडेरिन (*सिट्रस रेटिकुलाटा* ब्लांको)		प्रत्येक डीयूएस केंद्र के लिए 10 पौधे । आयु 06 माह से अधिक होनी चाहिए।
85	स्वीट ऑरेंज (*सिट्रस साइनेंसिस* (.एल) कऑस्बे)		प्रत्येक डीयूएस केंद्र के लिए 10 पौधे । आयु 06 माह से अधिक होनी चाहिए।
86	बोगेनविलिया (*बोगेनविलिया कॉम.* एक्स जुस्स (.		10 अच्छी जड़ों वाले एवं संस्थापित पौधे
87	केला (*मुसा* प्रजातियां)		प्रति लोकेशन एक बार में 40 एकसमान ऊतक संवर्धन से तैयार पौधे
88	आर्किड (*ऑसिडियम* एसडब्ल्यू)		2-3 वर्ष पुराने 20 पौधे जिनमें न्यूनतम दो आभारी शल्क कंद प्ररोह हों/
89	केना (*केना* एल.)	21/1/2015	20 युवा पौधे या 20 परिपक्व प्रकंद
90	ग्लेडिओलस (*ग्लेडिओलस* एल.)		30 कॉर्म (4 - 4.5 सेंमी व्यास)

91	खरबूज (*कुकुमिस मेलो* एल .)		खुले खेतों में लगाने के लि 100 ग्राम बीज	-	80	8	98	सितंबर-अक्टूबर	230x300
92	तरबूज (सिट्रुलस लेनेटस (Thunb.) Mansf.)		खुले खेतों में लगाने के लि 150 ग्राम बीज	-	80	8	98	सितंबर-अक्टूबर	230x300
93	चमेली (*जेस्मिनम ऑरिकुलेटम* एल.)		20 जड़युक्त पौधे						
94	ट्यूबरोज (*पॉलिएंथस ट्यूबरोजा* एल.)		75 शल्क कंद जिनका व्यास 2 सेंमी (सर्वाधिक चौड़ाई वाले बिंदु पर व्यास (से अधिक हो और भार 25-30 ग्राम हो						
95	पपीता (*केरिका पपाया* एल.)		दोनों मौसमों में भिन्नस्थोभय स्त्रीलिंगी किस्मों के लिए 20 ग्राम तथा एक लिंगाश्रयी किस्मों के लिए 40 ग्राम	-	60	परिवेशी भंडारण हेतु 7%	किस्मों हेतु 98% तथा संकर किस्मों हेतु 90%		
96	चाइना एस्टर (*केलिस्टेफस चाइनेंसिस* (.एल) नीस)		दो पैकेटों में 2 ग्राम प्रत्येक	-	60	6-9	98		
97	आड़ू (*प्रुनुस पर्सिका* एल बाटश .)	2/7/2015	10 कलम या बडेड पौधे (चढ़ेचश्मा)						
98	जापानीज प्लम (*प्रुनुस सेलिसिना* एल.)		10 कलम या बडेड पौधे (चढ़ेचश्मा)						
99	स्ट्राबरी (*फ्रेजेरिया x अनानासन डच*)		120 रनर ऊतक संवर्धित पौधे) या बीजू पौधेया पादप प्रवर्ध्य (रीउपरिभूस्ता) 4-5 पत्तियों वाले (						
100	मिर्च, बेल पीपर एवं पपरिका (*कैप्सिकम एन्नम* एल.)		मुक्त परागण वाली फसलों हेतु 15 ग्राम तथा संकर एवं पैतृक वंशावलियों के लिए 10 ग्राम	-	85	8	98		
101	रागी (*एलुसाइनी कोराकाना* (.एल) (.गेर्टन		250 ग्राम एवं 10 पुष्पगुच्छ	-	80	10-12	97	अप्रैल-मई	230x300
102	कंगनी (*सीटेरिया इटेलिक* यूब् (.एल))		250 ग्राम एवं 10 पुष्पगुच्छ	-	80	11-12	97	अप्रैल-मई	230x300

103	शाकीय चौलाई (*एमरेंथस ट्राइकलर* एल (.		150 ग्राम (केवल एक बार)		80	<8	98	जुलाई-सितंबर	165x100
104	तुरई (*लुफ्फा एकुटेंगुला* (.एल) (बरॉक्स		250 ग्राम या 1500 बीज (केवल एक बार)		80	<8	98		
105	स्पिनच बीट (*बीटा वल्गेरिस* किस्म बेंगालेंसिस रॉक्स्ब.)	19/4/2016	250 ग्राम (केवल एक बार)		80	<8	98	अगस्त-सितंबर	165x100
106	कार्नेशन (*डाइएंथस कार्योफिलस* एल .)		150 जड़युक्त कटिंग्स						
107	ऑर्किड (*पेफियोपेडिलम* फिट्ज(		प्रत्येक केंद्र के लिए 10 पौधे						
108	नोनी (*मोरिंडा सिट्रिफोलिया* एल.)		प्रत्येक लोकेशन के लि 10 कलमबद्ध या बडेड पौधे						
109	बेल (*एगलि मारमेलोस* कोरिया (.एल)		प्रत्येक केंद्र के लिए 5 पौधे						
110	जामुन/ ब्लैक प्लम)*सिजीजियम क्यूमिनाइ* (.एल) .ल्सस्की)		प्रत्येक लोकेशन हेतु 07 ग्राफ्ट						
111	जायफल (*मिरिस्टिका फ्रेगरांस* हाउट .)		प्रत्येक लोकेशन हेतु 10 ग्राफ्टेड या बडेड पौधे						
112	चमेली/मोगरा (*जेस्मिनम सेम्बेक* एल.)	13/7/2016	प्रत्येक लोकेशन हेतु 20 जड़युक्त पौधे						
113	शरीफा / शुगर एप्पल (*एनोना स्क्वामोजा* एल.)		8 ग्राफ्ट						
114	कलमेघ/ किंग ऑफ बिटर्स (*एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलाटा* (बर्म. एफ.) वॉल एक्स नीज)		30 ग्राम		95	8-9	98		
115	नीम (*एजाडिरेचटा इंडिका* ए.जुस .)		60 सेंमी ऊंचाई वाले 40 क्लोनीकृत जड़युक्त पौधे						
116	करंज (*पोंगामिया पिन्नाटा*.पियरे .एल))		60 सेंमी ऊंचाई वाले 40 क्लोनीकृत जड़युक्त पौधे						
117	इंडियन गूहबेरी (*एंब्लिका ऑफिसिनेलिस* गेर्टन.)	12/5/2017	03-04 माह पुराने पौधे						
118	बीटलवाइन (*पाइपर बीटल* एल.)		25 सेंमी ऊंचाई वाले 3 माह पुराने टर्मिनल प्ररोहों की जड़युक्त कटिंग्स						

119	गेंदा (*टेजेटेस प्रजातियां* एल (.		10 ग्राम बीज या 200 जड़युक्त कटिंग्स		80	8 से अधिक नहीं	98	अप्रैल-मई	165x10 0
120	अमरूद (*सिडियम गुवाजावा* एल.)		प्रत्येक लोकेशन के लिए 10 ग्राफ्ट/ एयर लेयर्स						
121	लीची (*लीची चाइनेंसिस* सोन.)		प्रत्येक लोकेशन के लिए 7 एयर लेयर्स						
122	देवदार (*सीड्रस देवदारा* डॉन .जी (रॉक्सब)		5 वृक्ष						
123	चीड़ पाइन (*पाइनस रॉक्सबर्घाइ* सार्जेंट (		5 वृक्ष						
124	मलबेरी) *मोरस* प्रजातियां (		12-15 सेंमी लंबाई एवं 1.0-1.5 सेंमी व्यास वाली 50 स्टेम कटिंग्स						
125	चमेली (*जेस्मिनम मल्टीफोरम* एल (.		6 माह पुराने, पूर्ण रूप से जड़युक्त 20 पौधे						
126	बकव्हीट (कुटू) (*फेगोपाइरम एस्कुलेंटम* (		500 ग्राम		80	10% से अधिक नहीं	98		
127	बकव्हीट (कुटू) (*फेगोपाइरम टटारिकम* (		500 ग्राम		80	10% से अधिक नहीं	98		
128	दाना चौलाई (*एमारेंथस हाइपोकांड्रिकस*(		50 ग्राम		80	10% से अधिक नहीं	98		
129	दाना चौलाई (*ए. क्रुएंटस*)		50 ग्राम		80	10% से अधिक नहीं	98		
130	दाना चौलाई (*ए. कॉडेटस*)		50 ग्राम		80	10% से अधिक नहीं	98		
131	दाना चौलाई (*ए. एड्यूलिस*)		50 ग्राम		80	10% से अधिक नहीं	98		
132	फाबा बीन (*विसिया फाबा* एल किस्म . मेजर हार्ज)		150 ग्राम		70	9% से अधिक नहीं	98		
133	एलीफेंट फूट याम (*एमार्फोफैलस पेनिफोलियस*)		200-400 ग्राम के 36 कंद						

134	अरबी या टारो (*कोलोकेसिया एस्कुलेंटा* किस्म एस्कुलेंटा, *कोलोकेसिया एस्कुलेंटा* किस्म स्टोलोनिफेरम (		30-40 ग्राम के 36 कंद						
135	टारो (*सिर्टोस्पर्मा चेमिसोनिस .सी / मर्कुसी*)		30-40 ग्राम के 36 कंद						
136	जेट्रोफा (*जेट्रोफा करकास* एल.)		जूनजुलाई- में 60 सेंमी ऊंचाई सहित 60 जड़युक्त पौधे						
137	बार्नयार्ड मिलेट)*एचिनोक्लोआ फ्रूमेंटेसी* (.रॉक्स्ब) लिंक		10 पुष्पगुच्छों सहित 250 ग्राम बीज		80	12	97	अप्रैल -मई	230x300
138	कोदो मिलेट (*पास्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम* एल.)		10 पुष्पगुच्छों सहित 500 ग्राम बीज		80	12	97	अप्रैल्-मई	230x300
139	लिटिल मिलेट (*पेनिकम सुमात्रेंस* रोथरोमर एवं एक्स . सशुल्टे)		10 पुष्पगुच्छों सहित 150 ग्राम बीज		80	12	97	अप्रैल्-मई	230x300
140	प्रोसो मिलेट (*पेनिकम मिलियासियम* एल.)		10 पुष्पगुच्छों सहित 200 ग्राम बीज		80	12	97	अप्रैल्-मई	230x300
141	काजू (*एनाकार्डियम ऑक्सिडेंटेल* एल.)	23/10/2017	8 कलम किए हुए पौधे						
142	सुपारी (*एरिका केटेच्यू* एल.)	23/10/2017	एक वर्ष पुरानी पौद पर 10 की संख्या में						
143	चिरोंजी (*बुचानेनिया लेंजान* स्प्रंग	9/1/2018	प्रत्येक लोकेशन हेतु 09 ग्राफ्ट या कलम						
144	इमली (*टेमेरिंडस इंडिका* एल (.	9/1/2018	प्रत्येक लोकेशन हेतु 09 ग्राफ्ट या कलम						
145	शकरकंद (*आइपोमिया बटाटास* (.लेम (.एल)	9/1/2018	दोनों केंद्रों के लिए 150 लता) कटिंग्स (वाइन)5 से 8 कलिकाओं सहित प्रत्येक की लंबाई 30 सेंमी						
146	कसावा (*मेनिहॉट एस्कुलेंटा* क्रेंटज (.	9/1/2018	प्रत्येक केंद्र के लिए 100 कटिंग्स, लंबाई 20 सेंमी जिसमें न्यूनतम जीवनक्षम 8 से 5 कलिकाएं हों						
147	पॉपलर (*पापुलस डेल्टाइड्स* एल (.	9/1/2018	एक वर्ष पुराने पौधे से ली गई 120 कटिंग						
148-154	विलो (*सेलिक्स प्रजातियां*) *सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, सेलिक्स नाइग्रा, सेलिक्स जेस्सेंसिस, सेलिक्स*	11/7/ 2018	120 हार्डवुड कटिंग्स, व्यास 1 सेंमी एवं लंबाई 20 सेंमी						

	रुबेंस, सेलिक्स मेटसुडाना, सेलिक्स एल्बा, सेलिक्स एक्मोफाइला								
155	जई (*एवेना सेटाइवा* एल (.		1,000 ग्राम		85	10	98	जुलाई-अगस्त	230x300
156	खजूर) *फीनिक्स डेक्टिलिफेरा* एल (.		06 जड़युक्त भू(प्रशाखा) (सकर्स) रीअंतस्ता :, भार 8-10 किग्रा						
157	मोरिंगा (*मोरिंगा ओलिफेरा* एल.)	18/7/ 2019	प्रत्येक केंद हेतु 30 पौधे या 100 शुद्ध बीज						
158	मीलिया (*मीलिया डुबिया केव (.*	25/2/ 2019	100 जड़युक्त पौधे						
159	परवल (*ट्राइकोसेंथिस डाइओइका* रॉक्स्ब (.	15/12/2020	50 (पचास) कंदीय जड़ें नतम जिनमें न्यू लता कटिंग्सजड़युक्त /3 गांठें हों (						
160	क्रॉसेंड्रा (*क्रॉसेंड्रा इंफंडिबुलिफॉर्मिस* (नीस (.एल)	15/12/2020	प्लग या प्रो ट्रे में-6 सेंमी से 8 सेंमी लंबी 100 जड़युक्त टर्मिनल कटिंग्स क केंद्र प्रत्ये) हेतु50 (						
161	लोबिया (*विग्ना अंगिकुलाटा* (.एल) प्रजातियांवाल्प *अंगिकुलाटा* एवं *विग्ना अंगिकुलाटा* (.एल) प्रजातियांवाल्प *सेस्क्विपिडेलिस* (.एल) .वर्डिक)	15/12/2020	1,000 ग्राम		95	9	98		

3.3 क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्टेशन, मशोबरा; डॉपरमार बागवानी एवं वानिकी .एस .वाई . विद्यालयविश्व, मशोबरा, शिमला

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रजनन ब्लॉक में रखरखाव की जा रही सेब की सभी किस्मों के वानस्पतिक मापदंडोंएक वर्ष) टाईपुराना प्ररोहः मो, एक वर्ष पुराना प्ररोहः गांठों के बीच की लंबाई, एक वर्ष पुराना प्ररोहः वातरंध्र (लेंटिसल) की संख्या, एक वर्ष पुराना प्ररोह धूप वाली साइड :का रंग एवं एक वर्ष पुराना प्ररोहप्ररोह पर यौवन :, पत्तीलंबाई :, पत्ती : चौड़ाई, पत्ती; अनुपात लंबाई तथा (चौड़ाई/निम्नलिखित किस्मों)75 किस्मों के (फलों का लक्षण वर्णन किया गया।

आरएचआर एवं टीएस, मशोबरा, शिमला के जीन बैंक में सेब, नाशपाती एवं चेरी की किस्मों का विवरण:

फसल	अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक में किस्म की संख्या	रेफरेंस/ किस्म संग्रह ब्लॉकों में किस्म की संख्या
सेब	276	118
नाशपाती	79	32
चेरी	46	21

आरएचआर एवं टीएस, मशोबरा के अनुरक्षण प्रजनन एवं रेफरेंस ब्लॉक में अनुरक्षित पौधों की संख्या:

फसल	अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक	रेफरेंस ब्लॉक	कुल पौधों की संख्या
सेब	829	563	1392
नाशपाती	267	272	539
चेरी	207	132	339
कुल	1303	967	2270

अनुरक्षण प्रजनन के तहत (मेंटीनेंस ब्रीडिंग)आरएचआर एवं टीएस, मशोबरा में लक्षण वर्णित सेब, नाशपाती एवं चेरी की किस्में

फसल	अनुरक्षण प्रजनन ब्लॉक में किस्मों की संख्या	डेटा का प्रस्तुतीकरण (अनुरक्षण प्रजनन)
सेब	268	वानस्पतिक लक्षणों के लिए
	75	फलों की विशेषताओं के लिए
नाशपाती	78	वानस्पतिक लक्षणों के लिए
	12	फलों की विशेषताओं के लिए
चेरी	46	वानस्पतिक लक्षणों के लिए

वर्ष *2020* के दौरान लक्षण वर्णित किस्में: अन्ना, चीनी दालचीनी, डोरसेट गोल्डन, रेड ग्रेवेनस्टियन, रेड गोल्ड, स्काईलाइन सुप्रीम डिलीशियस, रेड चीफ, बिस्बी स्पर, ओरेगन स्पर, फैनी, वैगनर, वॉर्सेस्टर पीयरमैन, अर्ली रेड वन, अकाने, शार्प लेट रेड, *पार्लिन ब्यूट, हार्डि ब्राइट स्पर, जेम्स ग्रीव, एसेलटाइन, रुबिजॉन, ईसी 539446*, गेल गेला, ब्वॉयकेन, स्कारलेट स्पर *-II*, ओरेगन स्पर *-II*, गोल्डन ऑटम, एएएस/बीएसपी/जीपी/*13*, सुपर चीफ, समर रेड, हरदिसपुर, टर्ली वाइनसैप, ब्रुकफील्ड गेला, गेला मिशेला, कमर्शियल, किस्म नंबर *280400*, लेनिनगार्डस्काजाज़ोल्टा-, लोबो, वेरेड, स्टार, कॉम्पैक्ट विंटर बनाना, रेड वेलॉक्स, जेरोमाइब, जोनिका, पॉमियर अज़ीज़ा, पीज गुड नॉन सच, राइमर, जोना गोल्ड, ग्रिम्स गोल्डन डबल लाइफ, बाल्डविन, अकबर, नीर अर्ली स्टेइंग, रेड रॉयल, वाइनसेप वर्जिना, रेड बैरन, यॉर्क ए रेड, रिबिस्टन पिपिन, रेडलम गेला, चौबटिया एम्ब्रोज़, येलो डिलीशियस, रिच ए रेड, हार्डमैन, एंबस्टार्किंग, टॉप रेड, रेड फ्लेश, रोज़ मैरी, स्टार्क स्पर गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, ट्रॉपिकल ब्यूटी, गोल्डन रेन्डर्स, रेड जून, जाइंट जेनसन, फ्यूजी, रेसी सीआर, जे डार्लिंग, *एमफ्लोरिबंडा* . एवं एडम्स।

वर्ष 2020के दौरान लक्षण वर्णित किस्में :

संत्या ब्रेस्काया	डॉयेन्ने डु कॉमिस	सेवेरेंटा	मोनार्क
क्लेप्स फेवरेट	कीफर	बादशाह	लीकोंटे
विरॉड एंजलिस	किंग्स पियर	लाउसी बॉन्ने ऑफ जर्सी	विलियम पियर
कार्मेन	पीआई-282935		

सेब :

पुष्प : गुब्बारे की अवस्था में प्रबल रंग		
सफेद	पीला गुलाबी	हल्का गुलाबी
लोबो	हार्डी ब्राइट स्पर	जोनाथन

फल का आधार रंग		
अदृश्य	सफेद पीला	पीला
स्कारलेट स्पर -II	स्कारलेट गेला	गिब्सन गोल्डन

नाशपाती और चेरी में वानस्पतिक पैरामीटर ओज :वृक्ष), वृक्षशाखाएं :, वृक्षभावस्व :, एक वर्ष पुराना प्ररोह; वृद्धि, एक वर्ष पुराना प्ररोहगांठों/पोरी : के बीच की दूरी और नाशपाती की (12 किस्मों जिनमें वर्ष 2020 के दौरान फल आए के फलों के लक्षणवर्णन हेतु- आंकड़ों को दर्ज किया गया।

एक वर्ष पुराना प्ररोह तितिक कलिका की स्थिप्ररोह के संबंध में वानस्प :		
दबी हुई (एडप्रेस्ड)	हल्की उठी हुई	स्पष्ट तौर पर उभरी
संत्या ब्रास्काया	पी आई 264649	लेटनीया

फल: वाह्यदल की प्रवृत्ति (फसल तैयार होने पर)	
अभिसारी (कंवर्जिंग)	सीधा उठा हुआ
बादशाह	क्लेप्स फेवरिट

फल: अधिकतम व्यास की स्थिति		
मध्य में	हल्का सा कैलिक्स (वाह्य दलपुंज) की ओर	स्पष्टत: कैलिक्स की ओर
किंग पियर	बादशाह	पीआई-282935

3.4 डॉ. बी. एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, महाराष्ट्र

डॉ. बी. एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली में '*सजीव भंडार से फल एवं रोपण फसलों तथा तीन मसाले वाली फसलों का संग्रह, रखरखाव, मूल्यांकन और विवरणकों का विकास*' नामक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। संदर्भ किस्मों/डीयूएस परीक्षण ब्लॉक/जीन बैंक ब्लॉक के लिए स्थल योजना (साइट-प्लान) तैयार कर ली गई है तथा अदरक, छोटी इलायची, काली मिर्च, हल्दी आदि के लिए भूमि की तैयारी पूरी कर ली गई है।

अनुरक्षण लक्षण वर्णन के लिए किस्में / :

क्रम संख्या	फसल	रखरखाव के तहत किस्मों इकोटाइपों की संख्या/
1	आम	36
2	हल्दी	13 इकोटाइप्स
		31 किस्में
3	नींबू	4 प्रजातियां
4	कचाई लेमन	1
5	कालीमिर्च	6

6	केला	46
7	जायफल	4 किस्में
8	कटहल	2 किस्में (14 पौधे)
9	कृषक किस्में	160

फील्ड जीन बैंक में निम्नलिखित सामग्री का संग्रह एवं संरक्षण किया गया :

क्रम संख्या	**प्रजातियों का नाम**	**एकत्र जननद्रव्य की संख्या**	**स्रोत**
1	आम	20 किस्में	आरएफआरएस आम अनुसंधान केंद्र, वेंगुरला, बागवानी विभाग, दापोली; सीईएस वाकावली, श्री भूषण पद्माकर नाबर, मठ, वेंगुरले
2	आम (विलाइकोलंबन (	280 पौधे	सीईएस वाकावली
3	केला	30 किस्में	एनआरसी, तमिल नाडु
4	नींबू	3 किस्में	राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र (सिट्रस), नागपुर
5	हल्दी	38 किस्में	डॉ. अशोक चिवाटे, कृषि अनुसंधान केंद्र, दिगरस सांगली, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का फार्म, पेरुवन्नामुझी, श्री संजय जाधव, बदलापुर, महाराष्ट्र
6	अदरक	4 किस्में	डॉ. अशोक चिवाटे, कोरेगांव, महाराष्ट्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, दिगरस सांगली, श्री श्रीपद दिगामाने, सांगली, एवं श्री संतोष डारेकर, बोरगांव, सतारा

फील्ड जीन बैंक में निम्नलिखित सामग्री प्राप्त हुई और उसे संरक्षित किया गया :

क्रम संख्या	प्रजातियों का नाम	प्राप्त जननद्रव्य की संख्या	स्रोत
1	केला	8 किस्में	श्री विजयन, अध्यक्ष, चेंगाली कोडन बनाना गोअर्स एसोसियेशन, एरुमापट्टी, त्रिशुर, केरल
2	कचाई लेमन	10 पौधे	मनीपुर केंद्र, इम्फाल
3	कटहल	2 किस्में	पीपीवी एवं एफआरए प्राधिकरण, नई दिल्ली
4	मिर्च	15 ग्राम	केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गोवा
5	हल्दी	2 किस्में	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
6	जायफल	3 किस्में	मिस्टर जोस मैथ्यू, मिस्टर वार्केय थोम्मन एवं मिसटर टॉम सी एंटोनी .
7	रोपण सामग्री	160 पौधे	आईपीआर प्रकोष्ठ, केरल कृषि विश्वविद्यालय, केरल
8	यॉम	5 किस्में	शाजी एनअराट्टू थारा .एम ., वयान्नाड, केरल
9	रोपण सामग्री	42 पौधे	मिस्टर पीजोस .वी ., पुल्लन हाउस, चलाक्कुडी पेरम्ब्रा, पूता, त्रिशुर, केरल -680722.
10	रोपण सामग्री	21 प्रजातियां	मिस्टर केजयन .आर ., काइपुल्ली मेडम, अविट्टाथुर, कल्लेत्तुमकारा, त्रिशुर, केरल -680683.

11	रोपण सामग्री	44 प्रजातियां	मिस्टर रवींद्रन आर., रेजी भवन, केआरए172, पनाचविला लेन, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पी .ओ. तिरुअनंतपुरम, केरल -695011
12	रोपण सामग्री	21 प्रजातियां	मिस्टर केयनज .आर., काइपुल्ली मेडम, अविट्टाथुर, कल्लीतुमकारा, त्रिशुर, केरल -680683
13	औषधीय (बीज सामग्री)	1 प्रजाति	मिस्टर प्रसाद रामा हेगडे, कंकोडलू गांव, हेम्मादी पोस्ट, येल्लापुर तालुक -581402 उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक, भारत
14	नींबू (पौधा)	6 पौधे	
15	नींबू (कलम सामग्री)	4 प्रजातियां	
16	नींबू (बीज सामग्री)	6 प्रजातियां	
17	केला	5 किस्में	
18	दालचीनी	2 किस्में	
19	आम	39 किस्में	
20	काली मिर्च	5 किस्में	

जायफल ब्लॉक

कटहल ब्लॉक

3.5 डीयूएस केंद्रों एवं परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

3.5.1 ईवीआरसी की 36वीं बैठक 16th सितंबर एवं 23rd सितंबर, 2020 को सम्पन्न हुई

ईवीआरसी की 36वीं बैठक डॉगुप्ता .एस.एच ., पूर्व निदेशक, आईएआरआई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों)एसएयू(तथा निजी कंपनियों द्वारा दायर 79 आवेदनों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 1 (लोबिया को निरस्त (कर दिया गया तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया।

3.5.2 ईवीआरसी की 37वीं बैठक 3 मार्च, 2021 को सम्पन्न हुई

ईवीआरसी की 37वीं बैठक डॉगुप्ता .एस.एच ., पूर्व निदेशक, आईएआरआई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भाकृअनुप के संस्थानों, एसएयू और निजी कंपनियों द्वारा 49 आवेदनों को पूर्ण दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष रखा गया।

अध्याय 4 : डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास और जीन बैंकों की स्थापना पर परियोजनाएं

4.1. डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के विकास पर परियोजनाएं

प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थानों की पहचान की है और प्राधिकरण के पंजीकरण बास्केट को बढ़ाने के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए दो/तीन साल की परियोजनाओं को सम्मानित किया है। 1. सागौन, 2. अजवाईन, 3. डिल, 4. कलौंजी, 5. अजवाइन, 6. सौंफ, 7. सौंफ, 8. जीरा, 9. मूली, 10. गाजर, 11. नींबू, 12 जैसी परियोजनाओं के दौरान प्यूमेलो, 13. कॉफी, 14. ऐलेन्थस, 15. कोको, 16. लिलियम, 17. जरबेरा, 18. कोकम, 19. एफसीवी, 20. बीड़ी तंबाकू, 21. लेमन ग्रास, 22. जैतून, 23. केसर, 24 कलजीरा, 25. ऐश लौकी, 26. आइवी लौकी, 27. सर्प लौकी, 28. चाउ-चाउ, 29. मोठ बीन, 30. क्लस्टर बीन और 31. हॉर्स ग्राम, 32. डहलिया कुल 32 फसलें विभिन्न चरणों में हैं।दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए टास्क बल का गठन किया गया।

i. मसौदा डीयूएस दिशानिर्देश तैयार किया गया और केन्द्र की ओर से उसे अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकरण को भेजा गया।
ii. विशेषताओं अथवा गुणों पर अधिक आंकड़ों के लिए कुछ डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का कार्य प्रगति पर है।

विद्यमान परियोजनाएं

4.1.1 डहलिया (डहलिया प्रजाति) के लिए डीयूएस डिस्क्रिप्टर्स का प्रमाणन पर परियोजना

अखिल भारतीय पुष्पविज्ञान अनुसंधान परियोजना, बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा डहलिया और हिबिस्कस पर डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए परियोजना पर कार्य किया गया। विभिन्न किस्मों के डीयूएस लक्षणवर्णन हेतु केन्द्र पर डहलिया की कुल 52 संदर्भ और उदाहरण किस्मों का रखरखाव दो भिन्न स्थानों यथा धौलाकुआं तथा बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी में किया गया । डीयूएस गुणों को अंतिम रूपरेखा दी जा रही है और अभी कुछ गुणों को नोट किया जाना है। उपयोग की गई निधि के साथ साथ प्रगति रिपोर्ट की अंतिम प्रस्तुति का कार्य प्रगति पर है। डहलिया के लिए टास्क बल समिति के लिए प्रस्ताव को दिनांक 18 जनवरी, 2021 को प्रस्तुत किया गया। इतने व्यापक संकलन पर दर्ज किए गए आंकड़ों को इस प्रकार प्रकाशित किया जा चुका है कि एक किस्म भारत के अनेक भागों में अनेक स्थानीय नामों के साथ उपलब्ध है। इससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अत: इन किस्मों में भिन्नता करने के लिए डीएनए विश्लेषण किया जाना चाहिए और एक ऐसा नाम दिया जाना चाहिए जिसका कि समान रूप से अनुपालन किया जाए।

4.1.2 एन्थूरियम (*एन्थूरियम एण्ड्रीनम*) के डीयूएस लक्षणवर्णन पर परियोजना

पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण आर्कीटेक्चर विभाग, बागवानी कॉलेज, मुदीगेरे, चिकमंगलूर, कर्नाटक द्वारा एन्थूरियम (*एन्थूरियम एण्ड्रीनम*) के डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि 2020-21 के दौरान, पश्चिमी घाट की परिस्थितियों में एन्थूरियम को व्यापक रूप से अपनाया गया जिससे विभिन्न स्थानों में इसको खोजने और संकलित करने में मदद मिली।

i. सबसे पहले हमने स्थानीय मिनियेचर गहरी लाल (कोलोरेडो), स्थानीय मिनियेचर द्विरंगी (एक्सोटा), लिवियम रेड़, रैनबो चैम्पियन, स्थानीय मिनियेचर व्हाइट स्मॉल, स्थानीय मिनियेचर टयूलिप (जिजोयू), स्थानीय मिनियेचर लेमन येलो, सफारी, लेडी एन टयूलिप, चिकमंगलूर लोकल - 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 को गंधर्व नर्सरी, चिकमंगलूर, कर्नाटक से संकलित किया।
ii. बाद में अल्दुर, चिकमंगलूर से सीमान्थी द्वारा गृह वाटिका के तहत रखरखाव की गईं 12 स्थानीय किस्मों को शामिल किया गया।
iii. बिदराहल्ली, मुदीगेरे में यशोदा की गृह वाटिका से मुदीगेरे लोकल 2 का संकलन किया गया।
iv. मुदीगेरे गांव के प्रगतिशील किसान दिनेश माकोनाहल्ली से कुल आठ किस्मों यथा माकोनाहल्ली लोकल 1, आयमरा, नोबलेस पिंक, लुसिया, सिरियोन, सीनेटर, गोल्डन स्पार्क, चिकास का संकलन किया गया।
v. मडीकेरी शहर में आरती नर्सरी से ध्वजा का संकलन किया गया।
vi. मरागोडु में एन्थूरियम इस्टेट से हमने मरागोडु, मडीकेरी जिले में हनुमान दास द्वारा रखरखाव की गईं एंज रेड़, ज्वेल, मोनेरा पिंक, न्यू ग्रीन तथा चिकास जैसे किस्मों को संकलित किया।
vii. वालनुर थयागथुर से हमने किसान राजेश की गृह वाटिका से थयागथुर लोकल को संकलित किया।
viii. लूसिया पिंक किस्म को पोलीबेटा के प्रगतिशील किसान अचल से संकलित किया गया।
ix. अंततः गुड्डेहोसुर में थिमय्या से गुड्डुर लोकल किस्मों को संकलित किया गया।

4.1.3. ''डॉलीकस बीन (*लबलब परप्यूरियस* एल.) में कृषक किस्मों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों, लक्षणवर्णन एवं प्रलेखन का विकास'' पर परियोजना

सब्जी फसल संभाग, भाकृअनुप नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था -, हेसरगट्टा लेक, बेंगलुरू, कर्नाटक द्वारा डॉलीकस बीन पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि रबी), 2020-21) के दौरान, छांटी गईं संदर्भ अथवा उदाहरण किस्मों अथवा जननद्रव्यों का मूल्यांकन पुनरावृति आरसी बीडी डिजाइन में कुल शाकीय लक्षणों 24, 12 पुष्पीय लक्षणों, 21 ताजा फली लक्षणों और बीज लक्षणों के लिए 14 अथवा जीनप्ररूपों का वातावरण में डॉलीकस किस्मोंकिया गया। विभिन्न वर्गीकरण करने के प्रयोजन हेतु वर्गीकरण लक्षणों के रूप में शाकीय टाइप स्थिर गुणों की पहचान की गई। इसके अलावा :क में छतथा दलहन टाइप प्रत्ये, डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने के प्रयोजन से शाकीय तथा दलहन टाइप डॉलीकस दोनों में

विभिन्न आकृतिविज्ञान गुणों के लिए अनेक उदाहरण किस्मों की पहचान की गई। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और रिपोर्ट लेखन का कार्य प्रगति पर है।

शाकीय टाइप डॉलीकस बीन में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए पुनरावृति परीक्षण में कुल 40 कन किया गया। का मूल्यांजननद्रव्य/संदर्भ किस्मों

दलहन टाइप डॉलीकस में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए पुनरावृति परीक्षण में कुल संदर्भ 30 कन किया गया। का मूल्यां अथवा जननद्रव्योंअथवा उदाहरण किस्मों

4.1.4. "अश्वगंधा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास" पर परियोजना

अश्वगंधा पर डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान आनुवंशिक एवं पादप प्रजनन संभाग, सीएसआईआर - केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पादप संस्थान, पीओ सीआईएमएपी कैम्पस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में परियोजना प्रारंभ की गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रधान अन्वेषक द्वारा निम्नलिखित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई :

परियोजना के उद्देश्य : अश्वगंधा पर विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थिरता जांच का आयोजन करने के लिए और अश्वगंधा की संदर्भ एवं उदाहरण किस्मों का रखरखाव करने के लिए दिशानिर्देशों का विकास

प्रदेय परियोजना : अश्वगंधा पर डीयूएस परीक्षणों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को उपलब्ध कराया जाएगा और भारतीय अश्वगंधा किस्मों का सार संग्रह बनाया जाएगा।

परियोजना के परिणाम : फसल का व्यावसायिक दोहन**,** अश्वगंधा किस्मों का संरक्षण और सुरक्षा और इस प्रकार अश्वगंधा पर भारतीय आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करना। अश्वगंधा किस्मों**,** संकरों और उनके पैतृकों पर विशिष्टता**,** एकरूपता तथा स्थिरता जांच का आयोजन करने के लिए दिशानिर्देशों को भारत के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्य प्रगति एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां

विथानिया , आयुर्वेद का एक प्रमुख औषधीय पौधा है। भारत जो कि अश्वगंधा के उद्‌भव का एक प्राथमिक केन्द्र है, में इसके जननद्रव्य में मूल्यवान, बिना उपयोग की गईं व्यापक प्राकृतिक भिन्नता मौजूद है। भारतीय अश्वगंधा जननद्रव्य में उच्च कीमोटाइपिक विथानो)लाइडविविधता (पाई जाती है लेकिन उसका प्रणालीबद्‌ध तरीके गया है। इसकी से लक्षणवर्णन नहीं किया 10 खेती लगभग,यर कृषि रकबे में हेक्टे 000 गुजरात :तकी जा रही है जो कि मुख्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बारानी एवं सीमान्त भूमि में एवं दक्षिणी

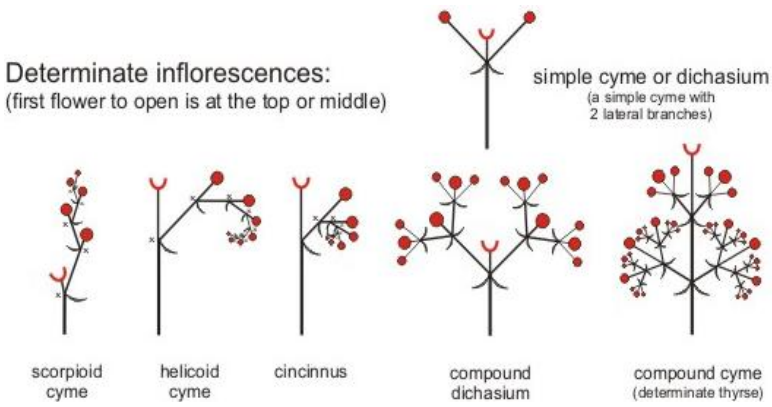

पठार के अर्ध एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। प्रधान अन्वेषक की जानकारी के अनुसार अतीत में भारत में अश्वगंधा की को जारी किया जा चुका हैकिस्मों 11, अश्वगंधा की प्रथम किस्म जवाहर अश्वगंध जिसे निर्यात 20 मिलता है मूल्यबाजार में अच्छा, को वर्षवधान में जारी किया में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वा 1989 20 - वगंधा पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा अभी जेएगया था। अश्, जेए 134, आरवीए

100, वीए 1, जीएए 1, अर्का अश्वगंधा को जांचा गया है। अभी तक सीएसआईआर गंधसीआईएमएपी द्वारा अश्व -ा की छ(2001) को जारी किया जा चुका है यथा पोषिताकिस्मों :, एनआईएमटीएलआई (2009) 118, चेतक (2011), प्रताप (2011), एनआईएमटीएलआई (2015) 101तथा सीआईएम को जारी किया जा चुका है। अभी (2018) पुष्टि - को किसी पादप प्रजनक अधिकार द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और न ही गंधा की किसी भी किस्मतक अश्व धिकरण में पंजीकृत किया गया है। एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्रापौधा किस्म

4.1.5 "चिकनी तोरई (*लुफ्फा सिलिण्ड्रिकल* रोइम) के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास" पर परियोजना

इस परियोजना को भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली और भाकृअनुप - भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में चिकनी तोरई (*लुफ्फा सिलिण्ड्रिकल* रोइम) के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास" के लिए नवम्बर, 2020 के दौरान प्रारंभ किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, भाकृअनुप - भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में ग्रीष्म (जायद) मौसम के दौरान चिकनी तोरई के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए परीक्षण आयोजित किया गया। लेकिन कोविड 19 लॉकडाउन की चुनौतीपूर्ण स्थिति के कारण, आंकड़ों को दर्ज नहीं किया जा सका। अब हमने खरीफ मौसम, 2021 के दौरान दोबारा से परीक्षण किया । खेत परिस्थितियों में फसल वृद्धिशील अवस्था में है और साथ आंकड़ों को दर्ज करने का कार्य भी प्रगति पर है

4.1.6 ''रामतिल [*ग्विजोटिया अबीसिनिका* (एल.एफ.) कैस.]" के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास'' पर परियोजना

परियोजना ''रामतिल)*ग्विजोटिया अबीसिनिका*के लिए विशिष्टिता (कैस (.एफ.एल) , एकरूपता तथा स्थिरता परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास (डीयूएस)'' की शुरूआत की गई जिसका प्रयोजन रामतिल के लिए डीयूएस डिस्क्रिप्टर्स का विकास करना और रामतिल की संदर्भ का रखरखाव करना है।उदाहरण किस्मों/

वर्ष का संकलन एवं रखरखावल किस्मोंके दौरान रामति 21-2020किया गया, रामतिल की कुल किस्मों 18 1 केबीएन), बीएन) 2बीएनएस (8, संख्या 71, आरसीआर) 18आर(, आरसीआर) 18डी(, डीएनएस 4, आईजीपीएन 8004, आईजीपीएन 1-2004, जेएनसी 1, जेएनसी 6, जेएनएस 9, जेएनएस 28, उत्कल नाइजर 150, देवमाली, जीएन 1, जीएन 2, जीएनएनआईजी (3के प्रजनक बीज विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों से मांगे गए थे ताकि उदाहरण किस्मों के डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास किया जा सके और उनका रखरखाव किया जा सके।

क्र .सं.	केन्द्र	किस्म
1.	रामतिल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जोनल कृषि अनुसंधान स्टेशन, चन्दनगांव, छिंदवाड़ा 001 480 -)मध्य प्रदेश (	जेएनसी -1, जेएनसी -6, जेएनएस -9, जेएनएस -28, जेएनएस -30
2.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक) 005 580 -	आरसीआर **-18,** डीएनएस **-4,** केबीएन -1
3.	रामतिल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जोनल कृषि अनुसंधान स्टेशन, इगतपुरी, जिला) 403 422 - नासिक :महाराष्ट्र (	आईजीपीएन -8004, फुलेकराला (आईजीपीएन-2004-1)

4.	क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण स्टेशन, (OUAT), सेमिलीगुडा पोस्ट बॉक्स संख्या 10, सुनाबेडा, कोरापुट, ओड़िशा - 002 763	उत्कल नाइजर -150 (ओएनएस -150), देवमाली (जीए-10)
5.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, रामतिल अनुसंधान स्टेशन, वनारसी, जिला नवसारी 580 396 -, गुजरात	जीएन -1, जीएन -2, जीएनएनआईजी -3

परियोजना कार्य को नवम्बर में प्रारंभ किया गया और नायलोन से बने जाल के अन्दर बीज गुणनीकरण और प्रारंभिक लक्षणवर्णन के लिए बुवाई) के दौरान 2020 मीटर लंबाई वाली तीन कतारों में रबी 4 (07.11.2020 की तारीखकिस्मों को बोआ गया। तीन किस्मों यथा केबीएन 1, बीएन) 2बीएनएस (8एवं संख्या में अंकुरण नहीं 71 मेंक किस्महुआ। प्रत्ये, सिबिंग और प्रारंभिक आंकड़ों के लिए बीस एकसमान पौधों को चुना गया। समान किस्म के भीतर भिन्न तना रंग वाले पौधों को अलग से टैग किया गया। समान तना रंग वाले पौधों के बीच सिबिंग की गई।

गुणनीकरण प्लॉट में रामतिल की में प्रारंभिक आकृतिविज्ञान लक्षणवर्णन का कार्य किया गया ताकि किस्मों 15 क विशेषता के लिए आंकड़ों और स्थिति के साथ साथ विशेषताओं की मसौदा तालिका का विकास किया जा सके। प्रत्ये रामतिल के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों को दर्ज किया गया।

4.1.7 चीकू (*ऐकरस जैपोटा* एल.) के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास

इस परियोजना ''चीकू)*ऐकरस जैपोटा* एलके लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास (.'' को नवम्बर, 2020 के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी तथा भाकृअनुप नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था -, बेंगलुरू में प्रारंभ किया गया ।

वर्ष की अवधि के दौरान 21-2020, भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू में, दिशानिर्देशों का निरूपण करने के लिए चीकू की की को पत्तीको दर्ज किया गया और किस्मों के आकृतिविज्ञान लक्षणोंकिस्मों 53 आकृति, लंबाई, चौड़ाई, रंग, विविधता, पत्ती आधार एवं सिरे की आकृति, पत्ती सिरे पर धब्बा, पत्ती किनारा, डंठल की लंबाई और पत्ती ब्लेड अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया गया।

पत्ती की आकृति आकृति को पांच श्रेणियों यथा तिरछा लांसोलेटकी पत्ती किस्मों 53 चीकू की कुल : , अंडाकार, संकीर्ण ओबोवेट, तिरछा तथा लांसोलेट में वर्गीकृत किया गया। पांच श्रेणियों में, 39 किस्मों को तिरछा लांसोलेट में, 5 किस्मों को अंडाकार में, 3 किस्मों को संकीर्ण ओबोवेट में, 2 किस्मों को तिरछी में तथा को लांसोलेट में किस्मों 4 वर्गीकृत किया गया। :पुन

पत्ती आधार की आकृति :चीकू की कुल आधार की आकृति को दो श्रेणियों यथा तीव्र और के पत्तीकिस्मों 53 कुंठित के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन दोनों श्रेणियों में, 51 किस्मों को तीव्र अथवा एक्यूट में और को किस्मों 2 यूज श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।कुंठित अथवा ऑब्ट

पत्ती सिरा की आकृति :चीकू की कुल सिरे की आकृति को चार श्रेणियों यथा तीव्र अथवा के पत्तीकिस्मों 53 टएक्यू, अति तीव्र, अंतर मध्यस्थ एवं कुंठित में वर्गीकृत किया गया। चार श्रेणियों में, 24 किस्मों को तीव्र अथवा एक्यूट श्रेणी में, 4 किस्मों को अति तीव्र श्रेणी में, 16 किस्मों को अंतर मध्यस्थ श्रेणी में और को कुंठित किस्मों 9 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

पत्ती किनारा :चीकू की कुल र्ण एवं तरंगमय अथवा लहरदार यों यथा सम्पू किनारों को दो श्रेणि के पत्तीकिस्मों 53 को लहरदार अथवा किस्मों 10 र्ण श्रेणी में और को सम्पूकिस्मों 43 में वर्गीकृत किया गया। दो श्रेणियों के मध्य तरंगमय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

पत्ती सिरे पर धब्बा :पत्ती सिरे पर धब्बे की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर चीकू की कुल किस्मों 53 को दो श्रेणियों यथा उपस्थित एवं अनुपस्थित में वर्गीकृत किया गया। दो श्रेणियों के मध्य, 49 किस्मों को उपस्थित श्रेणी में और को अनुपस्थित श्रेणी में वर्गीकिस्मों 4कृत किया गया।

पत्ती विविधता :पत्ती विविधता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर चीकू की कुल को दो किस्मों 53 को उपस्थित श्रेणी किस्मों 52 श्रेणियों यथा उपस्थित तथा अनुपस्थित में वर्गीकृत किया गया। दो श्रेणियों के मध्य को अनुपस्थितमें और एक किस्म श्रेणी में वगीकृत किया गया।

पत्ती की लंबाई :पत्ती की लंबाई के आधार पर, चीकू की कुल को तीन श्रेणियों यथा लघुकिस्मों 53(<9.0 सेमी.), मध्यम (9.0 - 10.00 सेमी.) तथा दीर्घ अथवा लंबी (> 10.0 सेमी.) में वर्गीकृत किया गया। तीन श्रेणियों के मध्य किस 12्मों को लघु श्रेणी में, 30 किस्मों को मध्यम श्रेणी में और वर्गीकृत किया : को लंबी श्रेणी में पुनकिस्मों 11 गया।

पत्ती की चौड़ाई :पत्ती की चौड़ाई के आधार पर, चीकू की कुल को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। किस्मों 53 संक : ये दोनों श्रेणियां थींीर्ण (< 3.5 सेमी.) एवं चौड़ी (> 3.5 सेमी.) । इन दोनों श्रेणियों के मध्य, 21 किस्मों को संकीर्ण श्रेणी में और को चौड़ी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।किस्मों 32

पत्ती ब्लेड अनुपात :पत्ती ब्लेड अनुपात के आधार पर चीकू की कुल को दो श्रेकिस्मों 53णियों यथा संकीर्ण 2.5) सेमी 2.5) और चौड़ा (से कम .सेमी 42 को संकीर्ण श्रेणी में तथाकिस्मों 11 में वर्गीकृत किया गया और (से अधिक . वर्गीकृत किया गया। : को चौड़ी श्रेणी में पुनकिस्मों

डंठल की लंबाई : डंठल की लंबाई के आधार पर, चीकू की कुल 53 किस्मों को तीन श्रेणियों यथा लघु (2.0 सेमी. से कम), मध्यम (2 से 2.5 सेमी.) तथा लंबी (2.5 सेमी. से अधिक) में वर्गीकृत किया गया। इन तीन श्रेणियों के मध्य, दस किस्मों को लघु श्रेणी में, अडतीस किस्मों को मध्यम श्रेणी में और पांच किस्मों को दीर्घ अथवा लंबी श्रेणी में पुन: वर्गीकृत किया गया।

पत्ती का रंग : पत्ती के रंग को आरएचएस रंग चार्ट का उपयोग करते हुए मापा गया। पत्ती के रंग के आधार पर चीकू की कुल 52 किस्मों को पांच श्रेणियों यथा एन 137 ए (हरा वर्ग), एन 137 बी (हरा वर्ग), एन 137 सी (हरा वर्ग) 137 ए (हरा वर्ग) तथा 137 बी (हरा वर्ग) में वर्गीकृत किया गया। इन तीन श्रेणियों के मध्य 17 किस्मों को एन 137 ए श्रेणी में, 29 किस्मों को एन 137 बी श्रेणी में, 2 किस्मों को एन 137 सी श्रेणी में, 1 किस्म को 137 ए श्रेणी में और 3 किस्मों को 137 बी श्रेणी में पुन: वर्गीकृत किया गया।

नवीन परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने के लिए नवीन परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के उपरान्त निम्नलिखित फसलों के लिए प्राप्त आवेदनों को फसल किस्मों के संरक्षण हेतु पंजीकरण के लिए स्वीकार किया जाएगा।

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	डीयूएस केन्द्र का नाम
1.	करी पत्ती (*मुरैय्या कीनिगाई* स्प्रेन्ज) के लिए	भाकृअनुप नभारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था -,

	डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश	हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बेंगलुरू, कर्नाटक
2.	संरक्षित परिस्थितियों के अंतर्गत मिर्च, पपरिका तथा शिमला मिर्च के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का विकास	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
3.	सब्जी काले (*ब्रैसिका ऑलिरेसिया* एल. *एसिफला*) के लिए डीयूएस जांच दिशानिर्देशों का विकास	भाकृअनुप न बागवानी संस्थाय शीतोष्णकेन्द्री -, ओल्ड एयर फील्ड, रनग्रेथ, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर
4.	लेट्यूस (*लैक्टूसा सैटाइवा* एल.) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	भाकृअनुप -भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली 012 110 -
5.	ब्राउन टॉप कदन्न (*ब्रैकीरिया रैमोज* एल.) में डीयूएस जांच हेतु दिशानिर्देशों का विकास	भाकृअनुप पर अखिल भारतीय गौण कदन्न - समन्वित अनुसंधान परियोजना, गांधी कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरू, कर्नाटक
6.	गांठ गोभी (*ब्रैसिका ऑलिरेसिया*) के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को प्रोत्साहित करने हेतु डिस्क्रिप्टर्स का विकास	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर, श्रीनगर 025 190 -, जम्मू व कश्मीर

अध्याय 5 : किसानों से संबंधित गतिविधियां

5.1 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियां			
क्र.सं.	**गतिविधि**	**2020-21**	**कुल**
1	जागरूकता कार्यक्रम	3	3
2	प्रदर्शनी एवं मेला	4	4
3	सेमिनार (संगोष्ठी)	1	1
		समग्र योग	**08**

5.2. किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम :

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा देश के विभिन्न भागों में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कुल तीन प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ कार्यक्रमों में प्राधिकरण के अधिकारियों ने कृषकों के अधिकारों तथा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर वार्ता प्रस्तुत की।

दिनांक मार्च 26, 2021 को नोनी-4, मणिपुर में कृषि विज्ञान केंद्र , तामेंगलोंग के साथ सहयोग करते हुए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग न के दौरानख्याकिसानों ने भाग लिया। व्या 35, स्थानीय प्रजातियों, इनके संरक्षण के महत्व तथा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के साथ कृषक किस्मों के पंजीकरण की कार्यविधि के बारे में विस्तार से बताया गया। संरक्षण प्रयासों के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कारों पर प्रकाश डाला गया; पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के ब्रोशर को वितरित किया गया। इसके साथ ही, किसानों द्वारा लाई गई विभिन्न फसल किस्मों को उनकी उपयोगिता के साथ प्रदर्शित किया गया और किसान समुदाय के लिए उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया।

अध्याय 6 : भारतीय पौधा किस्म जर्नल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्राधिकरण के प्रकाशन

6.1 भारतीय पौधा किस्म जर्नल

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 के नियम 2 (जी) के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारिक भारतीय पौधा किस्म जर्नल (PVJ) का मासिक रूप से प्रकाशन किया जाता है और उसे अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येपक माह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इस पत्रिका को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण विनियमन, 2006 के तहत गजट का समतुल्य स्तर प्राप्त है। पत्रिका की सामग्री में सरकारी एवं सार्वजनिक नोटिस, गजट अधिसूचनाएं, चित्रों के साथ पौधा किस्मों का पासपोर्ट डाटा, विभिन्न फसल प्रजातियों के प्रकाशित डीयूएस जांच दिशानिर्देश, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के विवरण तथा अन्य संबंधित अधिकारिक मामले एवं नोटिस शामिल होते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान आपत्ति आमंत्रित करते हुए पौधा किस्म जर्नल में विज्ञापित किस्मों की संख्या

क्र .सं.	किस्म की श्रेणी	किस्म की संख्या	फसल	दिनांक से तक प्राप्त आवेदन
1.	कृषक	100	चावल, सोरघम, राजमा, बैंगन, जौ, मूंग, भारतीय सरसों, तोरिया व सरसों, अंगूर, मूंगफली, मसूर, मिर्च, चना, टमाटर, अमरूद, नीम, सेब, मेथी, काली मिर्च तथा अरहर	14.10.13 - 07.02.2019
2.	नवीन	131	बैंगन, डुरूम गेहूं, टमाटर, बाजरा, चतुर्गुणित कपास, चावल, कैजूआरीना, भिण्डी, सोरघम, मक्का, आलू, ब्रेड गेहूं, द्विगुणित कपास, सूरजमुखी, अरहर एवं अनार	21.05.2007 - 26.05.2017
3.	प्रचलित अथवा विद्यमान	147	सोरघम, ब्रेड गेहूं, उड़द, चतुर्गुणित कपास, मक्का, चावल, द्विगुणित कपास, आलू, अमरूद, बाजरा, दाना चौलाई, जौ, भिण्डी, रागी, डुरूम गेहूं, अरहर, मिर्च, भारतीय सरसों, टमाटर, बैंगन, प्याज, करेला, खीरा, लौकी, सूरजमुखी, सोयाबीन, अलसी, चना तथा फूलगोभी	22.04.2009 - 19.09.2020

6.2 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के मुख्यालय में पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर खोला गया । इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के सम्पूर्ण नाम एवं साथ ही संबंधित प्रजनकों के नाम व पते, नामकरण, विनिर्देश तथा मुख्यी विशेषताएं आदि शामिल है।

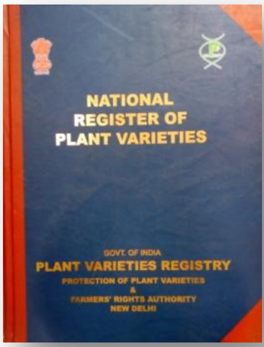

वर्ष 2020-21 के दौरान पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट् की गईं किस्मों की संख्या

क्र .सं.	किस्म की श्रेणी	किस्म की संख्या	फसल	दिनांक से तक
1.	कृषक	121	चावल, अरहर, मटर, बैंगन, उड़द, चना, मसूर, भिण्डी	28.09.2011 - 08.10.2015
2.	नवीन	83	सोरघम	22.05.2017 - 22.11.2018
3.	प्रचलित अथवा विद्‌यमान	215	जौ, लौकी, बैंगन, बंदगोभी, काजू, फूलगोभी, चना, मिर्च, डुरूम गेहूं, रागी, मूंग, गेहूं, सूरजमुखी, टमाटर, मूंगफली, भारतीय सरसों, जूट अथवा पटसन, अलसी, मक्का, भिण्डी, प्याज, पपरिका, आलू, चावल, गुलाब, सोरघम, गन्ना	21.05.2007 - 26.07.2019
4.	ईडीवी	13	चतुर्गुणित कपास	02.04.2018 - 12.08.2013

6.3 प्राधिकरण के प्रकाशन

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पौधा किस्म् एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 और कृषकों के अधिकार तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) पर नियमित रूप से द्विभाषी रीति (हिन्दी व अंग्रेजी) में विवरणिका का प्रकाशन किया जाता है और इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वंविद्यालयों तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अनेक किसान मेलों में, बैठकों में, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में तथा कार्यशालाओं आदि में वितरित किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किस्मों के सार संग्रह, पोस्टार, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा अन्यि प्रकाशनों को तैयार करके प्रकाशित किया गया। प्राधिकरण की वेबसाइट द्विभाषी मोड में उपलब्धक है और इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा डीयूएस जांच दिशानिर्देशों को नियमित रूप से दोनों भाषाओं, हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित कराया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्नर फसल प्रजातियों के डीयूएस जांच दिशानिर्देशों को प्रकाशित कराया गया और उन्हेंट अधिसूचना के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याडण विभाग को भेजा गया। प्राधिकरण को हिन्दी भाषा में प्राप्ता होने वाले पत्रों तथा आधिकारिक अधिसूचनाओ का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी श्रोताओं अथवा अवसर के महत्त्व को देखते हुए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अपने व्या ख्या न प्रस्तुात किए।

अध्याय 7: डेटाबेस का विकास, आईआईएनडीयूएस, एनओआरवी, वेबसाइट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

7.1 वैबसाइट:

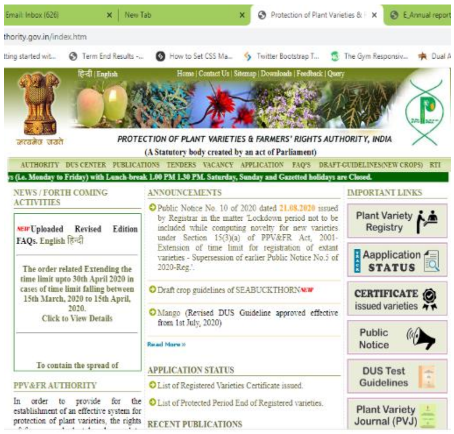

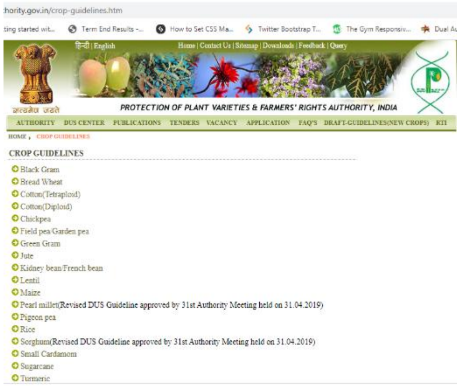

पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआरए) की आधिकारिक वेबसाइट (www.plantauthority.gov.in) को एनआईसी के क्लाउड सर्वर पर संचालित किया जा रहा है। क्लाउड सर्वर की विशेषता इसकी मापनीयता / लचीलापन, अधिक निष्पादन क्षमता, उन्नत आपदा रिकवरी प्रणाली है। वेबसाइट का रखरखाव द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में किया जाता है। प्राधिकरण की वेबसाइट के वेब पेजों को हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में आवश्यकता अनुसार सुधारा गया है। नए फसल वर्ग एवं उनमें शामिल फसलों के नाम को पीडीएफ में डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में फसल के वानस्पतिक नाम सहित डीयूएस दिशानिर्देश के साथ दिया गया है। कुल 165 फसल प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके सभी विशेषताओं के लोप (कोलेस्प) एवं विस्तार (एक्सपेंड) सुविधा सहित एक नए एफएक्यू वेब पेज का समावेश किया गया है। जिन अन्य वेब पेजों का डिजाइन और रखरखाव किया जा रहा है उसमें प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड, पुरस्कार एवं मान्यता शामिल हैं। आरटीआई पेज, पौधा किस्म पंजीकरण संबंधित सूचना वेब पेज, वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक खाता वेब पेज, प्राधिकरण के कर्मचारियों का पेज, नई किस्म केटेगरी के तहत 161 फसल प्रजातियों और मौजूदा / कृषक किस्म वर्ग के तहत 165 फसल प्रजातियों के पंजीकरणों के प्रारंभ होने की सूची तथा महत्वपूर्ण राजपत्र अधिसूचना के वेब पेज आदि शामिल हैं।

7.2 आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन खोज :

प्राधिकरण ने वेबसाइट पर आवेदनों की ऑनलाइन खोज (ट्रैकिंग) प्रणाली विकसित की है। यह एक गतिशील खोज पृष्ठ है जिसमें आवेदक अपने आवेदन की स्थिति (स्टेट्स) को या तो अपनी पावती संख्या या वर्ग या आवेदक के नाम से खोज सकता है। इस पृष्ठ की जानकारी में नए विषयों तदनुरूप पते एवं वर्तमान स्थिति को शामिल करके उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाया गया है, जिससे आवेदक को कम समय में ही आवेदन की वर्तमान स्थिति का आसानी से पता लग सके। इसमें स्टेटस रिपोर्ट को देखना और प्रिंट करना बहुत सरल है। यह वेब पेज सभी वेब ब्राउजरों पर कार्य करने में सक्षम है।

7.3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (https://eprocure.gov.in/eprocure/app) पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, प्राधिकरण के लिए GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) से खरीद की जाती है, सामान्य पूल हेतु आवासीय आवास अपडेट (http://) gpra.nic.in/gpra), आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट (http://dsscic.nic.in/users/pn-login), नई पेंशन योगदान लेखा प्रणाली (https://npscan-cra.com/CRA/), भारत सरकार में पदों एवं सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की निगरानी प्रणाली (http://www.rrcps.nic.in/) का रखरखाव किया जाता है। प्राधिकरण राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस की अवधारणा को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है और इस संबंध में शुरुवात की जा चुकी है।

7.4 पंजीकरण हेतु आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना :

प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में 12 फसल प्रजातियों से फसलों के पंजीकरण कार्य का प्रारंभ किया था जो वर्तमान में 165 फसल प्रजातियों तक पहुंच गया है। आवेदकों द्वारा भरे गए आवेदनों को निर्धारित शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा शुल्क) के साथ व्यक्तिगत रूप से या डाक सेवा द्वारा प्राधिकरण में स्वीकार किया जाता है।

आवेदन जमा करने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया तथा पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए भुगतान प्रक्रिया को विकसित करने से आवेदकों द्वारा प्राधिकरण को ऑनलाइन मोड में अपना आवेदन दाखिल करने और 'पेमेंट गेटवे' के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सुविधा होगी जिसे डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। इस प्रणाली (सिस्टम) को अब एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा तैयार किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के दायरे में प्रणाली का अध्ययन, डिजाइन, विकास, संस्थापन एवं विन्यास तथा वेब पोर्टल को प्रारंभ करना और इसका प्रकाशन शामिल है। साफ्टवेयर विकसित होने के पश्चात के कार्यों में इसकी निष्पादन ट्यूनिंग, सुरक्षा अभेद्यता जांच एवं सूचीबद्ध प्रमाणित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा, जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन प्रमाण, पोस्ट गो-लाइव कार्य जैसे बैकअप गतिविधियां, प्रशिक्षण, अनुप्रयोग से लेकर बैकएंड समर्थन सहित व्यापक रखरखाव सहायता, निष्पादन ट्यूनिंग जैसे कार्यों को निष्पादन के लिए सिस्टम एवं डेटाबेस व्यवस्थापक (एडमिन), सुरक्षा पैच का अद्यतन, बैकअप, अभिलेखीय/पुनर्प्राप्ति आदि। विस्तृत विषयों को नीचे दिया गया है:

- पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण (पीपीवी एवं एफआर) के मौजूदा प्रवाह एवं प्रक्रियाओं का अध्य्यन
- पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु नए वैब अनुप्रयोग को विकसित करने के संबंध में आवश्यकताएं, समझ एवं विश्लेषण
- विकसित वैब पोर्टल की डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन, संस्थापन, जांच, प्रकाशन एवं रोल आउट
- पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा प्रॉसेसिंग समय को कम करने के लिए आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग एवं प्रक्रिया कार्यप्रवाह का प्रकल्पन।
- ब्रीडर्स (प्रजनकों) एवं किसानों को अधिकार प्रदान करने के लिए आवेदनों का ऑनलाइन प्रबंधन एवं प्रॉसेसिंग।
- प्रयोक्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए आवेदकों एवं पौधा किस्म पंजीयन (रजिस्ट्री) जैसे हितधारकों के बीच समयोचित अधिसूचना एवं संचार।
- पीवीपी स्वीकार करने हेतु आवेदनों की जांच ऑनलाइन साधनों का उपयोग करके अधिक प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए ताकि उसमें कम समय लगे।
- डीयूएस परीक्षण के परिणामों की निगरानी अधिक प्रभावी, सटीक एवं प्रॉसेसिंग प्रक्रिया में कम समय लेने वाली होगी।

- आवेदन, अवसंरचना एवं बैकएंड प्रक्रिया के संदर्भ में भविष्य की मापनीय जरूरतों के समाधान का खाका तैयार करें।
- आवेदन एवं डीयूएस परीक्षण हेतु शुल्क संग्रह तथा अन्य शुल्कों के भुगतान की एकीकृत व्यवस्था करना ।
- प्रक्रिया की निगरानी, स्टेटस की जांच एवं समयोचित प्रगति हेतु संपूर्ण आवेदन का डैशबोर्ड (नियंत्रण पट्ट) ।
- आवेदनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एमआईएस मॉड्यूल।
- संकलन प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से ऑफ-साइट वारंटी, रखरखाव एवं तकनीकी सहायता तथा अपेक्षित ऑनसाइट तकनीकी सहायता सहित वेबसाइट/एप्लिकेशन का वार्षिक रखरखाव।
- सुनिश्चित करें कि मोबाइल कंपेटिबिलिटी (संगतता) के साथ वेबसाइट में जीआईजीडब्ल्यू का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है।
- सुनिश्चित करें कि वेबसाइट की सुरक्षा का ऑडिट पैनल में शामिल प्रमाणित एजेंसी द्वारा किया जाता है।
- परियोजना के सफल निष्पादन के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान और उन्हें क्रियान्वित करना।
- आवेदन के सभी हितधारकों के लिए विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका को तैयार करना ।
- निष्पादित परियोजना के लिए नियमावली एवं दस्तावेजों को तैयार करना ।
- पीपीवी एवं एफआर द्वारा वांछित और/या अपेक्षित पीडीएफ/एमएस ऑफिस फॉर्मेट (कार्यालय प्रारूपों) या किसी अन्य प्रारूप में रिपोर्ट तैयार करना।
- संबंधित पंजीकृत उपयोगकर्ता को प्रासंगिक जानकारी दर्ज/अपडेट करने के लिए ईमेल और एसएमएस भेजें।
- सर्विस प्लेटफॉर्म से परिचित होने के लिए विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

7.5. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

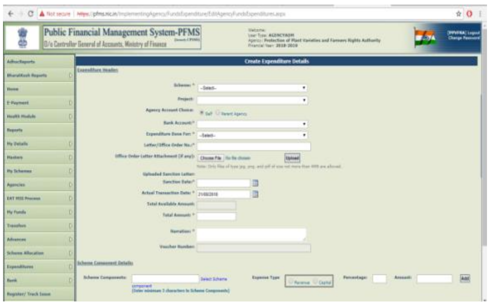

प्राधिकरण ने पीएफएमएस, डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा आरटीजीएस/एनईएफटी जैसी ई-भुगतान प्रणाली को लागू किया है। प्राधिकरण अपने विभिन्न खातों में नकद जमा जैसी ऑफ-लाइन भुगतान प्रणाली को हतोत्साहित करता है। प्राधिकरण ने पीएफएमएस एवं अन्य डिजिटल भुगतान जैसी ई-भुगतान प्रणालियों को अपनाया है। पीएफएमएस के अंतर्गत लाए गए संस्थानों की सूची नीचे दी गई है:

पीएफएमएस स्कीम 3025 में लाए गए संगठन/संस्थान

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	एजेंसी का प्रकार	एजेंसी का विशिष्ट कोड
1	आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	एएनजीआरएयूसीसीए स
2	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	सांविधिक निकाय	आरजेजेओ 00006176
3	आसाम कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का संस्थान	एएयू
4	एटीएआरआई गुवाहाटी	केंद्र सरकार	एएसकेआर00008584
5	एटीएआरआई पटना	केंद्र सरकार	बीआरपीए 00005506
6	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	बीसीकेवी

7	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर	सांविधिक निकाय	बीएयूएसएबी
8	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची, झारखंड	राज्य सरकार पीएसयू	बीएयूएनआई
9	सी. एस. आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	सांविधिक निकाय	सीएसएयूके
10	सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	सांविधिक निकाय	सीसीएसएचएयूएचआर वाई
11	केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	केंद्र सरकार	सीएआरआईपीओआर टी
12	केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	सीआईटीएच
13	केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान- बालीहोन्नुर	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	केएसीके 00003714
14	केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	केंद्र सरकार	सीआईएएच
15	केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (भाकृअनुप की इकाई)	केंद्र सरकार	आईसीएआर 0430
16	केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	केंद्र सरकार	सीआईएसएच 123
17	केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीपीसीआरआई
18	केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीपीआरआई
19	केंद्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीआरआईजेएएफ
20	केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीआरआरआईसीयूटी टीएसीके
21	केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीटीआरआई
22	केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	सीटीसीआरआई
23	सीआईएमएपी	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	सीआईएमएपी
24	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एमपीयूएटी
25	सीएसआर एवं टीआई मैसूर	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	केएएमवाई 00004325
26	काजू अनुसंधान निदेशालय (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र)	केंद्र सरकार	सीएजेयूआरईएस

27	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय (भाकृअनुप की इकाई)	केंद्र सरकार	डीजीआर-डीबीटी1
28	मक्का अनुसंधान निदेशालय	केंद्र सरकार	मेज
29	औषधीय एवं सगंधीय पादप निदेशालय	केंद्र सरकार	एनआरसीएमएपी
30	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद	केंद्र सरकार	डीओआरएच
31	चावल अनुसंधान निदेशालय	केंद्र सरकार	डीआरआर
32	बीज अनुसंधान निदेशालय, उत्तर प्रदेश	केंद्र सरकार	एओएसडीएसआर
33	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)	केंद्र सरकार	डीएसआर
34	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	बीएसकेकेवी
35	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	राज्य सरकार का पीएसयू	डीआरपीडीकेवी
36	डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का पीएसयू	डीवाईएसपीयूएचएफ
37	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	सांविधिक निकाय	जीपीपीयूएटीपी
38	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	आरजेजे 00006157
39	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, कानपुर	केंद्र सरकार	यूपीकेएस00005951
40	भाकृअनुप- प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय	केंद्र सरकार	एमएचपीयू00014556
41	भाकृअनुप- भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	डीडब्ल्यूआरकेएआर
42	भाकृअनुप- पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर	केंद्र सरकार	आईसीएआरएनईएच
43	भाकृअनुप- अनुसंधान परिसर, गोवा (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)	केंद्र सरकार	आईसीएआरआरसीजी
44	भाकृअनुप इकाई डीआरएमआर (तोरिया-सरसों अनुसंधान निदेशालय)	केंद्र सरकार	आईसीएआरएनआरसी आरएम
45	भाकृअनुप- एटीएआरआई- III	केंद्र सरकार	एमएलआरबी 00001040
46	भाकृअनुप- राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र	केंद्र सरकार	721000
47	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	केंद्र सरकार	टीएलएचवाई 00000637
48	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	केंद्र सरकार	एमपीजेए00004614
49	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान	केंद्र सरकार	एमएचपीयू 00014544

	संस्थान, पुणे		
50	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, अंचल-I	केंद्र सरकार	पीबीएलयू 00001252
51	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	केंद्र सरकार	डब्ल्यूबीपीएन 00007525
52	भाकृअनुप- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू	केंद्र सरकार	केएबीएन00002107
53	भाकृअनुप- राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, (एनआरसीपी), शोलापुर	केंद्र सरकार	एमएचएस00011522
54	भाकृअनुप- भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	केंद्र सरकार	आईएएसआरआई
55	भाकृअनुप- भारतीय चारा एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान, झांसी	केंद्र सरकार	आईजीएफआरआई
56	भाकृअनुप- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरू	केंद्र सरकार	आईआईएचआर
57	भाकृअनुप- भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	डीएसआरचवाईडी
58	भाकृअनुप- भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, कानपुर	केंद्र सरकार	आईआईपीआरकानपुर
59	भाकृअनुप- भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कासरगौड	केंद्र सरकार	आईआईएसआर
60	भाकृअनुप- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	केंद्र सरकार	आईआईएसआरएलकेओ
61	भाकृअनुप- भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (भाकृअनुप)	केंद्र सरकार	आईआईवीआर
62	इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	आईएसएसओटी
63	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	आईजीकेवीएसएयू
64	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	आईएफजीटीबी
65	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	बीटीसीजेएनकेवीवी
66	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का संस्थान	जेएयूएनआई
67	केरल कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का प्रतिष्ठान	केएयूएनआई
68	एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन	ट्रस्ट	एमएसएसआरएफ
69	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	राज्य सरकार का संस्थान	एमएचएएच 00010021

70	नागालैंड विश्वविद्यालय	सांविधिक निकाय	एनयू
71	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	राज्य सरकार का संस्थान	एनडीयूएटी
72	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एनबीआरआई
73	भाकृअनुप- राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो- एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	केंद्र सरकार	एनबीपीजीआर
74	भाकृअनुप- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र	केंद्र सरकार	एलआईटीसीएचआई (लीची)
75	भाकृअनुप- राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र	केंद्र सरकार	720200
76	भाकृअनुप- राष्ट्रीय नींबु कुल अनुसंधान केंद्र, नागपुर केला अनुसंधान केंद्र, नागपुर	केंद्र सरकार	एनआरसीसी 0400
77	भाकृअनुप- राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र,	केंद्र सरकार	एनआरसीजी
78	भाकृअनुप- राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, अजमेर	केंद्र सरकार	एनआरसीएसएस
79	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का प्रतिष्ठान	एनएयूएनआई
80	सीएसआईआर- उत्तर-पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एनईआईएसटी
81	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद	राज्य सरकार का प्रतिष्ठान	पीजेटीएसएयू
82	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	पीएयूएनआई
83	सॅम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगकी एवं विज्ञान संस्थान	राज्य सरकार का प्रतिष्ठान	एसएचआईएटीएस
84	सरदार कृषिनगर दंतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय	राज्य सरकार का प्रतिष्ठान	एसकेडीएयूएनआई
85	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एसकेयूएएसटी-कश्मीर
86	श्री करन नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	राज्य सरकार का प्रतिष्ठान	एसकेएनएयू
87	भाकृअनुप- गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	केंद्र सरकार	एसबीआईआईसीएआर
88	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय,	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	एसएसएसीडीएसटी

89	चाय बोर्ड डीटीआर एवं डीसी, करसियांग	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	डब्ल्यूबीडीए 00000969
90	चाय अनुसंधान एसोसिएशन	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	टीआरए
91	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवामोगा	सांविधिक निकाय	केएएसएच00003536
92	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलुरू	सांविधिक निकाय	बीएएनजीएयूएनआई
93	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	पंजीकृत समितियां (सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय)	यूएएसआर
94	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट	सांविधिक निकाय	यूएचएसबी
95	भाकृअनुप- विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (वीपीकेएएस), अल्मोड़ा	केंद्र सरकार	वीएलएबी
96	भाकृअनुप- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	केंद्र सरकार	आईएआरआई

7.6 संदर्भ किस्म की पहचान एवं रिट्रीवल प्रोग्राम पर परियोजना

पौधा किस्मों के पंजीकरण एवं आवेदनों की आंतरिक प्रॉसेसिंग, पंजीकरण, पीवीजे, प्रलेखन, डीयूएस परीक्षण की मांग करने वाले आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने के लिए एनआईसी के माध्यम से पीपीवी एवं एफआरए, एक पोर्टल एवं वेब-आधारित इंटरफेस विकसित कर रहा है। क्योंकि वेब-आधारित इंटरफेस में संदर्भ किस्मों के संबंध में संदर्भ किस्मों की पहचान, जांच व्यवस्था, किस्मों की कोडिंग, डीयूएस डेटा रिकॉर्डिंग तथा लीड/समन्वय केंद्रों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण आदि विस्तृत प्रक्रियाओं का अभाव है अत: विभिन्न " फसलों की डीयूएस लक्षणों हेतु ज्ञान प्रबंधन प्रणाली " नामक एक परियोजना भाकृअनुप - आईएएसआरआई, नई दिल्ली को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सौंपी गई थी:

- फसलों के डीयूएस लक्षणों के लिए वेब आधारित ज्ञान प्रबंधन प्रणाली का डिजाइन एवं विकास
- पीपीवीएफआरए एवं डीयूएस केंद्रों में प्रणाली का कार्यान्वयन।
- डीयूएस पोर्टल का रखरखाव एवं सहायता।
- भाकृअनुप- भाकृसांअसं ने संदर्भ किस्म की पहचान के लिए एक वेब आधारित इंटरफेस विकसित किया है तथा सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन एवं रखरखाव के लिए तीन स्तरीय वेब आर्किटेक्चर सहित रिट्रीवल (पुनर्प्राप्ति) कार्यक्रम का अनुपालन किया जाएगा।
- यूजर इंटरफेस : एचटीएमएल (हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज), जावास्क्रिप्ट एवं सीएसएस (कैस्केडड स्टाइल शीट्स) में यूजर्स इंटरफेस को लागू किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता के साथ विमर्श करने के लिए फॉर्म एवं जानकारी को प्राप्त करने हेतु (रिट्रीवल) रिपोर्ट शामिल होंगे। इंटरफ़ेस में प्रयोक्ता के अनुकूल नेविगेशन की भी अनुमति होगी।
- एप्लिकेशन लॉजिक लेयर: व्यवहारिक तौर पर, वेब-आधारित प्रणाली सृजित करने का जटिल हिस्सा डेटाबेस के लिए जानकारी जुटाना है। एक बार जानकारी एकत्र हो जाने के बाद, प्रमाणिक डेटाबेस तकनीकों का उपयोग करके खोज एवं मेनीपुलेशन करना अपेक्षाकृत सरल होता है।

- इस परियोजना में एएसपी या एएसपी डॉट नेट में एक एप्लीकेशन लॉजिक लेयर को क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यूजर इंटरफेस से और उसके लिए लिंकेज एवं डेटा ट्रांसफर के बारे में जानकारी देनी होगी तथा यूजर इंटरफेस एवं डेटाबेस के बीच सभी जटिल अनुप्रयोग लॉजिक को गुप्त रखना होगा। यह सभी अपेक्षित परिवर्तन भी करता है।
- डेटाबेस लेयर: इस डेटाबेस का एक रिलेशनल डेटाबेस के रूप में संग्रह किया जाएगा। डेटाबेस लेयर के बीच संबंधों के साथ-साथ डेटा को संग्रहीत करने के लिए आवश्यक तालिकाएँ दी गई हैं । इस लेयर को क्रियान्वित करने के लिए MS SQL सर्वर 2008 या उच्चतर वर्जन का उपयोग किया जाएगा।
- मार्च, 2021 तक, भाकृअनुप- आईएएसआरआई ने निम्नलिखित को विकसित किया है,
- सभी प्रमुख फसलों के लिए डीयूएस निरूपकों हेतु प्रमुख (मास्टर) तालिका,
- पंजीकृत किस्मों, संदर्भ किस्मों के लिए एक संरचित डेटाबेस का विकास एवं पूर्ववर्ती आईआईएनडीयूएस / एनओआरवी डेटाबेस से पुनर्प्राप्त (रिट्रीव्ड) डेटा,
- ग्रुपिंग एवं अन्य लक्षणों, डीयूएस परीक्षण की व्यवस्था और प्रविष्टियों की कोडिंग के आधार पर उपयुक्त संदर्भ किस्मों की पहचान हेतु एक कार्यक्रम विकसित किया,
- मक्का, रोटी वाले गेहूं की फसल/फसलों के अलग-अलग चरणों में डीयूएस परीक्षण डेटा रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोक्ता इंटरफेस विकसित किया जिसमें अलग-अलग लक्षणों के फोटो अपलोड करने का प्रावधान है,
- प्रत्याशी किस्मों एवं संदर्भ किस्मों की तुलना और रजिस्ट्री को डेटा जमा करना।
- इसके अलावा, भाकृअनुप - भाकृसांअसं द्वारा अधिकारियों एवं तकनीकी कार्मिकों के लिए पौधा किस्म पंजीयन (रजिस्ट्री) तथा डीयूएस केंद्रों में प्रयोक्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। एपीआई के माध्यम से एनआईसी सॉफ्टवेयर एवं यूजर इंटरफेस के साथ सहज एकीकरण तथा डीयूएस पोर्टल के रखरखाव के लिए कदम उठाए जाएंगे।

अध्याय 8 : प्रशासन, शासन तथा अन्य विविध गतिविधियां

8.1 प्रशासन :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में निम्न्लिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री विपिन त्यागी ने सीधी नियुक्ति के रूप में दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में वित्तीय सलाहकार का कार्यभार ग्रहण किया।

2. डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार को प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 से कार्यमुक्त किया गया ताकि वे कृषि एवं किसान कल्याि‍ण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याटण मंत्रालय में पादप संरक्षण एवं संगरोध निदेशालय में पादप संरक्षण सलाहकार (पीपीए) का पदभार संभाल सकें।

8.1.1 जनशक्ति भर्ती प्रक्रिया:

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FRA) द्वारा रजिस्ट्रार, संयुक्त् रजिस्ट्रार, वित्तीय सलाहकार एवं विधि सलाहकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुल 136 नए पदों के सृजन हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव दिया है। इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रार के तीन अनुमोदित पदों में से दो पद और रजिस्ट्रार जनरल का एक पद रिक्ता है। रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के रूप में मानवशक्ति का अत्यधिक महत्व है और अधिनियम के प्रावधानों जिनमें किस्मों का पंजीकरण, किसी अपील अथवा आपत्ति या वाद पर न्याकयिक कार्यवाही करना शामिल है, को लागू करने के लिए इन पदों का कार्यशील होना जरूरी है । इन संवैधानिक भूमिकाओं को किसी भी अन्य अधिकारी को अस्थानई रूप से प्रभार सौंपकर निष्पादित नहीं किया जा सकता । रजिस्ट्रार (वर्तमान तीन पदो में से दो रिक्त है) तथा संयुक्त रजिस्ट्रार के दो पदों को रिपोर्टाधीन वर्ष में तीन बार विज्ञापन देने के बावजूद भरा नहीं जा सका है और अभी तक कोई आवेदक सामने नहीं आए हैं। देश में पेशेवर वैज्ञानिकों के बीच इन पदों को नहीं भरे जाने का अथवा इनके प्रति आकर्षित करने का इस प्रतिवेदन को प्रकाशित कराते समय केवल यह कारण हो सकता है कि क) इन पदों की स्थिति अथवा स्तनर विश्वविद्यालयों तथा भाकृअनुप/सीएसआईआर अथवा अन्य ऐसे संगठनों के समकालिक पदों के मुकाबले में निम्नरतर हैं; ख) केवल तीन से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्त। इन दोनों चिन्ता ओं का आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की जरूरत है।

8.2 विधि प्रकोष्ठ

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FRA) के विधि प्रकोष्ठ ने प्राधिकरण के विरूद्ध दायर किए गए सभी मामलों में प्राधिकरण का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इसके अलावा, रजिस्ट्री एवं प्राधिकरण के समक्ष अर्ध-न्यांयिक सुनवाई के मामले में संबंधित पक्षों को त्वरित रूप में कानूनी जानकारी और दैनिक आदेश शीट उपलब्ध कराई गई। प्राधिकरण का विधि प्रकोष्ठ, एलआईएमबीएस (कानूनी जानकारी प्रबंधन एवं संक्षिप्तीपकरण प्रणाली) अनुवर्ती है तथा वादों की प्रगति को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और एलआईएमबीएस द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, प्राधिकरण के विरूद्ध कुल 32 मामले लम्बित थे और एक मामले (वर्ष 2020 की ओए संख्या 1212) का निपटान किया गया।

फोरम का विवरण एवं उनके समक्ष न्यायिक निर्णय हेतु लंबित मामलों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय
3	22	7

वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित गजट अधिसूचनाओं को प्रकाशित किया गया :

- पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली, 2003 के नियम 19 एवं नियम 20 में संशोधन के संबंध में दिनांक 7 अगस्त, 2020 को गजट अधिसूचना संख्या जी एस आर 495 (ई)
- पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 18 अगस्त, 2020 को गजट अधिसूचना एस.ओ. 2784 (ई)
- पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के चार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 को गजट अधिसूचना एस.ओ. 3456 (ई)
- किस्मों के पंजीकरण प्रयोजन हेतु तीन फसल प्रजातियों (प्रचलित अथवा विद्यमान किस्म एवं कृषक किस्म नहीं होने पर) परवल, क्रासैण्ड्रा तथा लोबिया पर अधिसूचना के संबंध में दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 को गजट अधिसूचना एस.ओ. 4536 (ई)
- पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम 19 में संशोधन के संबंध में दिनांक 19 जनवरी, 2021 को गजट अधिसूचना जी एस आर 34 (ई)

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली याधिकरण द्वारा जारी निर्णयों का विवरणय प्रशासनिक न्यामाननीय केन्द्री/

क्र .सं.	**न्यायालय**	**वाद संख्या**	**पक्ष**	**निर्णय की तारीख**
1.	माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण	ओ ए संख्या 1212/2020	जय प्रकाश सिंह बनाम कृषि मंत्रालय एवं अन्य	03.03.2021

8.3 सूचना का अधिकार (RTI)

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा श्री यू.के. दुबे को केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा डॉ. रवि प्रकाश को दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 तक और श्री विपिन त्यागी को दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 से 21 मार्च, 2021 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी मनोनीत किया गया ताकि संबंधित आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराई जा सके। इन मनोनीत अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर मेन्यू शीर्षक आरटीआई के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का अनुपालन नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्राधिकरण को सीधे आवेदकों से अथवा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले अन्य विभागों से हस्तांतरित कुल दस आवेदन प्राप्त हुए। मांगी गई सूचना को निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष (सीआईसी/पीपीवीएफआरए/ए/2019/103951)/ दिनांक 18 अक्तूबर, 2020 अपील लंबित थीं जिनमें प्राधिकरण द्वारा विजय हासिल की गई ।

प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्थिति को नियमित आधार पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। आवेदनों की तिमाही स्थिति तथा प्राप्त शुल्क की रसीद सहित पूरा विवरण प्राधिकरण और केन्द्रीय सूचना आयुक्त की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8.4 सरकारी ई - मार्केटप्लेस (GEM)

रिपोर्टाधीन वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राधिकरण ने जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जी ई एम के माध्यम से रूपये 13,27,582/- (रूपये तेरह लाख सत्ताइस हजार पांच सौ बयासी मात्र) मूल्य के विविध सामानों की खरीद की। माहवार खरीद की गई वस्तुओं और उनके मूल्य का विवरण नीचे प्रस्तुत है :-

2020-21 के दौरान खरीद (GeM) की रिपोर्ट अप्रैल 01), 2020 से मार्च 31, 2021)			
क्रसं.	**विवरण**	**माह**	**राशि (रूपये)**
1.	कम्प्यूटर, वॉटर डिस्पेन्सर, पेन ड्राइव, एयर कंडीशनर्स, यूपीएस, डेस्कटॉप, एंटी वायरस, प्रिन्टर, वेइंग स्केल्स, रेफ्रीजरेटर, इमेजिंग ड्रम, टोनर तथा टेबल टॉप आदि	अप्रैल, 2020	_
2.		मई, 2020	_
3.		जून, 2020	14,605
4.		जुलाई, 2020	1,12,053
5.		अगस्त, 2020	1,29,296
6.		सितम्बर, 2020	4,24,705
7.		अक्तूबर, 2020	1,85,833
8.		नवम्बर, 2020	1,13,584
9.		दिसम्बर, 2020	_
10.		जनवरी, 2021	28,800
11.		फरवरी, 2021	2,61,194
12.		मार्च, 2021	57,512
कुल राशि			**13,27,582**

8.5 प्रमाणित प्रति के अभिलेखों और आपूर्ति का निरीक्षण

प्रतिवेदन अवधि के दौरान अभिलेखों के निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के अनुरोध प्राप्त हुए। उक्त उद्देश्य के लिए फीस आवेदकों द्वारा जमा की गई थी और प्रतिवादी को भी प्रतिवादी को भेजी गई थी ताकि प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखी जा सके।.

1.6 शाखा कार्यालय :

देश के विभिन्न भागों में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पांच शाखा कार्यालय स्थित हैं जिनका प्रशासनिक नियंत्रण उप रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। इनका विवरण इस प्रकार है :

1. श्री फूल सिंह मालवीय, उप रजिस्ट्रार
   पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,

कृषि,एवं किसान कल्याण विभाग
कम्प्यूटर केन्द्र भवन, दामोदर अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह के निकट,
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कांके, रांची (झारखण्ड) - 834 006

2. श्री फूल सिंह मालवीय (अतिरिक्त प्रभार)
पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
असम कृषि विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन के निकट, खानापारा, गुवाहटी - 781 022

3. डॉ. शिव कुमार शर्मा, उप रजिस्ट्रार (अनुबंध आधार पर)
पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर, जिला : कांगडा, हिमाचल प्रदेश - 176 061

4. डॉ. एस.बी. चौधरी, उप रजिस्ट्रार (अनुबंध आधार पर)
पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
सेन्टनरी भवन, कृषि कॉलेज परिसर,
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र - 411 005

5. डॉ. टी.एच. गौडा, उप रजिस्ट्रार (अनुबंध आधार पर)
पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा, कर्नाटक - 577 204

8.7. पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता का दायित्व

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा सितम्बर, 2018 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), उत्तरी दिल्ली की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस समिति में कुल 71 सदस्य कार्यालय शामिल हैं। राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों का संचालन करने के लिए एक 12 सदस्यीय समिति गठित की गई और दिनांक 6 फरवरी, 2021 को इसकी बैठक आयोजित की गई।

8.7.1 पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पहले से ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति विद्यमान है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में बैठक का आयोजन किया गया और राजभाषा से संबंधित मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा की गई।

8.7.2 राजभाषा पखवाड़ा

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान, अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें अनुबंधीय कर्मचारियों सहित अनेक नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

8.7.3 राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कार्यालय में राजभाषा हिन्दी का उपयोग किया जाता है। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा हिन्दी भाषा में टिप्पणी एवं मसौदा तैयार किया जाता है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत आने वाले सभी जरूरी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार क, ख तथा ग क्षेत्रों के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

8.7.4 हिन्दी पखवाड़ा

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान प्राधिकरण के कार्मिकों के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को नई दिल्ली मुख्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

8.8. सतर्कता जागरूकता सप्ताह

यद्यपि पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण केन्द्रीय सतर्कता अधिनियम या केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (2003) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है परन्तु प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त रखने और सरकारी कार्यालय का दुरूपयोग नहीं होने देने की भावना को बरकरार रखने के लिए प्राधिकरण में सतर्कता जागरूता सप्ताह मनाया गया और इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों, कार्मिकों और अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।
प्राधिकरण द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसमें प्राधिकरण के सभी स्टाफ सदस्यों ने भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में सामूहिक रूप से भाग लिया। भ्रष्टाचार के विरूद्ध सतर्क बने रहने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह (दिनांक 27 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2020) के दौरान 'सतर्क भारत - समृद्ध भारत' विषय पर सामूहिक रूप से मनाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करने के साथ हुआ।

इस अवसर पर, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय ने कुछ उदाहरण देते हुए व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक सत्यनिष्ठा का महत्व बताते हुए अपना सम्बोधन प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय ने इस विजन को साकार करने हेतु विशेषकर युवा पीढ़ी को आगे आने और इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति असंवेदनशीलता के कारण कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय ने प्राधिकरण के स्टाफ सदस्यों एवं अधिकारियों को अपने कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाये रखने की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए बधाई दी। .

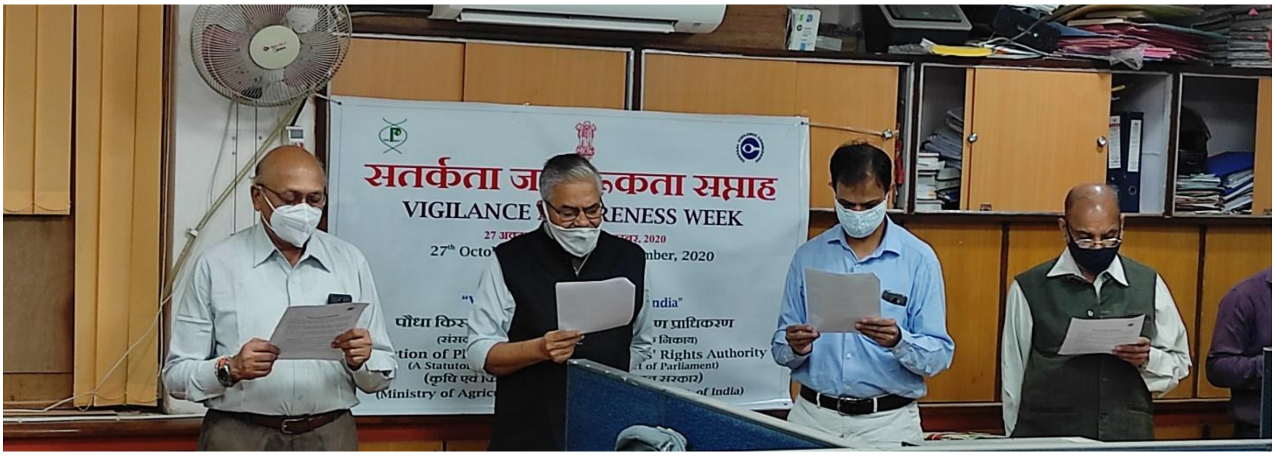

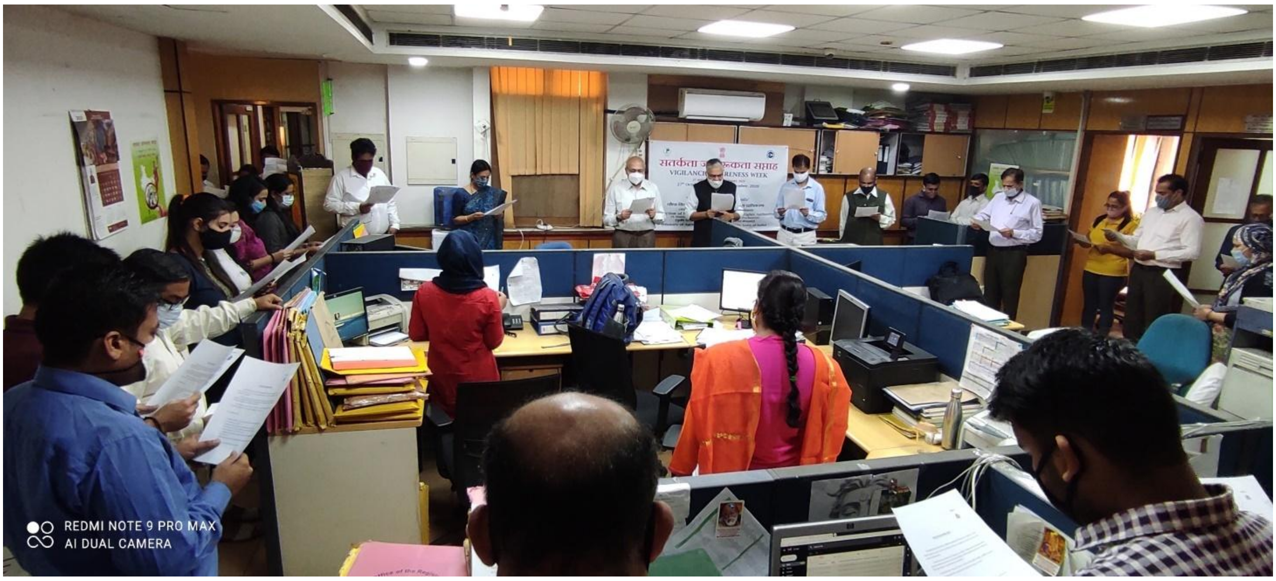

8.10 वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न, बैठकों एवं चर्चाओं में अध्याक्ष महोदय की प्रतिभागिता

दिनांक	विवरण
02 जून, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग मोड में इंडिया बायोवर्सिटी वार्ड्स के लिए ज्यूरी की दूसरी बैठक में भाग लिया।
05 जून, 2020	अध्यक्ष महोदय ने माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के चैम्बर, कृषि भवन, नई दिल्ली में माननीय कृषि मंत्री जी के साथ बैठक में भाग लिया।
22 - 23 जून, 2020	अध्यक्ष महोदय ने 'उभरती स्थिति में कृषि एवं मानव के समक्ष चुनौतियां' विषय पर आयोजित वेबीनार में भाग लिया।
24 जून, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय का पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में रकिसान चैनल के साथ साक्षात्का
26 जून, 2020	अध्यक्ष महोदय द्वारा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में 'पौधा किस्मों पर प्रजनकों एवं कृषकों के अधिकार, भारत में किस्मों पर बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा हेतु केवल विकल्प' विषय पर 'व्यावसायिक पादप प्रजनन में प्रैक्टीकल अनुभवों के आधार पर आईपीआर' पर ऑन लाइन व्याख्यान श्रृंखला प्रस्तुत की गई।

06 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने कृषि भवन, नई दिल्ली में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया।
07 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड में भारतीय कृषि के भूदृश्य पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया।
07 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वीसी मोड में आयोजित वर्ष 2022 की अध्यक्षता और ब्रिक्स 2021 बैठकों में भाग लिया।
08 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने भाकृअनुप रोय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूराष्ट्री -, पूसा, नई दिल्ली के सहयोग से इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जिनेटिक रिसोर्सिज द्वारा वीसी मोड में आयोजित पुरस्कार चयन बैठक में भाग लिया।
13 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव महोदय के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
16 जुलाई, 2020	प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय ने सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वीसी मोड में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वें 92 र वितरण समारोह में भाग लिया।पना दिवस समारोह एवं पुरस्कास्था
21 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित विदेशी एवं प्रवासी फेलो के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में भाग लिया।
22 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने भाकृअनुप तर शिक्षा परियोजनाय कृषि उच्चराष्ट्री -(NAHEP) द्वारा वीसी मोड में जलवायु स्मार्ट कृषि पर आयोजित वेबीनार में भाग लिया।
28 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वीसी मोड में आयोजित भारत में सन्धि की नवीं जीबी का आयोजन करने वाली उप या।क्ष के साथ आयोजित बैठक में भाग लिसमिति के अध्य-
28 जुलाई, 2020	अध्यक्ष महोदय ने जीईएसी सचिवालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वीसी मोड में आयोजित आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) की वीं बैठक 140 में भाग लिया।
04 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के बोर्ड कक्ष में सन्धि के शासी निकाय के नवें सत्र की बैठक में भाग लिया।
07 से 10 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. एस.के मुरली, कार्यकारी निदेशक, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा वीसी मोड में अनुकूल खाद्य, पोषण एवं आजीविका के लिए विज्ञान : समकालिक चुनौतियां विषय पर वर्च्युल परामर्शी बैठक में भाग लिया।
11 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनुसंधान निदेशक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी द्वारा वीं कृषि 22 अनुसंधान परिषद, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी की वर्च्युल बैठक में भाग लिया।
11 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के व्यावसायीकरण और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की वर्तमान स्थिति पर संसाधन व्यक्ति के रूप में ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र में अग्रणी व्याख्यान प्रस्तुत किया।
13 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनिल कुमार सिंह, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की काय बैठक में भाग वीं वार्षिक शासी नि27 लिया।
17 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने एम. गुनासेकरन, सहायक आयुक्त (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि अनुसंधान भवन - 2 में नवें शासी निकाय की व्यवस्था के लिए

	गठित विभिन्न उप समितियों के अध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया।
18 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अपने चैम्बर में शाखा कार्यालय, शिवमोगा में खेत प्रचालनों को करने के लिए संलग्न कामगारों के बारे में चर्चा करने हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
19 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने नितिन के. जैन, एससी-एफ/जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आरसीजीएम सचिवालय, डीबीटी, ब्लॉक 2, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110 003 द्वारा वीसी मोड में रिकॉम्बीनेन्ट डीएनए सलाहकार समिति (RDAC) की दूसरी बैठक में भाग लिया।
27 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने जे. जस्टिन मोहन, सचिव, एनबीए द्वारा वीसी मोड में कृषि जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया।
27 अगस्त, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनुराधा अग्रवाल, महासचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जिनेटिक रिसोर्सिज द्वारा वीसी मोड में पादप आनुवंशिक संसाधनों एवं लाभ भागीदारी तक पहुंच का कार्यान्वयन पर आयोजित राष्ट्रीय वेबीनार में भाग लिया।
01 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनिल कुमार सिंह, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली द्वारा वीसी मोड में मसौदा जैव विविधता नियमावली, **2020** एवं जैव विविधता अधिनियम, **2020** में सुधार के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
04 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वीसी मोड में भारतीय बागवानी संघ (CIH) की बैठक में भाग लिया।
05 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने एच.एस. गौड, डीन, मौलिक विज्ञान एवं अनुसंधान विद्यालय, एवं प्रोफेसर प्रभारी, कृषि विज्ञान विभाग, एसबीएसआर, शारदा विश्वविद्यालय द्वारा वीसी मोड में शारदा विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस व्याख्यान प्रस्तुत किया।
11 सितम्बर,2020	अध्यक्ष महोदय ने अनिल के. सिंह, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित एनएएएस अनुभागीय समिति बैठकों 2020 में भाग लिया।
16 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. टी.के. नागरत्न, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड में आयोगित किस्म संस्तुति समिति (अधिसूचित) की 36वीं बैठक में भाग लिया।
17 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनिल के. सिंह, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित एनएएएस अनुभागीय समिति बैठकों 2020 में भाग लिया।
21 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनिल के. सिंह, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित एनएएएस अनुभागीय समिति बैठकों 2020 में भाग लिया।
22 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनिल के. सिंह, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित एनएएएस अनुभागीय समिति बैठकों 2020 में भाग लिया।
22 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. आर.सी. अग्रवाल, उप महानिदेशक (शिक्षा) एवं राष्ट्रीय निदेशक (एन ए एच ई पी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन - 2 द्वारा वीसी मोड के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
23 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने ईश्वर पूजार, परियोजना अधिकारी, यू एन डी पी इंडिया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पर

	आयोजित एनबीए यूएनडीपी वेबीनार श्रृंखला पांचवें शीर्षक में भाग लिया।
23 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. टी.के. नागरत्न, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड में प्रचलित किस्म संस्तुति समिति (अधिसूचित) के लिए आयोजित 36वीं बैठक के सत्र 2 में भाग लिया।
23 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने अनिल के. सिंह, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित एनएएएस अनुभागीय समिति - फसल विज्ञान बैठक में भाग लिया।
24 सितम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. सभ्यात भाटिया, पीएच.डी., एफएनए.एससी., स्टाफ वैज्ञानिक *VII*, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा वीसी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय जीनोमिक्स एवं जीनोटाइपिंग सुविधा की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक में भाग लिया।
06 एवं 07 बरअक्तू, 2020	पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड के माध्यम से भारत - जर्मनी द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत डीयूएस डाटा प्रबंधन/स्वचालन/इमेज विश्लेषण पर प्रथम जूम वेबीनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
16 अक्तूबर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने के एंड एस पार्टनर्स बौद्धिक सम्पदा एटॉर्नी द्वारा वीसी मोड के माध्यम से भारत में पौधा किस्म संरक्षण विषय पर एक अग्रणी व्याख्यान प्रस्तुत किया।
26 अक्तूबर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड में ग्रुप सम्पादक एवं सीईओ, एग्रीकल्चर टुडे द्वारा इंडिया सीड एवॉर्ड 2020 का चयन करने हेतु ज्यूरी बैठक की अध्यक्षता की।
29 अक्तूबर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड के माध्यम से ग्रुप सम्पादक एवं सीईओ, एग्रीकल्चर टुडे द्वारा इंडिया सीड एवॉर्ड 2020 के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
03 नवम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने के. चित्रासु, सलाहकार (विधि), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड में पहुंच एवं लाभ भागीदारी पर आयोजित विशेषज्ञ समिति की 60वीं बैठक में भाग लिया।
03 नवम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. वी. शिवकुमार, वैज्ञानिक, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान द्वारा वीसी मोड में टीक वृक्ष के डीयूएस जांच दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित टास्क बल की बैठक में भाग लिया।
04 नवम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने विष्णु दास गुप्ता, एसोसिएट, उद्योग 1 -, वर्टिकल, नीति आयोग द्वारा वीसी मोड में मध्य प्रदेश के बासमती चावल के जीआई पंजीकरण के संबंध में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
11 नवम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. टी.के. नागरत्न, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड में कोको के डीयूएस जांच दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित टास्क बल की बैठक में भाग लिया।
17 नवम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड में कलस्टरबीन, कुलथी तथा मोठबीन पर आयोजित टास्क बल की बैठक में भाग लिया।
01 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने ग्रुप सम्पादक एवं सीईओ, एग्रीकल्चर टुडे द्वारा वीसी मोड में आयोजित द्वारा इंडिया सीड एवॉर्ड्स ज्यूरी बैठक में एक अग्रणी व्याख्यान प्रस्तुत किया।
04 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड में आयोजित पादप सुधार समूह के लिए एनएएएस मान्यता एवं युवा वैज्ञानिक पुरस्कारों का चयन करने वाली मूल्यांकनकर्ता समिति की बैठक में भाग लिया।

05 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने ग्रुप सम्पादक एवं सीईओ, एग्रीकल्चर टुडे द्वारा वीसी मोड में आयोजित इंडिया सीड्स एवॉर्ड्स 2020 के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
10 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड के माध्यम से पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पोर्टल और वेब आधारित आवेदनों के प्रदर्शन एवं परीक्षण के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
11 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड में एनबीए समितियों के लिए चुनौतियां एवं भावी मुद्दों पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
12 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा वीसी मोड के माध्यम से फसल विज्ञान में एनएएएस मान्यता एवं युवा वैज्ञानिक पुरस्कारों के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
15 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के चैम्बर में महानिदेशक, एनआईपीएचएम, हैदराबाद के पद हेतु चयन पर विचार करने के लिए सर्च एवं चयन समिति की बैठक में भाग लिया।
15 दिसम्बर, 2020	अध्यक्ष महोदय ने मुख्य महाप्रबंधक, बायोटेक कन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड द्वारा वीसी मोड में कृषि, समाज एवं टिकाऊ विकास के लिए जीन सम्पादन : परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित वेबीनार में भाग लिया।
05 जनवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने उप रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वीसी मोड में आयोजित संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
06 जनवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वीसी मोड में जैविक विविधता अधिनियम, *2002* के संशोधन हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
14 जनवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने आईपीआर मोल भाव एवं सहयोग अनुभाग -, उद्योग एवं आन्तरिक व्यापार के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा वीसी मोड में भारत यूरोपीय संघ आईपीआर संवाद की प्रथम - बैठक में भाग लिया।
22 जनवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वीसी मोड में वर्ष 2030 की ओर भारतीय कृषि पर राष्ट्रीय संवाद : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इनोवेशन सत्र में भाग लिया।
04 फरवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (बीज), एसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा वीसी मोड में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के संशोधन के लिए बुलाई गई बैठक में भाग लिया।
10 फरवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (बीज), एसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा वीसी मोड में आयोजित सन्धि की जीबी नवें सत्र का आयोजन करने की पुन: व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न समितियों की बैठक में भाग लिया।
15 फरवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (बीज), एसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा वीसी मोड में आयोजित आई टी पी जी आर एफ ए की जीबी नवें सत्र का आयोजन करने की पुनओं हेतु वस्थाव्य : समितियों की बैठक में भाग लिया।विभिन्न
16 फरवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड में पेटेन्ट एवं पादप किस्में दा परबौद्धिक सम्प :WIPO भारत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण में पंजीकरण हेतु हालिया विकास कार्यविधि पर अग्रणी व्याख्यान प्रस्तुत किया।
18 फरवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड में वर्ष के लिए पादप जीनोम 2018 -2017 तथा 2017-2016 रों का चयन करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।संरक्षक समुदाय पुरस्का
23 फरवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि (NASF) द्वारा वीसी मोड में एनएएसएफ परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
24 फरवरी,	अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि (NASF) द्वारा वीसी मोड में एनएएसएफ

2021	परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
27 फरवरी, 2021	अध्यक्ष महोदय ने मेला मैदान में इनोवेटिव किसान बैठक का दौरा किया।
02 मार्च, 2021	अध्यक्ष महोदय ने बेंगलुरू, कर्नाटक में कर्नाटक राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
05 मार्च, 2021	अध्यक्ष महोदय ने वीसी मोड के माध्यम से नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटी, बेंगलुरू द्वारा पादप किस्म संरक्षण (PVP) तथा खाद्य सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज पर आयोजित वेबीनार में भाग लिया।
16 मार्च, 2021	अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (बीज), एसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा वीसी मोड में सन्धि के नवें सत्र का प्रबंधन करने में विभिन्न फर्मों से प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बोली को सार्वजनिक करने संबंधी बैठक में भाग लिया।
17 मार्च, 2021	अध्यक्ष महोदय ने डॉ. भाग मल, सचिव, तास द्वारा वीसी मोड में आयोजित फसल सुधार में जीनोम सम्पादन की क्षमता का सदुपयोग करने के लिए नीतियों को समर्थ बनाना विषय पर हितधारक संवाद के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
23 मार्च, 2021	अध्यक्ष महोदय ने आर सी जी एम सचिवालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वीसी मोड में रिकॉम्बीनेन्ट डीएनए सलाहकार समिति (RDAC) के वेबीनार में भाग लिया।
	अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (बीज), एसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा वीसी मोड में खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय सन्धि के शासकीय निकाय के नवें सत्र में भाग लिया।
25 मार्च, 2021	अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (बीज), एसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा वीसी मोड में भावी गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए बीज सेक्टर पर भारत - जर्मन सहयोग के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
26 मार्च, 2021	अध्यक्ष महोदय ने के एंड एस पार्टनर्स, बौद्धिक सम्पदा एटॉर्नी द्वारा वीसी मोड में आयोजित के एंड एस भागीदारों के साथ पौधा किस्म के लिए चर्चा करने हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया।
31 मार्च , 2021	अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (बीज), एसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा वीसी मोड में आयोजित आई टी पी जी आर एफ ए की जीबी के नवें सत्र पर चर्चा करने के लिए सचिव, आई टी पी जी आर एफ ए के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया।

अध्याय 9 : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

'डीयूएस परीक्षण डाटा प्रबंधन/स्वचालन/इमेज विश्लेषण' पर अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार

भारत - जर्मनी सहयोग के अंतर्गत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एग्रीकल्चर (BMEL), जर्मनी के साथ सहयोग में बीज सेक्टर विकास में भारत - जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग के तहत दिनांक 6 एवं 7 अक्तूबर, 2020 को 'डीयूएस परीक्षण डाटा प्रबंधन/स्वचालन/इमेज विश्लेषण' पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और निजी बीज सेक्टर से जुड़े तीन सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस वेबीनार का आयोजन डीयूएस जांच केन्द्रों और जर्मनी से विशेषज्ञों, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ डीयूएस डाटा रिकॉर्डिंग में शामिल वैज्ञानिकों, भारत तथा जर्मनी के बीज उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत यथार्थ समय डाटा का उपयोग करके वेब आधारित डीयूएस डाटा प्रबंधन को समझने हेतु दोनों देशों के अनुभवों को साझा करने के प्रयोजन से किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार के दौरान विभिन्न विषयों तथा मैनुअल डीयूएस डाटा प्रबंधन बनाम सॉफ्टवेयर डाटा प्रबंधन के बीच प्रतिकूलता, बीएसए के डीयूएस डाटाबेस तक बाह्य पहुंच एवं प्रशासनिक पहलू : 'किसी किस्म के पंजीकरण के आवेदन से लेकर उसके विलोपन तक', डीयूएस डाटा विश्लेषण के दौरान एकरूपता पर निर्णय करने के लिए एकल पौधा डाटा का उपयोग करके जर्मनी के संघीय पादप किस्म कार्यालय (BSA) में आंतरिक डीयूएस डाटा प्रबंधन, ऑन साइट मूल्यांकन करके बारहमासी प्रजातियों पर डीयूएस डाटा का संकलन करना, विश्लेषण करना और प्रबंधन करना, जर्मनी में चयनित फसलों में इमेज विश्लेषण, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के नवीन वेब पोर्टल में डीयूएस जांच परिणामों को जोड़ना, डीयूएस लक्षणवर्णन करने के लिए ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, भारत में डीयूएस परीक्षण में कानूनी पहलू, भारतीय निजी उद्योग के अनुभवों एवं विचारों को साझा करना, जर्मनी में किसी पादप प्रजनक के क्रास प्रजनन कार्यक्रम की डिजाइन के लिए जर्मन पौधा किस्म कार्यालय (BSA) द्वारा प्रदत्त पंजीकरण उपरांत नियंत्रण की सूचना एवं नई किस्म के वर्णन का उपयोग पर सारगर्भित एवं विस्तृत चर्चा की गई।

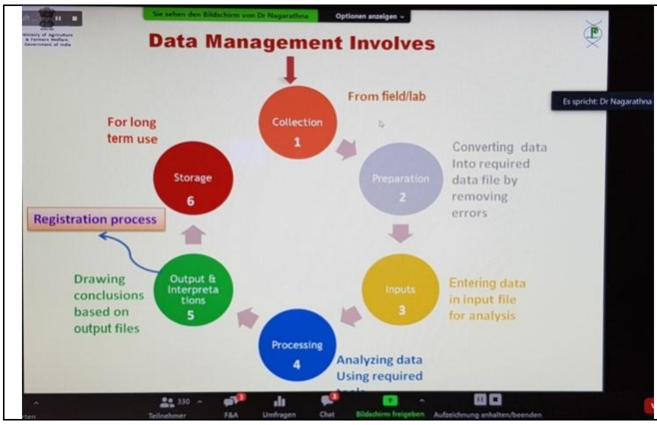

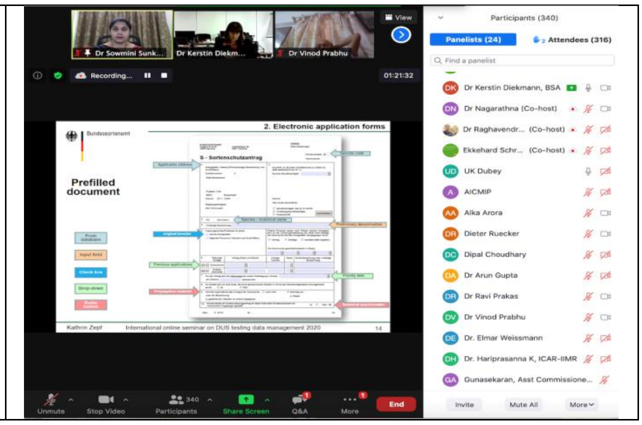

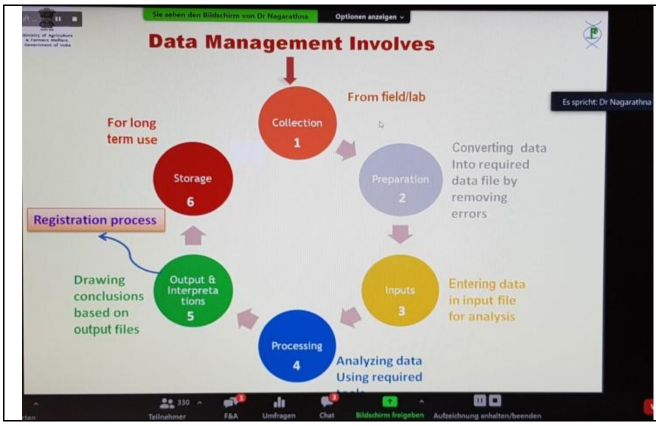
Data Management Involves
From field/lab
Collection 1
Preparation 2
Converting data Into required data file by removing errors
Inputs 3
Entering data in input file for analysis
Processing 4
Analyzing data Using required
Output & Interpretations 5
Drawing conclusions based on output files
Storage 6
For long term use
Registration process

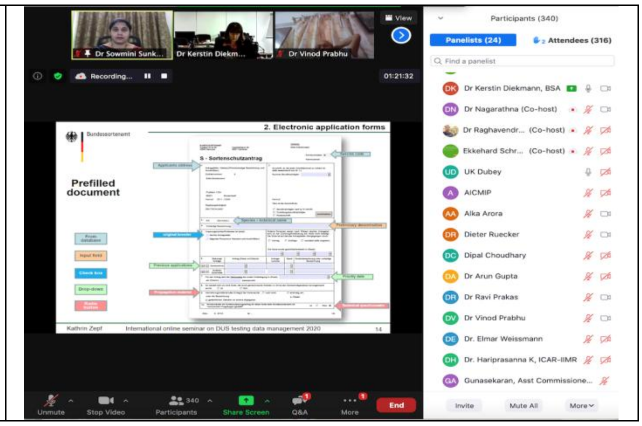
2. Electronic application forms
Prefilled document
Participants (340)
Panelists (24)
Attendees (316)

अध्याय 10 : 31.03.2021 कोप्राधिकरणकेवित्तीयविवरण

वित्तीय विवरण सामान्यत: स्वीकृत लेखासिद्धांतों (जीएएपी) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अनिवार्य रूप से लागू लेखा मानको (एएस) तथा महा-लेखानियंत्रक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायो के लिए प्रस्तुतीकरण संबंधी अपेक्षाओ, के अनुसार ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अंतर्गत तैयार किए गए है। प्राधिकरण, जब तक अन्यथा न कहा जाए, व्यय तथा आय की सभी मदो के संदर्भ मे लेखाकरण की अर्जन प्रणाली को अपनाता है । दिनांक 31 मार्च 2021 को तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता दिये जा रहे है ।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 62 (2) के अनुपालन मे प्राधिकरण ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखे प्रस्तुत किए है । लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ अलग से मंत्रालय को भेजे जाएंगे, ताकि उन्हे संसद के दोनों सदनो मे प्रस्तुत किया जा सके । प्राधिकरण को वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से 6115.59 लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई थी तथा 6260.30 लाख रुपये के व्यय हुए, पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष 315.10 लाख रुपयो को जोड़कर 170.39 लाख रुपये की राशि शेष रहती है ।

31 मार्च 2021 को तुलन पत्र

		राशि रुपये में
कोष / पूंजी निधि तथा देयताएं	**31 माच 2021 को**	**31 मार्च 2020 को**
कोष / पूंजी निधि	**1,33,70,31,584**	86,64,58,098
आरक्षित राशि और अधिशेष	-	-
चिन्हित / स्थायी निधि	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	**23,75,08,026**	16,67,34,169
योग	**1,57,45,39,610**	**1,03,31,92,267**
परिसम्पत्तियां		
अचल परिसम्पत्तियां	**2,97,63,279**	3,49,30,287
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास	**2,39,04,314**	2,75,25,379
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	**58,58,965**	74,04,908
पूंजीगत चालू कार्य	**30,55,16,228**	2,29,67,519
निवेश – चिन्हित / स्थायी निधियों से	-	-
निवेश – अन्य	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**1,26,31,64,417**	1,00,28,19,840
विभिन्न व्यय	-	-
कुल	**1,57,45,39,610**	**1,03,31,92,267**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रुपये में

	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
आय	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	-	-	-	-
अनुदान/अनुवर्ती	**19,92,33,244**	23,88,59,655	**2,00,00,000**	-
शुल्क/चंदा	**2,45,18,600**	2,17,30,096	**1,75,15,058**	83,42,808
निवेशों से हुई आय	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	**2,61,63,989**	2,73,79,051	**1,51,31,462**	1,21,67,874
अन्य आय	**3,54,028**	56,03,947	**1,390**	-
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	-	-	-	-
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास)	**9,38,583**	13,74,769	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा	**27,00,175**	-	**4,15,79,083**	-
कुल (क)	**25,39,08,619**	**29,49,47,518**	**9,42,26,993**	**2,05,10,682**
व्यय				
स्थापना व्यय	**5,08,22,130**	5,42,03,103	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	**1,97,00,365**	4,77,43,001	**25,67,897**	76,09,034
अनुदान/अनुवर्ती आदि पर हुआ व्यय	**15,06,45,208**	14,65,37,332	-	-
ब्याज	**13,73,656**	-	-	-
मूल्यह्रास मूल्य हानि सहित	**9,38,583**	13,74,769	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा	**5,12,05,914**	78,92,298	**81,000**	-
योग (ख)	**27,46,85,856**	**25,77,50,504**	**26,48,897**	**76,09,034**
आय में से व्यय घटाने के बाद शेष राशि (क–ख)	**(2,07,77,237)**	**3,71,97,014**	**9,15,78,096**	**1,29,01,647**
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग–अलग बताएं)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण	-	-	-	-
कॉर्पस/पूंजी निधि तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा)	**(2,07,77,237)**	**3,71,97,014**	**9,15,78,096**	**1,29,01,647**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि रुपये में

प्राप्तियां	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1. प्रारंभिक शेष			1. व्यय		
क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)			क) स्थापना व्यय	**4,65,75,919**	4,19,81,444
प्राधिकरण	**25,000**	2,601	ख) प्रशासनिक व्यय	**1,37,33,551**	4,68,26,567
रांची शाखा	**1,337**	1,137			
गुवाहाटी शाखा	**33**	1,121	2. निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान		
शिवमोगा शाखा	**1,891**	661	क) विद्यमान डीयूएस केन्द्र	**8,78,27,077**	7,02,62,519
पुणे शाखा	-	9,766	ख) नया डीयूएस केन्द्र	**2,78,52,040**	2,78,27,017
ख) बैंक शेष			ग) फील्ड जीन बैंक	**30,89,746**	39,63,938
भारतीय स्टेट बैंक	**3,30,63,163**	1,40,53,733	घ) परियोजना	**57,82,542**	18,95,854
केनरा बैंक	**7,00,18,402**	1,58,87,928	ङ.) अन्य विभाग	-	57,62,086
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	**1,85,96,218**	24,96,562			
भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	**1,28,471**	34,405	3. अचल सम्पत्तियों व चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	**1,21,283**	24,009	स्थायी परिसम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	**6,98,709**	20,35,942
भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	**1,08,189**	24,338			
केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	**4,08,033**	12,717	4. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिए गए भवन निर्माण के लिए अग्रिम	**37,75,26,815**	31,00,00,000
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	**1,29,921**	-			
			5. प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी अनुदान	**2,40,000**	19,20,500
2. भारत सरकार ने प्राप्त अनुदान	**61,15,59,000**	55,09,76,000	6. बाहरी विभागों को अग्रिम	**45,72,960**	53,69,850
3. बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज			7. जीन निधि में योगदान	**2,00,00,000**	2,00,00,000
प्राधिकरण निधि (शाखाओं सहित)	**20,33,986**	20,91,782	8. पीपीवी एफआरए के कर्मचारियों को अग्रिम	**5,99,351**	12,42,058
अवधि (फ्लेक्सी जमा) पर ब्याज (केनरा बैंक)	**3,092**	2,662			
सावधि जमा पर ब्याज (केनरा बैंक)	**40,82,422**	60,65,391	9. सावधि जमा–जीन निधि	**22,46,50,148**	2,34,10,000
4. संदर्भ किस्मों के रखरखाव से अनुदान की वापसी	-	13,85,537	10. सावधि जमा–प्राधिकरण		
			भारतीय स्टेट बैंक	**5,17,56,306**	-
5. प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी	**81,449**	1,10,053	केनरा बैंक	**42,37,82,522**	35,00,00,000
6. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए अनुदान की वापसी (नया डीयूएस केन्द्र)	**3,15,201**	87,858	11. भुगतान की गई वैधानिक देयताएं	**2,82,88,175**	93,30,950
7. कर्मचारियों से अग्रिम की वापसी	**69,701**	2,05,725	12. अन्य प्रेषण	**1,16,048**	93,526
8. संदर्भ प्रयोगशालाओं से अनुदान की वापसी	**1,46,945**	-	13. ऑटो स्वीप का सृजन (फ्लेक्सी जमा)		
			स्वीप का सृजन (फ्लेक्सी जमा)–केनरा	-	45,000

अध्याय 11 : नागरिक आचार संहिता (सिटिजन चार्टर)

11.1 **प्राधिकरण का लक्ष्य**:

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करने और पौधों की नवीन किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली को सुनिश्चित करना।

11.2 **प्राधिकरण के उद्देश्य** :

- पौधा किस्मों एवं कृषकों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना;
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने और नवीन किस्मों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना;
- नवीन पौधा किस्मों का विकास करने में पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने, उसमें सुधार करने तथा उसे उपलब्ध कराने में किसानों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता प्रदान करना;
- किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और रोपण सामग्री का उत्पादन व उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की प्रगति हेतु सुविधा प्रदान करना ।

11.3 प्राधिकरण के कार्य :

- पौधों की नवीन किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना और किसानों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना;
- बारहमासी फसलों के लिए खेत जीन बैंकों और परम्परागत बीजों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना;
- पौधों की नवीन एवं प्रचलित अथवा विद्यमान किस्मों का पंजीकरण;
- पंजीकृत पौधा किस्मों के प्रलेखन का विकास करना;
- कृषक किस्मों का दस्तावेजीकरण, सूचीकरण एवं सूची पत्र तैयार करना;
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्र की सुविधा प्रदान करना;
- यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना;
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना;
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं टिकाऊ उपयोग को सहायता देने और इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग और लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ साथ हितधारकों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग करना। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण)PPV & FRA के हितधारक केन्द्र (सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी कृषक हैं।

11.4 प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गईं सेवाएं :

- पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में किसानों, अनुसंधानकर्मियों अथवा पादप प्रजनकों द्वारा विकसित पौधा किस्मों को बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा प्रदान करना;
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव करना जिसमें पौधा किस्मों एवं संबंधित प्रजनक के अधिकारों का दस्तावेजीकरण हो।
- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार का निष्पादन अथवा प्रदर्शन नहीं कर पाती है जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तब किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना;
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के योगदानकृषकों को लाभ में भागीदारी की सुविधा /साझेदारी के लिए समुदायों/ करानाउपलब्ध;
- पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण)PPV & FRअधिनियम (, 2001 को लागू करने की दिशा में पौधा प्रजनकों व किसानों के अधिकारों हेतु जागरूकता का सृजन करना एवं क्षमता निर्माण करना;
- हितधारकों के लिए पौधा किस्मों का डाटाबेस तैयार करना;
- आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में संलग्न किसानों, कृषक समुदायों विशेषकर आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना तथा पुरस्कृत करना ।

11.5 शिकायतों के निपटान हेतु क्रियाविधि :

पूर्व में डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 तक पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सेवा प्रदान की थी। दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 से सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में वित्तीय सलाहकार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को पदनामित किया गया है और उनसे निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है :

श्री विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,
नई दिल्ली - 110 012
फोन : 011-25843632, फैक्स : 011-25840478
ई-मेल : fa-ppvfra@nic.in; www.plantauthority.gov.in

उप रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को सूचना का आधिकार मामलों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है और उनसे निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है :

श्री उमा कांत दुबे
उप रजिस्ट्रार
केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस - 2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,
नई दिल्ली 110 012
फोन : 011-25843853, फैक्स : 011-25840478
ई-मेल : uk.dubey@gov.in; www.plantauthority.gov.in

अनुबंध I : 31.03.2021 के अनुसार पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों का विवरण

प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पता
1	डॉ. एस के मल्होत्रा	कृषि आयुक्त	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2	डॉ.ए के सिंह	उप महानिदेशक (फसल विज्ञान)	फसल विज्ञान प्रभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषिभवन, नई दिल्ली-110001
3	श्री अश्विनी कुमार	संयुक्त सचिव (बीज)	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
4.	डॉ.अंजू राठी राणा	संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार	कमरा नंबर 406 बी(ए), चौथी मंजिल, ए विंग, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
5	डॉ. एस के मल्होत्रा	बागवानी आयुक्त	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
6	डॉ. कुलदीप सिंह	निदेशक	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा,डीपीएसमार्ग, नई दिल्ली-110 012
7	-	सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,भारत सरकार,कमरा नंबर 809, 8वीं मंजिल, ब्लॉक- 2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
8	-	सलाहकार	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं. वीं -235, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली - 110003
9	श्री तुम्माला अंजनेयुलु	सदस्य	गन्ना उत्पादक संघ आंध्र प्रदेश, ग्राम रेमल्ले, बापुलपाडु मंडल, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश - 521110
10	श्रीमती जुई पेथे	-	वनवासी कल्याण आश्रम, 1, श्रीपाद, वक्रतुंडा पंक्ति, मकान, सामनेरामा रमन अपार्टमेंट, वृंदावन नगर, कामतवाड़े, नासिक- 422010
11	श्री वी. वेंकटेश्वरलु	निदेशक	वसंत एग्री बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड 1-3-158/401, बीएसएन रेड्डी कॉम्प्लेक्स, राजेंद्रनगर, महबूबनगर, तेलंगाना - 509001

12	डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा	अनुसंधान सेवाओं के निदेशक,	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, बी-6 कृषि नगर, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन- 482004
13	डॉ सुधा तिवारी	राष्ट्रीय अध्यक्ष	शक्ति (महिला सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठन), 50-51, गुरुकृपा सोसायटी, नायक नगर, निकटमानेवाड़ा चौ. नागपुर - 440027
14	-	अपर मुख्य सचिव (कृषि) या/प्रधान सचिव (कृषि)	गुजरात सरकार
15	-	अपर मुख्य सचिव (कृषि) या/प्रधान सचिव (कृषि)	हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुबंध II: 31.03.2021 के अनुसार पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के मानव संसाधन का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन लेवल
1.	डॉ. के.वी. प्रभु	अध्यक्ष	लेवल 17 (रूपये 225000/-)
2.	रिक्त(23.12.2019से)	महा- पंजीकार	
3.	डॉ. रवि प्रकाश (16.10.2020 से प्रतिनियुक्ति पर)	पंजीकार	लेवल 13 (रूपये 123100-215900)
4.	डॉ. टी.के. नागरत्न	पंजीकार	
5.	रिक्त(05.12.2018से)	पंजीकार	
6.	श्री विपिन त्यागी	वित्तीय सलाहकार	
7.	श्री डी.आर. चौधरी	संयुक्त पंजीकार	लेवल 12 (रूपये 78800-209200)
8.	रिक्त (11.11.2017)	संयुक्त पंजीकार	
9.	श्री राज गणेश	विधिक सलाहकार	लेवल 11 (रूपये67700-208700)
10.	श्री यू.के. दुबे	उप- पंजीकार	
11.	श्री आर.एस. सेंगर	उप- पंजीकार	
12.	रिक्त (23.05.2018)	विधिक सलाहकार	
13.	डॉ. ए.के. सिंह	पीवीई	लेवल 7 (रूपये 44900-142400)
14.	डॉ. डी.एस. पिलनिया	तकनीकी सहायक	लेवल 6 (रूपये 35400-112400)
15.	श्री अरविन्द कुमार राय	कम्प्यूटर सहायक	
16.	श्री संजय कुमार गुप्ता	कम्प्यूटर सहायक	
17.	श्रीमती शिप्रा माथुर	कम्प्यूटर सहायक	
18.	श्री नितेश कुमार वर्मा	कम्प्यूटर सहायक	
19.	श्री श्याम नारायण प्रसाद	कम्प्यूटर सहायक	

अनुबंध III:वर्ष 2020-21 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रो / परियोजनाओ को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	2020–21 के दौरान जारी राशि रुपये में
1	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–इकाई, बंगलुरू	पपीता और शरीफा	3,40,922
2	टीएनएयू, कोयम्बत्तूर	पपीता और शरीफा	4,06,320
3	यूएचएस, बागलकोट	मोरिंगा ओलिफेरा लैम	4,79,745
4	आईएफजीटीबी, कोयम्बत्तूर	टैक्टोनिया ग्रेंडिस	4,97,976
5	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.–इकाई, बीकानेर	आंवला	1,34,583
6	सीआईएसएच, भा.कृ.अ.प.–इकाई, लखनऊ	बेल	7,23,441
7	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.–इकाई, बीकानेर	बेल	8,436
8	एनआरसी, पुत्तूर, भा.कृ.अ.प.–इकाई, काजू	काजू	2,00,000
9	टीएनएयू, कोयम्बत्तूर	नीम, करंज और रतनजोत	2,69,448
10	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो (सैलिक्स जाति)	5,29,228
11	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–इकाई, बंगलुरू	गेंदा	11,04,184
12	एनआरसीएसएस, अजमेर	अज़वाइन, दिल, नाइजेला, अजमोद और एनीसे	7,02,847
13	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	लिलियम जाति, ओरियंटल, एसियाटिक, एलए और ओटी शंकर	2,13,573
14	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–इकाई, बंगलुरू	जरबेरा	3,23,566
15	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपारी	6,49,881
16	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.–इकाई, बीकानेर	खजूर	6,97,170
17	सीआईएएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–इकाई, बीकानेर	जामुन	72,501
18	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीबकथॉर्म	5,03,586
19	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–इकाई, लखनऊ	आंवला	6,37,000
20	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–इकाई, लखनऊ	जामुन	7,45,222
21	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दापोली	जायफल	6,04,995
22	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.प.–इकाई, नई दिल्ली	मूली और गाजर	1,88,453
23	आईएआरआई, फल एवं बागवानी संभाग, भा.कृ.अ.प.–इकाई, नई दिल्ली	नींबू और प्यूमेलो	1,46,195
24	एनईएच क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, उमियम	कटहल	3,80,696
25	यूएएस, जीकेवीके, बंगलुरू	कटहल	6,48,496
26	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, भा.कृ.अ.प.–इकाई, मुजफ्फरपुर	लीची	6,07,955
27	बीएसकेकेवी, दापोली	कोकम	1,022
28	सीआईटीएच, श्रीनगर (जैतून)	जैतून	5,60,637
29	एनईआईएसटी, जोरहाट	नींबू घास	1,00,000

30	एसकेएयूएसटी–के, श्रीनगर (केसर)	केसर	6,68,468
31	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (क्षेत्रीय केन्द्र, सिमौर)	दहेलिया	49,602
32	यूएएचएस, शिवमोगा	एंथूरियम	7,84,238
33	आईआईएचआर, बंगलुरू	सेम	5,16,875
34	एसकेयूएएसटी, श्रीनगर	काला जीरा	7,02,531
35	बीसीकेवी, कल्याणी	दहेलिया और हिबिसकस	3,37,128
36	एसीएचएफ, एनएयू, नवसारी, गुजरात	सफेदा और यूरोफाइला	9,25,120
37	डीएफआर, भा.कृ.अ.प.–इकाई, पुणे	गुलाब	2,00,000
38	सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर	मेस्ता और रोजेले	8,00,000
39	आईआईएचआर, बंगलुरू	चीकू	9,00,000
40	एचओआर, हैदराबाद	रामतिल	9,00,000
41	टीएमएयू, कोयम्बतूर	उड़द	10,00,000
42	आईएआरआई, नई दिल्ली (चिकनी तोरी)	चिकनी तोरी	9,00,000
43	आईआईवीआर, वाराणसी	चिकनी तोरी	9,00,000
44	एनएयू (नवसारी कृषि विश्वविद्यालय), गुजरात	चीकू	9,00,000
45	एसकेयूएएसटी, कश्मीर	गांठ–गोभी	9,00,000
46	सीआईटीएच, श्रीनगर	सब्जी केली	9,00,000
47	यूएएस – जीकेवीके, बंगलुरू	ब्राउन टॉक मिलेट	9,00,000
48	आईएआरआई, नई दिल्ली	सलाद	9,00,000
49	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	दाना चौलाई और कुटु	6,45,000
50	एसडीएयू, एसके नगर, गुजरात	दाना चौलाई और कुटु	6,45,000
कुल			**2,78,52,040**

अनुबंध IV : वर्ष 2020-21 के दौरान वर्तमान डीयूएस केन्द्रो / परियोजनाओ को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	2020–21 के दौरान जारी राशि रुपये में
1	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरू	रजनीगंधा, कार्नेशन	2,25,332
2	सीटीसीआरआई – केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम	शकरकंदी एवं कसावा	10,33,418
3	एनबीआरआई, आईसीएआर–यूनिट, लखनउ	ग्लेडियोलस, बोगनवीलिया और केली	9,76,436
4	डीएफआर (पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.सं. परिसर, नई दिल्ली	ग्लेडियोलस	5,34,764
5	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	परवल	6,69,723
6	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बंगलुरू	चमेली	6,77,372
7	सीआईटीएच (केन्द्रीय उष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, श्रीनगर	आडू, आलूबुखारा, सेब, बादाम, नाशपाती, खुबानी व अखरोट	14,22,433
8	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट,लखनऊ	आम	8,37,200
9	आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	3,80,000
10	डीएफआर (पुष्पविज्ञान संभाग), आईएआरआई	रजनीगंधा	5,48,000
11	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान संभाग, नई दिल्ली	बोगनवीलिया	5,48,960
12	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बीकानेर	तरबूजा और खरबूजा	6,89,996
13	एमपीकेवी (महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय), राहुड़ी (पुणे केन्द्र)	चाइना ऐस्टर	4,71,827
14	जेएनकेवीवी, जबलपुर	दाल मटर, अलसी एवं मसूर	9,05,853
15	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	पान	5,14,868
16	सीआईएमएपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	औषधीय पौधे	16,74,511
17	सीआईएएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बीकानेर	बेर	8,63,030
18	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	लौकी, करेला, कद्दू व खीरा	7,91,282
19	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराईं	बंदगोभी व फूलगोभी	6,28,025
20	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बंगलुरू	आम	4,29,726
21	एनआरसी, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, त्रिची	केला	6,93,467
22	टीआरए, टोकलाई	चाय	6,52,598
23	सीएआरआई, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, पोर्ट ब्लेयर	नोनी	4,38,624
24	टीएनएयू, कोयम्बतूर	गौण अनाज	5,12,376
25	एनबीपीजीआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, नई दिल्ली	दाना चौलाई	6,45,000
26	डीजीआर (मूंगफली अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, जूनागढ़	मूंगफली	3,80,959
27	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	मिर्च	12,26,035
28	जेएनकेवीवी, जबलपुर	तिल और रामतिल	6,18,742
29	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बंगलुरू	तरबूजा और खरबूजा	5,71,049
30	सीएसआरटीआई (केन्द्रीय रेशमकीट पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान), मैसूर	शहतूत	8,62,000
31	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	पॉपलर जननद्रव्य	3,47,004
32	आईएफजीआईबी (राष्ट्रीय वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान), कोयम्बतूर	सफेदा एवं कैसुरीना	7,89,321
33	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बंगलुरू	चौलाई, पालक एवं नसदार तोरी	7,72,745
34	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, अजमेर	बीज मसाले	10,51,529
35	एएयू (असम कृषि विश्वविद्यालय), जोरहट	चावल	5,99,689

36	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग, भा.कृ.अ.प.–यूनिट आईएआरआई, नई दिल्ली	गेंदा	11,04,018
37	पीवीकेएएस (विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला), भा.कृ.अ.प.–यूनिट अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन एवं मक्का	10,88,268
38	डीओजीआर (प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, राजगुरूनगर	प्याज एवं लहसुन	8,96,358
39	एनआरसी (राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, सिक्किम	ऑर्किड	7,73,811
40	एनआरसीपी, भा.कृ.अ.प.–यूनिट,शोलापुर	अनार	9,12,000
41	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	7,96,063
42	आईआईएसआर (भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, लखनऊ	गन्ना	12,23,042
43	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बंगलुरू	पान	6,85,671
44	सीएसएयूए एवं टी (चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	सरसों एवं गेहूं	11,93,539
45	आईआईएसआर (भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, कालीकट	मसाले	6,46,365
46	डीएसआर (सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, इंदौर	सोयाबीन	9,03,039
47	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	मूंग, उड़द, मसूर, राजमा व मटर	18,81,480
48	एनआरसी (राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, पुणे, महाराष्ट्र	अंगूर	7,71,280
49	आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	चावल	6,92,828
50	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, कोयम्बतूर	गन्ना	17,45,056
51	आईजीकेवी, रायपुर	ग्रो आउट परीक्षण (चावल)	8,64,408
52	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, करनाल	गन्ना	8,14,805
53	आईआईडब्ल्यूबीआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, करनाल	जौ और गेहूं	20,05,673
54	डीआरएमआर (तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, भरतपुर	तोरिया और सरसों	9,62,295
55	आरएयू, बीकानेर – मंदौर एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर	बाजरा	9,98,445
56	पीएयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	जई, लोबिया, गिनी घास और कपास	9,36,007
57	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, तिरूवनंतपुरम	जीमीकंद, तारो, कचालू और ग्रेटर याम	18,06,218
58	सीआरआरआई (केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, कटक	चावल	11,53,661
59	पीडीकेवी (पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय),अकोला	अरहर, चना, अरहर व कुसुम	10,32,421
60	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	चौलाई, पालक, नसदार तोरी	5,95,266
61	डीएमएपीआर (औषधीय एवं सगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय), आनंद	औषधीय एवं सगंधीय पौधे	8,87,795
62	सीसीएसएचएयू (चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय), हिसार	कपास और चना	10,09,126
63	आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूं	4,01,292
64	सीपीआरआई (केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, शिमला	आलू	4,50,490
65	एनईएच, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, बड़ापानी, मणिपुर	चावल	14,46,391
66	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	4,47,991

67	पीआईटीएसएयू (प्रो. जय शंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का	14,45,751
68	टीएनएयू (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय), कोयम्बतूर	चावल, सूरजमुखी और मूंगफली	9,00,507
69	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, हैदराबाद	ज्वार	8,94,048
70	सीआरआईजेएएफआर (केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान), बैरकपुर और सीएसआरएस, बुदबुद	पटसन	10,67,230
71	एमपीकेवी, राहुरी	कपास	2,00,000
72	आईआईओआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, हैदराबाद	सूजरमुखी, अरण्ड और कुसुम	11,24,857
73	सीपीसीआरआई, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, केरल	नारियल	6,17,061
74	यूएएस, जीकेवीके, बंगलुरू	लघु मोटे अनाज	10,94,498
75	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा. कृ.अ.प.–यूनिट, लखनऊ	अमरूद और लीची	6,87,200
76	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	चना और अरहर	17,04,867
77	एमपीकेवी, राहुरी	ज्वार, बाजरा और चना	19,96,757
78	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, हेसरगट्टा, बंगलुरू	सब्जियां	42,49,957
79	यूएएस (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय), धारवाड़	कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ड्यूरम गेहूं और तिल	13,12,121
80	आईआईएचआर (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बंगलुरू	गुलाब और गुलदाउदी	10,50,606
81	आईआईआरआर, हैदराबाद, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, हैदराबाद	चावल	17,37,760
82	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, नई दिल्ली	मक्का	20,64,748
83	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	कपास	4,12,500
84	सीआईसीआर (केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान), भा. कृ.अ.प.–यूनिट, नागपुर	कपास	9,65,907
85	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), भा. कृ.अ.प.–यूनिट, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी आदि	26,89,874
86	एनआरसीसी, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, नागपुर	सिट्रस, खट्टा, मौसम्बी और मेंडारिन	4,04,380
87	आईआईएचआर, बंगलुरू (गुलदाउदी)	गुलदाउदी	4,77,819
88	आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलदाउदी	7,69,633
89	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), वाराणसी	परवल	4,25,000
90	आईआईएचआर, बंगलुरू (क्रॉसेण्ड्रा)	क्रॉसेण्ड्रा	3,50,000
91	अंगारू, गुंटूर	मेस्ता और रोजेले	7,50,000
92	डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च और पैपरिका	10,00,000
93	डॉ.वाई.एस.एस. बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटर, आध्र प्रदेश	क्रॉसेण्ड्रा	4,25,000
94	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	9,00,000
	कुल		**8,78,27,077**

अनुबंध V : वर्ष 2020-21 के दौरान फील्ड जीन बैंक को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण

क.सं.	केन्द्र का नाम	2020–21 के दौरान जारी राशि रुपये में
1	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	9,13,042
2	डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (शीतोष्ण फल)(सेब, आड़ू, आलूबुखारा, नाशपाती व अखरोट)	7,36,859
3	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	14,39,845
कुल		**30,89,746**

अनुबंध VI : वर्ष 2020-21 के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठनो / केन्द्रो को जारी की गई राशियो को दर्शाने वाला विवरण

क.सं.	लाभार्थी का नाम	2020–21 के दौरान जारी राशि रुपये में
1	बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2,40,000
कुल		**2,40,000**

अनुबंध VII: पंजीकरण अधीन फसलें

क्र.सं.	फसल	वानस्पतिक नाम
1.	चावल	*ओरायजा सैटाइवा* एल.
2.	ब्रेड गेहूं	*ट्रिटिकम ऐस्टीवम* एल.
3.	मक्का	*जीआ मेज़* एल.
4.	सोरघम	*सोरघम बाइक्लर* (एल.) मोइंच
5.	बाजरा	*पेन्नीसेटम ग्लॉकम* (एल.) आर.बीआर.
6.	चना	*साइसर ऐरियेटिनम* एल.
7.	मूंग	*विग्ना रेडियेटा* (एल.) विल्सजेक
8.	उड़द	*विग्ना मुन्गो* (एल.) हेपर
9.	मटर	*पाइसम सैटाइवम* एल.
10.	राजमा	*फैजियोलस वल्गेरिस* एल.
13	भारतीय सरसों	*ब्रैसिका जन्सिया* एल. कजर्न एंड कॉस
14	करन राई	*ब्रैसिका कैरीनेटा* ए. ब्रॉन
15	सरसों व तोरिया (तोरिया)	*ब्रैसिका रैपा* एल.
16	गोभी सरसों	*ब्रैसिका नेपस* एल.
17	मूंगफली	*अरेकिस हाइपोगिया* एल.
18	सोयाबीन	*ग्लिसिनी मैक्स* (एल.) मेरिल
19	सूरजमुखी	*हेलियेन्थस एनुअस* एल.
20	कुसुम	*कार्थामस टिंक्टोरियस* एल.
21	अरण्डी	*रिसिनस कम्युनिस* एल.
22	तिल	*सीसेमम इण्डिकम* एल.
23	अलसी	*लाइनम यूसीटेटिसिमम* एल.
24	द्विगुणित कपास	*गॉसीपियम आर्बोरियम* एल.
25	द्विगुणित कपास	*गॉसीपियम हर्बेसियम* एल.
26	चतुर्गुणित कपास	*गॉसीपियम हिर्सुटम* एल.
27	चतुर्गुणित कपास	*गॉसीपियम बार्बाडेन्स* एल.

28	जूट अथवा पटसन	*कार्कोरस ऑलिटोरियस* एल.
29	Jute	*कार्कोरस कैप्सुलेरिस* एल.
30	गन्ना	*सैकेरम* एल.
31	काली मिर्च	*पाइपर नाइग्रम* एल.
32	छोटी इलायची	*एलेटैरिया कार्डामोमम* मैटन
33	हल्दी	*करकुमा लांगा* एल.
34	अदरक	*जिंजिबर ऑफीसिनेल* रोज
35	टमाटर	*लाइकोपर्सियन लाइकोपर्सिकम* (एल.) कार्स्टन एक्स. फार्व
36	बैंगन	*सोलेनम मेलोन्जिना* एल.
37	भिण्ड़ी	*अबेलमोस्कस एस्कुलेण्टस* (एल.) मोइंच
38	फूलगोभी	*ब्रैसिका ऑलिरेसिया* एल. किस्म *बोट्रिटिस*
39	बंदगोभी	*ब्रैसिका ऑलिरेसिया* एल. किस्म *कैपीटेटा*
40	आलू	*सोलेनम ट्यूबरोसम* एल.
41	प्याज	*एलियम सीपा* एल.
42	लहसुन	*एलियम सैटाइवम* एल.
43	गुलाब	*रोजा* उपप्रजातियां *(आर. डेमासीना* के अलावा)
44	गुलदाउदी	*क्राइसैन्थेमम* प्रजातियां
45	आम	*मैग्नीफेरा इण्डिका* एल.
46	डुरूम गेहूं	*ट्रिटिकम डुरूम* डेस्फ
47	डाइकोकम गेहूं	*ट्रिटिकम डाइकोकम* एल.
48	अन्य *ट्रिटिकम* प्रजातियां	
49	इसबगोल	*प्लान्टैगो ओवेटा* फार्स्क
50	मिन्थोल पुदीना	*मेन्था आर्वेन्सिस* एल.
51	दमस्क गुलाब	*रोजा डेमासीना* मिल
52	पेरीविन्कल	*कैथारैन्थस रोजियस* एल.
53	ब्राहमी	*बैकोपा मोन्नियरी* एल. पेनल
54	नारियल	*कोकोस न्यूसिफेरा* एल.
55	आर्किड्स	*वैण्डा*
56	आर्किड्स	*डैण्ड्रोबियम*

57	आर्किड्स	*सिम्बीडियम*
58	अनार	*प्यूनिका ग्रैनेटम* एल.
59	आर्किड	*कैटलिया* लिंडल
60	आर्किड	*फैलियोनॉप्सिस* ब्लूम
61	यूकेलिप्टस	*यूकेलिप्टस कैमलडुलेन्सिस* डेहन
62	यूकेलिप्टस	*यूकेलिप्टस टेरेटीकॉर्निस* सम
63	कैजूआराइना	*कैजूआराइना इक्वेसेटीफोलिया* एल.
64	कैजूआराइना	*कैजूआराइना जुन्गूनियाना* मिक
65	करेला	*मोमोर्डिका चैरन्शिया* एल.
66	लौकी	*लैगेनेरिया साइसेरेरिया* (मोल.) स्टैण्डल
67	खीरा	*कुकुमिस सैटाइवस* एल.
68	कद्दू	*कुकुरबिटा मॉस्केटा* डंच एक्स पॉइर
69	जौ	*हॉर्डियम वल्गरे* एल.
70	धनिया	*कोरियेण्ड्रम सैटाइवम* एल.
71	मेथी	*ट्राइगोनेला फीनम ग्रीकम* एल.
72	बादाम	*प्रुनस डल्किस* (मिल.) डी.ए. वेब
73	सेब	*मैलस डॉमस्टिका* बोर्ख
74	नाशपाती	*पाइरस कम्यूनिस* एल.
75	खुबानी	*प्रुनस आर्मीनियाका* एल.
76	चेरी	*प्रुनस एवियम* एल.
77	अखरोट	*जुगलांस रेजिया* एल.
78	अंगूर	*वाइटिस* प्रजातियां
79	इंडियन जुजुबे (बेर)	*जिजिफस मॉरीटियाना* लैम्क
80	चाय	*कैमेलिया साइनेन्सिस*
81	चाय	*कैमेलिया असामिका*
82	चाय	*सी. असामिका* उप प्रजाति *लैसियोकैलिक्स*
83	नींबू	*सिट्रस ऑरन्टीफोलिया* स्विंगल
84	मैण्डेरिन	*सिट्रस रेटीकुलेटा* ब्लांको
85	माल्टा	*सिट्रस साइनेन्सिस* (एल.) ऑस्बेक

86	बोगेनविलिया	*बोगेनिविलिया* कॉम. एक्स जस
87	केला	*मुसा* प्रजातियां
88	आर्किड	*आंसीडियम* स्व
89	कैन्ना	*कैन्ना* एल.
90	ग्लैडिओलस	*ग्लैडिओलस* एल.
91	खरबूजा	*कुकुमिस मेलो* एल.
92	तरबूज	*सिट्रलस लैनेटस* (थंब) मान्स्फ
93	जैस्मीन अथवा चमेली	*जैस्मीनम ऑरीकुलेटम* एल.
94	रजनीगंधा	*पॉलियेन्थस टयूबरोज* एल.
95	पपीता	*कैरिका पपाया* एल.
96	चाइना ऐस्टर	*कैलिस्टेफस चाइनेन्सिस* (एल.) नीस
97	आडू	*प्रुनस पर्सिका* एल. बॉश
98	जापानी बेर	*प्रुनस सैलीसिना* एल.
99	स्ट्राबेरी	*फ्रगेरिया* x *एनानासन* डक
100	मिर्च, शिमला मिर्च तथा पपरिका	*कैप्सिकम एनुअम* एल.
101	रागी अथवा मंडुआ	*एल्यूसाइनी कोराकाना* (एल.) गैरटिन
102	कंगनी	*सेटारिया इटालिक* (एल.) ब्यूव
103	सब्जी चौलाई	*अमैरैन्थस ट्राइक्लर एल.*
104	तोरी	*लफ्फा एक्यूटैंगुला* (एल.) रॉक्स
105	पालक बीट	*बिटा वल्गेरिस* किस्म *बेंगालेन्सिस* रॉक्स
106	कार्नेशन	*डॉयेन्थस कैरियोफाइलस* एल.
107	आर्किड	*पैफियोपेडिलम* फिट्ज
108	नोनी	*मोरिण्डा सिट्रिफोलिया* एल.
109	बेल	*ईगल मार्मेलोस* (एल.) कोरिया
110	जामुन/काला बेर	*साइजीजियम क्यूमिनी* (एल.) स्कील्स
111	जायफल	*मिरिस्टका फ्रेगरेन्स* हॉट
112	जैस्मीन/मोगरा	*जैस्मीनम सैम्बक* एल.
113	शरीफा/सुगर एप्पल	*एनोना स्क्वामोजा* एल.
114	कालमेघ/किंग ऑफ बिटर्स	*एण्ड्रोग्राफिस पैनीकुलेटा* (बर्म.एफ.) वॉल एक्स नीस

115	करंज	*पोंगामिया पिन्नाटा* (एल.) पियरे
116	नीम	*एजाडिरेक्टा इण्डिका* ए. जस
117	भारतीय आंवला	*एमब्लिका ऑफीसिनेल* गैयर्टिन
118	अमरूद	*सीडियम गुआजावा* एल.
119	लीची	*लीची चाइनेन्सिस* सोन.
120	गेंदा	*टैजेटीज* प्रजातियां एल.
121	पान	*पाइपर बीटल* एल.
122	देवदार	*सेड्रस देवदार* (रॉक्स.) जी. डॉन
123	चिर पाइन	*पाइनस रॉक्सबर्जाई* सार्जेन्ट
124	शहतूत	*मोरस* प्रजातियां
125	जैस्मीन	*जैस्मीनम मल्टीफोरम* एल.
126	कॉमन/मीठा कुट्टु	*फैगोपाइरम एस्कुलेण्टम*
127	टारटेरी/कड़वा कुट्टु	*फैगोपाइरम टैटारीकम*
128	राजगीर (दि किंग्स ग्रैन) अथवा रामदाना (लॉर्ड राम का दाना)	*अमेरैन्थस हाइपोकॉण्ड्रिकस*
129		*अमेरैन्थस क्रुयेण्टस*
130		*अमेरैन्थस कॉडेटस*
131		*अमेरैन्थस ड्डुलिस*
132	फबाबीन	*विसिया फबा* एल.
133	जैट्रोफा	*जैट्रोफा करकास* एल.
134	प्रोसो कदन्न	*पैनीकम मैलियासियम* एल.
135	बर्नयार्ड कदन्न	*एकाइनोक्लोआ फ्रमेन्टासिये* (रॉक्स.) लिंक
136	लिटिल कदन्न	*पैनीकम सुमाट्रेन्स* रॉथ एक्स. रोमर एवं शुल्ट्स
137	कोडो कदन्न	*पैस्पेलम स्कॉर्बीकुलेटम* एल.
138	जिमिकंद	*एमॉर्फोफैलस पीनीफोलियस*
139	तारो	*कोलोकेजिया एस्कुलेण्टा*
140	जिआंट स्वैम्प तारो	*सिर्टोस्पर्मा कैमीसियोनिस/सी. मर्कुसाई*
141	काजू	*एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेण्टल* एल.
142	सुपारी	*अरेका कटेचू* एल.
143	चिरोन्जी	*बुकानेनियालेन्जन स्पर्न्ज*

144	इमली	*टैमारिन्डस इण्डिका* एल.
145	शकरकंदी	*आइपोमोइया बैटाटस* (एल.) लैम
146	कसावा	*मैनीहोट एस्कुलेण्टा* क्रैण्ट्ज
147	पोपलर	*पापुलसडेल्टॉइड्स* बारटर
148-154	विल्लो (7 प्रजातियां)	*सैलिक्स टेट्रास्पर्मा , सैलिक्स नाइग्रा , सैलिक्स जेसोन्सिस , सैलिक्स x रूबेन्स , सैलिक्स मत्सुदाना , सैलिक्स एल्बा , सैलिक्स एक्मोफाइला*
155	जई	*एवीना सैटाइवा* एल.
156	खजूर	*फीनिक्स डैक्टाइलीफेरा* एल.
157	मोरिंगा	*मोरिंगा ऑलिफर्स* एल.
158	मेलिया	*मेलिया डुबिया* कॉव
159	परवल	*ट्राइकोसैन्थस डिओका* रॉक्स.
160	क्रासैण्ड्रा	*क्रासैण्ड्रा इनफण्डीबुलीफॉर्मिस* (एल.) नीस
161	लोबिया	*विग्ना अंग्विकुलेटा* (एल.) वाल्प उप प्रजाति *अंग्विकुलेटा* तथा *विग्ना अंग्विकुलेटा* (एल.) वाल्प उप प्रजाति *सेस्क्वीपेडलिस* (एल.) वर्डक. (एल.) वाल्प
162	कटहल (पंजीकरण केवल विद्यमान किस्मो के लिए खुला है)	*(आर्टोकार्पस हिटेरोफाइलस* लैम).
163	रतालू (पंजीकरण केवल विद्यमान किस्मो के लिए खुला है)	*(डाइऑस्को,रिया एलेटा एल.)*
164	मिश्री कंड (पंजीकरण केवल विद्यमान किस्मो के लिए खुला है)	(पैकीराइजस इरोसस एल.)
165	छरमा (पंजीकरण केवल विद्यमान किस्मो के लिए खुला है)	(हिपोफी रैम्नॉ यडीज एल.)

अनुबध VIII: वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
1.	2020 का 140	नवीन	सीबी 11	सोरघम अथवा ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
2.	2020 का 141		केएमएल 5164	मक्का	कावेरी सीड कम्पनी लि.
3.	2020 का 142		पीएच 2 ए 7 एस		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
4.	2020 का 143	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एम -574	अरण्डी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
5.	2020 का 144	नवीन	बायो 60102 I2	चतुर्गुणित कपास	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
6.	2020 का 146	किसान	कनकचुर - डब्ल्यूबी	चावल	लोकमता रानी रशमोनी मिशन
7.	2020 का 147		झींगा पंछी		सुखसयी वन्दो
8.	2020 का 148		हरिना खरी		सागर कृष्णानगर स्वामी विवेकानन्द युवा सांस्कृतिक सोसायटी
9.	2020 का 149	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	पीसी - पी 621	चतुर्गुणित कपास	प्रभात एग्री बायोटेक लि.
10.	2020 का 150	नवीन	एएनएस 025	चावल	पैन सीड्स प्रा. लि.
11.	2020 का 151	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	रत्नागिरि -4(आरटीएन 49-1-1-2) (आईईटी 20980)		डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ
12.	2020 का 152	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	ईएच -2	भारतीय सरसों	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
13.	2020 का 153	नवीन	सीजेड 170-nm	मक्का	डीसीएम श्रीराम लि.
14.	2020 का 154		एलजीएसएफ 12027 आर	सूरजमुखी	बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
15.	2020 का 155		एलजीएसएफ 12001 बी		बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
16.	2020 का 156		एलजीएसएफ 12055 आर		बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
17.	2020 का 157	प्रचलित अथवा	आईआईएसआर प्रतिभा	हल्दी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
18.	2020 का 158	विद्यमान (वीसीके)	आईआईएसआर प्रतिभा		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
19.	2020 का 159		आईआईएसआर एलेप्पी सुप्रीम		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
20.	2020 का 160		आईआईएसआर महिमा	अदरक	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
21.	2020 का 161		आईआईएसआर रिजाथा		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
22.	2020 का 162		आईआईएसआर वरदा		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
23.	2020 का 163		आईआईएसआर शक्ति	काली मिर्च	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
24.	2020 का 164	किसान	दनाका	अंगूर	दत्तात्रेय नानासाहेब काले
25.	2020 का 165		हरा मूंगफली	मूंगफली	कमलेश्वरी प्रसाद यादव
26.	2020 का 166	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	फुले वार्ना (केडीजी 128)		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
27.	2020 का 167		फुले मोरना (केडीजी 123)		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
28.	2020 का 168		केडीएस 344 (फुले अग्रणी)	सोयाबीन	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
29.	2020 का 169		केडीएस 726 (फुले संगम)		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
30.	2020 का 170	नवीन	पीएच 1 डब्ल्यूजीएस	मक्का	पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
31.	2020 का 171	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	रत्नागिरि -24(आरटीएन -24)(आईईटी -19812)	चावल	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ
32.	2020 का 172		वीएनआर 2245 (आईईटी 20716) वीएनआर - 204)		वीएनआर सीड्स प्रा. लि.
33.	2020 का 173		सीसीएच 2623	चतुर्गुणित कपास	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
34.	2020 का 175	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एनसी -130		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
35.	2020 का 176	नवीन	एसवी -317	द्विगुणित कपास	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा. लि.
36.	2020 का 177		एनसी -158/1 बीजी -II	चतुर्गुणित कपास	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
37.	2020 का 178	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एनसी -1130 बीटी		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
38.	2020 का 179		वीसी - 22		सनग्रो सीड्स प्रा. लि.
39.	2020 का 180	नवीन	एनजे - 7010	जूट अथवा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
				पटसन	
40.	2020 का 181		एम 018	चावल	बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
41.	2020 का 182	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	पीएससीपी - 01	चतुर्गुणित कपास	प्रवर्धन सीड्स प्रा. लि.
42.	2020 का 183	नवीन	पीएचआईएन 06	मक्का	पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
43.	2020 का 184		पीएच 1 सीजीवाई		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
44.	2020 का 185		पीएच 1 बी 26		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
45.	2020 का 186		पीएचएसएबी		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
46.	2020 का 187	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	पीएच 9 जेएम		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
47.	2020 का 188	नवीन	पीएच 1 डीवीए		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
48.	2020 का 189		पीएच 2 ए 6 जी		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
49.	2020 का 190		पीएच 2 बी 00		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
50.	2020 का 191	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	फुले कल्याणी (डीएस - 228)	सोयाबीन	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
51.	2020 का 200		फुले चैतन्य (मध्य - केडीजी 160)	मूंगफली	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
52.	2020 का 193		फुले स्वरूपा (डीटीएस - 222)	हल्दी	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
53.	2020 का 194		अर्पिता	अलसी	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
54.	2020 का 195	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	जीपी - एम 28	मक्का	यागन्ती सीड्स प्रा. लि.
55.	2020 का 196	नवीन	एलजीएसएफ 12060 बी	सूरजमुखी	बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
56.	2020 का 197		एमजेड़ 14 एस 016 एन	मक्का	मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड
57.	2020 का 198		एमजेड़ 14 एस 028 एन		मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड
58.	2020 का 199		एमजेड़ 14 एस 022 एन		मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड
59.	2020 का 200		एनएसएसआर -310	सूरजमुखी	निर्मल सीड्स प्रा. लि.
60.	2020 का 201		एनएमआर -1	भारतीय सरसों	निर्मल सीड्स प्रा. लि.
61.	2020 का 202		सीओ 06027	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
62.	2020 का 203		सीओ 06030		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
63.	2020 का 204		एनएसएफएल -184 आर	सूरजमुखी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
64.	2020 का 205		एनएसएफएल -707 ए		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
65.	2020 का 206		एनएसएफएल -286 आर		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
66.	2020 का 207		पीएच 1 आरए 7	मक्का	पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
67.	2020 का 208		पीएच 2 एनजीडब्ल्यू		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
68.	2020 का 209	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	पीएच 234		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
69.	2020 का 210	नवीन	पीएच 2 जीपी 6		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
70.	2020 का 211		पीएच 1 सीएच 0		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
71.	2020 का 212	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एनएसएफएल -399 आर	सूरजमुखी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
72.	2020 का 213	नवीन	वेस्टर्न वरदान	मूंगफली	वेस्टर्न एग्री सीड्स लिमिटेड
73.	2020 का 214		एसीजी -17-II (अजीत -17- बीजी -II)	चतुर्गुणित कपास	अजीत सीड्स लिमिटेड
74.	2020 का 215		एसीजी -जीएमएस -14-II (अजीत -जीएमएस -14-II)		अजीत सीड्स लिमिटेड
75.	2020 का 216	किसान	मियामी टाटसा	चावल	लोको फार्मर्स क्लब
76.	2020 का 217		गारू		लोको फार्मर्स क्लब
77.	2020 का 218		काफरू कुफुइमा		लोको फार्मर्स क्लब
78.	2020 का 219	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एनसी -1102	चतुर्गुणित कपास	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
79.	2020 का 220	किसान	कार्तिक सैल	चावल	अब्दुल जलील
80.	2020 का 221		एएस 100		अब्दुल जलील
81.	2020 का 222	नवीन	रेवती +		आरजे बायोटेक लिमिटेड
82.	2020 का 223		जानकी		आरजे बायोटेक लिमिटेड
83.	2020 का 224		पीसी - पी 3812/1 बीजी -II	चतुर्गुणित कपास	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड
84.	2020 का 225		एसीजी -40-II (अजीत -40-बीजी -II)		अजीत सीड्स लिमिटेड

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
85.	2020 का 226		एसीजी -जीएमएस -28-II (अजीत -जीएमएस -28-II)		अजीत सीड्स लिमिटेड
86.	2020 का 227	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	सोलर 56 बीजी II		सोलर एग्रोटेक प्रा. लि.
87.	2020 का 228		केटीएल 3287	टमाटर	मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
88.	2020 का 229		केटीएल 3285		मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
89.	2020 का 230		केपीपी 4011	अरहर	मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
90.	2020 का 231	किसान	पोटनी	भारतीय सरसों	बिनोद कुमार साव
91.	2020 का 232		पुष्पा		सहेन्द्र दास
92.	2020 का 233		पूरनी		पूनम देवी
93.	2020 का 234		बथनी		गजेन्द्र कुमार
94.	2020 का 235	नवीन	पीएचडीएमके	मक्का	पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
95.	2020 का 236		डब्ल्यूडब्ल्यूवी 04		डॉव एग्रोसाइन्सिज इंडिया प्रा. लि.
96.	2020 का 237		एचडीसीएसडब्ल्यू 18	गेहूं	भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
97.	2020 का 238		बायो डीएस 192	टमाटर	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
98.	2020 का 239	किसान	लहन मनी ज्वार	सोरघम	याहा मोजी माता स्तनिक बियानी संवर्धन समिति
99.	2020 का 240		छुट्टा की मसूरी - के	मसूर	कमल देव राय
100.	2020 का 241		गुलसन	टमाटर	दिलीप कुमार सिंह
101.	2020 का 242		टिटोया मसूर	मसूर	सत्य देव सिंह
102.	2020 का 243	नवीन	हेरसलिया	आलू	एच जेड पी सी हॉलैण्ड बी.वी.
103.	2020 का 244	किसान	अर्ली कुवन्री	फूलगोभी	बिन्देश्वर प्रसाद सिंह
104.	2020 का 245		कसूर मसूर	मसूर	मो. अकबर खान एंड ग्रुप
105.	2020 का 246		चंचल	बैंगन	शंकर राव चौहान
106.	2020 का 247		कोडामुरका जोला (कोडामुरका डुण्डुडेनी)	सोरघम	हनमनटप्पा नागप्पा पैटिड
107.	2020 का 248		रोही लाल जेएडब्ल्यू -1	जौ	रोही लाल महतो
108.	2020 का 249		अरूणा बारले		अरूणा देवी
109.	2020 का 250		मीना मूंग	मूंग	मीना देवी
110.	2020 का 251		अरूणा मूंग		अरूणा देवी
111.	2020 का 252		मसिंगा कुट्इमा	सोरघम	लोको फार्मर्स क्लब
112.	2020 का 253		टमाटर -20	टमाटर	रामचेला शाह
113.	2020 का 254	नवीन	फरीदा	आलू	एच जेड पी सी हॉलैण्ड बी.वी.
114.	2020 का 255		नेवीगेटर		एच जेड पी सी हॉलैण्ड बी.वी.
115.	2020 का 256	किसान	जोनारी	सोरघम	लोको फार्मर्स क्लब
116.	2020 का 257		चिकनी लाल ज्वार		याहा मोजी माता स्तनिक बियानी संवर्धन समिति

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
117.	2020 का 258	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	फुले एकादशी (केओपीएलएम 83)	गौण कदन्न	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
118.	2020 का 259		डब्ल्यूएच 1142	गेहूं	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
119.	2020 का 260		एचएवीएफबी -41 (स्वर्णा सफल)	फबाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
120.	2020 का 261		भीमा लाइट रेड़	प्याज	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
121.	2020 का 262		फुले विक्रम (फुले जी - 08108)	चना	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
122.	2020 का 263		गुजरात ग्राम 5 (जीजेजी 0809)		जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
123.	2020 का 264		डीबीजीवी -5	उड़द	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
124.	2020 का 265		पीडीकेवी कल्याणी (एकेएसवी -181) (एसपीवी 2029)	सोरघम	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
125.	2020 का 266		फुले रोहिणी (आरपीएएसवी 3)	सोरघम	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
126.	2020 का 267		एचपीडब्ल्यू 349	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
127.	2020 का 268	नवीन	जेआरओ 2407 (सम्पति)	जूट अथवा पटसन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
128.	2020 का 269	किसान	सालुमा	चावल	लोको फार्मर्स क्लब
129.	2020 का 270		बडिया		लोको फार्मर्स क्लब
130.	2020 का 271		चाफरा सैल		फुरकान उद्दीन
131.	2020 का 272		धोल मेघ		निखिल नामसुद्र
132.	2020 का 273		अग्नि सैल		अब्दुल जलील
133.	2020 का 274	नवीन	पीएएन -5034		पैन सीड्स प्रा. लि.
134.	2020 का 275		एचआर 411128 आर		डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
135.	2020 का 276		आरसी 468	चतुर्गुणित कपास	रासी सीड्स प्रा. लि.
136.	2020 का 277		केसीएल -18		मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
137.	2020 का 278		केसीएल -11		मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
138.	2020 का 279		केसीएल -12		मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
139.	2020 का 280		केसीएल -5		मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
140.	2020 का 281		केसीएल -4		मैसर्स कावेरी सीड कम्पनी लि.
141.	2020 का 282	किसान	कोटकी	चावल	रमन महतो
142.	2020 का 283		केले		रमन महतो

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
143.	आरईजी/2016/1161	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	आईआईएचआरपी 1 (अर्का फ्लेम)	कार्नेशन	भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू
144.	आरईजी /2019/73 एच		पीबी 1705 (एमएच 2008)	बाजरा	बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
145.	आरईजी /2019/73 ए		पीएसपी 83		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
146.	आरईजी /2019/73 बी		पीएसपी 84		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
147.	आरईजी /2019/73 आर		पीपी 78		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
148.	आरईजी /2018/112 एच		महाबीज -1005 (एमएच -1852)		महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड
149.	आरईजी /2018/112 ए		एमबीजे -2 ए		महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड
150.	आरईजी /2018/112 बी		एमबीजे -2 बी		महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड
151.	आरईजी /2018/112 आर		एमबीजे -1 आर		महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड
152.	आरईजी /2019/72 एच		पीबी 1720 (एमएच 2107) (पीबी 1720)		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
153.	आरईजी /2019/72 ए		पीएसपी 93		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
154.	आरईजी /2019/72 बी		पीएसपी 94		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
155.	आरईजी /2019/72 आर		पीपी 106		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
156.	आरईजी /2012/246	नवीन	बीवाई 070-nm	मक्का	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
157.	आरईजी /2018/318	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	फुले कार्तिकी (आरजीएएस 92-10-1)	दाना चौलाई	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
158.	आरईजी /2014/823		गुजरात जूनागढ़ ब्रिंजल -2 (जीजेबी -2) (जेबीआर -02-11)	बैंगन	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
159.	आरईजी /2012/17	नवीन	पीएचआरआरसी	मक्का	पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
160.	आरईजी /2015/441		एचआर 411126 आर	चावल	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
161.	आरईजी /2015/444		एचआर 411129 आर		डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
162.	आरईजी /2016/1706		एनपीआर -52		निर्मल सीड्स प्रा. लि.
163.	आरईजी /2015/1810	किसान	केरे खजूर झोपा		डॉ. रिकारिया किसानी संवर्धन समिति
164.	आरईजी /2015/1163		मस्कबुदजी		गांवों के किसान समुदाय
165.	आरईजी /2019/3	प्रचलित अथवा	केएचपी -13 (भारत)		कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
166.	आरईजी /2018/629	विद्यमान (अधिसूचित)	टुंगा (आईईटी -13901)		कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय
167.	आरईजी /2019/4		गुजरात आणंद देसी कॉटन -2 (जीएडीसी -2)	द्विगुणित कपास	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद, गुजरात
168.	आरईजी /2016/1738		पंत बासमती - 1 (आईईटी 21665) (आरपी 36444-1-9-5-5)	चावल	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
169.	आरईजी /2014/978	नवीन	एनपी - 9308		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
170.	आरईजी /2014/2441		एटीपीडीजी 5092		बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
171.	आरईजी /2016/172		एसवीएजीएमएस - 47	द्विगुणित कपास	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा. लि.
172.	आरईजी /2014/2440		एटीपीडीजी 5090	चावल	बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
173.	आरईजी /2014/2447		एटीपीडीजी 5094		बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
174.	आरईजी /2015/1181	किसान	पोलिना धान - 2		पोलिना टुडु
175.	आरईजी /2015/1180		पोलिना धान - 1		पोलिना टुडु
176.	आरईजी /2015/1175		रोही धान - 2		रोही लाल महतो
177.	आरईजी /2015/1177		निरंजन धान - 1		निरंजन प्रसाद सिंह
178.	आरईजी /2015/1179		मारिया धान - 2		मारिया गोरेती सोरेन
179.	आरईजी /2015/1184		पवन धान		पवन कुमार
180.	आरईजी /2015/1176		रोही धान - 3		रोही लाल महतो
181.	आरईजी /2015/1182		वकील धान		वकील राय
182.	आरईजी /2015/1174		रोही धान - 1		रोही लाल महतो
183.	आरईजी /2013/641		जी आई जी एच ओ एस		रतन पटवारी
184.	आरईजी /2012/381		कृष्णा कमोद		श्री जीतूभाई पटेल
185.	आरईजी /2018/628	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	केएचपी - 9		कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा
186.	आरईजी /2018/709		सीओ 8	अरहर	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
187.	आरईजी /2018/710		सीओ 8	मूंग	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
188.	आरईजी /2014/1260	नवीन	बी 129	चावल	बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
189.	आरईजी /2014/1266		बी 130		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
190.	आरईजी /2014/1269		बी 121		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
191.	आरईजी /2013/1577	किसान	गोवर्धन विष्णु भोग		श्रीकांत गोवर्धन
192.	आरईजी /2013/1575		गोवर्धन काली कमोद		श्रीकांत गोवर्धन

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
193.	आरईजी /2013/1576		गोवर्धन बादशाह भोग		श्रीकांत गोवर्धन
194.	आरईजी /2014/2111	नवीन	एसीजी 41-2 बीजी -II (अजीत 41 बीजी II)	चतुर्गुणित कपास	अजीत सीड्स लि.
195.	आरईजी /2015/1675	किसान	कुकुरजली	चावल	तपन चिक बारिक
196.	आरईजी /2015/1653		काजल गोरया		रामकृष्ण बर्मन
197.	आरईजी /2013/1642		चिनमौरी जुजगु		बोध राम भगत
198.	आरईजी /2017/12	प्रचलित अथवा	विष्णुभोग सेलेक्शन -1		इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
199.	आरईजी /2017/19	विद्यमान (अधिसूचित)	शिऑट्स धान - 5, (एएआईआर 101) (आईईटी 23723)		सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान
200.	आरईजी/2019/142		पूसा बासमती 1609 (आईईटी 22778)		भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
201.	आरईजी /2019/141		पूसा बासमती 1637		भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
202.	आरईजी /2019/143		पूसा साम्बा 1850 (पूसा 1850-27) (आईईटी 25480)		भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
203.	आरईजी /2015/1746	किसान	शुभ्रा कुसुम	तोरिया व सरसों	भरत बर्मन
204.	आरईजी /2013/395	नवीन	एसवाईएन - टीओ - 2 टी 123	टमाटर	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
205.	आरईजी /2013/707		एसवाईएन - टीओ -1 टी 605		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
206.	आरईजी /2013/709		एसवाईएन - टीओ -2 टी 024		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
207.	आरईजी /2013/715		एसवाईएन - टीओ -3 टी 135		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
208.	आरईजी /2013/723		एसवाईएन - टीओ - टीजेड़ 878		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
209.	आरईजी /2013/1052		एसवाईएन - सीएफ - सीएफ 111	फूलगोभी	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
210.	आरईजी /2013/1054		एसवाईएन - सीएफ - सीएफ 153		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
211.	आरईजी /2013/708		एसवाईएन - टीओ -2 टी 022	टमाटर	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
212.	आरईजी /2013/712		एसवाईएन - टीओ -2 टी 343		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
213.	आरईजी /2013/713		एसवाईएन - टीओ -2 टी 525		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
214.	आरईजी /2013/722		एसवाईएन - टीओ - टीजेड़ 877		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
215.	आरईजी /2013/1045		एसवाईएन - सीएफ -3 सी 282	फूलगोभी	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
216.	आरईजी /2013/1046		एसवाईएन - सीएफ -3 सी 283		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
217.	आरईजी /2013/1047		एसवाईएन - सीएफ -3 सी 325		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
218.	आरईजी /2013/1048		एसवाईएन - सीएफ -3 सी 327		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
219.	आरईजी /2013/1050		एसवाईएन - सीएफ -3 सी 387		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
220.	आरईजी /2013/1055		एसवाईएन - सीएफ - सीएफ 158		सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
221.	आरईजी /2013/1065		एसवाईएन - ईपी - एई 161	बैंगन	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
222.	आरईजी /2016/446	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	इन्दिरा उड़द प्रथम (आरयू 03-14)	उड़द	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
223.	आरईजी /2016/913		पंत सब्जी मटर -3 (पीएम -5)	मटर	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
224.	आरईजी /2019/172 एच		पीबी 1852 (एमएच-2224)	बाजरा	बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
225.	आरईजी /2019/172 ए		पीएसपी 95		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
226.	आरईजी /2019/172 बी		पीएसपी 96		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
227.	आरईजी /2019/172 आर	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	पीपी 110		बॉयर क्रॉप साइन्स एल पी
228.	आरईजी /2020/21		एचडी 3171	ब्रेड गेहूं	भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
229.	आरईजी /2020/22		एचडी 3117		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
230.	आरईजी /2020/24		करन श्रीया (डीबीडब्ल्यू 252)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
231.	आरईजी /2013/714	नवीन	एसवाईएन - टीओ - 2 टी 526	टमाटर	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
232.	आरईजी /2012/389		एचडीसीएसडब्ल्यू 16	गेहूं	भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
233.	आरईजी /2016/1740	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	भगवा	अनार	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
234.	आरईजी /2015/1422		डीबीडब्ल्यू 110	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
235.	आरईजी /2012/88	प्रचलित	एनबीजे -20	बैंगन	नुजीवीडु सीड्स लि.

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
		अथवा विद्यमान (वीसीके)			
236.	आरईजी /2014/1518	किसान	चेटी टमाटर	टमाटर	श्री रामेश्वर तिवारी
237.	आरईजी /2014/1810		अंजनी चना	चना	अंजनी देवी
238.	आरईजी /2014/2446	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	बीएलपीएमआर 1295	बाजरा	बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
239.	आरईजी /2015/95	किसान	सफेद राजमा	राजमा	गजेन्फर गफ्फार
240.	आरईजी /2015/1882		चिली क्वीन (एसआईएमए)	मिर्च	सुमन्त मिश्रा
241.	आरईजी /2016/1758 एच	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	फुले वसुन्धरा (आरएसएसएच 50)	सोरघम अथवा ज्वार	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
242.	आरईजी /2016/1758 ए		185 ए		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
243.	आरईजी /2016/1758 बी		185 बी		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
244.	आरईजी /2016/1758 आर		185 आर		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
245.	आरईजी /2017/963	किसान	डुडनिया हरी		श्री हरिओम सिंह
246.	आरईजी /2017/1446		नागारल ढुण्डु ज्वार		श्री शांतागौडा बासनगौडा पाटिल
247.	आरईजी /2018/693	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	सैण्टाना	आलू	स्टेट हॉलैण्ड बी.वी.
248.	आरईजी /2017/1870 एच	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	न्यूट्रिफीड़ (पीएसी -981)	बाजरा	यू पी एल लिमिटेड
249.	आरईजी /2017/1870 ए		110001		यू पी एल लिमिटेड
250.	आरईजी /2017/1870 बी		120001		यू पी एल लिमिटेड
251.	आरईजी /2017/1870 आर		पीएम 03-48-23-32		यू पी एल लिमिटेड
252.	आरईजी /2020/16		केकेएम -3	मूंग	कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय, शिवमोगा, कर्नाटक
253.	आरईजी /2020/17		रश्मि (एलबी -625)	उड़द	कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय, शिवमोगा, कर्नाटक
254.	आरईजी /2020/20		पूसा यशस्वी (एचडी 3226)	गेहूं	भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
255.	आरईजी /2020/23		करन नरेन्द्र (डीबीडब्ल्यू 222)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
256.	Reg/2020/25		डीडीडब्ल्यू 47	ड्यूरम गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
257.	आरईजी /2013/548	किसान	साहा चम्पा	चावल	श्री रोहिणी नियोग
258.	आरईजी /2013/549		खगोरा सैली		श्री कमल सैकिया
259.	आरईजी /2013/552		सकोवा		श्री जयंत नियोग
260.	आरईजी /2013/560		नानिया		श्री बलिन्द्र नियोग
261.	आरईजी /2011/984		न्यूपदा - आसान चुडी		दनार्दम मांझी
262.	आरईजी /2011/1213		गंजम - पुरूषोत्तमपुर - रतनचुडी		एल सी पांडा, सिकुला
263.	आरईजी /2019/139	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	पूसा बासमती 1718 (आईईटी 24565 - पूसा 1718-14-2-150)		भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
264.	आरईजी /2018/83		डीएडब्ल्यूबी - जेडएआरएसकेजीआर - जूट - केआर 04	पटसन अथवा जूट	आर्थिक वनस्पतिविज्ञान -IX, जोनल अनुकूलनीय अनुसंधान स्टेशन
265.	आरईजी /2013/1066	नवीन	एसवाईएन - ईपी - एई 162	बैंगन	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
266.	आरईजी /2017/1389	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	स्वर्ण वसुन्धरा	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
267.	आरईजी /2019/116		फुले बासवन्त (पीबी - सेले.2)	लहसुन	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
268.	आरईजी /2014/1707	नवीन	एनएसए -66	सूरजमुखी	निर्मल सीड्स प्रा. लि.
269.	आरईजी /2011/843	किसान	सुनखादी के	चावल	डम्बरूधर चांदी
270.	आरईजी /2011/1170		बेलान्गीर ‘ कालाजीरा		तीर्थराज नाइक
271.	आरईजी /2011/360		उमरियाचुडी		सोना पुजारी
272.	आरईजी /2019/112	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	सीओ 51		तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
273.	आरईजी /2016/1262		कृष्णा (आरएनआर - 2458) (आईईटी - 21492)		प्रो. जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
274.	आरईजी /2016/1268		जेजीएल 17004 (प्रत्युम्न)		प्रो. जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
275.	आरईजी /2016/1323		भीमा/धीरा (एमटीयू 1140)		आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय
276.	आरईजी /2016/1321		एमटीयू 1075 (आईईटी 18482)		आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय
277.	आरईजी /2019/140		पूसा बासमती 1728		भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
278.	आरईजी /2019/114		पूर्णा (आईईटी -18654)		नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
279.	आरईजी /2019/153		राज विजय कपास 67 (आरवीके 67) (आईएच 67 (एचआर)	चतुर्गुणित कपास	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
280.	आरईजी /2018/97		फुले समृद्धि	चावल	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
281.	आरईजी /2014/2444	नवीन	एटीपीडीजी 5098		बिस्को बायोसाइन्सिज प्रा. लि.
282.	आरईजी /2019/137	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	पूसा बासमती -6 (आईईटी -18005)		भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI)
283.	आरईजी /2016/1267		11727 (प्रानहिता)		प्रो. जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
284.	आरईजी /2014/2366	किसान	दुमार फूल धरोहर		धरोहर समिति
285.	आरईजी /2014/2265		गोडाकनोयू		मंगू मुंडा
286.	आरईजी /2017/1642		जी-विलास पसंद	अमरूद	राम विलास मौर्य
287.	आरईजी /2014/984	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	भीमा शक्ति (एनआरसीआरओ 2/1156)	प्याज	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
288.	आरईजी /2018/321	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	रोन्गखांग (एएयूडीएआर 9312-13-1) आईईटी 18242 आईसी 574472	चावल	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
289.	आरईजी /2016/943		गुजरात आनंद राइस - 2 (आईईटी 21614)		आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद
290.	आरईजी /2017/66	किसान	गुरूस्थान नीम	नीम	श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट
291.	आरईजी /2009/359	नवीन	डीजीजे -019	सोरघम	मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड
292.	आरईजी /2010/224	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	जेकेआर 11568	बाजरा	जे के एग्री जिनेटिक्स लि.
293.	आरईजी /2010/225		जेकेआर 4259		जे के एग्री जिनेटिक्स लि.
294.	आरईजी /2010/227		जेकेएमएस 405 ए		जे के एग्री जिनेटिक्स लि.
295.	आरईजी /2014/1062	नवीन	ईगल -135	ब्रेड गेहूं	ईगल सीड्स एंड बायोटेक लि.
296.	आरईजी /2014/1171		एम 171 जी	बाजरा	पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
297.	आरईजी /2014/1901		आइवरी रसेट	आलू	एच जेड पी सी हॉलैण्ड बी.वी.
298.	आरईजी /2014/1905		कोलम्बा	आलू	एच जेड पी सी हॉलैण्ड बी.वी.
299.	आरईजी /2017/1256	किसान	चना डोंगरिया	चना	श्री येवलनन्द ठाकरे
300.	आरईजी /2012/549	नवीन	लुसिण्डा	आलू	एच जेड पी सी हॉलैण्ड बी.वी.
301.	आरईजी /2015/1624	किसान	बेथो	चावल	हरेन्द्र नन्दी
302.	आरईजी /2015/1626		बिन्नी		पुंजन बर्मन
303.	आरईजी /2015/1633		बौनी धान		पुंजन बर्मन

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
304.	आरईजी /2015/1635		धर्मा फूल		पुंजन बर्मन
305.	आरईजी /2015/1637		ध्यापा		भुबन बर्मन
306.	आरईजी /2015/1640		दूधकलाम मोटाजशोया		पुंजन बर्मन
307.	आरईजी /2015/1645		जाग्रिकाटिक		पुंजन बर्मन
308.	आरईजी /2015/1651		कैके		पुंजन बर्मन
309.	आरईजी /2015/1655		कालो बोछी		पुंजन बर्मन
310.	आरईजी /2015/1657		कालशेपा		पुंजन बर्मन
311.	आरईजी /2014/1725	नवीन	केसीएल -14	चतुर्गुणित कपास	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
312.	आरईजी /2014/1733		केसीएल -21		कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
313.	आरईजी /2014/1739		केसीएल -8		कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
314.	आरईजी /2014/1741		केसीएल -7		कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
315.	आरईजी /2014/1896		केसीएल -113 नॉन बीटी		कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
316.	आरईजी /2014/1897		केसीएल -285-2 नॉन बीटी		कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
317.	आरईजी /2014/1898		केसीएस -189 बीजी II		कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
318.	आरईजी /2014/1899		केसीएस -374 बीजी II		कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
319.	आरईजी /2013/255		एसीजी -16-II (अजीत -16-II)		अजीत सीड्स लिमिटेड
320.	आरईजी /2013/258		एसीजी -12-II (अजीत -12-II)		अजीत सीड्स लिमिटेड
321.	आरईजी /2013/261		एसीजी -15-II (अजीत -15-II)		अजीत सीड्स लिमिटेड
322.	आरईजी /2014/912		आरसी 469		रासी सीड्स प्रा. लिमिटेड
323.	आरईजी /2014/913		आरसी 470		रासी सीड्स प्रा. लिमिटेड
324.	आरईजी /2012/58		एसवीजी 02-45	द्विगुणित कपास	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्रा. लि.
325.	आरईजी /2013/427		जेकेसी 6071	चतुर्गुणित कपास	जेके एग्री जिनेटिक्स लि.
326.	आरईजी /2016/1142	किसान	एपीएस	सेब	प्रेम सिंह चौहान
327.	आरईजी /2014/1282		एचआरएमएन 99		हरिमन शर्मा
328.	आरईजी /2015/956		जाटनी	मेथी	अशोक मेहता
329.	आरईजी /2016/1750	नवीन	एनआरसीपी एच -12	अनार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
330.	आरईजी /2016/1747		एनआरसीपी एच -6		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
331.	आरईजी /2015/980	किसान	निरन	तोरिया व	निरंजन कुमार मेहता

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
				सरसों (तोरिया)	
332.	आरईजी /2016/254	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	टीडब्ल्यूवी 10	मक्का	डॉव एग्रोसाइन्सिज इंडिया प्रा. लि.
333.	आरईजी /2016/246		टीएसआईएच 008		डॉव एग्रोसाइन्सिज इंडिया प्रा. लि.
334.	आरईजी /2019/186 एच	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	डीएमआरएचपी -1402 (खरीफ पॉपकॉर्न)		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
335.	आरईजी /2019/186 पी 1		जेपी -8		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
336.	आरईजी /2019/186 पी 2		डीपीसीएल -117		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
337.	आरईजी /2009/495	नवीन	गुजरात कॉटन 20	चतुर्गुणित कपास	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी
338.	आरईजी /2012/272	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एसी -9808		एशियन एग्री जिनेटिक्स लि.
339.	आरईजी /2013/931	नवीन	एनपी -9558	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
340.	आरईजी /2013/385	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन - टीओ टीजेड़ 996	टमाटर	सिनजेन्टा इंडिया लिमिटेड
341.	आरईजी /2014/952		एनबीआई -3044	करेला	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
342.	आरईजी /2014/953		एनबीआई -3024		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
343.	आरईजी /2014/954		एनबीआई -3045		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
344.	आरईजी /2014/956		एनबीआई -217		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
345.	आरईजी /2014/960		एनबीआई -215		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
346.	आरईजी /2014/966		बीजी -1022		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
347.	आरईजी /2014/975		एनबीआई -3025		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
348.	आरईजी /2014/976		एनबीआई -3014		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
349.	आरईजी /2010/469		एनसीएफडी -7116	फूलगोभी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
350.	आरईजी /2011/13		एनटीएफ -9012	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
351.	आरईजी /2014/958		एनसीयू -1288	खीरा	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
352.	आरईजी /2014/969		एनसीयू -1287		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
353.	आरईजी /2014/973		एनबीआई -3015	करेला	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
354.	आरईजी /2010/456		एफएन -9016	टमाटर	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
355.	आरईजी /2012/123		एनबीजे -36	बैंगन	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
356.	आरईजी /2013/920		ओके -607	भिण्डी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
357.	आरईजी /2014/964		बीजी -1027	लौकी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
358.	आरईजी /2014/967		बीजी -1013		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
359.	आरईजी /2014/971		बीजी -1012		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
360.	आरईजी /2014/974		बीजी -1023		नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
361.	आरईजी /2015/921		एनएफएस -606	तरबूज	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
362.	आरईजी /2019/188 एच	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	आईएमएचबी 1539	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
363.	आरईजी /2019/188 पी 1		एचकेआई 1105		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
364.	आरईजी /2019/188 पी 2		आईएलएल 127-1		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
365.	आरईजी /2019/183 एच		डीएमआरएच 1305		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
366.	आरईजी /2019/183 पी 1		वी 373		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
367.	आरईजी /2019/183 पी 2		एचकेआई 1105		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
368.	आरईजी /2019/184 एच		डीएमआरएच -1308		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
369.	आरईजी /2019/184 पी 1		बीएमएल 6		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
370.	आरईजी /2019/184 पी 2		एचकेआई 163		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
371.	आरईजी /2015/1691	नवीन	टीएम 800125		त्रिमूर्ति प्लांट साइन्सिज प्रा. लि.
372.	आरईजी /2019/185 एच	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	डीएमआरएच 1301		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
373.	आरईजी /2019/185 पी 1		बीएमएल 6		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
374.	आरईजी /2019/185 पी 2		आईएमएल 418-1		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
375.	आरईजी /2019/187 एच		आईएमएचबी 1532		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	किस्म की प्रकृति	नाम	फसल	आवेदक का नाम
376.	आरईजी /2019/187 पी 1		आईएमएल 127-1		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
377.	आरईजी /2019/187 पी 2		आईएमएल 242-1		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
378.	आरईजी /2015/2094	नवीन	पीएच 23 एफएफ		पॉयनियर ओवरसीज कारपोरेशन
379.	आरईजी /2014/1262		एम 019	चावल	बॉयर क्रॉप साइन्स एलपी
380.	आरईजी /2016/1256	प्रचलित अथवा विद्यमान (अधिसूचित)	डीआरआर धान 46 (आईईटी 23420)		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
381.	आरईजी /2009/21	नवीन	केसीएस -89 बीजी II	चतुर्गुणित कपास	कावेरी सीड कम्पनी लिमिटेड
382.	REG/2015/1667		एमजेड़ 14 एस 017 एन	मक्का	मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड
383.	आरईजी /2015/1668		एमजेड़ 14 एस 019 एन		मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड
384.	आरईजी /2015/1662		एमजेड़ 14 एस 020 एन		मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड
385.	आरईजी /2016/1720		डब्ल्यूसीवी 01		डॉव एग्रोसाइन्सिज इंडिया प्रा. लि.
386.	आरईजी /2015/806		एमजेड़ 14 एस 0 13 एन		मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड
387.	आरईजी /2010/468		5 ए	बंदगोभी	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
388.	आरईजी /2015/271	प्रचलित अथवा विद्यमान (वीसीके)	एमपी 12 पी 16 ए	बाजरा	मेटाहेलिक्स लाइफ साइन्सिज लिमिटेड

अनुबध IX: संक्षिप्तियां

एआईसीआरपी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
बीएयू	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
बीएमसी	जैव विविधता प्रबंधन समिति
बीसीआइएल	बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीएआरआइ	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
सीबीडी	जैविक विविधता पर सम्मेलन
सीएमडी	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सीएसआइआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएचआइईएस	केन्द्रीय बागवानी परीक्षण स्टेशन
सीएसएसआरआइ	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
डीएसी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीयूएस	विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थिरता
ईवीआरसी	प्रचलित किस्म संस्तुति समिति
ईटीएल	आर्थिक थ्रेसहोल्ड स्तर
जीएटीटी	शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता
आइएआरआइ	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आइसीएफआरई	भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आइआइएनडीयूएस	डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
आइपीजीआरआइ	अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन संस्थान (बायोवर्सिटी इंटरनेशनल)
आइटीपीजीआरएफए	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि
केएयू	केरल कृषि विश्वविद्यालय
केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र
एनएएससी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनओआरवी	भारत की अधिसूचित एवं जारी किस्में
एनएसएआइ	नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एनआरसीपीबी	राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र
एनएसआरटीसी	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
एमएसईज़ैड	मैंगलोर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड
ओईसीडी	आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन
पीएस	प्रधान वैज्ञानिक
पीडी	परियोजना निदेशक
पीजीआर	पादप आनुवंशिक संसाधन
पीपीवीआफआरए	पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पीवीई	पौधा किस्म परीक्षक
पीवीआइएस	पौधा किस्म सूचना प्रणाली

पीवीजे	भारतीय पौधा किस्म जरनल
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरटीआइ	सूचना का अधिकार
एसएओ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
एसएयू	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एसटीओ	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
टीआरआइपीएस	बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू
यूपीओवी	पौधों की नई किस्मों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ
वीसीके	सामान्य ज्ञान की किस्म
डब्लूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली–110012

ईमेल : chairperson-ppvfra@nic.in; **दूरभाष :** 011-25848127, 25843316